खण्ड-434, अंक-3
मंगलवार, 5 वैशाख, शक संवत् 1922
(25 अप्रैल, 2000 ई0)

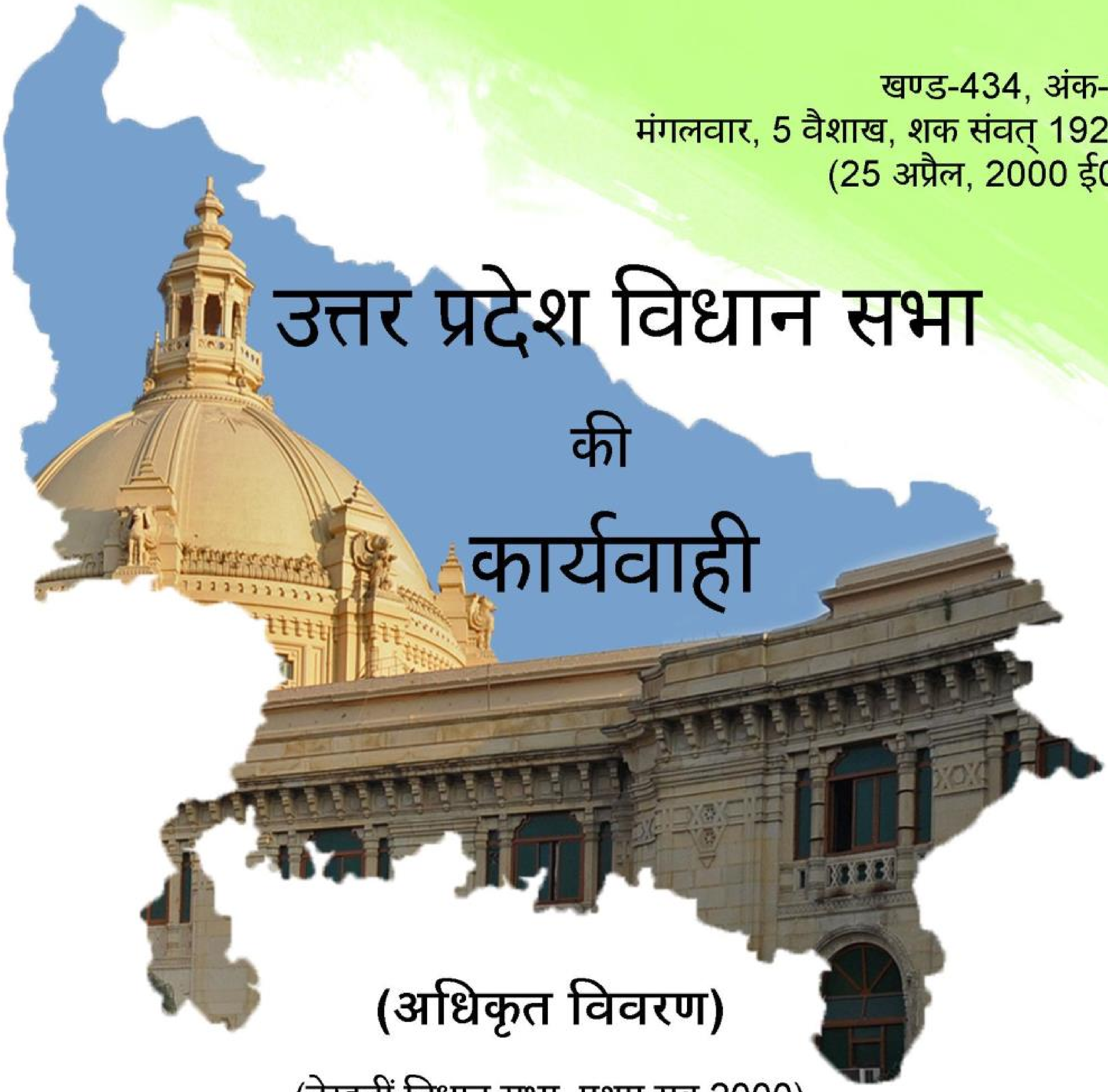

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2000)

खण्ड 434 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
प्रश्नोत्तर	1–92
अनुदान की मांगों पर चर्चा हेतु विभागवार कार्यक्रम समय पर प्राप्त न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	93–94
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	94
बेसिक शिक्षा अधिकारी जौलीन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियम विरुद्ध की गई अस्थायी तैनाती व सम्बद्धता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	95–95
जनपद हमीरपुर के राठ क्षेत्रान्तर्गत कस्बा बाजार में व्यक्ति विशेष का फर्जी कब्जा दिखाकर रुपये छत्तीस हजार में फ्री-होल्ड करने की कार्यवाही की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	95
जनपद आजमगढ़ के सदर क्षेत्र के रघुनाथपुर नाले एवं कोठियार नाले पर पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	95
जनपद गाजीपुर के जखनियां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम इन्द्रपुर झीरी में बिजली का तार टूट कर गिरने से हताहत परिवार को आर्थिक सहायता देने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	96
जनपद जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत आग लगने से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	96
जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के विकास क्षेत्र सुरियावां के साधन सहकारी समिति के कर्मचारियों का वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	96
जनपद सीतापुर लहरपुर कसरैला मार्ग से लच्छन नगर सम्पर्क मार्ग को लेपन स्तर तक कार्य कराने हेतु धन आवंटित करने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	97
नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर समय से न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	97-98
ग्रामीण क्षेत्र के अनुरूप ही नगरीय क्षेत्र के विधायकों को 50 हैण्ड पम्पों की सुविधा न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	98-100
विधायक निधि से कराये जाने वाले कार्यों को नोडल एजेन्सी के माध्यम से कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न...	100-104
जनपद गोण्डा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	104

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सन्त रविदास नगर, भदोही के असनाव बाजार में स्थापित पशु चिकित्सालय का भवन निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	105
जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड से त्रिवेणी नगर III को जाने वाले मार्ग पर सीवर लाइन एवं पानी की मोटी पाइप लाइन डालकर निर्माणाधीन पानी की टंकी से जोड़े जाने विषयक श्रीमती कमला सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	105
जनपद सन्त रविदास नगर, भदोही के विकास खण्ड सुरियांवां के ग्राम पंचायत चकचन्दा (देवदास पुर) में कन्या जूनियर हाईस्कूल खोले जाने विषयक श्री गौरी शंकर मिश्र आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)...	105
जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में सुरियावां क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम एकौनी से मोड़ तक 10 कि०मी० नहर मार्ग को पिच कराये जाने विषयक श्री संजय कुमार श्रीवास्तव आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	105
जनपद सन्त रविदास नगर विकास खण्ड भदोही के ग्राम उचेठा से बढौना तक लगभग 1.5 कि०मी० मार्ग का लेपन स्तर तक निर्मित कराये जाने विषयक श्री शोभ नाथ शुक्ल आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	105
जनपद फतेहपुर, विधान सभा क्षेत्र किशुनपुर के ग्राम अटोलीपुर एवं ज्योती के मध्य ससुरखदेरी नदी पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री शिवराम सिंह सेंगर आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	106
जनपद महोबा के नगर महोबा में स्थित ऐतिहासिक महत्व के तालाबों की खुदाई कराये जाने विषयक श्री जफर उल्ला खां आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	106
जनपद महोबा के नगर महोबा की स्वीकृत पेयजल योजना को प्रारम्भ कराये जाने विषयक श्री रमेश साहू आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	106
जिला पंचायतों द्वारा जनपदों में पड़ाव-अड्डा शुल्क की वसूली के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	107
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	107-110
आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के समय मा० मंत्रियों/अधिकारियों का क्रमशः सदन/दीर्घाओं में उपस्थित रहने के लिये श्री अधिष्ठाता के निर्देश ...	110-112
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	112-142
सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु गन्ने के रस के शीतल पेय की भांति विक्रय हेतु नीति निर्धारित किये जाने विषयक नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (प्रस्ताव अस्वीकार)	142

अवर सचिव विधान सभा

विषय	पृष्ठ संख्या
"पेटेन्ट सम्बन्धी विधि में इस आशय का संशोधन करें कि भारतीय जड़ी बूटियों के उत्पादन, उपयोग तथा विपणन आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े" विषयक 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा (वापस होने का प्रस्ताव स्वीकृत)	142-153
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	153-154
बेरोजगार आयुर्वेदिक यूनानी फार्मासिस्टों के कतिपय मांगों को लेकर चल रहे धरने तथा क्रमिक अनशन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य	154-156
राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के स्थानीय राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गोमती नगर, लखनऊ में विलय की आड़ में अतिथि प्रवक्ताओं को सेवा से पृथक करने की योजना के संबंध में श्री गोपाल कृष्ण द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य	156
संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय षष्ठ मंडल लखनऊ की उदासीनता तथा मनमानी कार्य प्रणाली के कारण प्रौढ़ शिक्षा के छटनी शुदा पर्यवेक्षकों जिन्हें शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (एल० टी०) पदों पर समायोजित किया गया था, के वेतन निर्धारण प्रकरणों को निस्तारित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० बकार अहमद शाह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	156-158
जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के विकास खण्ड सुरियावां के ग्राम हरदुआ के ग्रामीणों के लिये बैंक 18 कि०मी० दूर होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	158-159
खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा कार्य योजना बनाना, रासायनिक खादों के असंतुलित प्रयोग एवं बुआई के समय रासायनिक खादों की कमी को दूर करने विषयक दि० 15 जुलाई, 1999 के तारांकित प्रश्न–4 नत्थी (ग) के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की सूचना पर नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा	159-160
दिनांक 31 अक्टूबर, 1997 को प्रदेश सरकार के ऊपर ऋणग्रस्तता की स्थिति तथा 31 अक्टूबर, 97 से 1999-2000 तक प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया ऋण तथा ऋणग्रस्तता को कम करने हेतु सरकार द्वारा विशेष कार्य योजना बनाये जाने विषयक दिनांक 3 अप्रैल, 2000 के तारांकित प्रश्न संख्या–12 नत्थी 'ग' के संबंध में श्री प्रमोद कुमार आदि द्वारा दी गई सूचना पर नियम-49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन	160
नत्थियां	161-178

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 25 अप्रैल, 2000

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अजय राय, श्री	वाराणसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनिल कुमार, श्री	बलिया
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
अमर मणि, श्री	महराजगंज
अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली
केशो मेहरा, श्री	आगरा
के० सी० सिंह "बाबा", श्री	उधम सिंह नगर
कैलाश, श्री	गाजीपुर
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
चौधरी लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
छोटे लाल राजभर, श्री	बलिया
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर
जयपाल सिंह, श्री	मेरठ
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
ज्ञान चन्द, श्री	उत्तरकाशी
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकर नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा०	इलाहाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
"पटेल" राम कुमार वर्मा, श्री	खीरी
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
प्रेम प्रकाश सिंह, श्री	देवरिया
प्रेम लता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
बंश नारायण सिंह, श्री	भदोही
बनारसी दास चान्दना, श्री	मेरठ
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबू राम, श्री	जालौन
बिहारी लाल आर्य, श्री	झांसी
मंगल सिंह सैनी, श्री	मुरादाबाद
मंजू, श्रीमती	बलिया
मातवर सिंह कंडारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर
मोती लाल, श्री	खीरी
यशवन्त, श्री	आजमगढ़
रंगनाथ मिश्र, श्री	भदोही
रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
राकेश त्यागी, श्री	बुलन्दशहर
राकेश धर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र यादव, श्री	गाजीपुर
राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती

राम लखन, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
बहोरन लाल मौर्य, श्री	बरेली
विक्रमाजीत मौर्य, श्री	इलाहाबाद
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय ''विन्नू'', श्री	गोण्डा
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
विरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
वेद प्रकाश, श्री	बस्ती
शिव पूजन राम, श्री	वाराणसी
शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर
शिवाकान्त, श्री	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश सोनकर, श्री	वाराणसी
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सुखपाल पांडेय, श्री	बस्ती
सुमन लता सिंह, श्रीमती	बरेली
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 25 अप्रैल, 2000

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में भू-गर्भ जल स्तर में विगत वर्षों से निरन्तर गिरावट के फलस्वरूप ग्रे और डार्क क्षेत्रों में रिचार्जिंग की योजना

**1–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में भू-गर्भ जल स्तर पिछले वर्षों से लगातार गिरता जा रहा है ? यदि हां, तो प्रदेश में कौन-कौन से क्षेत्र ग्रे और डार्क एरिया के रूप में चिन्हित किये गये हैं ? सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में पानी की रिचार्जिंग की क्या कोई योजना बनायी गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जी हां ।

प्रदेश के कुछ विकास खण्डों में भू-गर्भ जल स्तर में गिरावट तथा उठाव परिलक्षित हुआ है । भू-गर्भ जल स्तर का आंकलन प्रत्येक वर्ष किया जाता है और परिवर्तनशील है ।

दिनांक 1-4-98 की स्थिति के अनुसार प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के 819 विकास खण्डों में से 111 विकास डार्क श्रेणी में तथा 198 विकास खण्ड ग्रे श्रेणी में घोषित हैं । सूची संलग्न हैं भू-गर्भ जल आंकलन समिति–97 की नवीन संस्तुतियों एवं मार्ग निर्देशों के अनुसार अब विकास खण्डों की श्रेणी का निर्धारण सेफ सेमी क्रिटिकल, क्रिटिकल तथा अति दोहित श्रेणी में किया जाना है जिसके लिए विकास खण्ड वार सर्वेक्षण रिपोर्ट नाबार्ड को प्रेषित कर दी गयी है ।

प्रदेश के डार्क एवं ग्रे विकास खण्डों में भू-गर्भ जब रिचार्ज एवं जल संरक्षण की रु० 622.482 करोड़ की एक रिचार्ज योजना बनाकर वित्त पोषण हेतु केन्द्र सरकार को भेजी गयी थी, केन्द्र सरकार द्वारा इसे वित्त पोषण हेतु विश्व बैंक को भेजा गया था । विश्व बैंक योजना के वित्त पोषण हेतु सहमत नहीं हुआ । उक्त योजना के वित्त पोषण हेतु केन्द्र सरकार से पत्र व्यवहार हो रहा है ।

सिंचाई विभाग की विश्व बैंक वित्त पोषित "वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट" के अंश रूप में भू-गर्भ जल प्रबन्धन एवं रिचार्ज की रु० 583.96 करोड़ की एक योजना बनाकर जनवरी 2000 में सिंचाई विभाग को भेजी गयी है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त भू-गर्भ जल संरक्षण एवं रिचार्ज को निम्न योजनायें तैयार कर फरवरी 2000 में भेजी गयी हैं ।

(अ) विश्व बैंक पोषित स्वजल परियोजना के अंश के रूप में रु० 36.00 करोड़ की योजना ।

(ब) प्रदेश के दस अतिदोहित विकास खण्डों में भू-गर्भ जल रिचार्ज एवं जल संरक्षण की रु० 30.38 करोड़ की योजना ।

(स) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जनपद–लखनऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं चंदौली हेतु तैयार की गयी पेयजल की माडल योजना के अंश के रूप में भू-गर्भ जल रिचार्ज एवं जल संरक्षण की रु० 33.50 करोड़ की योजना ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 161-168 पर)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय है कि हम अगली पीढ़ी के लिए पेयजल का भी प्रबन्ध कर पायें । मान्यवर, आज सरफेस वाटर जो है उसका 9/10 हिस्सा सागर में जाकर मिलता जा रहा है उसका दोहन हमने नहीं किया और जो जल भू-गर्भ में स्थित है उसका हमने दोहन नहीं किया, शोषण किया है । इसी कारण यह भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हुई है । क्या जो भू-गर्भ जल है उसके मेटेन करने के लिए सरफेस वाटर का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें ऐसी कोई कार्य योजना है ? दूसरे, भू-गर्भ जलस्तर गिरने का कारण है पहले मान्यवर, गांव में कच्चे तालाब होते थे उनसे पशुओं के पानी के लिए सिंचाई के लिए और अन्य कार्यों के लिए पानी का उपयोग हो जाता था । क्या प्रत्येक ग्राम सभा में एक बड़े कच्चे तालाब के अनिवार्य रूप से बनाये जाने की कोई कार्य योजना है ? जो बड़ी नदियां है उनकी सिल्टिंग कई सालों से हो रही है अगर रिजर्वायर गहरा हो जायगा तो सिल्टिंग हट जायेगी । तो उस प्रक्रिया से पानी के उपयोग के संबंध में इन तीनों प्रश्नों पर वर्ल्ड बैंक के पास योजना भेजी गयी है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है लगभग यह सारे सुझाव ऐसे हैं जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, उनकी रिपोर्ट में सारे सुझाव शामिल हैं और यह मौलिक सुझाव हैं जब तक रिचार्जिंग दोहन से ऐसा नहीं करेंगे तो पानी कब तक वहां पर रहेगा । आपने शोषण की बात कही, शोषण कह लीजिए या दोहन कह लीजिए एक ही बात है ।

श्री अध्यक्ष–

यह सदन को अवगत है कि कार्यसूची में भू-गर्भ जल स्तर गिरने के संबंध में दो चर्चाएं स्वीकृत हो चुकी हैं और वह निकट भविष्य में 2-3 दिन के अन्दर आने वाली हैं । उस चर्चा में हम लोग उस समय में ज्यादा अच्छे सुझाव दे सकेंगे तो इससे ज्यादा उपयोगी वह चर्चा सिद्ध होगी । मेरा अनुरोध है, कि चूंकि नियम 52 में चर्चा होती है और यह महत्वपूर्ण विषय है इसलिए उसी चर्चा में ये सारे बिन्दु आयें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा स्वीकृत की है ।

श्री अध्यक्ष–

यह पहले से ही स्वीकृत हो चुकी है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं इस बात का अनुभव कर रहा हूं कि जो उत्तर आ रहे हैं, वह बहुत देर से आ रहे हैं । मैं चाहूंगा कि जब चर्चा हो तो कम से कम ये सारी बातें स्पेशिफिकली आ जायें कि क्या प्रयोजन भेजे गये हैं यह स्पष्ट आ जाये ? सरफेस वाटर के उपयोग के लिए क्या कर रहे हैं क्योंकि सरफेस वाटर का

9/10 हिस्सा सागर में चला जाता है । कच्चे तालाब की क्या योजना है डिसिल्टिंग की जो योजना बना रहें हैं वह क्या है मैं चाहूंगा कि जब भी चर्चा हो तो इसके उत्तर में सरकार के लोग तैयार होकर आयें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि उस चर्चा में तैयार होकर आयें कि इसके समाधान के लिए कौन-कौन से कदम उठाये जा रहें हैं और कौन-कौन एजेन्सियों से सम्पर्क किया जा रहा है ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, विभागीय मंत्री हैं नहीं, ये जवाब दे रहें हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह तो सामूहिक उत्तरदायित्व है कोई भी मंत्री इसका उत्तर दे सकता है ।

प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु राज्य कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु सीमा बढ़ाये जाने पर विचार

**2–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये राज्य कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु में दो वर्ष की वृद्धि किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जी नहीं ।

प्रश्न हीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जहां भारत सरकार ने सेवा निवृत्ति का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया है क्या उसका अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार में सेवा निवृत्ति का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ायेंगे वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, राज्य सरकार ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि अवकाश ग्रहण करने की अधिवर्षता आयु को 58 वर्ष से 60 वर्ष न किया जाय और 58 वर्ष ही बने रहने दिया जाय ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया तो मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 2 वर्ष और बढ़ाई थी तो क्या सम्यक् विचार नहीं किया था तथा वहां की परिस्थितियां और कारण क्या थे ? क्या वह परिस्थितियां हमारे प्रदेश में नहीं हैं और अगर वह हैं तो 2 वर्ष बढ़ाये जाने पर कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, 23 मार्च, 1998 को भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की गयी है और राज्य सरकार को स्वतंत्र छोड़ा है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के बारे में निर्णय करेगी । उत्तर प्रदेश में नये युवकों को रोजगार के अवसर मिलते रहें इसको ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अधिवर्षता आयु न बढ़ाई जाये ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मैं मान्यवर, आपका संरक्षण चाहूंगा । केन्द्र सरकार ने सम्यक् विचारोपरान्त ही अधिवर्षता आयु को बढ़ाया होगा, वह क्या कारण थे और क्या वह कारण अपने प्रदेश में विद्यमान नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष-

केन्द्र सरकार ने किस आधार पर बढ़ाया, यह तो वही बता सकेंगे ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश की भयावह वित्तीय स्थिति को देखते हुये जो इस समय राज्य कर्मचारियों की रिटायर होने की आयु 58 साल है, उसे 55 साल करने पर विचार करेगी, जिससे कि नये लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिल सकें ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

अभी ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि नये लोगों को रोजगार में अवसर की प्राथमिकता देते हुये, सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाना नहीं चाहते । वर्ष 1997 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगी थी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 30 प्रतिशत से अधिक स्थान स्वीकृत के अगेन्स्ट रिक्त पड़े हैं तो क्या मंत्री जी उस रोक पर कायम रहते हुये, अपने उत्तर के संदर्भ में, तत्काल नई नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में आश्वासन देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो मूल प्रश्न है, वह यह है कि क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये राज्य कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु में दो वर्ष की वृद्धि किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई अध्ययन इस बात का किया है या कोई निष्कर्ष इस बात का निकाला कि सेवा निवृत्ति की आयु बढ़ाने से जो सरकार का एक्सचेकर है, उस पर वित्तीय भार पड़ेगा या घटेगा ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

श्रीमन्, वित्तीय स्थिति का डाटा मेरे पास उपलब्ध नहीं है । सेवानिवृत्ति की आयु घटाने या बढ़ाने का वित्तीय स्थिति ही आधार नहीं होता ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मूल प्रश्न तो यही है, उसमें वित्तीय स्थिति की बात कही गई है, यही तो मुख्य बात है।

श्री अध्यक्ष–

सीमा बढ़ायी जायेगी तो वित्तीय स्थिति कैसे सुधरेगी ?

श्री लालजी वर्मा–

मैंने घटाने के बारे में पूछा था।

श्री अध्यक्ष–

वह तो बता दिया कि अभी कोई विचार नहीं है। वैसे जहां तक आयु बढ़ाने का प्रश्न है, जब व्यक्ति रिटायरमेंट के समीप होता है तो वह वेतनक्रम के अधिकतम स्तर पर पहुंच जाता है और जो नई भर्ती होती है, उसे प्रारम्भिक वेतन मिलेगा।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मेरा प्रश्न तो बहुत सीधा है।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न का आधार, जो बनाया गया है। वह आधार उचित नहीं है कि वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आयु सीमा में वृद्धि की जायेगी।

श्री मुन्ना चौहान–

आपकी सरकार का जो वित्तीय संकट है क्या उसमें रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने से वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। सरकार अपने अध्ययन के आधार पर ही इस महत्वपूर्ण विषय पर बताये। सरकार का निष्कर्ष क्या है कि आयु सीमा बढ़ाने से वित्तीय स्थिति में सुधार होगा या सेवानिवृत्ति की आयु सीमा घटाने से उसमें कोई सुधार होगा या उसे यथावत् रखने से उसमें कोई सुधार होगा ? मान्यवर, मैं इस पर आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

सरकार अपने अध्ययन के आधार पर क्या समझती है, कि अधिवर्षता आयु बढ़ाने में वित्तीय स्थिति में सुधार होगा या घटाने में होगा ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, केवल वित्तीय स्थिति की ही बात नहीं है और भी कारण हैं। रोजगार के अवसर सृजित हों और लोगों को रोजगार मिलता रहे।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आज जो व्यक्ति सेवा कर रहा है। उसे पर्याप्त समय तक सेवा करने का अवसर मिलता रहे। उसे आप नहीं जोड़ रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपका अभारी हूं। आपने स्वयं ही कह दिया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा तो उसे पेन्शन देनी पड़ेगी और उस सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के स्थान पर नई नियुक्ति करनी पड़ेगी। उसे नया वेतनमान देना पड़ेगा, दोनों मिलाकर वित्तीय भार प्रदेश शासन पर और अधिक हो सकता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या शासन के पास कोई आंकड़ा उपलब्ध है कि यदि बढ़ा दी जाये तो कम होगा या घटा दी जाये तो कम होगा ? मैं चाहता हूं कि इस पर विस्तार से विचार-विमर्श के लिए एक समिति गठित कर दी जाये।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, सरकार वित्तीय स्थिति का परीक्षण कराने के बाद सदन को अवगत करा देगी।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में रोजगार देने के लिए आयु सीमा में वृद्धि नहीं की जायेगी, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ष कितने चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के पद घट जायेंगे अगर यह बढ़ाये न जाये ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न में नहीं आता है।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, इसे प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित कर दें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसे आप प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित करें।

श्री अध्यक्ष–

जिस दिन मंत्री जी का उत्तर आयेगा, देखेंगे। शीघ्र ही मंत्री जी सदन को अवगत करायेंगे।

(11 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान पीठासीन हुए।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-सचालन नियमावली,1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में की गयी फीस वृद्धि का विवरण

*1–श्री राम औतार शाक्य तथा श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की फीस बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से और कितनी ?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

जी हां।

राजाज्ञा सं०–124/15-7-2000/1(114)/96 दि० 20-1-2000 द्वारा हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कक्षाओं की फीस में वृद्धि की गयी है।

बढ़ायी गयी फीस का विवरण निम्नवत् है :–

हाई स्कूल	रु० 15/- प्रतिमाह
इण्टरमीडिएट-	
1–कला वर्ग	रु० 20/- प्रतिमाह
2–वाणिज्य वर्ग	रु० 20/- प्रतिमाह
3–विज्ञान वर्ग	रु० 25/- प्रतिमाह

बालिकाओं से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जा रहा है एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों से उक्त शिक्षण शुल्क का आधा शुल्क लिया जा रहा है ।

यह वृद्धि 1 मार्च, 2000 से प्रभावी हुई है ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी, कल्याणकारी राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है । मौजूदा सरकार हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट छात्रों की फीस बढ़ा देती है । मैं पूछना चाहता हूं कि जो फीस बढ़ाई गयी है उसका आधार क्या है । दूसरा प्रश्न है कि क्या निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान किया जायेगा ?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, प्रतिवर्ष छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है । छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण अध्यापकों की संख्या बढ़ रही है और साथ ही वेतनमान बढ़े हैं, डी०ए० बढ़ा है । इन परिस्थितियों को देखते हुये और जो शिक्षा विभाग की वित्तीय स्थिति है, इसमें काफी दिक्कतें आने लगी थीं इसलिये सोचा गया कि कक्षा 9, 11, 12 की फीस बढ़ाई जाय ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि एक कल्याणकारी सरकार फीस माफ कर देती है । पहले इण्टर की कक्षाओं की फीस 8.75 रुपये ली जाती थी । उसको एक सरकार ने माफ कर दिया और दूसरी सरकार ने बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया । माननीय मंत्री जी ने कहा कि पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के कारण और महंगाई भत्ता बढ़ने के कारण फीस बढ़ानी पड़ी । मैं जानना चाहता हूं कि जिस समय शिक्षा शुल्क नहीं लिया जा रहा था उस समय वेतन की मद में कितना पैसा दिया जा रहा था और फीस बढ़ाने के बाद सरकार को वेतन की मद में कितना कम पैसा देना पड़ रहा है ?

(मा० अधिष्ठाता जी पीठासीन हुये)

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, इक्जेक्ट आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की फीस बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है । यदि हां, तो कब से और कितनी ? इसका उत्तर मैंने दे दिया है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य ने पूछा है, कि फीस बढ़ाने से जितना राजस्व जुटेगा और उससे तनख्वाह इत्यादि का कितना खर्च मीट आउट हो जायेगा ?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, फीस से 88 करोड़ रु० की आमदनी सरकार को होगी ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से स्पैसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस बढ़ी हुई फीस से जो आय होगी और पिछली फीस जो ले रहे थे उससे घाटा हो रहा था । इससे उस घाटे की कितनी पूर्ति होगी और राजकोष पर जो भार बढ़ रहा था, वह कितना कम होगा ?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने जो सवाल पूछा है कि कितना कवर हो जायेगा तो मान्यवर, 88 करोड़ रुपया इसमें जोड़ दें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने पूछा कि पिछली फीस जो लागू थी उससे कितना राजकोष पर भार बढ़ा था ।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है कि फीस वृद्धि से 88 करोड़ रुपये की आय होगी ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, पीठ का संरक्षण माननीय सदस्यों को चाहिए, आप मंत्री जी को संरक्षण दे रहे हैं । मेरा सवाल है कि जो पिछली फीस ले रहे थे उससे अतिरिक्त भार कितना पड़ रहा था ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, सूचना हो तो बता दें ।

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, यह प्रश्न का भाग नहीं है । अगर विधायक जी चाहें तो दूसरा सवाल लगा दें, उत्तर दे दूंगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह सरकार जो अपने को लोक कल्याणकारी सरकार कहती है । किसी भी सरकार और शासन की बुनियादी जिम्मेदारी शिक्षा और स्वास्थ्य की होती है । एक तरफ जहां भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में 14 वर्ष तक की आयु के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देने का प्राविधान है । उसके रहते हुये क्या कारण है कि प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के छात्र-छात्राओं की फीस दरों में वृद्धि की गयी है । दूसरा अनुपूरक पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के कारण व्यय भार बढ़ा तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब पहले दूसरे तीसरे एवं चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गयी थीं, क्या उस समय भी माध्यमिक शिक्षा में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की फीस में वृद्धि की गयी थी ?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, यह निर्णय आर्थिक सुविधाओं के आधार पर लिये जाते हैं । जब कांग्रेस की सरकार थी तो 1986 में सवित्त मान्यता दी जाती थी अब वित्त विहीन मान्यता दी जाती है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय सदस्य यदि प्रश्न से हटकर कोई बात पूछते हैं, तो आपका निर्देश होता है कि प्रश्न से संबंधित नहीं है। मंत्री जी से पूछा क्या जा रहा है और मंत्री जी गौहाटी और कोचीन चले जा रहे हैं।

(श्री सुधाकर सिंह एवं श्री जगदीश सिंह राणा के एक साथ बोलने पर व्यवधान/शोर)

श्री सुधाकर सिंह–

मान्यवर, मुलायम सिंह जी की सरकार ने पूरी फीस माफ की थी। यह सरकार छात्र विरोधी है ?

श्री अधिष्ठाता–

सुधाकर जी, आप कृपया बैठें।

माननीय मंत्री जी, केवल प्रश्न इतना है कि क्या पूर्ववर्ती अवसरों पर जब-जब वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई उसके एवज में कभी फीस में वृद्धि की गयी ?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, आवश्यकता के अनुसार नियमों में सुधार किया जा सकता है। आज प्रदेश में वित्तीय साधनों की कमी थी। हमें यह लगा कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए और उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए फीस बढ़ाने की आवश्यकता है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अम्बिका चौधरी–

मा०अधिष्ठाता जी, मंत्री जी से उत्तर तो दिला दें।

श्री सुधाकर सिंह–

[×××]

श्री अधिष्ठाता–

यह लिखा नहीं जाएगा। आप लोग कृपया स्थान ग्रहण करें।

मंत्री जी प्रश्न यह था कि वेतन आयोग की सिफारिशें समय-समय पर की जाती हैं एक निश्चित नीति के तहत। आपने चूंकि उत्तर में कहा है कि वेतन आयोग की सिफारिशों के एवज में फीस में वृद्धि की गई। उससे अनुपूरक आया कि इसके पूर्व, जब वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई क्या तब-तब इस तरह से फीस में वृद्धि की गई ? यदि आपके पास सूचना हो, तो दे सकते हैं यदि सूचना न हो, तो तदनुसार अपना वक्तव्य दे सकते हैं।

डा० नैपाल सिंह–

इस समय मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें कब से लागू की गईं । मेरी जानकारी के अनुसार पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें माध्यमिक शिक्षकों पर लागू नहीं की गईं ?

श्री राम सिंह सैनी–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कल्याणकारी राज्य में आप शिक्षा स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर गम्भीरता से विचार नहीं कर रहे हैं । आपने फीस बढ़ाई है तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वहन करते हैं क्या आप फीस घटाकर एजूकेशनल कन्सेशन देने पर विचार करेंगे जिससे गरीबों के बच्चे लाभन्वित हों ?

डा० नैपाल सिंह–

यह पुरानी परम्परा है कि जो बच्चे गरीब होते हैं, उनके फीस माफ करने का प्राविधान है । हमने लड़कियों की पूरी फीस माफ की है । अनुसूचित जाति के बच्चों की फीस माफ की है । अगर कोई ऐसा लड़का है जो बहुत गरीब है और फीस देने लायक नहीं है तो उस पर सरकार विचार करेगी ।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सबको अवसर दूंगा । कृपया बैठ जांय । मैंने प्रमोद जी का नाम ले लिया है । बाकी सब माननीय सदस्य बैठ जांय ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं एक सीधा सवाल करना चाहता हूं कि जन भावनाओं को देखते हुए, पक्ष-विपक्ष की भावनाओं को देखते हुए, छात्रों की भावनाओं उनके आन्दोलन को देखते हुए, गरीबों पर पड़ी अधिभार को देखते हुए, क्या मंत्री जी इस बढ़ी हुई फीस को कम करने का आश्वासन इस सदन में देंगे ?

डा० नैपाल सिंह–

ऐसा कोई विचार अभी तक नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ ।

(विपक्ष के अनेक सदस्य एक साथ विरोध करने लगे)

श्री अधिष्ठाता–

आप सभी माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह सरकार शिक्षा विरोधी है । इसलिये मैं और मेरा दल इस सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री प्रमोद कुमार ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया ।)

जगदम्बिका पाल ने भी सदन का त्याग किया ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि मैं सभी को अवसर दूंगा । क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे तो सदन अच्छी तरह से चल सकेगा । कृपया सहयोग करें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पंचम वेतन आयोग प्रदेश में लागू किया गया है ? जो अध्यापकों की नियुक्ति पर रोक लगी है वह हटाई जायेगी या नहीं ? यह रोक कब से लगी है ? यह फीस बढ़ाने से सरकार को कितने धन की उगाही होगी ?

श्री अधिष्ठाता–

आपके पहले प्रश्नों का उत्तर तो पूर्व में आ चुका है ।

डा० नैपाल सिंह–

पंचम वेतन आयोग नहीं दे पाये परन्तु रिस्ट्रक्चरिंग किया था ।

श्री अम्बिका चौधरी–

यह स्पष्ट उत्तर नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

पूरा उत्तर आने तो दीजिये, हम आपका संरक्षण करेंगे ।

डा० नैपाल सिंह–

पंचम वेतन आयोग के स्थान पर रिस्ट्रक्चरिंग किया था और इसके बाद इस पर करीब 266 करोड़ का भार, मुझे एक्जेक्ट याद नहीं है, पड़ा था । डी०ए० बढ़ा है, छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है और टीचर्स की भर्ती कमीशन के द्वारा चल रही है । कई प्रिंसिपल ने ज्वाइन भी कर लिया है । एल०टी० का रिजल्ट निकल चुका है । राजकीय इन्टर कालेजों में एल०टी० के एडहाक एपाइन्टमेंट किये हैं । इसी कारण आवश्यकता के अनुसार फीस बढ़ाई गई है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया सभी माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक ऐसे राज्य में जहां 6-11 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा है वहां फीस बढ़ाई है, क्या इसके बदले शिक्षा क्षेत्र में उनकी सेवाओं में वृद्धि कर रही है ? मैं स्पष्ट कर दूं कि जहां इण्टर कालेजों में हर सब्जेक्ट के अध्यापक नहीं हैं और कुछ रिटायर भी हो रहे हैं वहां उन विषयों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है । वहां 1200 रुपये देकर अध्यापक रखते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फीस की अभिवृद्धि के सापेक्ष सेवाओं में आपने कौन सी वृद्धि की है और पढ़ाई में सुधार के लिये क्या गुणात्मक उपाय किये गये हैं और रिक्त पदों को भरने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप में प्रश्न यह है कि फीस वृद्धि के सापेक्ष एकेडेमिक कैरीकुलम में गुणात्मक सुधार हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है या कोई ब्लू प्रिंट तैयार किया है ?

श्री नैपाल सिंह–

मान्यवर, चयन बोर्ड से नियुक्तियां जारी हैं । राजकीय विद्यालयों में लेक्चरर के पदों पर भर्ती कमीशन द्वारा होती है, उनकी नियुक्तियां नहीं हो रही थीं, उन्हें कमीशन द्वारा भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है । एक योजना और चला रहे हैं जो अंश कालिक अध्यापक कार्य कर रहे थे, हमने एक जी० ओ० जारी कर दिया है, चार-पांच साल से कार्य कर रहे थे, उन्हें अब 5 हजार रुपए दिया जायेगा, उन्हें सर्विस से निकाला नहीं जायेगा । सरकार पर ज्यादा लोड न पड़े, इसलिये यह फीस में वृद्धि की गई है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, जो उत्तर आ जाता है उसे माननीय मंत्री जी पढ़ देते हैं । 20 रुपए और 25 रुपए प्रति माह फीस बढ़ाई गई है यह तो शिक्षण शुल्क है । इसके अलावा विकास शुल्क, प्रवेश शुल्क, क्रीड़ा शुल्क, वाचनालय शुल्क भी लिये जाते हैं इन शुल्कों में कितनी वृद्धि हुई है । दूसरा विगत तीन वर्षों में जो सहायता प्राप्त स्कूल हैं, उनमें कितने प्राध्यापकों के पदों पर नियुक्ति की गई है और कितने स्थान रिक्त हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

वैसे डंग साहेब आप मूल प्रश्न को देखें जो आप पूछ रहे हैं वह सूचनायें स्वतः ही मूल प्रश्न से नहीं निकलती हैं कि कितने अध्यापक होंगे और कितनों का प्रमोशन हुआ ? चूंकि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है, इसलिये माननीय मंत्री जी के पास सूचना हो तो वह आपके प्रश्न का उत्तर दे दें ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैंने दो प्रश्न पूछे । पहला, यह कि शिक्षण शुल्क के अलावा जो अन्य शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क, क्रीड़ा शुल्क, वाचनालय शुल्क आदि लिये जा रहे हैं उनमें कितनी वृद्धि हुई है ? क्योंकि मान्यवर, आज छात्र को तीन गुना फीस देनी पड़ रही है । दूसरा पिछले तीन वर्षों से सहायता प्राप्त स्कूलों में कितने प्राध्यापकों के पदों पर नियुक्ति की गयी है और कितने पद रिक्त हैं ?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसका मैं स्वागत करता हूं । अगर माननीय सदस्य इसे प्रश्न के रूप में पूछ लें तो जवाब अच्छी तरह से आ जायेगा ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह निरन्तर वाद-विवाद का विषय नहीं होगा । प्रश्न के माध्यम से चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती । डंग साहब मेरा आपसे सिर्फ यह अनुरोध है कि प्रश्न के माध्यम से चर्चा तो नहीं हो पायेगी ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि विकास शुल्क,प्रवेश शुल्क, क्रीड़ा शुल्क, वाचनालय शुल्क आदि के नाम पर फीस बढ़ाकर तीन गुनी अभिभावकों को देनी पड़ रही है ।

उनकी कमर इस महंगाई में टूट गई है । मंत्री जी से इसका उत्तर दिलवा दें, कि इन मदों पर कितना-कितना बढ़ाया गया है ?

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी आपने जो उत्तर माननीय सदस्य को भेजा है उसमें इसका जिक्र नहीं किया है । माननीय डंग साहब यह जानना चाहते हैं कि इन मदों में कितना-कितना पैसा बढ़ाया गया है ?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, इसके बारे में अलग से प्रश्न हाउस में लगा लें उत्तर दे देंगे ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय डंग साहब आप यदि चाहें, तो इसको नियम–49 में लिख कर दे दें ।

(व्यवधान)

मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं । कृपया स्थान ग्रहण करें । अन्तिम अनुपूरक बाजपेई जी आप कर सकते हैं ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी स्वयं एक शिक्षक हैं और शिक्षक इतना कठोर नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि किसी भारी दबाव में माननीय मंत्री जी से यह निर्णय जन विरोधी कराया जा रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप अपनी छवि पर ऐसा दाग न लगने दें । एक तरफ सरकार "सबको शिक्षा" एज्यूकेशन फार आल का कार्यक्रम चला रही है । मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने पर आप विचार करेंगे ?

डा० नैपाल सिंह–

उनको छात्रवृत्ति मिल रही है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी प्रश्न बड़ा सीधा है । माननीय अशोक बाजपेयी जी का सीधा प्रश्न है कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग जो शिक्षा का भार वहन करने में समर्थ नहीं हैं उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे ?

डा० नैपाल सिंह–

जो माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया है इस पर हम विचार करेंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा....

श्री अधिष्ठाता–

अम्बिका जी मैं, आप से ही जानना चाहता हूं कि एक प्रश्न के ऊपर कितने अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दी जा सकती है ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितनी नीतियां तय होती हैं, उनका राजनीतिक आधार होता है । राजनीतिक आधार के कारण माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने माध्यमिक शिक्षा पर जो शुल्क लगता था उसको शुल्क मुक्त कर दिया,तो क्या उस सरकार के नीतिगत निर्णय के कारण माध्यमिक शिक्षा के लिए इतना शुल्क बढ़ा दिया गया है ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

यह सरकार द्वेष के कारण मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के नीतिगत फैसलों को....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह प्रश्न नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गए और नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । प्रश्न काल को सुचारू रूप से चलने दें । यह परम्परा उचित नहीं है ।

(फ्लोर पर आए सभी सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गए)

प्रश्न सिर्फ इतना है, मैं प्रश्न दोहरा रहा हूं माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क करने पर क्या सरकार कोई विचार कर रही है ? माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क करने की सरकार कोई व्यवस्था करेगी ?

डा० नैपाल सिंह–

ऐसा विचार अभी तक कोई नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

ऐसा तो नहीं है, जैसा आप चाहेंगे उत्तर वैसा ही होगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

यह सरकार गरीब विरोधी है । यह सरकार गरीब लोगों को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है । इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बर्हिगमन करता है ।

(श्री अम्बिका चौधरी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फीस बढ़ाने के पहले प्रति छात्र कुल कितना शुल्क लिया जाता था ? इण्टर का पूछ रहा हूं । इण्टर के बारे में कुल फीस कितनी ली जाती थी ? यह जानना चाहता हूं ।

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, यहां पर ट्यूशन फीस बढ़ायी गयी है । इसलिए मेरा निवेदन माननीय सदस्य से है, कि वह कृपया ट्यूशन फीस के बारे में सवाल करें ।

(श्री श्रीराम पाल, सदस्य ब०स०पा० के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप कृपया बैठ जायें ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, यह सरकार छात्र विरोधी सरकार है । यह गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने में असमर्थ है । इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(उत्तर के विरोध में श्री बी०आर० वर्मा ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया ।)

प्रदेश में माध्यमिक स्तर की शिक्षा नीति को रोजगार परक बनाये जाने की जानकारी

*2-श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षा नीति को पुनः प्रारूपित करके उसे रोजगार परक बनाये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और उसका कार्यान्वयन कब तक हो जायेगा ?

डा० नैपाल सिंह–

माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में रोजगारपरक शिक्षा पूर्व से ही लागू है ।

पाठ्यक्रम का विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में मा० सदस्यों के अवलोकनार्थ उपलब्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय गोरखनाथ जी आप अपना प्रश्न करें ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मेरे पहले भाग के प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में रोजगार परक शिक्षा पूर्व से ही लागू है। तो यह रोजगार शिक्षा कब से लागू है और उसका प्रारूप क्या है ?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, व्यावसायिक शिक्षा के रूप में 35 ट्रेड्स है और यह काफी पूर्व से पाठ्यक्रम लागू है। इस पाठ्यक्रम को बढ़ाने के लिए अतिथि विशेषज्ञ के रूप में शिक्षक रहते हैं जिनको 50/- रुपये प्रति लेक्चर तथा अधिकतम 1500/- रुपये देने का प्राविधान है।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैंने यह जानना चाहा था कि यह रोजगार परक शिक्षा कब से लागू है तो आपने उत्तर दिया कि काफी पूर्व से लागू है तो यह कब से लागू है यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री अधिष्ठाता -

यह महत्वपूर्ण तो नहीं है। उन्होंने कहा है कि काफी पूर्व से यह लागू है।

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, व्यावसायिक शिक्षा में 35 ट्रेड्स हैं, जिसमें विद्यालय कृषि भूमि पर आधारित .....

श्री अधिष्ठाता–

यह काफी विस्तृत उत्तर है। अगर माननीय सदस्य को विस्तृत जानकारी चाहिए तो जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, वह कर लें।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

यह कब से लागू है यह मैंने जानना चाहा है ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी तिथि अगर ज्ञात हो तो बता दीजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इन्हें पता ही नहीं है कि यह कब से लागू है ? यह क्या बतायेंगे ?

श्री बी० आर०वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में रोजगार परक शिक्षा पूर्व से ही लागू है, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह किस दिनांक से लागू है और उत्तर प्रदेश में कितने माध्यमिक विद्यालयों में लागू है ?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, प्रदेश में इस समय 910 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा चल रही है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह अस्पष्ट है । प्रश्न है कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षा नीति को पुनः प्रारूपित करके उसे रोजगारपरक बनाये जाने पर क्या सरकार विचार कर रही है ? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह व्यवस्था किस दिनांक से और किस वित्तीय वर्ष से लागू हैं ?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, शिक्षा नीति के बारे में कई मण्डल वाइज चर्चाएं चलीं कि शिक्षा नीति के बारे में क्या-क्या हो, उसमें व्यवसायिक शिक्षा भी है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षा नीति को पुनः प्रारूपित करके उसे रोजगारपरक बनाया जाय तो पुनः व्यावसायिक शिक्षा कब से और किस दिनांक से प्रारूपित की गयी है और उसका प्रारूप क्या है ? इसे मंत्री जी बता दें ।

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, मैंने पहले ही बता दिया है कि व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में मण्डलों में चर्चाएं हो चुकी हैं कि व्यावसायिक शिक्षा में किस तरह सुधार करके लागू किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य उत्तर को देखें तो उत्तर के दूसरे हिस्से में लिखा है–पाठ्यक्रम का विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ उपलब्ध है, तो माननीय सदस्य वहां जाकर विवरण देख सकते हैं । इस तरह प्रारूप में समस्त सूचनायें उपलब्ध हो जानी चाहिए ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को दृष्टि में रखते हुये केवल 910 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा चल रही है । इसलिये क्या सरकार प्रदेश के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा लागू करेंगे ? यदि हां, तो कब तक लागू करेंगे ?

डा० नैपाल सिंह–

यह व्यावसायिक शिक्षा के लिए मान्यता दी जाती है जो चलाना चाहते हैं । अगर कहीं पर साधन नहीं है तो कम्पलसरी नहीं कर सकते । यह स्कूलों के साधनों पर निर्भर करता है ।

श्री अधिष्ठाता–

इसका पर्याप्त उत्तर आ गया है आप लोग कृपया बैठें ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

वे विद्यालयों में जो पुनः प्रारूपित करके व्यवस्था की गयी है । जिसका जिक्र उत्तर में आया है वह कब से की गयी है यह उत्तर नहीं आ पाया है तो यह जानना चाहते हैं कि माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में रोजगारपरक शिक्षा जो पुनः प्रारूपित है, वह कब से दी गयी है ?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, यह विभिन्न ट्रेड्स कहलाते हैं विभिन्न विद्यालयों में उन्हें समय-समय पर मान्यता दी गयी है अगर माननीय विधायक जी को रुचि है तो उनको डिटेल में अवगत करा दूंगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में उच्च शिक्षा को रोजगारपरक बनाने की कार्ययोजना की रूपरेखा

*1-श्री राम औतार शाक्य-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार प्रदेश में उच्च शिक्षा को रोजगारपरक बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

जी हां ।

उच्च शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के लिए महाविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे एम०बी०ए०, एम०सी०ए०,बी०बी०ए०,बी०सी०ए० आदि पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मान्यवर, मैंने जो यह उत्तर पढ़ा उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि कम्प्यूटर शिक्षा भी दी जाये । इसकी भी एक कार्य योजना विचाराधीन है ।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, अभी तक रोजगारपरक शिक्षा की बात माध्यमिक शिक्षा में हो रही थी । अब उच्च शिक्षा में बात हो रही है । उच्च शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के लिए कितने बजट का प्राविधान किया गया है इस वर्ष और पिछले वर्ष कितने बजट का प्राविधान था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

उच्च शिक्षा का जो बजट है उसके अन्तर्गत जो राजकीय और शासकीय हैं उसमें किया जाता है बाकी जो निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं उनको वित्तीय सहायता दी जाती है और अन्य साधनों से चलते हैं । वित्तविहीन पूरी तरह से निजी योजना में हैं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, क्या जो सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं उन महाविद्यालय में यदि प्रबन्धक प्रार्थना पत्र दें तो क्या सायंकालीन पाठ्यक्रम में अनुमति देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, रोजगारपरक शिक्षा के व्यापक प्रसार की नीति शासन ने अपनायी है जो भी महाविद्यालय मानकों को पूरा करके इसको अपने महाविद्यालय में चलाना चाहते हैं उनके लिए कोई बाधा नहीं है । जो भी आवेदन करेगा, चाहें सान्ध्य की हो या दिन की, कालेजों के पास मानक होना चाहिए, संसाधन होने चाहिए जिससे कि लड़कों को अच्छी शिक्षा दे सकें । इसको मात्र फीस लेकर व्यवसाय का माध्यम न बनायें यानी इस पाठ्यक्रम को व्यवसाय का माध्यम न बनायें छात्रों को व्यवसाय की अच्छी शिक्षा दी जा सके जिनके पास संसाधन हैं मानक हैं उनको मान्यता देने में कोई भी विलम्ब नहीं होगा और शीघ्र से शीघ्र उनको मान्यता दी जायेगी ।

डा० सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यह सूचना लगभग सबको है कि अगले पांच वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 10 लाख रोजगार सामने आने वाले हैं । 10 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है तो क्या माननीय उच्च शिक्षा मंत्री सूचना प्रौद्योगिकी के इस महत्व को दृष्टिगत रखते हुए शासन स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने के लिए कोई योजना आपके पास है अथवा आप इसको लागू करने पर विचार करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद दूंगा, संसाधनों को देखते हुए शासकीय व्यवस्था में जो महाविद्यालय चल रहे हैं और जो निजी क्षेत्र में चल रहे हैं उसमें इस समय जितनी भी डिग्रियां हो सकती हैं उन सबका परीक्षण भी करा रहा हूं और कार्ययोजना भी बन रही है । इसमें माननीय सदस्य और सदन भी कोई सुझाव देना चाहता है तो वह प्रदेश के छात्रों के हित में, रोजगार के हित में गंभीरता से विचार करके संसाधनों को देखते हुए उसे जरूर लागू करेंगे ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैंने सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा है ।

श्री अधिष्ठाता–

इसके उत्तर में लिखा हुआ है उसे आप देखें इसमें है एम०सी०ए०, बी०सी०ए० ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, सूचना प्रौद्योगिकी इससे भिन्न है । इसीलिए मैंने सूचना प्रौद्योगिकी अलग से पूछा है एम०सी०ए० और बी०सी०ए० में इससे बहुत अन्तर है । अभी इलाहाबाद को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए कहीं कोई प्राविधान नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि सूचना प्रौद्योगिकी में आने वाले वर्षों में जो उसके लिए रोजगार क्रियेट होने वाले हैं ....

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, जब मैंने कह दिया कि रोजगार के जितने भी भिन्न पाठ्यक्रम हो सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी को सम्मिलित करके, सबका परीक्षण करा करके हम शासकीय स्तर पर संसाधनों को देखते हुए और निजी क्षेत्रों में मांग को देखते हुए मानक निर्धारित करके मानकों की पूर्ति के आधार पर उसको लागू करने की पूरी हमारी नीति है । हम जो भी नये विषय आयेंगे उस पर विचार कर रहे हैं और उसकी कार्ययोजना बनायेंगे ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 8 महाविद्यालय ऐसे हैं, जिनकी पत्रावली पूर्ण है, जिन्होंने सारी फारमेलटीज पूरी कर दी हैं, उनको अभी तक मान्यता नहीं दी गई है, इस संबंध में आपकी सुविधा शुल्क की फीस क्या है ?

श्री अधिष्ठाता–

यह तो कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं । लोकतंत्र में जनता निर्णायक है और जो सुविधा शुल्क लेने वाले लोग थे, उनको इसीलिये उस पक्ष में बैठा दिया । जहां तक मानकों का प्रश्न है, हर विषय के अलग-अलग मानक हैं, वह बहुत विस्तृत हो जायेंगे, 12 ऐसे विषय हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अंसारी जी का केवल इतना ही प्रश्न है कि जिन लोगों के मान्यता देने के संबंध में केस बनकर आये हैं, जिसमें आप समझते हैं कि समुचित कार्यवाही हो चुकी है, उसे शासन यथाशीघ्र क्लियर करेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, शासन स्तर पर मान्यता संबंधी फाइलें अब लम्बित नहीं रह रही हैं । इन्होंने 8 महाविद्यालयों की बात कही है, मैं बड़ा आभारी हूंगा, यदि वह सूची दे दें और मैं दो-तीन दिन के अन्दर अवगत करा दूंगा कि क्या कमी है और यदि कमी नहीं है तो वह निश्चित रूप से निस्तारित हो गई हैं ।

(श्री दुनियाद हुसैन अंसारी के पुनः खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आपका उत्तर तो आ गया, आप बैठें ।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, गत [illegible] जब [illegible] शिक्षा मंत्री थे और माननीय अध्यक्ष जी पीठ पर आसीन थे, [illegible] से एम०ए० की कक्षाओं [illegible] मान्यता [illegible] में निर्देश दिया था, उनके निर्देश के बावजूद [illegible] तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है ?

श्री अधिष्ठाता–

स्पेसिफिक केस है । यदि पीठ से किसी विद्यालय के बारे में कोई निर्देश कभी जारी हुआ है तो आप उसका पुनः परीक्षण करा लें और उसका अनुपालन सुनिश्चित कर लें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

माननीय सदस्य जिस मामले को लम्बित बता रहे हैं, वह उसकी सूची दे दें ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार द्वारा महाविद्यालयों में नियुक्ति हेतु 'नेट' व जे०आर०एफ० से उन्मुक्ति की प्रदेश के महाविद्यालयों में व्यवस्था

*2–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1993 में जिन छात्रों ने एम०फिल० डिग्री प्राप्त की है, उन्हें वि०वि० अनुदान आयोग, भारत सरकार द्वारा महाविद्यालयों में नियुक्ति हेतु "नेट" व जे०आर०एफ० से उन्मुक्ति प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह उन्मुक्ति प्रदेश के महाविद्यालयों में नियुक्तियों पर लागू कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उसे प्रदेश में कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां,

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासनादेश संख्या–1377/सत्तर–1-98–15(14)/92 दिनांक 25 जून, 1998 द्वारा उक्त व्यवस्था लागू कर दी गयी है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

टिप्पणी :–सत्ती (ग) के तारांकित प्रश्न सं०–2 के उत्तर माननीय मंत्री जी द्वारा पढ़े जाने के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

तारांकित प्रश्न

तदर्थ रूप से नियुक्त राजकीय सेवकों को विनियमित करने की जानकारी

*1–डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेई–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजकीय सेवकों में तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्तियों की सेवाओं को विनियमित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री राम प्रकाश)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तदर्थ नियुक्तियां पूर्णतया प्रतिबन्धित हैं । अतः विनियमित किए जाने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता ।

*2–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

विधान भवन परिसर में पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में जानकारी

*3–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान भवन सहित सचिवालय के अन्य भवनों में क्या वाहनों की पार्किंग के लिये पर्याप्त स्थान उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पार्किंग के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कहां ? क्या सरकार विधान भवन और राजभवन की बीच की सड़क एवं वहां उपलब्ध भूमि सचिवालय के लिये पार्किंग के रूप में आरक्षित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि विधान भवन परिसर में पार्किंग के लिये पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण भवन के भूतल पर साइकिलें और स्कूटर खड़े किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर दुपहिया वाहनों को खड़ा न करने देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

जी हां ।

सचिवालय में वाहनों की पार्किंग संबंधी समस्या के निराकरण के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 10-12-99 को एक बैठक सम्पन्न हुई जिसमें निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

विधान भवन के गेट नं०–8 से लेकर एनेक्सी तिराहे तक दोनों तरफ बाउन्ड्री वाल से मिलाकर सड़क चौड़ी कर दी जाय तथा वाल टू वाल सड़क बना दी जाय जिससे उसमें राजभवन की तरफ की बाउन्ड्री वाल के किनारे अधिक से अधिक वाहन पार्क किये जा सके तथा सचिवालय में वाहनों की पार्किंग व नियंत्रण के लिए उन्हें बाहर से अन्दर बुलाने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम तत्काल लागू किया जाय ।

जी नहीं ।

साइकिल व स्कूटर/मोटरसाइकिल की पार्किंग की पृथक-पृथक व्यवस्था की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देने हेतु कृषकों को पुरस्कृत करने की योजना की जानकारी

*4–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैदानी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार मैदानी क्षेत्र के कृषकों को वृक्षारोपण करने के लिये पुरस्कृत करने की भी कोई योजना बना रही है ? यदि हां,तो उसका कार्यान्वियन कब तक हो जायेगा ?

वन मंत्री (श्री राजधारी सिंह)–

प्रदेश में वानिकी को प्रोत्साहित करने की जो भी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं उनका मूल उद्देश्य समाज को लाभ पहुंचाना ही है । निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिये वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम सामुदायिक एवं वन भूमि पर सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिये संयुक्त वन प्रबन्ध योजना, औद्योगिकी पल्पुड योजना, ईंधन एवं चारा योजना, शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी योजना आदि ऐसी योजनाएं हैं जिनका उद्देश्य सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देने का ही है और यह प्रदेश में चलाई जा रही हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जी हां ।

इस विषय पर प्रस्ताव तैयार करा लिया गया है । परीक्षणोपरान्त निर्णय लेकर इसका कार्यान्वियन किया जायेगा ।

ग्रामीण पत्रकार एसोसियेशन उ० प्र० के प्रतिनिधियों को प्रदेश की प्रेस मान्यता समिति में प्रतिनिधित्व प्रदान करने की जानकारी

*5–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों को क्या उत्तर प्रदेश प्रेस मान्यता समिति में प्रतिनिधित्व प्रदान करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में सड़कों को गड्ढा-मुक्त करने की नीति तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में नवीनीकरण/मरम्मत हेतु आवंटित धनराशि की जानकारी

*6–श्री राम औतार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रदेश में सड़कों को गड्ढा–मुक्त करने की नीति क्या हैं ? सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1999–2000 में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ? क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करा देगी ?

लोक निर्माण, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

सरकार की नीति प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त रखने की है जिसके अन्तर्गत सड़कों का सामायिक नवीनीकरण कराना एवं उन पर दाग मरम्मत के कार्य को एक सतत् प्रक्रिया के रूप में चल कर सड़कों को गड्ढा मुक्त रखना है ।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में सड़कों के नवीनीकरण हेतु रुपये 118.85 करोड़ एवं दाग मरम्मत हेतु रुपये 19.49 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई थी ।

संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इस वर्ष प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के कार्य को सतत् प्रक्रिया के रूप में चलाकर सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त रखने की योजना है ।

प्रदेश में वित्तीय सहायता प्राप्त सीनियर बेसिक शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा योजना की जानकारी

*7–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय सहायता प्राप्त सीनियर बेसिक शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु सामूहिक बीमा योजना लागू है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इन कर्मचारियों के लिये भी सामूहिक बीमा योजना लागू की जायेगी ? यदि हां; तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (वालेश्वर त्यागी)–

जी नहीं ।

सम्प्रति प्रश्नगत प्रकरण में शासन की नीति नहीं है ।

उपर्युक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में रोड सेन्सस तथा ओ० डी० आर० से एम० डी० आर० तथा एम० डी० आर० से राज्य मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के आधार की जानकारी

*8–कुं० रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में रोड सेन्सस करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? रोड सेन्सस के अभाव में ओ०डी०आर० से एम०डी०आर० तथा एम०डी०आर० से राज्य मार्ग और मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने का आधार क्या है ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक के आंकड़े क्षेत्र के खंडों द्वारा संकलित कर मार्ग परिलेख प्रपत्र 1 से 3 तथा परिशिष्ट "ई" में भरकर भेजे जाते हैं जिनमें मार्गों की लम्बाई, चौड़ाई व क्रस्ट की मोटाई तथा सतह के क्षेत्रफल का विवरण होता है । इसी के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में विभाग के मार्गों की स्थिति ज्ञात होती है ।

उपरोक्तानुसार ।

ओ० डी० आर० से एम० डी० आर० तथा एम० डी० आर० से राज्य मार्ग और मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कोई सम्बन्ध रोड सेन्सस से नहीं है ।

ओ० डी० आर० से एम० डी० आर० तथा एम० डी० आर० से राज्य मार्ग का उच्चीकरण तथा चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्यों की स्वीकृति पर विचार करते समय यातायात गणना एवं मार्गों के औद्योगिक, धार्मिक, पर्यटन एवं सामरिक महत्व को ध्यान में रखा जाता है ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षकों को महंगाई भत्ता/दैनिक भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*9–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा आयोजित प्रयोगात्मक परीक्षाओं के परीक्षकों को महंगाई भत्ता दैनिक भत्ता दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार प्रयोगात्मक परीक्षकों को परीक्षा काल के समय का दैनिक भत्ता भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

राजाज्ञा संख्या–ए–1–4309/1534-1963, दिनांक 15-4-1967 के अनुसार देय नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

देय नहीं है ।

*10–श्री संजय गर्ग–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उत्तरांचल के चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ आदि बागवानी बाहुल्य जनपदों के इंटर कालेजों में उद्यान विज्ञान एवं बागवानी की शिक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी

*11–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि उत्तरांचल के सीमान्त जनपद चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ का मुख्य व्यवसाय उद्यान व बागवानी है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में उद्यान व बागवानी की काश्तकारी को प्रोत्साहन देने एवं क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार प्रदान किये जाने हेतु क्या उक्त जनपदों के इण्टर कालेजों में उद्यान विज्ञान व बागवानी की शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

यह सही है कि उत्तरांचल में उद्यान एवं बागवानी कार्य का पर्याप्त प्रचलन है ।

हाईस्कूल तथा इण्टरमीडियेट स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत उद्यान एवं बागवानी की शिक्षा की व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया में मांझी के पास घाघरा नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

*12–श्री भरत सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घाघरा नदी में मांझी के पास जनपद बलिया में क्या पक्का पुल बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या इस हेतु धन अवमुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पुल कब तक बन जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत पुल राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1985 में स्वीकृत किया गया था तथा इसका निर्माण प्रगति में था । दिनांक 31-1-96 को गाजीपुर-हाजीपुर मार्ग राष्ट्रीय मार्ग सं०–19 में परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप प्रश्नगत पुल के अवशेष कार्य को पूरा करने के लिये भारत सरकार द्वारा रु० 3905.04 लाख की पुनरीक्षित लागत पर स्वीकृति दिनांक 18-5-99 को प्रदान की गई है ।

वर्ष 1999-2000 में भारत सरकार द्वारा रु० 900 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मार्च, 2001 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड हलिया में वर्ष 1998 से रोके गये खनन कार्य को पुनः चालू कराने की मांग

*13–श्री भाईलाल–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड हलिया, विधान सभा क्षेत्र छानबे में वर्ष 1997 से खनन कार्य रोका गया है ? क्या इससे लाखों मजदूर बेरोजगार तथा भुखमरी के कगार पर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके कल्याणार्थ खनन कार्य पुनः चालू कराने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं । वर्ष 1998 से खनन कार्य रोका गया है ।

जी नहीं ।

वन क्षेत्रों में स्थित बन्द कराये गये खनन क्षेत्रों को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन विभाग की अनुमति प्राप्त होने पर ही पुनः चालू कराया जाता है ?

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1999-2000 में सड़क निर्माण निधि से अवमुक्त धनराशि की जानकारी

*14–श्री लाल जी वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सड़क निर्माण निधि के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में कुल कितने रुपये का प्राविधान किया गया है ? क्या उक्त धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

वर्ष 1999-2000 में सड़क निधि के अन्तर्गत रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था थी ।

जी हां ।

रु० 100.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के असहायिक माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने के संबंध में जानकारी

*15–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के असहायिक माध्यमिक विद्यालयों को क्या अनुदान सूची पर सरकार लेने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो शासन द्वारा अनुदान सूची कब तक निर्गत कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधनों की सीमितता एवं वित्तीय संकट के कारण ।

राजकीय कालोनियों के आवासों को कतिपय आवंटियों द्वारा किराये पर उठाये जाने विषयक प्रकरण की जांच कराकर आवंटन निरस्त करने की मांग

*16–श्री श्याम प्रकाश–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ में राज्य कर्मचारियों के लिये निर्मित राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनियों के अनेक आवासों को कुछ आवंटियों ने अपने नाम आवंटित कराकर ऐसे आवासों को किराये पर उठा दिया है अथवा ऐसे आवास आवंटित होने के उपरान्त किरायेदार न मिलने के कारण खाली पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर ऐसे आवंटियों के आवंटन निरस्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

विभाग द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर कुल 211 आवासों को किरायेदारी पर उठाये जाने की सूचना है ।

जी नहीं ।

कोई आवास खाली नहीं है ।

जी हां ।

नियमानुसार निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अपट्रान इण्डिया लिमिटेड को पुनर्जीवित करने की योजना के संबंध में जानकारी

*17–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपट्रान इण्डिया लिमिटेड को पुनर्जीवित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स मंत्री (श्री शिवाकान्त ओझा)–

अपट्रान इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत पुनर्वासन योजना में कम्पनी के दायित्वों, कार्यशील पूंजी एवं कर्मचारियों के देयों आदि का वित्तीय आंकलन किया गया है, जिस पर सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1988 में सचिवालय कर्मियों को विशेष दर्जा दिये जाने विषयक तत्कालीन मुख्य सचिव की रिपोर्ट को लागू किये जाने की मांग

*18–श्री राम सिंह सैनी तथा श्री राम जग–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन मुख्य सचिव (श्री कल्याण कृष्णन) द्वारा सचिवालय कर्मियों को विशेष दर्जा दिये जाने सम्बन्धी कोई रिपोर्ट वर्ष 1988 में शासन को प्रस्तुत की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त रिपोर्ट की सिफारिशें लागू कर दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त रिपोर्ट की सिफारिशें लागू की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जी नहीं ।

मुख्य सचिव (श्री कल्याण कृष्णन) समिति की संस्तुतियों को शासकीय संकल्प दिनांक 14-8-88 द्वारा स्वीकार किया गया था परन्तु राज्य कर्मचारियों द्वारा वेतन समिति की संस्तुतियां लागू करने का विरोध किया गया था और इसके लिये लम्बा आन्दोलन भी चलाया गया था । कर्मचारियों की मांग वेतन व भत्तों में केन्द्र से समकक्षता दिये जाने की थी । राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों की इस मांग को सिद्धान्ततः संकल्प दिनांक 14-10-88 द्वारा यह स्वीकार किया गया कि राज्य कर्मचारियों को उनके समकक्ष पदों पर, जो केन्द्र सरकार में विद्यमान हैं, केन्द्र के समान वेतनमान दिया जाय । उक्त सिद्धान्त स्वीकृत होने के उपरान्त शासनादेश दिनांक 22-10-1988 द्वारा संकल्प दिनांक 14-8-88 द्वारा स्वीकृत संस्तुतियों को निरन्तर कर दिया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में असहायिक मान्यता प्राप्त सीनियर बेसिक विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापकों का वेतनमान पुनरीक्षित करने की मांग

*19–श्री श्रीराम पाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में संचालित असहायिक मान्यता प्राप्त सीनियर बेसिक विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापकों का वेतनमान पुनरीक्षित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो वर्ष 1998-99 में वेतन मद में जनपदवार आवंटित धनराशि का भुगतान न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

यथाशीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विन्ध्याचल निधि की स्थापना हेतु शासन द्वारा आवंटित धनराशि की जानकारी

*20–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 98 को मिर्जापुर मण्डल का नाम विंध्याचल मंडल करके "विंध्याचल निधि" की स्थापना किये जाने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त घोषणा का अनुपालन किये जाने हेतु धनराशि का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अशोक यादव)–

जी हां ।

विन्ध्याचल निधि की स्थापना हेतु शासनादेश दि० 31-3-2000 द्वारा रु० 50.00 लाख की धनराशि का आवंटन कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

आयुक्त शारदा सहायक समादेश क्षेत्र परियोजना को प्राप्त श्री विनोद कुमार शुक्ला, कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाई

1–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त शारदा सहायक समादेश क्षेत्र परियोजना को सचिव, क्षेत्रीय विकास का पत्र संख्या–1590/54-1-8(1) 61/91 दिनांक 7-4-93 व संयुक्त सचिव, क्षेत्रीय विकास का पत्र संख्या 2303/54-1-8(6) 193 दिनांक 21 मई, 1993 प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास मंत्री (श्री मण्डलेश्वर सिंह–)

आयुक्त शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना को सचिव, क्षेत्रीय विकास का पत्र संख्या–15590/54-1-8(1)61/91 दिनांक 7-4-93 व संयुक्त सचिव, क्षेत्रीय विकास का पत्र संख्या–2303/54-1-8(6)193 दिनांक 21 मई, 93 प्राप्त नहीं हुये हैं, वरन् संयुक्त सचिव, क्षेत्रीय विकास अनुभाग–1 का पत्र संख्या–1643/54-1-8-(16)/91. दिनांक 12 अप्रैल, 93 उन्हें प्राप्त हुआ, जिसमें संदर्भित पत्र दिनांक 7-4-93 का उल्लेख करते हुए श्री विनोद कुमार शुक्ला, कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में श्री शुक्ला से किसी प्रकार का कोई कार्य न लिये जाने आदि के संबंध में निर्देश दिये गये । इन आदेशों के अनुपालन में आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना द्वारा श्री शुक्ला से कार्य हटाने के संबंध में आवश्यक आदेश उनके पत्रांक-121/का–एक-93-94.दिनांक 23-4-93 द्वारा निर्गत करते हुए कार्यवाही की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

2–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त शारदा सहायक समादेश परियोजना को मा० राज्य मंत्री, क्षेत्रीय विकास का पत्र संख्या–611/बी० आई० पी०/रा० म०/क्षे०वि०/ दिनांक 30-11-94 तथा विशेष सचिव, क्षेत्रीय विकास का पत्र संख्या–8 वि०/54-1-8(6), दिनांक 3 मई, 1995 प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मण्डलेश्वर सिंह–

जी हां ।

मा० राज्य मंत्री के पत्र दिनांक 30-11-94 में श्री विनोद कुमार शुक्ला, कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध जवाहर भवन के कर्मचारियों द्वारा की गयी शिकायतों पर जांच करने के निदेश दिये गये थे । इसके सम्बन्ध में शारदा सहायक समादेश द्वारा जांच आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी जिससे शिकायती-पत्र के किसी बिन्दु की पुष्टि नहीं हुई ।

विशेष सचिव, क्षेत्र विकास विभाग के पत्र दिनांक 3-5-95 द्वारा शारदा सहायक समादेश को यह निर्देश दिये गये थे कि श्री विनोद कुमार शुक्ला, कार्यालय अधीक्षक का स्थानान्तरण वर्तमान तैनाती के स्थान से हटाकर अन्यत्र स्थान पर कर दिया जाय । इन आदेशों के अनुपालन में आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश द्वारा श्री विनोद कुमार शुक्ला द्वारा देखे जा रहे कार्य को अन्य कर्मचारी को आवंटित करने के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश पत्र संख्या : 276/कार्मिक–एक–95-96 . दिनांक 30-5-95 द्वारा निर्गत करते हुए आवश्यक कार्यवाही की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1999 की पालीटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या, काउन्सिलिंग फीस, काउन्सिलिंग कार्य के आयोजन पर व्यय तथा शेष धनराशि की जानकारी

3–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की पालीटेक्निक प्रवेश परीक्षा वर्ष 1999 में कितने अभ्यर्थियों ने भाग लिया और उनसे कितनी कौंसिलिंग की फीस ली गई ? कौंसिलिंग में लगे कर्मचारियों पर कितना खर्च हुआ और कितना शेष है ? क्या कौंसिलिंग में लगे कर्मचारियों को मानदेय भी दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? शेष बचे धन का उपयोग किस मद में किया जायेगा ?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार , प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

वर्ष 1999 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में कुल 1,60,487 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया जिसमें से 1,38,849 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में बैठे । काउन्सिलिंग में बुलाये गये अभ्यर्थियों से कुल रु० 23,39,800/- काउन्सिलिंग शुल्क प्राप्त हुआ ।

काउन्सिलिंग कार्य के आयोजन हेतु परिषद् के स्टाफ तथा पालीटेक्निक संस्थाओं से सम्बद्ध कर्मचारी/अधिकारियों के लिये खान-पान व्यवस्था, मुद्रण कार्य स्टेशनरी, डाक-व्यय आदि पर लगभग रु० 10.57 लाख व्यय हुआ । कुल प्राप्त धनराशि में से लगभग 12.83 लाख की धनराशि शेष है ।

काउन्सिलिंग में लगे कर्मचारियों को मानदेय नहीं दिया गया है क्योंकि डिप्लोमा स्तर पर काउन्सिलिंग प्रथम बार आयोजित की गयी थी तथा उसके लिये पूर्व से कोई प्रक्रिया या दरें निर्धारित नहीं हैं । अवशेष धनराशि का उपयोग डेटा प्रोजेक्शन सिस्टम तथा भुगतान हेतु लम्बित अधिकारियों/कर्मचारियों को देय यात्रा देयकों तथा काउन्सिलिंग पर हुए विविध व्ययों हेतु की जायेगी ।

उच्चीकृत राजकीय इण्टर कालेज भोजपुर, जिला मुरादाबाद में इण्टर की कक्षायें प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में जानकारी

4–श्री सौलत अली–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोजपुर, जिला मुरादाबाद का उच्चीकरण करके उसे राजकीय इण्टर कालेज, भोजपुर कर दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार उसमें किस सत्र से इण्टर की कक्षायें आरम्भ करेगी ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

उक्त विद्यालय में शिक्षा सत्र 1998-99 से इण्टर कक्षायें चल रही हैं ।

पण्डित दीन दयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों पर क्षेत्रीय विधायक का नाम अंकित किये जाने विषयक जानकारी

5–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत निर्माण कराये जा रहे सम्पर्क मार्गों पर लगाये जा रहे पत्थरों पर क्षेत्रीय विधायक का नाम भी अंकित कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

लो० नि० वि० के द्वारा निर्मित मार्गों पर पत्थर लगाने के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि मार्गों का शिलान्यास शासन की पूर्व अनुमति से कराया जायेगा तथा मार्ग पर लगाये जाने वाले शिलापट पर अगर मा० मंत्री ने किया है तो उनका नाम ही अंकित होगा अन्यथा केवल मार्ग का नाम ही अंकित किया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में भूखण्ड आवंटन में सांसदों/विधायकों को दो प्रतिशत आरक्षण की मांग

6–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा जनपद–गौतम बुद्ध नगर में भूखण्ड आवंटन में दो प्रतिशत का कोटा विधायकों एवं सांसदों के लिए आरक्षित कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

इन प्राधिकरणों में अभी कोई ऐसी योजना नहीं है ।

जनपद मिर्जापुर, विकास खण्ड मझवां के प्राइमरी विद्यालय भीटी के क्षतिग्रस्त भवन का निर्माण कराये जाने की मांग

7–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद मिर्जापुर स्थित प्राइमरी विद्यालय भीटी, विकास खण्ड मझवां का भवन अत्याधिक क्षतिग्रस्त हो चुका है ? क्या यह सही है कि अध्ययन–अध्यापन हेतु जाने वाले छात्र एवं अध्यापकों ने उक्त भवन के अन्दर जाना बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्या इस

क्षतिग्रस्त भवन के स्थान पर नये विद्यालय भवन का तत्काल निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां, वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के विकास खण्ड काकोरी, मोहान रोड पर आयोजित अवन्तिका बाई समारोह में तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा कन्या इण्टर कालेज खोलने की घोषणा विषयक श्री कृष्ण कुमार द्विवेदी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारा मुख्य मंत्री को भेजे गये पत्र पर कृत कार्यवाही

8–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड काकोरी–लखनऊ मोहान रोड पर अवन्तिका बाई समारोह में उक्त विकास खण्ड में कन्या इण्टर कालेज खोलने की घोषणा मुख्य मंत्री द्वारा की गयी थी ? क्या उपर्युक्त विषयक श्री कृष्ण कुमार द्विवेदी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ग्राम सभा–सरोसा–भरोसा, जनपद लखनऊ का पत्र दिनांक 26-10-98 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 18-2-99 द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई थी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मंत्रि परिषद् के निर्णय दिनांक 26-6-99 के आधार पर ग्राम सरोसा-भरोसा ब्लाक काकोरी जनपद लखनऊ में नार्मल स्कूल के नाम अंकित भूमि पर राजकीय कन्या हाई स्कूल सरोसा-भरोसा की स्थापना का शासनादेश दिनांक 18-11-98 को निर्गत किया गया ।

लखनऊ तथा उन्नाव के सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने वाला बन्धरा-चौपई सम्पर्क मार्ग को डामरीकृत किये जाने की मांग

9–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ तथा उन्नाव के सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने वाला बन्धरा से चौपई के शेष सम्पर्क मार्ग को वर्ष 1993 में डामरीकरण करने के आदेशों के उपरान्त भी अभी तक डामरीकृत न किए जाने के क्या कारण हैं ? उसे कब तक डामरीकृत करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण मार्ग के डामरीकरण का कार्य अभी तक नहीं हो सका है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

10–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[3रे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद लखीमपुर खीरी, विकास खण्ड पसगवां में विगत वर्षों में जिला योजनान्तर्गत मार्गों के लेपन कार्य का विवरण

11–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1996-97 व 1997-98 जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड पसगवां में जिला योजना के अन्तर्गत कौन-कौन मार्ग लेपन कार्य हेतु लिये गये थे ? उसमें किस-किस मार्ग पर कितने कि०मी० 15-12-1998 तक लेपन का कार्य कराया गया तथा कितने कि०मी० लेपन कार्य शेष है ? क्या धन आवंटन के अनुरूप कार्य कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद लखीमपुर-खीरी के विकास खण्ड पसगवां में जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 96-97 एवं 97-98 में निम्नांकित 9 मार्ग लेपन के कार्य हेतु लिये गये थे ।

वर्ष 1996-97

1-इकधरा को मोहम्मदी-पसगवां मार्ग से जोड़ना ।

2–किरियारा पुल से मानाखेड़ा ।

3–सिसौरा नासिर को गोला-शाहजहांपुर मार्ग से जोड़ना ।

4–राष्ट्रीय मार्ग से जंग बहादुरगंज के पूरब से रेलवे फाटक तक जंग बहादुर मार्ग पिहानी मार्ग को जोड़ना ।

5–कुतुवापुर सम्पर्क मार्ग ।

6–तालसागर सम्पर्क मार्ग ।

7–मछेछा सम्पर्क मार्ग ।

8-गोला-शाहजहांपुर मार्ग के कि०मी० 42, 43, 47 का सुधार ।

9–मोहिद्दीनपुर सम्पर्क मार्ग ।

वर्ष 1997-98

शून्य

उपरोक्त सभी 9 मार्गों पर 15-12-98 तक कुल 8.23 कि०मी० लेपन का कार्य कराया गया तथा 5.34 कि०मी० लेपन का कार्य शेष था जिसका विवरण निम्नवत् है ।

क्रम सं०	मार्ग	लेपन (कि०मी० में)	लेपन कार्य अवशेष (कि०मी० में)
1	2	3	4
1–इकधरा को मोहम्मदी पसगवां मार्ग से जोड़ना		0.70	2.80
2–किरियारापुर से माना खेड़ा		2.00	2.00
3–सिसौरा नासिर को गोला-शाहजहांपुर मार्ग से जोड़ना ।		1.54	0.54

1	2	3	4
4–राष्ट्रीय मार्ग से जंग बहादुरगंज के पूरब से रेलवे फाटक तक जंग बहादुरगंज पिहानी मार्ग को जोड़ना ।		0.43	—
5–कुतुवापुर सम्पर्क मार्ग		0.30	—
6–तालसागर सम्पर्क मार्ग		0.80	—
7–मछेछा सम्पर्क मार्ग		0.40	—
8–गोला–शाहजहांपुर मार्ग के किं०मी०–42, 43, 47 का सुधार ।		3.00	—
9–मोहिउद्दीनपुर सम्पर्क मार्ग ।		1.60	—
		8.23	5.34

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

12–श्री सुरेश चन्द्र तिवारी

[दिनांक 11-4-2000 को अता० प्र० सं०–159 द्वारा उत्तरित]

राजकीय बालिका इण्टर कालेज शाहमीना रोड, लखनऊ में फर्जी फर्मों द्वारा, शिक्षा विभाग, लखनऊ के समस्त हाई स्कूल/इण्टर कालेजों में किये गये घोटाले के संबंध में नगर मंत्री, अल्पसंख्यक मोर्चा, भा०ज०पा० के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

13–श्री सुरेश चन्द्र तिवारी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज शाहमीना रोड, लखनऊ में एक ही ठेकेदार की फर्जी 7 फर्मों द्वारा शिक्षा विभाग लखनऊ के समस्त इण्टर/हाईस्कूलों एवं सम्बन्धित विभागों में पिछले 20 वर्षों से निर्माण एवं मरम्मत, पुताई–रंगाई के कार्यों में करोड़ों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में मो० शमीम, नगर मंत्री, अल्पसंख्यक मोर्चा भा०ज०पा० महानगर, लखनऊ के पत्र पर सचिव, माध्यमिक शिक्षा को दिनांक 7 जुलाई, 1998 को सतर्कता जांच कराने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या शिकायती-पत्र पर जांच की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सहारनपुर शहर में भारी वाहनों हेतु बाईपास मार्ग का निर्माण कराने की मांग

14–श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार को जानकारी है कि सहारनपुर शहर के भीतर से अन्य राज्यों से आने वाले भारी वाहन गुजरने के कारण दुर्घटनायें होती रहती है एवं आवागमन अवरुद्ध रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार शहर की सीमा के बाहर कोई बाईपास मार्ग बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक उसका निर्माण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

अन्य राज्यों से आने वाले भारी वाहनों के सहारनपुर शहर में से गुजरने से आवागमन प्रभावित होता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है ।

जनपद मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज में राजकीय कन्या इण्टर कालेज के निर्माण की मांग

15–श्री राम औतार शाक्य–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ब्लाक सुल्तानगंज जनपद मैनपुरी के किस ग्राम सभा में राजकीय कन्या इण्टर कालेज के निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? उसका निर्माण कब से प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद के निर्णयानुसार प्रबन्धक, देवभूमि विद्यालय, बडेश्वर सांडा, जिला मैनपुरी द्वारा याचीगण को कार्यभार ग्रहण कराये जाने की जानकारी

16–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर याचिका संख्या–44178/98 कृष्ण कुमार व अन्य बनाम सचिव उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद आदि में पारित आदेश दिनांक 18-1-99 के अनुपालन में सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद द्वारा पत्रांक–बे०शि०प०–11697–703/99-2000 दिनांक 24-9-99 के अनुसार क्या याचिकाकार कृष्ण कुमार व फूल सिंह को देव भूमि विद्यालय बडेश्वर सांडा मैनपुरी में प्रबन्धक द्वारा कार्यभार ग्रहण करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

उपर्युक्तानुसार ।

सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा याचीगण के पक्ष में निर्णय लिया गया है । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा याचीगण को कार्यभार ग्रहण कराने हेतु प्रबन्धक को निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद सुल्तानपुर में गोमती नदी के ब्राहिमपुर घाट पर बने पुल को चालू किये जाने की मांग

17-श्री काशीनाथ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि क्या जनपद सुल्तानपुर में गोमती नदी पर ब्राहिमपुर घाट पर बने पुल को चालू कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण 35 मीटर लम्बाई में जनपद सुल्तानपुर की तरफ पहुंच मार्ग का कार्य रुका हुआ है ।

जनपद सुल्तानपुर में अखण्ड नगर कलान तथा बीबीगंज बाजार क्रासिंग कलान रोड को गड्ढामुक्त किये जाने की मांग

18-श्री काशीनाथ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सुल्तानपुर की सीमा अखण्ड नगर से कलान तक, बीबीगंज बाजार क्रासिंग पार से कलान तक रोड गड्ढामुक्त हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

वित्तीय संसाधनों के अभाव में उक्त सड़क की मरम्मत की स्वीकृति दिया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज तथा बेवर में मोटा रोड तथा परौखा से सोवनपुर तिराहे तक लायकपुर रोड को पक्का कराने की मांग

19-श्री राम औतार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज में मोटा रोड–मानिकपुर से कल्याणपुर तक तथा ब्लाक बेवर में परौखा से सोवनपुर तिराहे तक वाया लायकपुर पेण्टिंग स्तर तक पक्की सड़कें बनाये जाने का प्रकरण शासन स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कें स्वीकृत कर बनवाना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न में अंकित कल्याणपुर ग्राम जसरथपुर का तथा सोवनपुर, लायकपुर ग्राम परौखा के है । ग्राम जसरथपुर तथा ग्राम परौखा लेपित मार्ग से जुड़े हुए हैं । वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 1000

से अधिक आबादी के ग्रामों को वर्ष 2005 तक तथा शेष ग्रामों को वर्ष 2010 तक लेपित सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की शासन की योजना है। अतः इन मजरों को लेपित मार्गों से जोड़ा जाना सम्भव नहीं है।

20–श्री राम औतार शाक्य–

[-दिनांक 6-4-2000 को अता० प्र० सं०–90 द्वारा उत्तरित।

जनपद फर्रुखाबाद में जूनियर हाई स्कूलों की स्थाई/अस्थाई मान्यता सम्बन्धी लम्बित प्रकरणों के निस्तारण की मांग

21–श्री नरेन्द्र सिंह यादव तथा श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में जू० हाई स्कूलों की स्थाई/अस्थाई मान्यता के कितने प्रकरण ए०डी० बेसिक कानपुर के यहां विगत दो वर्षों से लम्बित हैं ? क्या सरकार उक्त प्रकरण का निस्तारण शीघ्र कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जनपद फर्रुखाबाद में जू० हाई स्कूल की स्थायी/अस्थायी मान्यता के कोई प्रकरण लम्बित नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से सम्बद्ध अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा संचालित, विद्यालयों को अनुदान देने की मांग

22–श्री अफजाल अहमद–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से सम्बद्ध कुछ महाविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा संचालित हैं ? क्या उन संस्थाओं को सरकारी अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उनको अनुदान देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

जी हां।

वहरुक उलूम संस्कृत विद्यालय बहरियाबाद, गाजीपुर।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं, क्योंकि इनको अनुदान सूची पर लेने का कोई पृथक नियम नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ में ''राज्य लोक सेवा आयोग'' का परीक्षा केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

23–श्री अजय भट्ट–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ में ''राज्य लोक सेवा आयोग'' का एक-एक परीक्षा केन्द्र स्थापित किए जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 12/1/1999 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? उपरोक्त परीक्षा केन्द्र की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ?

श्री राम प्रकाश–

परीक्षा संचालन की व्यवस्था एवं अभ्यर्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त जनपदों में परीक्षा केन्द्र स्थापित किए जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में बन्द पड़े पत्थर और चूना सम्बन्धी उद्योगों को पुनः जीवित किये जाने हेतु आर्थिक पुनर्वास पैकेज की मांग

24–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ में स्थापित पत्थर व चूना सम्बन्धी उद्योग हिमालयन मेगनीसाइट एण्ड मिनरल्स लिमिटेड चण्डाक बन्द हो चुके हैं ? वर्तमान में मैग्नीसाइट एण्ड मिनरल्स चण्डाक भी पूर्णतया बन्द हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों उद्योगों को पुनः जीवित किए जाने हेतु कोई आर्थिक पुनर्वास पैकेज स्थापित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

दोनों उद्योग प्रबन्धन एवं कर्मचारियों के आपसी विवाद के कारण बन्द हुए हैं। अतः सरकार द्वारा आर्थिक पुनर्वासन पैकेज दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

पिथौरागढ़ पी० जी० कालेज को कुमाऊं विश्वविद्यालय का परिसर घोषित किये जाने हेतु, प्रश्नकर्ता के पत्र पर, शासन द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

25–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिथौरागढ़ पी०जी० कालेज को कुमाऊं विश्वविद्यालय का परिसर घोषित किए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 7-6-99 जो उच्च शिक्षा मंत्री कुलाधिपति एवं कुलपति कुमाऊ विश्वविद्यालय को प्रेषित था पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? विश्वविद्यालय परिसर बनाये जाने की औपचारिकताएं कब तक पूर्ण कर ली जायेंगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शैक्षिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय दृष्टि से उक्त महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का परिसर बनाया जाना उचित एवं सम्भव नहीं है।

सूचना विभाग में ''समूह–ग'' के रिक्त पदों हेतु आयोजित दिसम्बर, 1998 की परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानकारी

26–श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में सूचना विभाग के अन्तर्गत समूह–ग के 80 रिक्त पदों हेतु दिसम्बर, 1998 में परीक्षा आयोजित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उन रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां कर दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जी नहीं ।

चयन प्रक्रिया पूर्ण न हो पाने के कारण नियुक्ति नहीं की जा सकी है ।

जनपद देवरिया के बाबा राघव दास महिला विद्यालय बरहज को मान्यता दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

27–श्री अक्षयवर लाल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबा राघव दास महिला विद्यालय बरहज, देवरिया को मान्यता दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 27-2-98, 10-11-98, 15-4-99 एवं 15-7-99 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जांच करायी गयी/जांच रिपोर्ट के परीक्षणोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के बाबा राघवदास भगवानदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय बरहज में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की स्पेशल आडिट रिपोर्ट

28–श्री अक्षयवर लाल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबा राघव दास भगवानदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय बरहज, देवरिया की वित्तीय अनियमितताओं की स्पेशल आडिट कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9 सितम्बर, 1999 जो मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक एम–1/267099/वहराइच/99 दिनांक 20-9-99 द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा को भेजा गया था, की स्पेशल आडिट रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उक्त आडिट रिपोर्ट में क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

आडिट रिपोर्ट में अनाधिकृत शुल्क का लिया जाना, एक कोष से दूसरे कोष में अनियमित रूप से ऋण दिया जाना, पंजीकरण शुल्क का आवश्यक अंश वेतन संदाय खाते में न जमा करना तथा महाविद्यालय की आय का दुरुपयोग आदि अनियमिततायें प्रकाश में आयी है ।

जनपद देवरिया के परमहंसानन्द शिक्षा मन्दिर आश्रम बरहज में व्याप्त अनियमितताओं आदि की जांच विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

29–श्री अक्षयवर लाल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परमहंसानन्द शिक्षा मन्दिर आश्रम, बरहज देवरिया में व्याप्त अनियमितता की जांच कराने, प्रबन्ध समिति भंग करने एवं अनियमित तरीके से की गयी नियुक्तियों को निरस्त कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9 सितम्बर, 1999 जो मुख्य मंत्री

कार्यालय के पत्रांक एम–1/26710/बहराइच/99 दिनांक 20 सितम्बर, 1999 द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को जांच हेतु भेजा गया था, की जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर से जांच कराई गई ।

जांच आख्या मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है ।

जांच आख्या में जो आरोप पूर्णतः पुष्ट पाये गये उनके संबंध में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के प्राविधान के अन्तर्गत तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने तथा जो बिन्दु स्पष्ट नहीं हैं उस पर स्पष्ट आख्या भेजने हेतु अ० पत्रांक सामान्य (1) प्रथम/138/2000-2001, दिनांक 24-4-2000 के द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर को निर्देश दिये गये हैं ।

जनपद हरदोई के शाहाबाद पाली मार्ग को गड्ढामुक्त करने की मांग

30–श्री बाबू खां–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 89–शाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत शाहाबाद पाली मार्ग पर गड्ढे हो गये है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को गड्ढामुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

मार्ग को गड्ढामुक्त कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर में सरदार पटेल मार्ग, पटेल नगर अदलहाट–कैलहट वाया परमहंसपुरी मार्ग हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में अवमुक्त की गई धनराशि तथा इसके सापेक्ष किये गये कार्यों की जानकारी

31–डॉ० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश सं० 5159ई/23–लो०–नि०–वि०–11–98 दिनांक 27-11-98 के अन्तर्गत स्वीकृत सरदार पटेल मार्ग, पटेल नगर अदलहाट से कैलहट वाया परमहंस पुरी-मार्ग (जनपद–मिर्जापुर) के निर्माण के लिए वर्ष 1998–99 एवं 1999–2000 में कितनी धनराशि अवमुक्त की गई है ? अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अब तक क्या-क्या कार्य कराये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत मार्ग हेतु वर्ष 1998-99 में रु० 3.95 लाख, तथा वर्ष 1999-2000 में रु० 7.40 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है ।

अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अब तक एक कि०मी० लम्बाई में टापकोट कुटाई का कार्य प्रगति में है तथा तीन पुलिया बन चुकी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्ग की स्वीकृत धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक डा० राजेश कुमार मिश्र स०वि०परि० के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

32–इं० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डा० राजेश कुमार मिश्र, सदस्य विधान परिषद् का पत्र दिनांक 7-12-98, जो मिर्जापुर जनपद के नरायनपुर ब्लाक में स्थित नरायनपुर–इमिलिया चट्टी मार्ग से अम्बेडकर चौक घरवासपुर सम्पर्क मार्ग की स्वीकृत धनराशि लोक निर्माण विभाग को अवमुक्त करने विषयक था, जिलाधिकारी, मिर्जापुर को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण के लिये लो०नि०वि० को धन आवंटित करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को दिये गये । अभिकरण द्वारा लो०नि०वि० को उक्त मार्ग के निर्माण हेतु 2.77 लाख आवंटित किया गया । मौके पर मिट्टी उपलब्ध न होने के कारण तथा स्थानीय लोगों के विरोध के कारण मार्ग निर्माण सम्भव नहीं था । अतः लो०नि०वि० द्वारा मार्ग निर्माण हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई 2.77 लाख की धनराशि अभिकरण को वापस कर दी गई ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड रामनगर में कतिपय मार्गों को राज्य सेक्टर से जोड़ने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

33–श्री राम ललित चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड रामनगर में दो हजार से अधिक की आबादी के ग्राम चैसार तथा तरौठी को भानपुर-रुधौली मार्ग से राज्य सेक्टर से जोड़ने के सम्बन्ध में माह नवम्बर 1999 में प्रश्नकर्ता का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों के अभाव में प्रश्नगत मार्गों का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रदेश में ब्रजभाषा अकादमी की स्थापना के सम्बन्ध में जानकारी

34–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में "ब्रज भाषा" अकादमी की स्थापना किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पालीटेक्निक प्रवेश परीक्षा, 1999 की काउन्सिलिंग के तृतीय चरण ग्रुप 'ए' में अनुसूचित जाति के रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों से अधिक काउन्सिलिंग शुल्क वसूल करने का औचित्य तथा दोषी जनों के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

35. श्री अब्दुल मन्नान–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि पालीटेक्निक प्रवेश परीक्षा, 1999 की काउन्सिलिंग के तृतीय चरण में प्रदेश के विभिन्न पालीटेक्निक विद्यालयों में ग्रुप 'ए' में रिक्त 21 स्थानों के विरुद्ध अनुसूचित जाति के 701 अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग हेतु पत्र भेजे गये थे और प्रत्येक अभ्यर्थियों से रु० 200-कौन्सिलिंग की फीस जमा करायी गयी थी ? क्या यह सही है कि रैंक नं० 310 के उपरान्त कोई स्थान रिक्त न होने के कारण काउन्सिलिंग नहीं हुई और अभ्यर्थियों से 200 रुपया ले लिया गया ? यदि हां, तो स्थान रिक्त न होने पर काउन्सिलिंग कराये जाने का क्या औचित्य है ? अभ्यर्थियों की हुई धन हानि के लिए कौन जिम्मेदार है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

पालीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा 1999 के माध्यम से तृतीय एवं अंतिम चरण की काउन्सिलिंग में 'ए' ग्रुप के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति के 116 रिक्त सीटों के लिए अनुसूचित जाति के प्रतीक्षा सूची के 711 अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग हेतु पत्र भेजा गया और उसके विरुद्ध उक्त वर्ग के 233 अभ्यर्थी ही काउन्सिलिंग हेतु उपस्थित हुए एवं उनसे नियमानुसार 200 रुपये काउन्सिलिंग शुल्क लिया गया । बुलाये गये अभ्यर्थियों में प्रतीक्षा सूची 370 क्रम तक के अभ्यर्थियों द्वारा इच्छित पाठ्यक्रम एवं स्थान मिलने के कारण प्रवेश लिया गया एवं क्रमांक 370 के उपरान्त 27 स्थान रिक्त थे परन्तु क्रमांक 370 के बाद के अभ्यर्थियों को उनके विकल्प के अनुसार इच्छित पाठ्यक्रम एवं संस्था नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया ।

उपरोक्त तृतीय चरण की काउन्सिलिंग अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार की गई जिसमें कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सहारनपुर के एस०डी० कन्या इण्टर कालेज की सहायक अध्यापिका श्रीमती मंजू गुप्ता एवं श्रीमती रूपा नेगी के अवशेष वेतन भुगतान की मांग

36–श्री संजय गर्ग–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-7-1999 जो श्रीमती मन्जू गुप्ता एवं श्रीमती रूपा नेगी स० अ० एस० डी० कन्या इण्टर कालेज जनपद सहारनपुर के अवशेष वेतन भुगतान के सम्बन्ध में था, मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या अवशेष वेतन भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

देयक में कतिपय आपत्तियां हैं जिनका निराकरण अभी तक जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नहीं किया गया ।

नवजीवन इण्टर कालेज, मोहनलालगंज, लखनऊ के तत्कालीन प्रबन्धक द्वारा एल० टी० वेतनमान में नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मान्यता तथा पद के अनुसार वेतन भुगतान की जानकारी

37–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवजीवन इण्टर कालेज, मोहनलालगंज, लखनऊ के तत्कालीन प्रबन्धक श्री चन्द कान्त दीक्षित द्वारा एल० टी० वेतनमान में की गयी कतिपय तदर्थ नियुक्ति जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ के पत्रांक मा०–1/8665–66/9090/दिनांक 17-12-90 के माध्यम से मान्यता दे दी गयी है ? क्या उपरोक्त नियुक्ति शिक्षकों को नियुक्ति पद के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ के पत्रांक–938/माध्यमिक-1/91–92. दिनांक 13-5-91 के द्वारा उपरोक्त आदेश में कोई संशोधन किया गया है ? यदि हां, तो क्या ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

विद्यालय द्वारा प्रस्तावित नियुक्ति की सहमति प्रदान की गयी थी परन्तु तत्कालिक प्रभाव से उक्त आदेश को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के आदेश दिनांक 13-5-91 द्वारा निरस्त कर दिया गया था ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । पूर्व आदेश दिनांक 17-12-90 निरस्त करके पदोन्नति एवं नियुक्ति को मान्य किया गया ।

उपरोक्तानुसार कोई संशोधन नहीं किया गया ।

बीड़ी औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों को तेन्दू पत्ता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में श्री बांके लाल सोनकर विधायक के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

38–श्री अफजाल अहमद–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बीड़ी औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों को तेन्दू पत्ता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विधायक श्री बांकेलाल सोनकर का पत्र दिनांक 22-10-1999 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

मा० विधायक श्री बांकेलाल सोनकर का पत्र दिनांक 8-10-1999 मुख्य मंत्री कार्यालय में दिनांक 20-10-1999 को प्राप्त हुआ ।

मा० विधायक श्री बांकेलाल सोनकर के पत्र एवं उसके साथ प्राप्त संलग्न पत्र पर प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० वन निगम लखनऊ की आख्या प्राप्त की गयी । सरकारी लागत मूल्य पर तेन्दू पत्ता आवंटन का

कोई प्राविधान न होने के कारण तेन्दू पत्ता का आवंटन सहकारी समितियों को किया जाना सम्भव नहीं है। तेन्दू पत्ता का वन निगम द्वारा टेण्डर के माध्यम से निस्तारण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में वित्तीय वर्ष 1999-2000 में जिला योजनान्तर्गत पेण्टिंग हेतु स्वीकृत सड़कें तथा आवंटित धनराशि की जानकारी

39–श्री राम औतार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में वित्तीय वर्ष 1999–2000 में किस-किस योजना में पेण्टिंग स्तर तक कितनी सड़कें अब तक शासन द्वारा स्वीकृत हो चुकी हैं और कितनी स्वीकृत होने के लिए प्रस्तावित है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त स्वीकृत किस-किस सड़क पर कितना धन अब तक आवंटित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में जनपद मैनपुरी के लिए जिला योजना सामान्य के अन्तर्गत 13 एवं जिला योजना एस० सी० पी० के अन्तर्गत 3 कुल 16 मार्गों के पेन्टिंग स्तर तक निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

स्वीकृत कार्यों पर वर्ष 99-2000 में धन आवंटन की स्थिति संलग्न सूची में अंकित है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 169–170 पर।)

अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) इलाहाबाद द्वारा तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी मऊ के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

40–श्री समरपाल सिंह

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1999 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं० 102 के उत्तर के संदर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी मऊ के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जांच के उपरान्त तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मऊ श्री मदन गोपाल पाठक को उनके द्वारा किये गये नियम विरुद्ध स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ० प्र०, इलाहाबाद के आदेश संख्या बे० शिक्षा/21326–30/99–2000 दिनांक 11-3-2000 द्वारा चेतावनी दे दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बस्ती में कुआनो नदी पर टिनिच रेलवे स्टेशन बाराह क्षेत्र में सेतु निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

41–श्री राम ललित चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बस्ती में टिनिच के पास बाराह क्षेत्र में कुआनो नदी पर नाबार्ड से सेतु निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र माह नवम्बर, 1999 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जनपद बस्ती में कुआनो नदी पर टिनिच रेलवे स्टेशन बाराह क्षेत्र में सेतु निर्माण कार्य की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश संख्या–2349ई/23–लो०नि०–11–99, दिनांक 21 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदान की जा चुकी थी, अतः प्रश्न में वर्णित पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर के ग्राम औड़ जंगल को पक्के मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

42–श्री राम ललित चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर के ग्राम औड़ जंगल जिनकी आबादी लगभग चार हजार है, को पक्के मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में माह नवम्बर, 1999 में प्रश्नकर्ता का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता से प्राप्त आख्या पर विचार किया गया । ग्राम औड़ जंगल की आबादी 3275 है । शिवाघाट–सोनहा लेपित मार्ग पर स्थित अमरौली सोमाली से ग्राम औड़ जंगल 3.85 कि०मी० लम्बे लेपित मार्ग से जुड़ा है । प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत ग्राम औड़जंगल को दूसरी ओर से लेपित मार्ग से जोड़ा जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र शाहगंज में कन्या जूनियर हाई स्कूल मेहरावा के भवन निर्माण की मांग

43–श्री बांकेलाल सोनकर–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र शाहगंज में कन्या जू० हा० स्कूल मेहरावा के भवन निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23 जून, 1999 तथा श्री सन्त प्रसाद राय ढालगर टोला जनपद जौनपुर का पत्र दिनांक 10-11-99 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु धन प्रदान कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो धन कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ।

जौनपुर में पर्यटन स्थल विकसित करने हेतु प्रश्नकर्त्ता द्वारा उपाध्यक्ष उ० प्र० राज्य पर्यटन निगम को प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

44 श्री बांकेलाल सोनकर–

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर में पर्यटक स्थल विकसित करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14 जून, 1999 उ० प्र० राज्य पर्यटन निगम के उपाध्यक्ष डा० दिनेश शर्मा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत मार्गों पर निर्माण कार्य की जानकारी

45–श्री रामविशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 में जिला योजना के अन्तर्गत अक्टूबर, 1999 तक स्वीकृत मार्गों पर मानक के अनुसार कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 में कुल 28 कार्य स्वीकृत हुए जिसमें 02 कार्य अक्टूबर, 1999 तक पूर्ण हो चुके हैं शेष कार्य प्रगति पर हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्र में पूर्वांचल विकास निधि द्वारा स्वीकृत सम्पर्क मार्गों के निर्माण में लोक निर्माण विभाग खण्ड–4 द्वारा किये गये शासकीय धन के दुरुपयोग की टी० ए० सी० जांच कराये जाने की मांग

46–श्री रामविशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में पूर्वांचल विकास निधि द्वारा वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 में स्वीकृत सम्पर्क मार्गों पर लोक निर्माण विभाग खण्ड–4 जनपद गोण्डा के अभियन्ताओं द्वारा मानक के अनुरूप कार्य न करवाकर शासकीय धन का भारी पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी टी० ए० सी० जांच करवाकर मानक के अनुरूप कार्य करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रकरण में मुख्य अभियन्ता से जांच करवाई जाएगी ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्र में सराय ममरेज-बरियारामपुर की जर्जर सड़क एवं ध्वस्त पुलिया के निर्माण की मांग

47–श्री जोखूलाल यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत स्थित सराय ममरेज से बरियारामपुर की सड़क जर्जर एवं उसकी पुलिया टूट गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त मार्ग की मरम्मत एवं ध्वस्त पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्र में ऊंट घाट चिरैया घाट आदि अन्य घाटों पर बने लकड़ी के पुलों की क्षमता तथा पक्के पुलों के निर्माण की मांग

48–श्री रामविशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर जनपद गोण्डा में ऊंट घाट, चिरैया चौखट घाट, दतौली घाट, बगूलही घाट, घारी घाट पर जो लकड़ी के पुल बने हैं उनकी क्षमता क्या है ? क्या यह सही है कि बभनान शुगर मिल के पेराई हेतु गन्ने की ट्रकें इन पुलों से होकर जाती हैं और अधिक भार के कारण उक्त पुलों के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लकड़ी के पुलों के स्थान पर पक्के पुलों का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

लगभग 5 से 6 टन ।

जी हां, परन्तु क्षतिग्रस्त होने पर यथा समय मरम्मत कर यातायात चालू कर दिया जाता है ।

प्रदेश सरकार को वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत इन पक्के पुलों का निर्माण किया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद गोण्डा के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय को इण्टरमीडिएट की मान्यता प्रदान करने की मांग

49–श्री रामविशुन आजाद–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार जनपद गोण्डा में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय गोण्डा को इण्टरमीडिएट की शिक्षा प्रदान करने हेतु मान्यता प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

आश्रम पद्धति के अन्तर्गत मान्यता दिये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में प्रतापपुर–उग्रसेनपुर सड़क की मरम्मत हेतु आवंटित धन तथा मरम्मत की मांग

50–श्री जोखूलाल यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत प्रतापपुर से उग्रसेनपुर तक की सड़क की मरम्मत हेतु वर्ष 1999–2000 में धन आवंटित हुआ था ? यदि हां, तो कितना ? क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत वर्तमान वित्तीय वर्ष में करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

रु० 2.40 लाख 4 कि०मी० नवीनीकरण के लिए आवंटित किया गया था ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत उतरौला क्षेत्रान्तर्गत अधूरे सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण तथा मानक व गुणवत्ता के आधार पर कार्य न कराये जाने की टी०ए०सी० जांच की मांग

51–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत देवरिया जंगली मार्ग, मोहम्मदपुर बंजरहा मार्ग, रुखीमझारी अधूरे सम्पर्क मार्गों का कब तक डामरीकरण द्वारा पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त निर्माण कार्यों को मानक व गुणवत्ता के आधार पर न कराये जाने की जांच टी० ए० सी० द्वारा करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

देवरिया जंगली मार्ग जून,2000 तक, मोहम्मदपुर बजरहा मार्ग मार्च, 2000 तक तथा रूखी मझारी सम्पर्क मार्ग, जून, 2000 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सभी कार्य मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप कराये जा रहे है। यदि कोई शिकायत पायी जायेगी तो जांच कराई जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के उतरौला क्षेत्रान्तर्गत गौर ग्राम श्री दत्त गुमड़ी आदि सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण तथा निर्माण कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुरूप न होने की टी० ए० सी० जांच की मांग

52–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत गौर ग्राम सम्पर्क मार्ग, श्री दत्त गंज गुमड़ी मार्ग पर पकड़ी रैकवार मुस्लिम डीह, श्रीदत्त गंज बाजार का फुटपाथ, अगया बुजुर्ग सम्पर्क मार्ग, परसौना सम्पर्क मार्ग, गायडीह सम्पर्क मार्ग के अधूरे कार्यों को कब तक डामरीकरण द्वारा पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं,. तो क्यों ? क्या उक्त के निर्माण कार्यों को मानक व गुणवत्ता के आधार पर न कराए जाने की जांच टी० ए० सी० द्वारा करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

गौर ग्राम सम्पर्क मार्ग नवम्बर, 2000 श्री दत्तगंज गुमड़ी मार्ग पर पकड़ी रैकवार मुस्लिमडीह मार्च, 2000 श्री दत्तगंज बाजार का फुटपाथ मार्च 2000 अगया बुजुर्ग सम्पर्क मार्ग मार्च, 2000 परसौना सम्पर्क मार्ग नवम्बर, 2000 तथा गायडीह सम्पर्क मार्ग मार्च, 2000 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सभी कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुरूप कराये जाने का प्राविधान है । अगर किसी प्रकार शिकायत प्राप्त होगी तो जांच कराई जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत मार्गों की विभगीय उच्चधिकारियों के निरीक्षण में गुणवत्ता सामान्य पाई गई है ।

जनपद बलरामपुर के उतरौला क्षेत्रान्तर्गत बिलरिया ग्राम, देवरिया मुबारकपुर आदि सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण तथा निर्माण कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुरूप न कराये जाने की टी० ए० सी० जांच की मांग

53-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत बिलरिया ग्राम सम्पर्क मार्ग, देवरिया मुबारकपुर सम्पर्क मार्ग, गोण्डा उतरौला मार्ग से चमरुपुर का शेष भाग, बौडीहाट ग्राम से निसवां स्कूल होते हुए कुडऊ ग्राम तक, महुवा धनी ग्राम अधूरे सम्पर्क मार्गों को डामरीकरण द्वारा कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त के निर्माण कार्यों को मानक व गुणवत्ता के अनुरूप न कराए जाने की जांच टी० ए० सी० द्वारा करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

बिलरिया ग्राम सम्पर्क मार्ग देवरिया मुबारकपुर सम्पर्क मार्ग, तथा महुवाधनी ग्राम सम्पर्क मार्गों को नवम्बर, 2000 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है । गोण्डा उतरौला मार्ग से चमरूपुर का शेष भाग का कार्य पूर्ण है । बौडीहार ग्राम से निसवा स्कूल होते हुए कुडऊ ग्राम तक सम्पर्क मार्ग का संरेखण विवादित है ।

प्रश्न नहीं उठता । बौडीहार ग्राम से निसवा स्कूल होते हुए कुडऊ ग्राम तक, मार्ग का डामरीकरण कार्य, मार्ग का संरेखण विवादित होने के कारण पूर्ण किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है .

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्य मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप कराये गये हैं ।

जनपद बलरामपुर के उतरौला क्षेत्रान्तर्गत बदलपुर भैरमपुर मानापार बहेरिया आदि अधूरे सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण तथा निर्माण कार्यों में मानक व गुणवत्ता के अनुसार कार्य न कराये जाने की टी०ए०सी० जांच की मांग

54-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत बदलपुर भैरमपुर मानापार बहेरिया मार्ग, बौडीहार ग्राम से निसवा स्कूल होते हुए नदी तक मार्ग इटई रामपुर सम्पर्क मार्ग, महुवा इब्राहीम से सझवला प्रेम नगर तक के अधूरे मार्गों के डामरीकरण द्वारा कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त के अब तक हुए निर्माण कार्यों में मानक व गुणवत्ता के अनुसार कार्य न कराये जाने की जांच टी० ए० सी० द्वारा करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

बदलपुर भैरमपुर मानापार बहेरिया मार्ग का कार्य पूर्ण है । बौडीहार ग्राम से निसवा स्कूल होते हुये नदी तक का मार्ग मार्च, 2000 इटई रामपुर सम्पर्क मार्ग नवम्बर, 2000 तथा महुवां इब्राहीम सझवल प्रेमनगर सम्पर्क मार्ग नवम्बर, 2000 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत मार्गों की जांच टी०ए०सी० द्वारा करा ली गयी है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के उतरौला क्षेत्रान्तर्गत रूस्तमनगर उत्तरी मदरसे बौडीहार आदि अधूरे मार्गों को पूर्ण कराने तथा अब तक हुए निर्माण कार्यों में मानक व गुणवत्ता का पालन न किये जाने की टी०ए०सी० जांच की मांग

55-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत वर्ष 1995 तथा वर्ष 1996-97 व 1997-98 में रुस्तम नगर मार्ग, उत्तरी मदरसे से बौडीहार तक, बंजरिया से हुसैनाबाद मार्ग, अम्बेडकर ग्राम बंजरिया अधूरे मार्गों को कब तक पूर्ण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब तक हुए निर्माण कार्यों में मानक व गुणवत्ता के अनुसार कार्य न कराये जाने की जांच टी० ए० सी० द्वारा करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

रुस्तम नगर मार्ग धनाभाव के कारण पूर्ण करना सम्भव नहीं है । उत्तरी मदरसे से बौड़ीहार तक मार्ग को स्वीकृति के अनुसार केवल सोलिंग स्तर तक अप्रैल 2000 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है । बजरिया से हुसैनाबाद मार्ग तथा अम्बेडकर ग्राम बजरिया मार्ग का कार्य स्वीकृति के अनुसार पूर्ण कर लिया गया है । केवल रुस्तम नगर मार्ग का कार्य धनाभाव के कारण पूरा किया जाना सम्भव नहीं है । सभी कार्य मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप कराये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोकतानुसार ।

56-श्री चेतराम-

[3 रे बुधवार में अता० प्र० सं० 194 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सीतापुर से दुधवा राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर होते हुए नेपाल सीमा तक जाने वाले राजमार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने की मांग

57–श्री रमेश राही–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर से जनपद लखीमपुर दुधवा राष्ट्रीय पार्क होते हुए नेपाल सीमा तक जाने वाले राज मार्ग को राष्ट्रीय राज मार्ग में परिवर्तित किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

प्रश्नगत मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने के लिये भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है ।

प्रश्न नही उठता ।

सीतापुर शहर में मुंशीगंज बड़ागांव मितौली मार्ग का डामरीकरण कराये जाने की मांग

58–श्री रमेश राही–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि सीतापुर शहर होकर मुंशीगंज बड़ागांव मितौली मार्ग जो जनपद लखीमपुर को जोड़ता है, जर्जर हो गया है ? क्या सरकार उसका डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 38.40 कि०मी० में से 26.40 कि०मी० लेपन स्तर तक निर्मित है तथा 12.00 कि०मी० कंकड़ स्तर तक निर्मित है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नही उठता ।

प्रदेश सरकार की कठिन वित्तीय स्थिति के कारण डामरीकरण कराया जाना सम्भव नहीं है ।

सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष/प्रशासक तथा कर्मचारियों के अवशेष वेतन भुगतान/भत्ते से सम्बन्धित सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों की जानकारी

59–श्री रामऔतार शाक्य–

क्या सार्वजनिक उद्यम मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 10 अगस्त, 1998 को कौन-कौन से ऐसे सार्वजनिक निगम/उपक्रम थे जिनके कार्यरत कर्मचारियों का वेतन भुगतान/भत्ता अवशेष था और इस समय ऐसे कौन-कौन निगम/उपक्रम है जिनके सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष/प्रशासक कार्यरत है और उनमें कर्मचारियों के वेतन/भत्तों का भुगतान नहीं हो रहा है ?

सार्वजनिक उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास मंत्री (श्री जय नारायण तिवारी)–

कुल कार्यरत 50 निगमों/उपक्रमों में से प्राप्त 33 निगमों/उपक्रमों की सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम तथा दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी में 10 अगस्त, 1998 को वेतन भुगतान/भत्ता अवशेष था । शेष 12 निगमों के सन्दर्भ में सूचना प्राप्त की जा रही है ।

उक्त 33 निगमों/उपक्रमों में से 16 निगम/उपक्रम में गैर सरकारी अध्यक्ष/प्रशासक मनोनीत हैं । सूची संलग्न है ।† शेष 12 निगमों के सन्दर्भ में सूचना प्राप्त की जा रही है ।

† (देखिये नत्थी (ग) आगे पृष्ठ 171 पर ।)

प्रदेश के कतिपय निगमों/उपक्रमों में सार्वजनिक उद्यम विभाग की बिना सहमति के नई अतिरिक्त गाड़ियों का क्रय तथा दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

60-श्री रामऔतार शाक्य–

क्या सार्वजनिक उद्यम मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 31-3-1997 के बाद अब तक कई ऐसे निगम/उपक्रम प्रदेश में हैं जिन्होंने सार्वजनिक उद्यम विभाग की बिना सहमति के व शासनादेश दिनांक 3 फरवरी, 1995 का अतिक्रमण करते हुए नई अतिरिक्त गाड़ियों को क्रय किया गया ? यदि हां, तो कौन-कौन से निगम/उपक्रम हैं और उसके लिए कौन-कौन दोषी है ?

श्री जय नारायण तिवारी–

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार यू०पी० डेस्को, उ० प्र० भूमि सुधार निगम, उ० प्र० वक्फ विकास निगम, उ० प्र० बीज एवं तराई विकास निगम, उ० प्र० (रूहेलखण्ड तराई) बीज विकास निगम, उ० प्र० जल निगम, उ० प्र० (पश्चिम) गन्ना बीज विकास निगम, उ० प्र० (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम, उ० प्र० निर्यात निगम तथा उ० प्र० पर्यटन विकास निगम द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग की बिना सहमति के 31-3-97 के बाद नई अतिरिक्त गाड़ियों का क्रय किया गया ।

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित निगम/उपक्रम से सार्वजनिक उद्यम विभाग से जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही हेतु कहा जा रहा है ।

सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों में कर्मचारियों के वेतन भत्तों की अदायगी सम्बन्धी शासनादेश की जानकारी

61-श्री रामशोभा शाक्य–

क्या सार्वजनिक उद्यम मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्तों की अदायगी की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 1 मई, 1998 को शासनादेश निर्गत किया गया ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और किस-किस निगम/उपक्रम द्वारा इसे लागू किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय नारायण तिवारी–

जी हां, संदर्भगत शासनादेश में यथासम्भव निगम/उपक्रम के अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने तथा उनके अन्यत्र चयन होने की दशा में यथाशीघ्र कार्यमुक्त किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं । उक्त शासनादेश को लागू न किये जाने के सन्दर्भ में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

62–श्री काशीनाथ

[तीसरे शुक्रवार में अता०प्र०सं०-176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड पसगवां की ग्राम पंचायत रामपुर ग्रन्ट में सड़कों की व्यवस्था विषयक जानकारी

63–श्री संजय गर्ग तथा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड पसगवां के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रामपर ग्रन्ट के गांव पनाहपर, सैजना शाहपर, रंजीतपर में सडकों की व्यवस्था

है ? यदि नहीं, तो क्या इचौलिया से पनाहपुर तक पक्की सड़क का निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

ग्राम पंचायत रामपुर ग्रन्ट के गांव पनाहपुर तक खड़ंजा स्तर तक एवं गांव सैजना शाहपुर व रंजीतपुर तक मिट्टी स्तर तक निर्मित मार्ग उपलब्ध हैं ।

सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर एक हजार से अधिक आबादी के ग्रामों को वर्ष 2005 तक तथा शेष ग्रामों को 2010 तक लेपित मार्गों से जोड़ने की योजना में चयनित होने पर निर्माण कराया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद बरेली में सेवित विकास खण्डों की न्याय पंचायतों में स्वीकृत कन्या विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने की मांग

64–श्री छोटेलाल गंगवार–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में दिनांक 9-7-1999 को सेवित विकास खण्डों की न्याय पंचायतों में स्वीकृत कन्या विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु प्रथम किस्त की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो सरकार यह धनराशि कब तक उपलब्ध करायेगी ?

डा० नैपाल सिंह–

जनपद बरेली में दिनांक 9-7-99 की जिला समिति की बैठक में एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्डों की दूसरी न्याय पंचायत में कन्या विद्यालय के स्थापना की संस्तुति की गयी है । अभी न तो स्वीकृति प्रदान की गयी है और न प्रथम किश्त की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नियमानुसार विचार करके स्वीकृति प्रदान कर दिये जाने के पश्चात् धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।

वाराणसी सेतु निगम द्वारा देवल कर्मनाशा नदी पर मिट्टी का कार्य बिना निविदा कराने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

65–श्री सिंहासन सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि सेतु निगम, वाराणसी द्वारा देवल कर्मनाशा नदी पर बने पुल के पहुंच मार्ग के मिट्टी का कार्य बिना निविदा आमंत्रित किये कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? ऐसा कार्य किस नियम के अन्तर्गत किया गया है ? इसका जिम्मेदार कौन-कौन अधिकारी है ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्नगत कार्य कोटेशन आमंत्रित करके कराया गया, जबकि निविदा आमंत्रित करके कार्य कराया जाना था । इस अनियमितता के लिए उप परियोजना प्रबन्धक सेतु निगम इकाई–2, वाराणसी को प्रथम दृष्ट्या जिम्मेदार पाया गया है ।

जी हां । नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रेवतीपुर गहमर मार्ग पर कामाख्या धाम के पास वाराणसी सेतु निगम द्वारा निर्मित पुलिया पर पहुंच मार्ग का निर्माण कराने की मांग

66–श्री सिंहासन सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि रेवतीपुर गहमर मार्ग पर कामाख्या धाम के पास अठहठा नाले पर पुलिया का निर्माण सेतु निगम वाराणसी द्वारा वर्ष 1998 में किया गया है ? क्या उसके पहुंच मार्ग का निर्माण दोनों तरफ न होने से आवागमन बाधित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार पहुंच मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत नाले का नाम ड्राई नाला है । पुल का निर्माण 3/99 में पूरा किया गया था ।

जी हां ।

जी हां ।

पहुंच मार्ग का निर्माण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बिजनौर के धामपुर क्षेत्र में लिंक मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

67–श्री मूल चन्द चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र, धामपुर जनपद बिजनौर में लिंक मार्गों की दशा बहुत खराब है जिसके कारण इन पर जनता का चलना मुश्किल हो गया है और आवागमन अवरुद्ध हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लिंक मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

लिंक मार्गों की दशा सामान्यतः सन्तोषजनक है तथा यातायात अवरुद्ध होने की कोई शिकायत नहीं है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार मार्गों की मरम्मत करायी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हाथरस के ब्लाक सिकन्दराराऊ में स्वीकृत मार्ग ग्राम टटी डंडिया का निर्माण पूर्ण कराने की मांग

68–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि ब्लाक सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस के ग्राम टटी–डूंडिया मार्ग के निर्माण की स्वीकृति 2 वर्ष पूर्व प्राप्त हो गयी थी ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का अब

तक निर्माण न करने के कारण क्या हैं ? क्या सरकार स्वीकृत मार्ग के निर्माण न कराने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मार्ग का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां । प्रश्नगत 2.50 कि०मी० लम्बाई के मार्ग की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश दिनांक 30-03-98 के द्वारा रु० 13.70 लाख की लागत पर जिला योजनान्तर्गत प्रदान की गयी थी ।

रु० 4.61 लाख व्यय करके मार्ग पर टापकोट स्तर तक निर्माण कार्य किया जा चुका है ।

जी नहीं ।

निर्माण कार्य पूर्ण न होने के लिए अधिकारी दोषी नहीं है । प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नही उठता ।

69–श्री विनोद मणि–

[3रे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद अम्बेडकर नगर में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत टेण्डर तथा कृत कार्यों की जानकारी

70–श्री चेतराम–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अम्बेडकर नगर में वर्ष 1998-99 में 31 अगस्त, 1999 तक कुल कितने टेण्डर स्वीकृत किये गये ? किन-किन ठेकेदारों को कार्य दिया गया ? क्या वे कार्य पूर्ण हो गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत वर्ष में 31 अगस्त, 1999 तक कुल 54 निविदायें स्वीकृत की गयी थी ।

इस सम्बन्ध में विस्तृत सूची संलग्न है । 46 कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा 8 कार्य प्रगति पर है ।

(देखिये नत्थी (घ) आगे पृष्ठ 172-176 पर ।)

71–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

[5वें गुरुवार में अता० प्र० सं०–17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद हरदोई के सण्डीला क्षेत्र में बन्द पड़े कतिपय प्रा० पा०/जूनियर हाई स्कूलों में सुचारु अध्यापन व्यवस्था हेतु सरकार द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

72–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र सण्डीला जनपद हरदोई में प्रा०पा० कुदौरी, जाहिदपुर, असदर मऊ, देवनाथपुर तुरना, रूद्र पीपर चक, हुसेनपुर पलिया आदि व जू० हा० स्कूल कुदौरी सत्रें शिक्षा सत्र, 1998-99 में अध्यापकों की नियुक्तियां न होने के कारण पूर्ण रूप से बन्द रहे जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं । छात्रों की पढ़ाई सामान्यतः प्रभावित नहीं है । प्राइमरी पाठशाला कुदौसी, देवनाथपुर, तुरनारूद पीपर चक, हुसैनपुर पलिया एकल अध्यापकीय विद्यालय है जो किसी भी समय अध्यापक विहीन होने के कारण बन्द नहीं रहे । प्रा० वि० असवर मऊ नवीन विद्यालय होने के कारण अध्यापकों की तैनाती नहीं की जा सकी । प्रा० वि० जाहिदपुर माह जुलाई 98 से अक्टूबर 98 तक बन्द रहा नवम्बर 1998 से अध्यापक की नियुक्ति कर दी गयी है । जूनियर हाईस्कूल सरवै में पूरे समय अध्यापक तैनात रहे । जूनियर हाईस्कूल कुदौरी का भवन निर्माणाधीन है भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जायेगी । सभी विद्यालयों में सूचारू अध्यापन की व्यवस्था के लिये शासन सक्रिय है ।

जनपद मथुरा में यमुना नदी के जल प्रदूषण निवारण विषयक विधायक कोष्ठक द्वारा प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

73–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में यमुना नदी में जल प्रदूषण निवारण के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी०एम०/वि०को०/एम–1/17362/मथुरा/98, दिनांक 20-10-98 प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम प्रकाश –

जी नहीं । विधायक कोष्ठक के पत्र के साथ संलग्न मा० विधायक का पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्नकर्ता मा० विधायक जी से उल्लिखित पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध कराये जाने हेतु औद्योगिक विकास अनुभाग (1) उ० प्र० शासन द्वारा दिनांक 23-12-99 को पत्र तथा क्रमशः दिनांक 12-1-2000, दिनांक 5-2-2000 दिनांक 24-2-2000 एवं दिनांक 18-3-2000 को अनुस्मारक पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया गया, किन्तु अपेक्षित पत्र की प्रतिलिपि अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है । जिससे प्रश्नगत प्रकरण में शासन स्तर से आवश्यक कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है ।

जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में पशुधर भूमि कृषक मजदूर माध्यमिक विद्यालय के नाम किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक से प्रमुख सचिव, शिक्षा को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

74–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन मथुरा में कृषक मजदूर जूनियर माध्यमिक विद्यालय के लिए ग्राम सभा की पशुधर भूमि को विद्यालय का नाम किये जाने के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी०एम०/वि०को०/एम–1/ 19562/मथुरा/99, दिनांक 13-1-99 प्रमुख सचिव, शिक्षक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी हां ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा की सूचनानुसार उक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी मथुरा को अनुरोध किया गया था । जिलाधिकारी मथुरा ने अपने पत्र दिनांक 12-4-99 द्वारा अवगत कराया कि उक्त भूमि को विद्यालय के नाम इन्द्राज नहीं किया जा सकता क्योंकि पशुधर

भूमि उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 132 के अन्तर्गत आती है जो पूर्णतया सुरक्षित भूमि है। जिसका पुनर्ग्रहण कर अथवा किसी अन्य माध्यम से विद्यालय के नाम राजस्व-अभिलेखों में इन्द्राज नहीं किया जा सकता।

जनपद हरदोई में राजकीय बालिका इण्टर कालेज, सण्डीला की सेवानिवृत्त सहायक अध्यापिकाओं की पेंशन/जी०पी० एफ० भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी

75–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज, सण्डीला जनपद हरदोई में वर्ष 1996 में कितने सहायक अध्यापिकायें सेवानिवृत्त हुई थी ? क्या उक्त अध्यापिकाओं के पेंशन एवं जी०पी०एफ० का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त कालेज की श्रीमती विन्देश्वरी सविता, सहायक अध्यापिका दिनांक 30-6-96 को सेवानिवृत्त हुई थी ? यदि हां, तो उक्त अध्यापिका की पेंशन एवं जी०पी०एफ० का भुगतान अब तक न किए जाने का क्या कारण है ? भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

तीन।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

पेंशन तथा जी०पी०एफ० का भुगतान किया जा चुका है।

भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में वनपार्क की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में श्री बांके लाल सोनकर, विधायक का वन मंत्री को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

76–श्री अफजाल अहमद–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में वनपार्क की व्यवस्था करने के संबंध में विधायक श्री बांके लाल सोनकर का पत्र दिनांक 23 जून, 1999 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

जी हां।

मा० विधायक श्री बांके लाल सोनकर के पत्र दिनांक 23-6-99 में मांग किये गये प्रश्नगत पार्क का नाम "महाराणा प्रताप वन विहार" किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया है। जहां तक प्रश्नगत वन विहार के चारों कोने पर कोठरियां बनवाने/एक शौचालय/सोडियम लाइट लगवाने का प्रश्न है, योजना में कोई प्राविधान न होने के कारण कार्य नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त से स्थिति स्पष्ट है।

कार्यालय क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी लखनऊ तथा कानपुर के कार्यालय में दस वर्ष से अधिक अवधि तक तैनात आशुलिपिक के स्थानान्तरण की मांग

77–श्री मुन्ना चौहान–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी लखनऊ तथा कानपुर के कार्यालयों में आशुलिपिक एक दशक से ऊपर अवधि से तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें यथाशीघ्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

वार्षिक स्थानान्तरण के समय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नियमानुसार विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सम्पत्ति विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी दैनिक कर्मचारियों को विनियमित करने की मांग

78–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी दैनिक कर्मचारियों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार उन्हें नियमित किए जाने हेतु विचार कर रही है ? यदि हां, तो उन्हें कब तक नियमित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी दैनिक कर्मचारियों की संख्या–56 है ।

जी हां । कार्मिक विभाग द्वारा प्रख्यापित विनियमितीकरण नियमावली, 1998 के प्राविधानों के अन्तर्गत अर्ह तृतीय श्रेणी दैनिक कर्मचारियों को रिक्त पद उपलब्ध होने पर विनियमित किया जाना अपेक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को वित्तीय प्राविधानों के अनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की मांग

79–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी में नेशनल इण्टर कालेज व कस्तूरबा इण्टर कालेज, भोगांव के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को वर्ष 1998-99 में मिलने वाली छात्रवृत्ति से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने की सुविधा जारी रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह-

प्रकरण की जांच करायी जा रही है । वित्तीय प्राविधानों के अनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जायेगी ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

बौद्ध पर्यटक स्थल संकिसा को लोक निर्माण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को सौंपे जाने की मांग

80–श्री राम औतार शाक्य–

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बौद्ध पर्यटक स्थल संकिसा में लो० नि० वि० द्वारा गेस्ट हाउस कितनी लागत से कब बन कर तैयार हुआ और उसके निर्माण में क्या कमी पायी गयी तथा उस

कमी को कब तक दूर कर दिया जायेगा ? क्या सरकार उक्त गेस्ट हाउस को पर्यटन विभाग को सौंपने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

संकिसा में पर्यटक आवास गृह रु० 36.43 लाख की लागत से वर्ष 1993-94 में बनकर तैयार हुआ है । पर्यटक आवास गृह में स्नान गृह पानी का रिसाव , 6 कक्षों में स्नान गृह से जल निकास की अपर्याप्त व्यवस्था, छतों से पानी का रिसाव तथा विद्युत संयोजन का अभाव आदि कमियां पायी गयीं हैं । विद्युत संयोजन हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता बतायी गयी है । शेष कमियों को पूरी तरह शीघ्र ही निराकरण करने का आश्वासन कार्यदायी संस्था द्वारा दिया गया है ।

उक्त कमियों को शीघ्र ही दूर कर लिए जाने की आशा है ।

जी हां । पायी गयी कमियों के निराकरण तथा विद्युत संयोजन के उपरान्त उक्त पर्यटक आवास गृह को लोक निर्माण विभाग द्वारा नियमानुसार उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को संचालनार्थ सौंपा जाएगा । प्रश्न नहीं उठता ।

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग उन्नाव में माली चौकीदारों को नियमित करने की मांग

81–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि सामाजिक वानिकी वन प्रभाग उन्नाव के अन्तर्गत माली/चौकीदार के पद पर वर्ष 1986 से कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि कार्यरत उपरोक्त कर्मचारियों को मात्र 1300/- रु० से 1500/- प्रति माह दिया जा रहा है ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त कर्मचारियों को आज तक नियमित नहीं किया गया है ? क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को नियमित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उन्हें कब तक नियमित कर दिया जायेगा ?

श्री राजधारी सिंह-

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव के अन्तर्गत माली/चौकीदार के पद पर वर्ष 1986 से 33 कर्मचारी कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

उपरोक्त कर्मचारी पूर्णरूप से नियमित कर्मचारी है । उपर्युक्त से स्पष्ट है ।

सेवाकाल में मृतक शिक्षक/कर्मचारी के आश्रितों को सेवा में रखे जाने सम्बन्धी प्रकरण पर मा० उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही की मांग

82–कुं० रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवा काल में मृत शिक्षक/कर्मचारी के आश्रित को सेवा में रखे जाने के संबंध में सरकार ने कोई घोषणा की है ? यदि हां, तो क्या मा० उच्च न्यायालय ने इस संबंध में बनी नियमावली के नियम–16(2) को अधिकारातीत घोषित किया है ? यदि हां, तो शासन अपनी घोषणा को पूर्ण करने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है । मा० न्यायालय के निर्णय के आलोक में बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षक/कर्मचारियों के मृतक आश्रितों के प्रकरण पर सम्यक रूप से विचार किया जायेगा ।

83–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[3 रे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बाराबंकी के नगर शिक्षाधिकारी के भ्रष्टाचारों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

84–श्री सरवर अली खां–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-4-1999 जो नगर शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा परिषद्, बाराबंकी द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में था, विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

शिकायती-पत्र पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से जांच करायी गयी । शिकायत निराधार एवं असत्य पायी गयी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

बेसिक शिक्षा परिषद्, नगर क्षेत्र, बाराबंकी में वरिष्ठता सूची के आधार पर सभी उर्दू अध्यापकों को प्रोन्नति प्रदान करने की मांग

85–श्री सरवर अली खां–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बेसिक शिक्षा परिषद् नगर क्षेत्र, बाराबंकी में नियुक्त प्रशिक्षित उर्दू अध्यापकों से कनिष्ठ सहायक अध्यापकों को प्रोन्नति का लाभ दिया जा रहा है परन्तु उनसे वरिष्ठ प्रशिक्षित उर्दू अध्यापकों को प्रोन्नति से वंचित किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार वरिष्ठता सूची के आधार पर सभी उर्दू अध्यापकों को प्रोन्नति का लाभ देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सुसंगत सेवा नियमों के अनुसार रिक्तियां होने पर पदोन्नति का लाभ अनुमन्य हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बलिया में शहीद राजकुमार "राम बाघ", का शहीद स्मारक के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध धनराशि से अब तक शहीद स्थल का निर्माण न हो पाने के सम्बन्ध में जानकारी

86–श्री मतेश चन्द्र सोनकर तथा श्री इन्द्रजीत सरोज–

क्या सरकार को जानकारी है कि शहीद राजकुमार राम "बाघ" ग्राम व पोस्ट–सीसोटार, जिला–बलिया का शहीद स्मारक बनाने हेतु पत्रांक 599 क०स०/160/03/98. दिनांक 29 अगस्त, 1998 द्वारा रुपये एक लाख, उनसठ हजार प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बलिया को उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार विलम्ब के लिए दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त शहीद स्थल का निर्माण निर्धारित अवधि में करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत रुपये 1.59 लाख की धनराशि जिलाधिकारी बलिया के पत्र दिनांक 22-2-1999 के माध्यम से प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० बलिया को उपलब्ध करायी गयी थी ।

जी नहीं ।

जी नहीं । जिलाधिकारी, बलिया के पत्र दिनांक 19-7-1999 में दिये गये निर्देशानुसार प्रश्नगत धनराशि दिनांक 19-8-1999 को अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बलिया को हस्तान्तरित कर दी गयी थी । अतः अब प्रश्नगत शहीद स्मारक बनाने का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाना है ।

हरिद्वार-मुरादाबाद-बरेली अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग को चौड़ा कराकर मरम्मत कराने की मांग

87–श्री मूल चन्द–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि हरिद्वार से कोतवाली नहटौर से नुरपुर होते हुए मुरादाबाद–बरेली अर्न्तराष्ट्रीय मार्ग की दशा कोतवाली से मुरादाबाद के बीच में बहुत खराब है ? क्या उसकी दोनों साइडें भी खराब है तथा मार्ग सड़क की चौड़ाई भी कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको चौड़ा करा कर उसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

मार्ग की लेपित सतह की दशा ठीक है ।

मार्ग के दोनों ओर पटरियों की दशा सामान्यतः ठीक है । कोतवाली तथा छजलेट के बीच 54 कि०मी० में मार्ग की चौड़ाई एक लेन तथा शेष दो लेन है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण ।

उत्तरांचल में वन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारी, वेतनमान व वर्ष 1998-99 विभाग की कुल आय का विवरण

88–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में वन विभाग के अन्तर्गत कुल कितने अधिकारी क्रमशः प्रमुख वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, उप वन संरक्षक तैनात हैं ? इनका वेतनमान क्रमशः क्या है ? वर्ष 1998-99 में वन विभाग की कुल आय कितनी हुई ?

श्री राजधारी सिंह–

उत्तरांचल में वन विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में निम्नलिखित अधिकारी तैनात हैं :–

(क) प्रमुख वन संरक्षक	2
(ख) मुख्य वन संरक्षक	3
(घ) उप वन संरक्षक	41
योग :–	46

उत्तरांचल में वन विभाग के अन्तर्गत तैनात अधिकारियों का वेतनमान क्रमशः निम्न प्रकार है :–

(क) प्रमुख वन संरक्षक–रु० 24050–650–26000/-

(ख) मुख्य वन संरक्षक–रु० 18400–500–22400/-

(ग) उप वन संरक्षक–रु० 8000–275–13500/-

(कनिष्ठ वेतनमान)

रु० 10,000–325–15,200/–

(वरिष्ठ वेतनमान)

रु० 12000–375–16500/-

(कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान)

रु० 14300–400–18000/-

(चयन ग्रेड वेतनमान) ।

वर्ष 1998-99 में वन विभाग की कुल आय रु० 118.45 करोड़ हुई है ।

पर्वतीय क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजनान्तर्गत वृक्षारोपण तथा खाद्यान्न वितरण की जानकारी

89–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में वन विभाग में विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना के अन्तर्गत 31 जुलाई, 1999 तक कुल कितना वृक्षारोपण किया गया ? उक्त परियोजना में अब तक कितना खाद्यान्न वितरित किया जा चुका है ?

श्री राजधारी सिंह–

विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में वन विभाग ने दिनांक 31 जुलाई, 1999 तक 4,931.1 हेक्टयर में वृक्षारोपण करवाया है ।

योजना में आने वाले मैदानी तथा पर्वतीय जनपदों में दिनांक 31-7-1999 तक 86,157.2154 मैट्रिक टन गेहूं/चावल, 7982.0508 मैट्रिक टन दाल तथा 7,635.1498 मैट्रिक टन खाद्यान्न तेल श्रमिकों को वितरित किया गया ।

जनपद प्रतापगढ़ में राजकीय कन्या हाईस्कूल पट्टी आसपुरा देवसरा के भवन निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराने की मांग

90–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ स्थित राजकीय कन्या हाईस्कूल पट्टी आसपुरा देवसरा जो वर्ष 1989 से चल रहा है, के भवन निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराने विषयक क्या मुख्यमंत्री के आदेश सं०–सी०एम०/वि०को०/एम–1/24774/प्रतापगढ़/99 दिनांक 28-6-1999 का अनुपालन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

राजकीय कन्या हाई स्कूल पट्टी तथा राजकीय कन्या हाई स्कूल देवसरा के लिए निदेशक ने 7.50 लाख तथा 7.50 लाख के भवन निर्माण का प्रस्ताव/आगणन उपलब्ध कराया था परन्तु भूमि उपलब्धता

स्पष्ट नहीं की गयी थी व आगणन में मात्र एक शिक्षण कक्ष व एक विज्ञान कक्ष की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया था । इस बिन्दु पर निदेशक से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया है । अतः भूमि/आगणन की स्थिति अस्पष्ट होने के कारण भवन निर्माण की कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो सका ।

जनपद जौनपुर में देवकली मार्ग के बेलावघाट गोमती नदी पर पुनः पीपे के पुल निर्माण की मांग

91–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद–जौनपुर के जफराबाद केराकत मार्ग पर वेतन के पास गोमती नदी पर पूर्व में पीपे का पुल बनाया गया था ? क्या आज भी वहां पर पीपे का पुल मौजूद हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुनः पीपे के पुल का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां, (जनपद जौनपुर में जफराबाद–देवकली मार्ग के किलोमीटर 8 में बेलावघाट पर)

जी हां ।

जी हां, प्रान्तीयकरण होने के उपरान्त ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर में सई नदी पर जलालपुर सेतु के टोल टैक्स वसूली तथा इसको समाप्त करने की मांग

92–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ वाराणसी राज्य मार्ग पर जनपद जौनपुर में सई नदी पर जलालपुर सेतु के टैक्स की वसूली की अवधि क्या है ? अब तक कितनी वसूली हुई है ? क्या सरकार उक्त पुल पर टैक्स समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

सेतु की पूरी लागत मय ब्याज तथा उस पर किये गये विशेष मरम्मत व्यय की वसूली पूर्ण होने तक सेतु पर टोल टैक्स की वसूली की जाने की व्यवस्था है ।

माह मार्च, 2000 तक कुल रु० 601.92 लाख की वसूली हुई है ।

उपरोक्तानुसार वसूली पूर्ण होने पर टैक्स की वसूली समाप्त करने का निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम को पर्वतीय पर्यटक स्थलों से प्राप्त धनलाभ की जानकारी

93–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1999 में प्रदेश के पर्वतीय पर्यटक स्थलों पर कुल कितने पर्यटक आये ? उन पर्यटकों से उ० प्र० राज्य पर्यटन निगम को कितना धन–लाभ हुआ ?

श्री अशोक यादव–

वर्ष 1999 मे प्रदेश में पर्वतीय स्थलों पर 193.60 लाख भारतीय एवं 0.64 लाख विदेशी अर्थात कुल 194.24 लाख पर्यटक आए ।

पर्वतीय क्षेत्र में राज्य पर्यटन विकास निगम, उ० प्र०, लखनऊ द्वारा किसी इकाई का संचालन नहीं किया जाता है । अतः राज्य पर्यटन विकास निगम को पर्वतीय क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों से कोई धन लाभ नहीं प्राप्त हुआ है ।

पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन विभाग की आवासीय इकाइयों का संचालन गढ़वाल मण्डल विकास निगम देहरादून एवं कुमायूं मण्डल विकास निगम, नैनीताल द्वारा किया जाता है । जिन्हें क्रमशः रु० 64.31 लाख एवं रु० 4.74 लाख अर्थात कुल रु० 69.05 लाख का धन लाभ प्राप्त हुआ ।

राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय 9–बी, त्रिलोक नाथ रोड, लखनऊ के रास्ते को ऊंचा किये जाने की मांग

94–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या सरकार को जानकारी है कि राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश कार्यालय 9–बी, त्रिलोक नाथ रोड जनपद–लखनऊ में बरसात के समय पानी भर जाता है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्यालय में जाने वाले रास्ते को ऊंचा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

तकनीकी परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही किया जायेगा ।

उपर्युक्तानुसार ।

जनपद प्रतापगढ़ के कन्या हाईस्कूल पट्टी एवं आसपुर देवसरां के उच्चीकरण से सम्बन्धित पत्र पर जिलाधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी

95–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के कन्या हाई स्कूल पट्टी एवं आसपुर देवसरा के उच्चीकरण से सम्बन्धित पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम०–3/17496/प्रतापगढ़/1998 दिनांक 24-10-98 का पालन जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न में संदर्भित पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम०–3/17496/प्रतापगढ़/1998, दिनांक 24-10-98 का न होकर 26-10-98 का है जिसमें जनपद प्रतापगढ़ के कन्या हाई स्कूल पट्टी एवं आसपुर देवसरा के उच्चीकरण का प्रस्ताव न होकर विधान सभा क्षेत्र पट्टी में दो राजकीय महाविद्यालय खोले जाने से संबंधित प्रस्ताव है जो उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश कार्यालय 9–बी त्रिलोकनाथ रोड लखनऊ के भवन मरम्मत की मांग

96–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ स्थित राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश कार्यालय 9–बी, त्रिलोक नाथ रोड का गेट तथा भवन जीर्णशीर्ण अवस्था में है ? क्या यह सही है कि बरसात में सभी कमरों की छतों से पानी टपकता है ? यदि हां, तो उक्त भवन में कब तक मरम्मत कार्य करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जी हां ।

चालू वित्तीय वर्ष में कार्य सम्पादित करा दिया जायेगा ।

प्रश्न नही उठता ।

जनपद उन्नाव के लखनऊ–बांगरमऊ–बिल्हौर मार्ग से पतसिया–सिरधरपुर सम्पर्क मार्ग पर व्यय धनराशि की जानकारी

97–श्री राम शंकर पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत लखनऊ–बांगरमऊ– बिल्हौर–मार्ग से निकलने वाले तकिया होते हुए श्रीधरपुर सम्पर्क मार्ग पर वर्ष 1998 से अब तक कौन-कौन कार्य कराये गये हैं ? कितनी धनराशि व्यय की गयी है ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत लखनऊ–बांगरमऊ–बिल्हौर मार्ग से निकलने वाले प्रश्नगत मार्ग तकिया होते हुये श्रीधरपुर सम्पर्क मार्ग के स्थान पर पतसिया होते हुये सिरधरपुर सम्पर्क मार्ग राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है । उक्त मार्ग पर वर्ष 98 से मार्च, 2000 तक तटबन्ध सुधार हेतु मिट्टी भराई, ईट एवं पत्थर की सोलिंग की मरम्मत का कार्य कराया गया जिसमें कुल रु० 20.40 लाख व्यय किये गये ।

जनपद चित्रकूट में राजकीय इण्टर कालेज, घूरेटनपुर में अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

98–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद चित्रकूट में राजकीय इण्टर कालेज, घूरेटनपुर में कुल कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? क्या सभी विषयों के अध्यापकों की नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि नहीं, तो कब तक समुचित नियुक्तियां कर दी जायेंगी ?

डा० नैपाल सिंह–

कुल पांच अध्यापक कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

पदों को भरे जाने के विषय में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से चयन के उपरान्त चयनित व्यक्ति उपलब्ध होने पर पदों की पूर्ति सम्भव होगी ।

जनपद चित्रकूट में एक हजार से अधिक आबादी वाली न्याय–पंचायतों/ग्राम पंचायतों को पक्की सड़कों से जोड़े जाने की मांग

99–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–चित्रकूट में एक हजार की आबादी से अधिक [illegible] वाली कितनी न्याय पंचायतें एवं [illegible] ग्राम पंचायतें हैं जो पक्की सड़कों से नहीं जुड़ी हैं ? [illegible] पंचायतों को पक्की सड़कों से जोड़ने हेतु स्वीकृति प्रदान करके धन दिया जायेगा ? यदि [illegible] तो कब तक [illegible] नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-7-1999 [illegible] प्राप्त हुआ है ? यदि [illegible] तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों को पक्की सड़कों से जोड़ने की कोई योजना नहीं है । जनपद चित्रकूट में वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी के 202 ग्राम हैं, जिसमें से [illegible] 104 ग्राम जोड़े जाने शेष हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जी हां ।

क्षेत्र से सूचना प्राप्त की गई । जनपद चित्रकूट में 1000 से अधिक आबादी के शेष 104 ग्रामों में से 13 ग्रामों के सम्पर्क मार्ग विभिन्न योजनाओं में प्रगति में हैं और शेष 91 को वर्ष 2005 तक जोड़ने की योजना है ।

उपरोक्तानुसार ।

100–श्री राम औतार शाक्य–

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

101–श्री अजय कुमार पोइया–

[दिनांक 6-4-2000 को अता० प्र० सं०–117 द्वारा उत्तरित]

102–श्री लाल जी वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत के कुल क्षेत्रफल का वनाच्छादित भाग तथा विभिन्न योजनाओं के तहत लगाये गए वृक्षों की जानकारी

103–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद-पिथौरागढ़ व चम्पावत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि 31 अक्टूबर, 1999 तक वन विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत कुल कितने वृक्ष लगाये जा चुके हैं ? इससे कुल कितना क्षेत्रफल वनाच्छादित होने का अनुमान है ?

श्री राजधारी सिंह–

जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत के कुल क्षेत्रफल का क्रमशः 30 प्रतिशत एवं 82 प्रतिशत (अनुमानित) भाग वनाच्छादित है ।

वर्ष 1953-54 से 31 अक्टूबर, 1999 तक वन विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 447.88 लाख पौधे लगाये गये, इसमें कुल 37338 हे० क्षेत्र में वनों का घनत्व बढ़ाया गया ।

कारगिल संघर्ष शहीदों के परिवार के पुनर्वास हेतु विभिन्न स्त्रोतों से मंत्री सहायता कोष में प्राप्त व वितिरत की गई धनराशि की जानकारी

104–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कारगिल संघर्ष के शहीदों के परिवार के पुनर्वास हेतु जनता, विभिन्न सामाजिक संगठनों, सरकारी एजेन्सियों व निजी एजेन्सियों द्वारा 31 अक्टूबर, 1999 तक कुल कितनी धनराशि मुख्य मंत्री सहायता कोष उ० प्र० में दी गयी ? अब तक राज्य सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि कितने प्रभावित परिवारों में वितरित की गयी ?

श्री राम प्रकाश–

कारगिल संघर्ष के शहीदों के परिवार के पुर्नवास हेतु जनता, विभिन्न सामाजिक संगठनों, सरकारी एजेन्सियों व निजी एजेन्सियों द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 1999 तक बैंक ड्राफ्ट/चेक/नगद के रूप में कुल धनराशि रु० 21,49,49,334.30 प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष उक्त दिनांक तक बैंक के खाते में कुल धनराशि रु० 20,32,75,928.57 जमा हो गयी थी ।

उक्त दिनांक तक शेष धनराशि रु० 1,16,73,405.73 की धनराशि के बैंक ड्राफ्ट/चेक क्लीयरेंस हेतु बैंक में उपलब्ध रही ।

अब तक कारगिल शहीद परिवार मुख्य मंत्री सहायता कोष से 176 शमीदों के परिवारों में 176 माता–पिताओं तथा 137 पत्नियों को तीन त्रैमासिक पेंशन समाज कल्याण के मांग पर कुल धनराशि रु० 1,01,82,500.00 वितरित की गई ।

शहीदों के 151 बच्चों को प्रथम त्रैमास छात्रवृत्ति वितरण हेतु शिक्षा विभाग के मांग पर 130 बेसिक छात्र तथा 21 माध्यमिक छात्रों हेतु कुल रु० 51,600.00 की धनराशि वितरित की गयी ।

इस प्रकार शहीदों के परिवारों के सहायतार्थ अब तक कुल धनराशि रु० 1,02,34,100.00 वितरित की जा चुकी है ।

जनपद आजमगढ़ के राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण की मण्डलायुक्त द्वारा की गई जांच की जानकारी

105–श्री राम प्यारे सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता की शिकायत पर राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आजमगढ़ जनपद आजमगढ़ के भवन निर्माण की जांच दिनांक 8-4-1999 को आयुक्त मण्डल आजमगढ़ द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जांच में आयुक्त आजमगढ़ मण्डल द्वारा किसी भी अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के उतरौला क्षेत्रान्तर्गत एक हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम सभाओं को मुख्य मार्गों से जोड़ने की मांग

106–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में एक हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम सभाओं क्रमशः पिपरी कुलहई से चन्दापुर, हुसेनाबाद से पकड़ी मुबारक, उतरौला-डुमरियागंज मार्ग से शाहपुर तथा आसाम रोड से टेढवा नवाबाद तक को मुख्य मार्ग से जोड़ने का कार्य किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

ग्राम सभाओं को जोड़ने की कोई योजना नहीं है । वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर ग्रामों को पक्के मार्गों से जोड़ने की योजना है । सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर एक हजार से अधिक आबादी के गांवों को वर्ष 2005 तथा शेष ग्रामों को वर्ष 2010 तक लेपित मार्गों से जोड़ने की योजना में चयन होने पर निर्माण कार्य कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी फैजाबाद द्वारा कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद पर की गई नियुक्ति विषयक शिकायती-पत्र पर आयुक्त फैजाबाद द्वारा की गयी जांच की जानकारी

107–श्री लालजी वर्मा–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, फैजाबाद द्वारा दिनांक 27-7-97 को लेखा लिपिक के पद पर कुछ नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त नियुक्ति के सम्बन्ध में तत्कालीन क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने अपने पत्रांक वी०आई०पी०/1018/एस०/एन०/ए०डी०/97, दिनांक 5-9-97 द्वारा श्री संतोष कुमार वर्मा के शिकायती-पत्र की जांच कराये जाने का निर्देश आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद को दिया था ? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायती-पत्र की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच का निष्कर्ष क्या रहा ? यदि जांच नहीं हुई, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

जी नहीं । दिनांक 27-8-1997 को आयोजित चयन समिति की बैठक की संस्तुतियों के आधार पर एक कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद पर नियुक्ति की गयी है ।

जी हां ।

आयुक्त, फैजाबाद मण्डल/जांच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता से शिकायतों की पुष्टि हेतु साक्ष्य की मांग की गयी है । शिकायतकर्ता से साक्ष्य प्राप्त न होने के कारण जांच पूर्ण नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के भोगांव निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों के डामरीकरण की मांग

108–श्री राम औतार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–मैनपुरी के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव में वित्तीय वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 तथा 1998-99 में स्वीकृत सड़कों में से किन-किन सड़कों का डामरीकरण अभी तक नहीं कराया गया है ? क्या सरकार उक्त सड़कों का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद मैनपुरी के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव में वित्तीय वर्ष 1996-97 में स्वीकृत मार्गों का डामरीकरण किया जा चुका है । वर्ष 1997-98 तथा वर्ष 1998-99 में स्वीकृत निम्नलिखित 11 मार्गों पर

अभी डामरीकरण कराया जाना शेष है :–

वर्ष 1997-98

1–छाछा आलीपुर खेड़ा मार्ग से सुलखनपुर मार्ग ।

2–जी०टी० मार्ग से अम्हैरा मार्ग ।

3–हन्नू खेड़ा से लहरा मरहरी नं० हिम्मत मार्ग ।

वर्ष 1998-99

4–बझेरा से गग्गर वाला मार्ग ।

5–नबीगंज जासमई मार्ग से चिरावर मार्ग ।

6–बेवर मोटा मार्ग से मल्लामई मार्ग ।

7–जी०टी० मार्ग से कमलपुर महमूदिया मार्ग ।

8–देवगंज नील कोठी से नगला सेमर मार्ग ।

9–आलीपुर खेड़ा भनऊ मार्ग से बल्लमपुर रामनगर मार्ग ।

10–आलीपुर खेड़ा भनऊ मार्ग से बलारपुर मार्ग ।

11–बेवर इटावा मार्ग के कि०मी०–1 पर मझोला से ग्राम टोडरपुर मार्ग ।

जी हां ।

उपर्युक्त कार्यों में बिन्दु–3, 9 व 10 पर अंकित कार्यों को पूरा करना मार्च, 2000 तक लक्षित है । शेष कार्यों को पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बिजनौर के विकास खण्ड नूरपुर में न्यादरी देवी कन्या इण्टर कलोज पीपला जागीर को असेवित श्रेणी में अनुदान स्वीकृत करने की मांग

109–डा० वेद प्रकाश सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 14 मई, 1999 को न्यादरी देवी कन्या इण्टर कालेज पीपला जागीर नूरपुर, जनपद-बिजनौर के शिलान्यास समारोह में असेवित कन्या विद्यालय घोषित करते हुए बीस लाख रुपये के अनुदान की घोषणा उनके द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो उक्त हेतु धनराशि कब तक अवमुक्त कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

धनराशि **अवमुक्त नहीं** की जा सकेगी, क्योंकि जनपद–बिजनौर के विकास खण्ड–नूरपुर में तीन कन्या माध्यमिक विद्यालय पहले से संचालित हैं, अतः उक्त विकास खण्ड असेवित अथवा एक कन्या विद्यालय सेवित की श्रेणी में न आने के कारण इस योजना के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद गौतमबुद्ध नगर, बादलपुर में राजकीय डिग्री कालेज के भवन निर्माण की मांग

110–श्री नवाब सिंह नागर–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बादलपुर (जनपद गौतमबुद्धनगर) में राजकीय डिग्री कालेज का भवन निर्माण कराये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो भवन निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

भूमि उपलब्ध होने पर भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों की चिकित्सा मद में व्यय का विवरण

111–श्री नवाब सिंह नागर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर चिकित्सा मद में पिछले तीन वर्ष में कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

श्री राम प्रकाश–

नोएडा प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर चिकित्सा मद में निम्न प्रकार–

वर्ष–

1996-97 में रु० 38.75 लाख

1997-98 में रु० 88.03 लाख

1998-99 में रु० 132.20 लाख

योग : रु० 258.98 लाख

की धनराशि व्यय की गयी है ।

जनपद अम्बेडकर नगर के महात्मा गोविन्द साहब इण्टर कालेज, दुल्हुपुर के प्रधानाचार्य द्वारा किये जा रहे घोटालों की उच्चस्तरीय जांच की मांग

112–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि महात्मा गोविन्द साहब इण्टर कालेज, दुल्हुपुर, अम्बेडकर-नगर के प्रधानाचार्य छात्राओं हेतु निर्मित कामन रूप में निवास करते हैं ? क्या उक्त प्रचार्य द्वारा आवासीय भत्ता भी लिया जा रहा है तथा फ़र्जी बिल वाउचर बनाकर छात्र निधि का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त शुल्क के नाम पर प्रति छात्र से 200 से 300 रुपये भी लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके कार्यकाल के समय का लेखा-जोखा एवं किये जा रहे घोटाले की उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत मामले की जांच वित्त एवं लेखाधिकारी मण्डलीय आडिट इकाई कार्यालय मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद से कराई गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन द्वारा श्री जय नारायण, कन्या विद्यालय कुरहना, विकास खण्ड कदौरा, की नियुक्ति निरस्त किये जाने विषयक जानकारी

113–श्री श्रीराम पाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन के आदेश संख्या/नियुक्ति/शि० स०/193/95-96, दिनांक 28 मार्च, 1996 की सूची के क्रमांक-6 पर अंकित जगनारायण पुत्र श्री राम गोपाल याज्ञिक निवासी ग्राम-खजुरी पो०-मांडरी, जालौन को नियुक्ति स्थान कन्या विद्यालय कुरहना विकास खण्ड कदौरा, जालौन में योगदान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

सुसंगत सेवा नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत श्री जयनारायण की निर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा पार हो जाने के कारण नियुक्ति परीक्षणोपरान्त निरस्त कर दी गई थी ।

जनपद हरदोई के संडीला क्षेत्र में संडीला गौसगंज आदि सम्पर्क मार्गों के मरम्मत की मांग

114–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के निर्वाचन क्षेत्र, सण्डीला के अन्तर्गत कासिमपुर से मांडर मार्ग, 1 से 3 कि०मी० तक कासिमपुर से असही आजमपुर मार्ग पर कि०मी० 1 से 2, सण्डीला-गौसगंज मार्ग का सम्पर्क सरसंड मार्ग पूर्ण रूप से खराब हो गया है, जिससे आवागमन में कठिनाइयां हो रही हैं ? यदि हां, तो उक्त सम्पर्क मार्गों का कब तक निर्माण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से खराब है ।

मार्गों की मरम्मत संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद हाथरस में अगसौली वाजिदपुर मार्ग की सड़क को ऊंचा कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

115–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस में अगसौली, वाजिदपुर मार्ग पर वाजिदपुर में सड़क को ऊंचा कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 22-5-99 पर उनके द्वारा पत्रांक संख्या–4074/वी०आई०पी०/99, दिनांक 13-7-99 द्वारा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

मा० विधायक का प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ है ।

वित्तीय संसाधनों के अभाव में प्रश्नगत कार्य को कराना सम्भव नहीं है ।

लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम सं०–4 सन् 1994 का उल्लंघन किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

116–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम सं०–4 सन् 1994 के उल्लंघन विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी०एम०/विको/एम–3/11242/मथुरा/98, दिनांक 25-5-98 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्न में संदर्भित विधायक कोष्ठक का पत्र दिनांक : 25-05-1998 उच्च शिक्षा विभाग मे उपलब्ध नहीं है । मा० विधायक से उक्त की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने हेतु पत्र दिनांक : 02-03-2000 व 27-03-2000 एवं दिनांक : 19-04-2000 द्वारा अनुरोध किया गया परन्तु उक्त पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं हो सकी है । पत्र की प्रति उपलब्ध कराए जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बलरामपुर के उतरौला क्षेत्रान्तर्गत चमरूपुर दुधराग्राम आदि सम्पर्क मार्गों के निर्माण में अनियमितताओं की टी० ए० सी० जांच की मांग

117–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र उतरौला, जनपद–बलरामपुर में वर्ष 1997-98 में चमरुपुर सम्पर्क मार्ग, दुधराग्राम सम्पर्क मार्ग, बडहरा कोट सम्पर्क मार्ग के निर्माण में गुणवत्ता व मानक के अनुसार कार्य हुआ है ? क्या सरकार इस की जांच टी०ए०सी० द्वारा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

चमरूपुर सम्पर्क मार्ग में गुणवत्ता व मानक के अनुसार कार्य हुआ है । दुधरा ग्राम सम्पर्क मार्ग में पायी गयीं अनियमितताओं के लिये अन्तर्ग्रस्त लोक सेवकों को निलम्बित कर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जा चुकी है । बड़हरा कोट सम्पर्क मार्ग में पायी गयी अनियमितताओं के लिये अन्तर्ग्रस्त लोक सेवकों का स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

टी० ए० सी० द्वारा जांच करा ली गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र में बजरिया अम्बेडकर तथा महिली ग्राम आदि सम्पर्क मार्गों को गुणवत्ता व मानक के अनुसार निर्मित न कराये जाने की टी० ए० सी० जांच की मांग

118–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र उतरौला जनपद बलरामपुर में वर्ष 1996-97 व 1997-98 में श्री दत्तगंज–गुमडी मार्ग, बजरिया अम्बेडकर सम्पर्क मार्ग, महिली ग्राम सम्पर्क मार्ग, पिपरी कुलहई से चन्दापुर सम्पर्क मार्ग शिवपुर महन्त सम्पर्क मार्ग, पिपरा रामचन्द्र सम्पर्क मार्ग के निर्माण में क्या गुणवत्ता व मानक के अनुसार कार्य हुआ है ? क्या सरकार इसकी जांच टी०ए०सी० द्वारा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

बजरिया अम्बेडकर सम्पर्क मार्ग तथा महिली ग्राम सम्पर्क मार्ग को छोड़कर शेष मार्गों के कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक है ।

बजरिया अम्बेडकर सम्पर्क मार्ग, महिली ग्राम सम्पर्क मार्ग, शिवपुर महन्त सम्पर्क मार्ग एवं पिपरा रामचन्द्र सम्पर्क मार्ग की जांच टी० ए० सी० द्वारा पहले ही करा ली गयी है तथा श्री दत्तगंज गुमड़ी मार्ग एवं पिपरी कुलहई से चन्दापुर सम्पर्क मार्ग का निरीक्षण समय-समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा किया गया है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र में निर्मित आर० सी० सी० पुलियों की टी० ए०सी० जांच की मांग

119–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र उतरौला जनपद बलरामपुर में वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 व 1998-99 में बन्जरिया–दुलाहिया मार्ग पर आर०सी०सी० 6 मीटर लम्बी पुलिया, उतरौला से रूस्तमनगर मार्ग पर आर०सी०सी० 6 मीटर लम्बी पुलिया, तैयूबपुर मार्ग पर आर०सी०सी० 4 मीटर लम्बी पुलिया, उतरौला, रूस्तम नगर मार्ग पर आर०सी०सी० पुलिया तथा दलसिहंवा के पास 5 मीटर आर०सी०सी० पुलिया व पचौया बम्हाड़ीद मार्ग पर आर०सी०सी० पुलियों के निर्माण में क्या मानक व गुणवत्ता के अनुसार कार्य हुआ है ? क्या सरकार इसकी टी०ए०सी० द्वारा जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

उतरौला–रुस्तम नगर मार्ग पर आर० सी० सी० पुलिया की जांच टी०ए०सी० द्वारा करायी जा चुकी है । शेष के सम्बन्ध में भी जांच कराई जाएगी ।

जी हां । दो माह में जांच कराई जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हाथरस में नगला जलाल से कपसिया मार्ग के मरम्मत हेतु कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

120–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हाथरस में नगला जलाल से कपसिया मार्ग के मरम्मत हेतु धन आवंटन किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 26-5-99 पर उनके द्वारा पत्रांक–4273/वी०आई०पी०/1999 दिनांक 13-7-99 द्वारा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

माननीय विधायक का पत्र दिनांक 26-5-99 प्राप्त हुआ था ।

वर्ष 2000-2001 में प्रश्नगत मार्ग पर पी–2 का कार्य कराये जाने पर विचार किया जायेगा ।

जनपद मेरठ, सकौती टांडा रेलवे क्रासिंग पर स्वीकृत ओवर ब्रिज का निर्माण

121-प्रो० रविन्द्र पुण्डीर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरधना विधान सभा क्षेत्र जनपद मेरठ के सकौती टांडा में रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त ब्रिज का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? उक्त योजना में अब तक स्वीकृत किये गये धन का विवरण क्या है ?

श्री कलराज मिश्र-

प्रश्नगत रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु रेलवे विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा पहले से स्वीकृत है। इसका जिस मार्ग पर निर्माण होना है वह राष्ट्रीय मार्ग घोषित हो चुका है। अब इस पर होने वाला समस्त व्यय रेलवे विभाग एवं जल भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना है इस सेतु जल भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

इसका पूर्ण होना रेलवे विभाग एवं जल भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार पर निर्भर है।

इस योजना में राज्य सरकार द्वारा कुल रु० 40 लाख स्वीकृत हुआ था जिसमें से रु० 23.89 लाख की धनराशि भूमि अंध्याप्ति के मद पर व्यय की गई है।

वन विभाग में कार्यरत समूह ''ग'' के कर्मचारियों के विनियमितीकरण का प्रकरण

122-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान में वन विभाग में समूह ''ग'' के अन्तर्गत कितने कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि इनमें से अधिकांश कर्मचारी 10 वर्ष से अधिक समय से दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं ? क्या उक्त कर्मचारियों को कार्मिक अनुभाग की अधिसूचना सं०-2/1/97-का०-2-1998, दिनांक 9 जुलाई, 1998 के अन्तर्गत विनियमित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो विनियमितीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

वन विभाग में दैनिक वेतन पर नियुक्त कतिपय कर्मचारियों को मा० उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार वेतन का भुगतान

123-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि वन विभाग में तृतीय श्रेणी में दैनिक वेतन पर नियुक्त किये गये कुछ कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भांति वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को उक्त कर्मचारियों की भांति नियमित कर्मचारियों का वेतनमान देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह-

जी हां।

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रिट याचिका संख्या-156727/88 एवं निल आफ 1993 कुमाऊं वन श्रमिक संघ बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में पारित निर्णय की सम्पुष्टि मा० उच्चतम

न्यायालय द्वारा कर दिये जाने के फलस्वरूप एवं विधिक बाध्यताओं के तहत इन रिटे याचिकाओं के याचीगणों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान का न्यूनतम वेतन एवं उस पर देय मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है ।

जी नहीं ।

मा० उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या–3634/98 उ० प्र० सरकार व अन्य बनाम पुत्तीलाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27-9-99 में यह स्पष्ट आदेश दिये गये हैं कि दैनिक कर्मचारियों को केवल दैनिक वेतन के आधार पर ही पारिश्रमिक का भुगतान किया जायें । अतः मा० उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध किसी पक्षकार द्वारा कोई भी कार्यवाही किया जाना मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अवमानना होगी । अतः दैनिक कर्मचारियों को उक्त लाभ अनुमन्य नहीं कराये जा सकते ।

जनपद प्रतापगढ़ में कतिपय योजनाओं की स्वीकृति हेतु प्राप्त पत्रों पर कृत कार्यवाही

124–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ से संबंधित प्रस्ताव जो प्रमुख अभियन्ता नियोजन वर्ग लखनऊ के पत्रांक 91 निशा/84-85/नि/98 दिनांक 8-2-99 के क्रम में अधीक्षण अभियन्ता प्रतापगढ़–फतेहपुर वृत्त प्रतापगढ़ द्वारा अपने पत्रांक 750/14सी/99 दिनांक 26-2-99 एवं 502/92सी/99, दिनांक 10-3-99, संख्या–1082/14/सी–99 दिनांक 18-3-99, सं० 89सी/139–01–नि/98टी० सी०/18-4-99 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो राज्य योजना में उक्त की स्वीकृति हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? उक्त प्रकरण पर मा० मंत्री जी ने समय-समय पर क्या-क्या आदेश दिये हैं ?

श्री कलराज मिश्र–

अधीक्षण अभियन्ता, प्रतापगढ़/फतेहपुर वृत्त, प्रतापगढ़ का पत्रांक 750/14सी–99, दिनांक 26-2-99, पत्रांक 502/92 सी/99, दिनांक 10-3-99 एवं पत्रांक 1082/14सी–99, दिनांक 18-3-99 प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में प्राप्त हुए हैं ।

प्रतापगढ़ जनपद में 1999-2000 में राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत कतिपय अन्य कार्य स्वीकृत किये गये हैं । सीमित संसाधनों के कारण प्रश्नगत कार्य स्वीकृत किया जाना संभव नहीं पाया गया ।

उपरोक्तानुसार ।

125–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[3रे बुधवार में अता० प्र० सं०–190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय जिन्दपुरा को ग्राम जठियौरा में स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में जानकारी की मांग

126–श्री अनीस खां–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर श्री योगेन्द्र कुमार सिंह ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय जिन्दपुरा, ब्लाक निगोही को बिना शासन की अनुमति से ग्राम जठियौरा में स्थानान्तरित कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जिन्दपुरा विकास क्षेत्र निगोही जनपद शाहजहांपुर के नाम ग्राम जिन्दपुरा में भूमि उपलब्ध न होने के कारण विद्यालय का निर्माण बाधित रहा और अन्ततः नहीं कराया जा सका । इसी न्याय पंचायत अर्थात् न्याय पंचायत जिन्दपुरा के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों के ग्राम प्रधानों की बैठक में हुये निर्णय के अनुशीलन में ग्राम जठियौरा के खसरा नं०–214 में भूमि उपलब्ध करा दिये जाने के फलस्वरूप प्रश्नगत उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम जठियौरा में स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

जनपद जौनपुर में सामाजिक वानिकी प्रभाग द्वारा वर्ष 1996-1999 के मध्य कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण

127–श्री अफजाल अहमद–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद में सामाजिक वानिकी प्रभाग द्वारा 15 नवम्बर, 1996 से 10 नवम्बर, 1999 के मध्य कौन-कौन निर्माण कार्य कराये गये हैं ? क्या निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं कार्य का भौतिक सत्यापन कराया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर के अन्तर्गत आलोच्य अवधि में 8 प्राथमिक विद्यालय भवन 3 आवासीय भवन तथा जनपद के विकास खण्डों में 24 वन पार्कों की स्थापना, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का निर्माण कार्य कराया गया है ।

जी हां । निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं भौतिक सत्यापन विभागीय अधिकारियों एवं डी०आर०डी०ए० द्वारा गठित सत्यापन इकाई द्वारा भी वर्ष 1998-99 में किया गया है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता के संबंध में कोई भी विपरीत तथ्य प्रकाश में नहीं आया है ।

उपर्युक्त से स्थिति स्पष्ट है ।

कुमायूं मण्डल के चम्पावत पिथौरागढ़ आदि क्षेत्रों के अस्थाई निवासियों को दुगाड़ी, सेनापानी आदि गोठों में स्थाई रूप से बसाने की मांग

128–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या वन मंत्री को यह जानकारी है कि कुमाऊं मण्डल के पर्वतीय क्षेत्र के लोग (चम्पावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल) जाड़ों में अपने मवेशियों सहित, आजादी के पूर्व के वर्षों से छः माह के लिये दुगाड़ी, सेनापानी, गंगापुर, कठुवापाती आदि गोठों में रहते आ रहे हैं ? क्या सरकार उक्त भूमि पर बसे लोगों के विकास को ध्यान में रखते हुए उन्हें वहीं बसाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । उक्त गोठों में छः माह के लिये अस्थायी रूप से रहने वाले व्यक्तियों को स्थायी रूप से वहां बसाना वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की मंशा के विपरीत होगा ।

129–श्री अजय कुमार पोइया–

[दिनांक 4-1-2000 को अता० प्र० सं०–139 द्वारा उत्तरित]

जनपद मथुरा के राजकीय विद्यालय मगौरां के प्रधानाचार्य द्वारा छात्रवृत्ति का दुरुपयोग करने के संबंध में विधायक कोष्ठक के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

130–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानाध्यापक, राजकीय विद्यालय मगौरां प्रथम जनपद–मथुरा द्वारा जाली हस्ताक्षर करके अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के छात्रवृत्ति खाते से रुपया निकालने व उसका अपनी निजी लाभ के लिये उपयोग किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–1/ 21971/मथुरा/99, दिनांक 3-4-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

प्रकरण की जांच करायी गयी । आरोप सिद्ध नहीं पाये गये ।

जनपद प्रतापगढ़ की प्राइमरी पाठशाला उमरपुर,नोही के भवन निर्माण में गुणवत्ता की तकनीकी जांच की जानकारी

131–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की प्राइमरी पाठशाला उमरपुर नोही ब्लाक पट्टी के भवन निर्माण में गुणवत्ता की तकनीकी जांच सम्बन्धी सी० डी० ओ०, प्रतापगढ़ के आदेश 941 दिनांक 22-11-99 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्रश्नगत प्रकरण में भवन निर्माण की गुणवत्ता की तकनीकी जांच सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रतापगढ़ एवं अवर अभियन्ता जिला ग्राम विकास अभिकरण प्रतापगढ़ से करायी गयी । जांच से श्री राम बहादुर, प्रधानाध्यापक को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर निलम्बित कर दिया गया है तथा अग्रतर कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लकड़ी व्यापार को बढ़ाने हेतु आरा मशीनों के लाइसेन्स पर लगी रोक समाप्त करने की मांग

132–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लकड़ी व्यापार को बढ़ावा देने हेतु क्या आरा मशीनों के लाइसेन्स पर लगी रोक समाप्त करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

जी नहीं ।

जनहित रिट याचिका संख्या : 202/95–टी०एन० गोडा–वर्मन थिरूमल्कपार्द बनाम भारत सरकार व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय दि० 4-3-1997 में गैर लाइसेन्सशुदा आरामशीनों को बन्द कराने एवं नये लाइसेन्स जारी न किये जाने के आदेश हैं ।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सथरा में प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांग

133–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1997 में ग्राम बांसा को स्वर्ण जयन्ती ग्राम चयनित किया गया था ? क्या इस स्वर्ण जयन्ती ग्राम के मजरा सथरा जिसकी जनसंख्या 500 से ऊपर है, के तीन कि०मी० की परिधि में कोई बेसिक पाठशाला नहीं है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम में प्राइमरी पाठशाला की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

मजरा सथरा की आबादी 350 तथा इस ग्राम से 2 किमी० की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय, खंधेरिया संचालित है ।

ग्राम सथरा, विकास खण्ड मल्लावां असेवित ग्रामों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है । वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर प्रा० विद्यालय की स्थापना यथाशीघ्र कर दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण खण्ड–2 को, क्योलड़िया मौआ बाजार मार्ग नहर कटान से अवरुद्ध हो जाने के संबंध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

134–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-3-99 जो अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण खण्ड–2 को सम्बोधित है और जो क्योलड़िया मौआ बाजार मार्ग नहर के कट जाने से अवरुद्ध हो जाने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली में प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पद तथा नियुक्ति की मांग

135–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं ? सरकार इन रिक्त पदों पर नियुक्तियां कब तक करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जनपद बरेली में प्राथमिक विद्यालयों में कुल 497 पद रिक्त थे । रिक्त पदों के सापेक्ष प्रधानाध्यापक के 159 पदों पर पदोन्नति के आदेश कर दिये गये हैं ।

शेष रिक्त पदों को भरे जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली में अध्यापक विहीन बन्द पड़े प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पठन-पाठन कार्य प्रारम्भ करने की मांग

136–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बरेली में कितने प्राथमिक तथा कितने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति न होने के कारण विद्यालय बन्द हैं और कितने विद्यालयों में पांच अध्यापकों से अधिक कार्यरत हैं ? क्या सरकार ऐसे विद्यालयों जहां पांच अध्यापकों से अधिक अध्यापक नियुक्त हैं, को हटाकर बन्द पड़े विद्यालयों में नियुक्त कर पठन-पाठन कार्य शुरू करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

अध्यापकों की नियुक्ति के अभाव में कोई विद्यालय बन्द नहीं है । सम्प्रति 108 प्राथमिक विद्यालय तथा 24 उच्च प्राथमिक विद्यालय में 5 या उससे अधिक अध्यापक हैं ।

चूंकि कोई विद्यालय बन्द नहीं है इसलिए मानक के अनुसार जिन विद्यालयों में 5 या अधिक अध्यापक तैनात हैं वहां से अध्यापकों को हटाने का अथवा अन्यत्र तैनात करने का प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग

137–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 9 पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में राजकीय महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उक्त विद्यालय खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सम्प्रति महाविद्यालय खोला जाना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुमायूं मण्डल के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्यों प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ताओं, लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद तथा नियुक्ति की मांग

138–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं मण्डल के राजकीय उ० मा० विद्यालयों एवं राजकीय इण्टर कालेजों में कितने पद प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों, प्रवक्ताओं, अध्यापकों तथा लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त हैं ? क्या यह सही है कि यह पद काफी वर्षों से रिक्त पड़े हैं ? यदि हां. तो कब तक उक्त रिक्त पद भर दिये जायेंगे ? यदि नहीं. तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

कुमायूं मण्डल के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय इण्टर कालेजों में रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :–

प्रधानाचार्य	115
प्रधानाचार्या	18
प्रधानाध्यापक	25
प्रधानाध्यापिका	08
प्रवक्ता (पुरुष)	651
प्रवक्ता (महिला)	127
एल० टी० (पुरुष)	40
एल० टी० (महिला)	07
लिपिक वर्ग	86
परिचारक	161

जी हां ।

इन पदों को भरने की कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरांचल के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय इण्टर कालेजों में कार्यरत अंशकालीन शिक्षकों को समायोजित करने की मांग

139–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल के राजकीय उ० मा० वि० तथा रा० इं० कालेजों में वर्ष 1986 से 89 के मध्य कार्यरत अंशकालिक अध्यापकों को तदर्थ रूप से समायोजित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या उनको समायोजित करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उन्हें कब तक समायोजित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

140–श्री अफजाल अहमद–

[4थे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–57 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला उत्तरकाशी के राजकीय इण्टर कालेज, साल्ड के सेवानिवृत्त संस्कृत प्रवक्ता श्री विष्णु प्रसाद गौड़ की ग्रेच्युटी, जी०पी०एफ० आदि के भुगतान की मांग

141–श्री अफजाल अहमद–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज, साल्ड, जिला–उत्तरकाशी से श्री विष्णु प्रसाद गौड़ दिनांक 30 जून, 1999 को संस्कृत प्रवक्ता के पद से सेवा निवृत्त हुए हैं ?

यदि हां, तो क्या उनके जी० पी० एफ०, ग्रेच्युटी, सामूहिक बीमा आदि देयकों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिये जायेंगे ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण भुगतान नहीं किया गया है । स्वीकृति प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इण्टर कालेज कोटद्वार के सेवानिवृत्त चौकीदार स्व० जगदीश प्रसाद भदूला के जी०पी०एफ०, ग्रेच्युटी आदि देयकों का भुगतान तथा पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने की मांग

142–श्री अफजाल अहमद–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि स्व० जगदीश प्रसाद भदूला, राजकीय कन्या इण्टर कालेज, कोटद्वार, जिला–पौड़ी गढ़वाल से दिनांक 30 जून, 1999 को चौकीदार के पद से सेवा निवृत्त हुए थे उनका स्वर्गवास हो चुका है ? यदि हां, तो क्या उनके जी० पी० एफ०, ग्रेच्युटी, बीमा तथा अन्य देयकों का भुगतान उनके आश्रित को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार मृतक के देयकों का भुगतान तथा पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति कब तक प्रदान करेगी ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

स्व० श्री जगदीश प्रसाद भदूला के जी०पी०एफ० का भुगतान उनकी पत्नी को रु० 38572=00 दिनांक 11-2-2000 को कर दिया गया है । ग्रेच्युटी का बिल भुगतान हेतु कोषागार पौड़ी को प्रधानाचार्या राजकीय इण्टर कालेज कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल द्वारा दिनांक 28-1-2000 को प्रस्तुत किया गया है । सामूहिक जीवन बीमा का प्रकरण बीमा निदेशालय, उ० प्र० लखनऊ को भेजा गया था । बीमा निदेशालय द्वारा दिनांक 14-3-2000 को आपत्ति सहित प्रकरण प्रधानाचार्या को वापस किया गया है ।

सामूहिक बीमा के प्रकरण में आपत्ति होने के कारण तथा ग्रेच्युटी का बिल कोषागार पौड़ी से अभी स्वीकृति न होने के कारण अभी भुगतान नहीं हो सका है ।

पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रधानाचार्या द्वारा सम्पादित की जा रही है जो कि इसी माह पूर्ण हो जायेगी । मृतक को देयकों का भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा ।

जनपद मथुरा के मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की परिषदीय वेतनमान दिये जाने के संबंध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

143–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों, लिपिकों एवं सेवकों को वेतनमान दिलाये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम– 1/21997/मथुरा/99, दिनांक 2-4-99 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबन्धकों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा के पत्र दिनांक 21-2-2000 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि वे अपने विद्यालय के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को परिषदीय शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भांति ही वेतन भुगतान कराना सुनिश्चित करें जो परिषद् द्वारा समय-समय पर समान अर्हता रखने वाले कर्मचारियों एवं शिक्षकों को प्रदान की जाती है ।

जनपद मथुरा में मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा एप्रूवल दिलाये जाने के संबंध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

144–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी अध्यापकों/लिपिकों एवं सेवकों को बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद मथुरा द्वारा एप्रूवल दिलाये जाने के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–1/21993/मथुरा/99, दिनांक 2-4-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

पत्र के संदर्भ में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु शिक्षा निदेशक (बेसिक) को निर्देशित कर दिया गया है ।

जनपद मथुरा के ब्लाक गोवर्धन में नगलों को पक्की सड़कों से जोड़ने के संबंध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

145–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-सभा फोडर, ब्लाक गोवर्धन तहसील व जनपद मथुरा की कच्ची सड़क को पक्का कराने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–1/21966/मथुरा/99, दिनांक 2-4-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

पत्र में 10 नगलों हेतु मार्ग निर्माण का अनुरोध किया गया है । नगलों को पक्के मार्गों से जोड़ने की कोई योजना नहीं है ।

जनपद जालौन में परिषदीय प्राथमिक/सीनियर बेसिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु आवंटित धनराशि की जानकारी

146–श्री श्रीराम पाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में ग्रामीण अंचलों में परिषदीय प्राथमिक/सीनियर बेसिक विद्यालयों के भवनों की परम्मत हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष बेसिक शिक्षा

अधिकारी, जालौन उरई द्वारा जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से धनराशि आवंटित किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है ? यदि हां, तो प्रस्तावित विद्यालय कौन-कौन हैं तथा प्रत्येक विद्यालय भवन की मरम्मत हेतु कितनी-कितनी धनराशि के प्रस्ताव हैं ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

प्रस्तावित विद्यालयों की सूची संलग्न है । प्रति विद्यालय रु० 10,000=00 का प्रस्ताव किया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 177–178 पर ।)

लखनऊ–बांगरमऊ बिल्हौर मार्ग पर मरम्मत कार्य हेतु व्यय की गई धनराशि की जानकारी

147–श्री राम शंकर पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ–बांगरमऊ–बिल्हौर मार्ग के कि०मी० 87 से लेकर 99 तक वर्ष 1998 से अब तक कितनी-कितनी धनराशि से मरम्मत कार्य कराये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

लखनऊ–बांगरमऊ–बिल्हौर मार्ग के कि०मी० 87 से 99 तक जनवरी, 1998 से मार्च, 2000 तक रु० 19.63 लाख की धनराशि से मरम्मत के कार्य कराये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सहारनपुर में माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के वेतन निर्धारण में पिछली सेवाओं का लाभ दिये जाने की मांग

148—श्री सुखवीर सिंह पुण्डीर–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहारनपुर जनपद में माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापकों को वर्ष 1989 में अनुदान सूची पर आने पर उनके वेतन निर्धारण करते समय उन्हें उनकी पहली सेवाओं का लाभ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सहारनपुर में माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों में माह के प्रथम सप्ताह में वेतन भुगतान किये जाने की मांग

149–श्री सुखवीर सिंह पुण्डीर–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहारनपुर जनपद के माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापकों को माह के प्रथम सप्ताह में क्या वेतन भुगतान कर दिया जाता है ? यदि नहीं, तो माह के प्रथम सप्ताह में वेतन देने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्रथम सप्ताह में वेतन भुगतान का यथा संभव प्रयास किया जाता है ।

प्रयास किया जाएगा ।

जनपद बलरामपुर के उतरौला क्षेत्रान्तर्गत निर्माण हेतु स्वीकृत उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय तथा निर्माण कार्यों में धन के दुरुपयोग की जांच की मांग

150-श्री उबैदुर्रहमान–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के विकास खण्ड उतरौला, श्रीदत्तगंज, गैड़ास बुजुर्ग में वर्ष 1995 से 1999 तक कितने उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय इण्टर कालेज के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है ? क्या सरकार निर्माण कार्यों में किये गये सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में वर्ष 1995 से 1999 के मध्य विकास खण्ड–श्रीदत्तगंज में सरदार वल्लभ भाई पटेल बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्राम–गालिबपुर एवं विकास खण्ड–गैड़ास बुजुर्ग में डा० राम मनोहर लोहिया बालिका विद्यालय ग्राम व पोस्ट हुसैनाबाद गिस्ट की स्वीकृत प्रदान की गयी है । विकास खण्ड–उतरौला में कोई कन्या विद्यालय स्वीकृत नहीं किया गया है ।

अभी शिकायत प्राप्त नहीं है । शिकायत प्राप्त होने पर जांच करायी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर में असेवित न्याय पंचायत बरगढ़ी के ग्राम सिसई कला में स्वीकृत जूनियर हाई स्कूल के निर्माण की मांग

151–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 1998-99 में जिला शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक में असेवित न्याय पंचायत बरगढ़ी के ग्राम सिसई कला में जूनियर हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त स्कूल का कार्य करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी नहीं ।

विवाद के कारण विद्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

जिला बेसिक शिक्षा समिति, सिद्धार्थनगर द्वारा ग्राम सुभौली में प्रस्तावित जूनियर हाई स्कूल के निर्माण की जानकारी

152–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि वर्ष 1998-99 के जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा सलाहकार समिति द्वारा ग्राम सुभौली में एक जूनियर हाई स्कूल प्रस्तावित किया गया था ? क्या उक्त गाव मे भूमि उपलब्ध न होने के कारण बेसिक शिक्षा अधिकारी की लिखित सूचना पर उक्त प्रस्ताव को बदल कर ग्राम मंझरिया में कर दिया गया है जिसकी स्वीकृति जिला पंचायत अध्यक्ष, सिद्धार्थनगर ने

भी दे दी है ? यदि हां, तो क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त स्कूल बनाने का आदेश दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां । जिला बेसिक शिक्षा समिति, सिद्धार्थनगर द्वारा ग्राम सुभौली में जूनियर हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव किया गया था ।

अध्यक्ष जिला बेसिक शिक्षा समिति सिद्धार्थनगर द्वारा यद्यपि दि० 16-10-98 सुभौली के बजाय ग्राम मझरिया के लिये प्रस्ताव के संशोधन पर स्वीकृति प्रदान की किन्तु पुनः दि० 18-10-98 को उन्होंने ग्राम सुभौली के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान कर दिया ।

जी नहीं ।

निकट भविष्य में जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा प्रश्नगत प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है ।

जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय खोलने की मांग

153 श्री शिव सिंह चक–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला, फिरोजाबाद में बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु कोई भी महाविद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार टूण्डला विधान सभा क्षेत्र में एक कन्या महाविद्यालय की स्थापना करने के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नहीं ।

महाविद्यालय है ।

आवश्यक नहीं है ।

टूण्डला में ठाकुर बीरी सिंह महाविद्यालय में सह शिक्षा की व्यवस्था है ।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र में बिलग्राम विकास खण्ड के कतिपय ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने की मांग

154–डा० धर्मेन्द्र मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बिलग्राम विकास खण्ड के ग्राम जफरपुर के मजरा महसौनामऊ, जिसकी आबादी लगभग 500 है ग्राम डाभा के मजरा-कोढ़ई जिसकी आबादी लगभग 400 है, ग्राम रानाखेड़ा नगर जिसकी आबादी 800 है तथा मल्लावां विकास खण्ड की ग्राम पंचायत पूरनमऊ का मजरा–कटरा जिसकी आबादी 350 है, के 1.50 कि०मी० की परिधि में कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है ? क्या शासन की नीति के अन्तर्गत 250 की आबादी वाले गांव में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नीति के तहत उक्त मजरों में प्राइमरी पाठशाला खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

ग्राम महसोनामऊ, कोढ़ई तथा रयानाहबीब नगर में पूर्व से प्राइमरी पाठशाला है। कटरा की आबादी लगभग 275 तथा यह प्राथमिक पाठशाला मुर्तजा कुल्लीपुर एवं प्राथमिक पाठशाला पूरनमऊ नेकपुर से सेवित है, जो कटरा से 1 कि०मी० पर स्थित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

155–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

[दिनांक 11-4-2000 को नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

जनपद बुलन्दशहर में राजकीय इण्टर कालेज के सहायक अध्यापक स्व० मुजीब अहमद की पुत्री को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त करने विषयक प्रकरण की जानकारी

156–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्व० श्री मुजीब अहमद सहायक अध्यापक, राजकीय इण्टर कालेज, बुलन्दशहर की पुत्री को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में जांच करायी गयी है ? क्या उक्त जांच आख्या प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या कु० शाइंस्ता अंजूम को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति करने के आदेश सम्बन्धित अधिकारियों को दे दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

समयान्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त न होने के कारण।

जनपद देवरिया के बाबा राघवदास भगवान दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बरहज में स्थाई प्राचार्य की नियुक्ति की मांग

157–श्री अक्षयवर लाल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबा राघवदास भगवानदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बरहज, देवरिया में प्राचार्य का पद रिक्त है ? यदि हां, तो अब तक स्थाई प्राचार्य की नियुक्ति किन कारणों से नहीं हुई है ? क्या सरकार स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

(क) जी हां।

उच्च शिक्षा आयोग, इलाहाबाद के स्तर से इस महाविद्यालय के प्राचार्य हेतु उपयुक्त व्यक्ति की संस्तुति प्राप्त न होने के कारण नियुक्ति नहीं हो पाई है।

जी नहीं ।

अशासकीय महाविद्यालय में प्राचार्य की नियुक्ति संस्था के प्रबन्धतंत्र द्वारा की जाती है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

मैनपुरी शहर में स्थित महाराजा तेज सिंह के किले को पर्यटन के रूप में विकसित करने की मांग

158–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी के शहर महाराजा तेज सिंह का किला मौजूद है ? क्या यह भी सही है कि बेशकीमती हथियार, प्रतिमायें अथवा पुराने सिक्के वहां पर मौजूद हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त किले को पर्यटन के रूप में विकसित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

जी हां ।

किले में लगभग 12वीं शती की एक विष्णु की लघु प्रस्तर प्रतिमा विद्यमान है । किले में पुराने हथियार और सिक्के वर्तमान में उपलब्ध नहीं है ।

पर्यटकों की संख्या नगण्य होने के कारण यहां पर पर्यटन विभाग की कोई योजना नहीं है ।

जनपद जालौन के कदौरा क्षेत्र में प्रा० पा० इस्लामाबाद की सहायक अध्यापिका श्रीमती कमला देवी के वेतन भुगतान की जानकारी

159–श्री श्रीराम पाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद–जालौन के क्षेत्र कदौरा के अन्तर्गत प्रा० पा० इस्लामाबाद में श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन उरई के आदेश संख्या–परि०अधि०/136(21)/99-2000 दिनांक 07 जुलाई, 1999द्वारा नियुक्ति की गयी थी जिन्होंने दिनांक 10-7-99 को उक्त विद्यालय में योगदान आख्या दी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त अध्यापिका को प्रत्येक माह का वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां, माह जुलाई, 99 से जनवरी, 2000 तक भुगतान किया जा चुका है । माह फरवरी, 2000 से शिक्षिका चिकित्सीय अवकाश पर चल रही है । सक्षम स्तर से चिकित्सीय अवकाश स्वीकृति की कार्यवाही सम्पन्न होने पर माह फरवरी, 2000 का वेतन भी भुगतान कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद सीतापुर के महमूदाबाद में फखरुद्दीन अली अहमद पोस्ट ग्रेजुएट कालेज के भवन निर्माण की मांग

160–डा० अम्मार रिजवी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि महमूदाबाद, जिला सीतापुर में 1975 में स्थापित फखरुद्दीन अली अहमद पोस्ट ग्रेजुएट कालेज के भवन का निर्माण अभी तक नहीं हो सका है ? क्या सरकार उक्त भवन का निर्माण अविलम्ब करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

भूमि उपलब्ध होने पर ही निर्माण हेतु कार्यवाही संभव हो सकेगी ।

भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र में कतिपय ग्राम सभाओं को जनगणना के आधार पर पक्के मार्गों से जोड़े जाने की मांग

161 श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में एक हजार से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम सभाओं क्रमशः उतरौला-घुसवा मार्ग से घुसवा ऐलरा तथा उतरौला–बलरामपुर मार्ग से बायभीड़ तक, गिष्टर सम्पर्क मार्ग तथा मोहड़ा–उतरौला मार्ग से नया नगर तक व मोहम्मद नगर ग्रेड मार्ग को मुख्य मार्ग से जोड़ने का कार्य किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

ग्राम सभाओं को जोड़ने की कोई योजना नहीं है । वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर ग्रामों को पक्के मार्गों से जोड़ने की योजना है ।

सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर एक हजार से अधिक आबादी के गांवों को वर्ष 2005 तक तथा शेष ग्रामों को 2010 तक लंबित मार्गों से जोड़ने की योजना में चयन होने पर निर्माण कार्य कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती में मेला स्थल बाराह क्षेत्र के पोखरे के सौन्दर्यीकरण एवं विकास की मांग

162 श्री राम ललित चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बस्ती में मेला स्थल बराह क्षेत्र के पोखरे को सौन्दर्यीकरण एवं विकास के लिए जिला योजना वर्ष 1998-2000 के अन्तर्गत धन की स्वीकृति दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थल का विकास शीघ्र करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित स्थल का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कराया जाना संप्रति संभव नहीं है ।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के नोएडा/ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में द्वितीय/तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों को भरने तथा पिछड़ी जाति का कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

163 श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि नोएडा प्राधिकरण एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जनपद गौतम बुद्ध नगर में द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के कितने पद हैं ? क्या उनमें पिछड़ी जाति का आरक्षण

कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि पिछड़ी जाति के लगभग 95 प्रतिशत पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उन रिक्त पदों पर नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

नोएडा प्राधिकरण में द्वितीय श्रेणी के 93 एवं तृतीय श्रेणी के 791 पद एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में द्वितीय श्रेणी के 17 पद एवं तृतीय श्रेणी के 107 पद स्वीकृत हैं।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में (सीधी भर्ती के पदों में) पिछड़ी जाति के आरक्षण का कोटा पूर्ण है, किन्तु नोएडा प्राधिकरण में स्वीकृत पदों पर पिछड़ी जाति के आरक्षण का कोटा पूर्ण नहीं है।

नोएडा प्राधिकरण में स्वीकृत पदों पर भर्ती, पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण दिये जाने संबंधी शासनादेश जारी होने के पूर्व की जा चुकी थी। अतः उन पदों पिछड़ी जाति का कोटा पूर्ण नहीं किया जा सका।

वर्तमान में पिछड़ी जाति के जो पद रिक्त हैं, वह भरे जाने हेतु विज्ञापित किये जा चुके हैं।

जनपद उन्नाव के ब्लाक प्रमुख सुमेरपुर द्वारा सांसद निधि/लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों पर धन के दुरुपयोग विषयक शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

164 श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सांसद निधि से बनवायी गयी सड़क ग्राम देवारा एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा बनवायी जा रही सड़क ग्राम जंतसरा, ब्लाक सुमेरपुर उन्नाव की दोनों सड़कों के निर्माण में अनियमित रूप से खर्च की गयी धनराशि के सम्बन्ध में ब्लाक प्रमुख सुमेरपुर उन्नाव का पत्र दिनांक 28-8-1999 जिलाधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्न में इंगित ब्लाक प्रमुख सुमेरपुर का शिकायती-पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ में कार्यरत श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह की अनियमित प्रोन्नति के संबंध में कार्यवाही की मांग

165–श्री उदय राज यादव–

क्या सरकार को जानकारी है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ में कार्यरत वरिष्ठ गोपनीय सहायक श्री आनन्द स्वरूप, विभाग द्वारा जारी वरिष्ठता सूची के अनुसार वर्ष 1994 में एवं इससे पूर्व से ही उक्त कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ गोपनीय सहायक श्री रामेश्वर सिंह से वरिष्ठ हैं ? क्या यह सही है कि वरिष्ठ श्री आनन्द स्वरूप को छोड़कर कनिष्ठ श्री रामेश्वर सिंह की प्रोन्नति 1994 में ही कार्यालय अधीक्षक सामान्य के पद पर कर दी गयी है ? यदि हां, तो कनिष्ठ व्यक्ति को प्रोन्नति किये जाने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार अनियमित ढंग से की गयी प्रोन्नति को समाप्त करके वरिष्ठता क्रम के अनुसार प्रोन्नति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? अनियमित प्रोन्नति देने सम्बन्धी कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नेपाल सिंह–

जी नहीं । वर्ष 1994 में निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के अनुसार श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह वरिष्ठ थे ।

जी नहीं । वर्ष 1994 में अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के अनुसार श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह श्री आनन्द स्वरूप से वरिष्ठ थे । अतः कनिष्ठ को पदोन्नति नहीं दी गई है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी नहीं । अनियमित ढंग से कोई पदोन्नति नहीं की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता । तत्समय पदोन्नति नियमानुसार अनन्तिम ज्येष्ठता सूची क्रम में की गई थी ।

डा० बी० आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में अस्थाई रूप से नियुक्त समाज कार्य प्रवक्ता श्री मुकुल श्रीवास्तव को स्थाई किये जाने के संबंध में जानकारी

166–श्री विजय पाल सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि डा० बी०आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में समाज कार्य में प्रवक्ता पद पर बगैर किसी रिक्त पद के श्री मुकुल श्रीवास्तव की अस्थायी रूप से नियुक्ति की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उसे अब स्थायी रूप से नियुक्त किया जा चुका है ? क्या यह सही है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मुकुल श्रीवास्तव बनाम स्टेट आफ यू० पी० पिटीशन संख्या–29069/91 विचाराधीन है ? यदि हां, तो न्यायालय का अन्तिम निर्णय आने से पूर्व ही उक्त को स्थायी किये जाने का औचित्य क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । श्री मुकुल श्रीवास्तव की अस्थायी नियुक्ति अप्रैल, 1991 में डा० बी० एन० गुप्ता, प्रवक्ता समाज कार्य के अवकाश ग्रहण करने के कारण रिक्त हुये पद के विरुद्ध की गयी थी ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच में आई०ए०एस०/पी०सी०एस० अधिकारियों के नाम फार्म हाउस बनाने संबंधी जांच आख्या पर कृत कार्यवाही की जानकारी

167–डा० वकार अहमद शाह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच में बहुत से आई०ए०एस०/पी०सी०एस० अधिकारियों ने अपने परिवार के लिए बड़े-बड़े कृषि फार्म बनवा रखे है तथा फार्म हाउसेस का निर्माण भी कराया गया है ? क्या यह सही है कि श्री बिहारी लाल, जिला मजिस्ट्रेट बहराइच द्वारा इस सम्बन्ध में जांच की गयी थी ? क्या वह जांच आख्या सरकार को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उस जांच आख्या के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जिला बहराइच में सिर्फ आई०ए०एस०/पी०सी०एस अधिकारियों के नाम कृषि फार्म तथा फार्म हाउस बनाने संबंधी प्रारम्भिक जांच आख्या श्री इन्द्रजीत वर्मा, तत्कालीन जिलाधिकारी बहराइच द्वारा

दिनांक 31-12-98 को शासन को प्रेषित की गयी थी जिस पर प्रकरण की विस्तृत जांच अपर आयुक्त (प्रशासन) फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद से करायी जा रही है ।

पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर माध्यमिक शिक्षकों को चयन वेतनमान दिये जाने की मांग

168-श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को चयन वेतनमान दिया जायेगा ? यदि हां, तो कितने वर्ष सेवा के बाद ?

डा० नैपाल सिंह–

पंचम वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर गठित बजाज वेतन समिति की संस्तुति के आधार पर चयन वेतनमान दिया जा रहा है ।

जितने वर्ष की सेवा पर दिनांक 01-01-96 से पूर्व चयन वेतनमान दिया जा रहा था, उतने ही वर्ष की सेवावधि के बाद वर्तमान में भी दिया जा रहा है ।

उ० प्र० सचिवालय की चहारदीवारी पर इश्तहार लगाने पर रोक लगाने की मांग

169-श्री शेरबहादुर सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय की चहारदीवारी पर इश्तहार लगाये जाने पर निषेध है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार सचिवालय की गरिमा को दृष्टिगत रखते हुए सचिवालय की चहारदीवारी पर इश्तहार लगाने पर रोक लगायेगी ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

उपर्युक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस संदर्भ में विचार किया जायेगा ।

जनपद मथुरा में श्री ईश्वर मुखिया, ब्लाक फरह को खनन पट्टा उपलब्ध कराने विषयक विधायक कोष्ठक के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

170-श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री ईश्वर मुखिया पुत्र अकलू प्रसाद निवासी ग्राम भीमनगर मौजा सलेमपुर ब्लाक फरह जनपद मथुरा में खनन पट्टा उपलब्ध कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक– सी० एम०/बि० के० एम–1/255011/मथुरा/99, दिनांक 19-7-99 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा प्रश्नगत पट्टा दिनांक 25 जनवरी, 2000 को निरस्त कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में नकल अध्यादेश के अन्तर्गत जेल भेजे गये छात्र/छात्रायें तथा उन पर लम्बित मुकदमों की जानकारी

171–श्री राम तेज यादव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99 में कितने छात्र-छात्राओं को नकल अध्यादेश के अन्तर्गत जेल भेजा गया तथा कितनों पर मुकदमें चले हैं ? इन मुकदमों में से कितनों का अब तक निस्तारण हो गया और कितने न्यायालयों में लम्बित हैं ? जिन छात्र-छात्राओं पर मुकदमें लम्बित हैं उनकी शिक्षण कार्य अनवरत चलता रहे इस हेतु सरकार द्वारा क्या कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

वर्ष 1998-99 में कुल 1595 छात्र/छात्राओं को नकल अध्यादेश के अन्तर्गत जेल भेजा गया है तथा 35896 छात्र/छात्राओं पर मुकदमा चलाया गया है । 32683 मुकदमों में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

इन मुकदमों में कुल 875 मुकदमों का निस्तारण हो चुका है तथा 31808 मुकदमें न्यायालय में विचाराधीन है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

172–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद कुशीनगर के नौरंगिया क्षेत्र के अन्तर्गत खड्डा में डिग्री कालेज खोले जाने की मांग

173–श्री दीपलाल भारती–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कुशीनगर के नौरंगिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खड्डा में डिग्री कालेज खोले जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कालेज कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश की वित्तीय स्थिति एवं सीमित संसाधनों के दृष्टिगत सम्प्रति संभव नहीं है । निजी क्षेत्र में अशासकीय महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथा समय गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकता है ।

पर्वतीय क्षेत्र के अंजनी सैण पौखाल एवं लम्बगांव में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

174–श्री लाखीराम जोशी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-10-99 जो अंजनी सैण पौखाल एवं लम्बगांव में राजकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

महाविद्यालय की स्थापना का औचित्य एवं प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए उक्त स्थानों पर महाविद्यालय खोलने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के बाबा राघवदास भगवानदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय बरहज की भूमि पर अवैधानिक रूप से राघवदास महिला डिग्री कालेज का प्रकरण

175–श्री अक्षयवर लाल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बाबा राघव दास, भगवान दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रावास हेतु क्रय की गयी जमीन पर अवैधानिक तरीके से बाबा राघवदास महिला डिग्री कालेज खोला गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 27-2-98 पर जिलाधिकारी, देवरिया को जांच हेतु आदेश दिया गया था, जिसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 9 फरवरी, 1999 को शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच रिपोर्ट के आधार पर उक्त महाविद्यालय की मान्यता समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

बाबा राघवदास भगवानदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय बरहज (देवरिया) के नाम में क्रय की गयी भूमि पर बाबा राघवदास महिला डिग्री कालेज स्थापित किया गया है ।

प्रबन्धतंत्र द्वारा महिला महाविद्यालय खोला गया ।

जी हां ।

जांच रिपोर्ट के परीक्षणोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव, तहसील सफीपुर के परगनाधिकारी द्वारा भाजपा नेता के साथ किये गये दुर्व्यवहार विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

176–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वरिष्ठ पी० सी० एस० अधिकारियों द्वारा सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ सद्व्यवहार से पेश आने के संबंध में क्या कोई निदेश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार अवगत है कि उन्नाव की तहसील सफीपुर के परगनाधिकारी ने माह जनवरी, 2000 में भाजपा नेता सुनीत यादव के साथ दुर्व्यवहार के बारे में विधायक श्री अजीत सिंह, पूर्व मंत्री हृदय नारायण दीक्षित ने डी० एम० उन्नाव से मिलकर घटना की जानकारी दी थी ? क्या इसी प्रकरण पर विधायक डा० शिव कुमार अस्थाना व प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-3-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यदाही की है ?

श्री राम प्रकाश–

शासन के सभी अधिकारियों को जन प्रतिनिधियों के साथ सद्व्यवहार करने के निर्देश प्राप्त हैं ।

तत्कालीन जिलाधिकारी उन्नाव के स्मरण के अनुसार मा० विधायक गण घटना के विषय में उनसे मिले थे तथा जिलाधिकारी ने उनसे अनुरोध किया था कि घटना की समुचित जानकारी तथा तथ्य लिखित रूप में उन्हें एवं सक्षम स्तर पर उपलब्ध करा दें जिससे शीघ्र नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सके ।

मा० विधायक डा० शिव कुमार अस्थाना का पत्र दिनांक 29-1-2000 प्राप्त हुआ है, परन्तु उसमें वर्णित संलग्नक पत्र के साथ जिलाधिकारी उन्नाव को प्राप्त नहीं हुये हैं ।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-3-2000 जिलाधिकारी को प्राप्त होना नहीं प्रतीत होता है ।

अनुदान की मांगों पर चर्चा हेतु विभागवार कार्यक्रम समय पर प्राप्त न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, आज जो कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जो प्रोग्राम हम लोगों को दिया गया उसमें 27 अप्रैल से विभिन्न अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है और अनुदान मांगों के जो कटौती का प्रस्ताव है यह 189 के अन्तर्गत कटौती का प्रस्ताव दिया जाता है और 27 तारीख से अनुदान मांगों को विधान सभा में रखा जाना है लेकिन एक विस्तृत प्रोग्राम आना चाहिये कि किस दिन कौन सा विभाग लिया जायेगा ? यह शासन ने नहीं दिया है । दूसरा अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देश, 158 के अन्तर्गत चार दिन पहले साहित्य सदन में आ जाना चाहिये । आज 25 तारीख है, 27 तारीख को पहला अनुदान लिया गया है लेकिन अभी तक यह निर्धारण नहीं है कि 27 को किस विभाग की अनुदान मांग रखी जायेगी जिसके कारण न तो कटौती का प्रस्ताव दिया जा रहा है और 158 के अन्तर्गत जो निदेश हैं कि साहित्य चार दिन पूर्व उपलब्ध करा दिया जायेगा । आज 25 तारीख हो गयी है तो निश्चित रूप से इससे एक समस्या उत्पन्न हो रही हैं । इसलिये मान्यवर, इस व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से आप की व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय लालजी वर्मा ने व्यवस्था का जो प्रश्न उठाया है उसमें निश्चित रूप में जो विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है और इस पीठ द्वारा जैसे निर्देश हैं कि निश्चित अवधि पूर्व बजट साहित्य और सभी सप्लीमेंटरी मैटीरियल माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाये । यह निश्चित रूप से गम्भीर विषय है और मैं अपेक्षा करूंगा कि सरकार इस बात के लिये यथाशीघ्र इन्तजाम करे और मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि यह सुनिश्चित कर लें कि काफी समय पूर्व यह समस्त सामग्री माननीय सदस्यों के उपयोगार्थ अध्ययन हेतु उपलब्ध हो सके और इसी के साथ मैं इस प्रश्न को निस्तारित करता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, क्या आपने यह व्यवस्था दी है कि यह सामग्री 27 तारीख के पूर्व दे दी जाये ?

संसदीय कार्य पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, कुछ व्यावहारिक कठिनाई आयी है । 4.00 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है । उसमें कार्यक्रम तय हो जाय कि कौन विभाग कब लिया जायेगा । इसकी जानकारी मैं शीघ्र दे दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अभी तक विस्तृत कार्यक्रम निर्धारित नहीं हुआ है, जैसा आपने स्वयं ही कहा है कि कौन सा अनुदान किस दिन लिया जायेगा । मैंने व्यवस्था दी है कि पर्याप्त समय पूर्व सरकार इन्तजाम करेगी । कार्यक्रम का मदवार निर्धारण हो जाये तो उसके बाद उसे.....

* नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

अधिष्ठाता महोदय, आपने भी यह कह कर महत्वपूर्ण विषय को टाल दिया । संसदीय कार्यमंत्री जी ने बतला दिया है कि अभी कार्य मंत्रणा नहीं हुई है और शायद आपको भी अवगत होगा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और सारा सदन अवगत है, चार दिन पहले से यह ज्ञात हो जाना चाहिये कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अमुक विभाग, अमुक तारीख को लिया जाना है और जिस विभाग का बजट पेश होना है उसके चार दिन पहले सारा साहित्य मिल जाना चाहिये और जब 27 तारीख को कोई विभाग लिया जाना है तो आज कार्य मंत्रणा होगी, कल कहीं साहित्य के बारे में सोचा जायेगा तो परसों जो कटौती का प्रस्ताव रखा जायेगा उसमें क्या विचार रखा जायेगा ? क्या प्रस्ताव रखा जायेगा ? यह कैसे सम्भव होगा ? शायद यह जानबूझ करके टालने की कोशिश की जा रही है जिससे जो विभाग से संबंधित कमियां हैं और कटौती के प्रस्ताव के रूप में लाना चाहते हैं, उन कमियों को उजागर नहीं होने देना चाहते हैं । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा हुआ क्यों ? कल क्यों नहीं तय हुआ ? आज तय होगा, समय पर साहित्य नहीं मिलेगा तो कैसे प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने चिन्ता प्रकट की है । मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कल यह टेकअप नहीं किया जा सका कुछ कारणों से आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक रखी गयी है आज यह तय हो जायगा । जो विभाग 27 को आयेगा उसका साहित्य आज ही उपलब्ध हो जायेगा ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, नियमावली के नियम 188 (2) में व्यवस्था है कि "उप नियम (1) के अधीन रहते हुये अनुदान की मांग ऐसे क्रम में उपस्थित की जायेगी जैसा सदन नेता विरोधी दल के नेता से परामर्श करके निश्चित करें ।" अभी माननीय नेता विरोधी दल से कोई परामर्श नहीं किया गया है तो यह गम्भीर विषय है । मैं चाहता हूं कि आप इस पर व्यवस्था दें अगर अभी व्यवस्था न दें सकें तो निर्णय सुरक्षित कर लें ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमान् 1 घण्टे पहले मुझसे परामर्श हो चुका है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कार्य को 2 दिन पहले हो जाना चाहिये था ।

श्री अधिष्ठाता–

अब इसका निस्तारण हो गया है । माननीय नेता विरोधी दल ने सूचित किया है उनसे परामर्श हो चुका है और संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है कि पर्याप्त समय पूर्व सामग्री उपलब्ध करा दी जायगी । भविष्य के लिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जो बजट साहित्य है उसको समय रहते हुये उपलब्ध करवाया करें ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 25 अप्रैल, 2000 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गईं ।

(सदन की सहमित से निम्नलिखित सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गईं ।)

बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियम विरुद्ध की गई अस्थायी तैनाती व सम्बद्धता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्रीराम पाल–

[महोदय, जनपद जालौन में विगत दो वर्षों से परिषदीय बेसिक व सीनियर बेसिक विद्यालयों का शैक्षिक स्तर शून्य हो गया है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में तैनात अध्यापकों का जिला तहसील व

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

ब्लाक मुख्यालयों तथा सड़क के किनारे के विद्यालयों में अस्थायी रूप से सम्बद्ध किया गया जिसमें अधिकांश अध्यापकों से बेसिक शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार ने 5 हजार रुपये से लेकर 10 हजार रुपये रिश्वत बतौर वसूल किये । जनपद जालौन में ऐसे 200 परिषदीय ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय हैं जिसमें अध्यापकों की तैनाती अभिलेखों में है, परन्तु उनकी सम्बद्धता तथा अस्थायी तैनाती अन्य विद्यालयों में हो जाने से 200 से अधिक विद्यालय अध्यापक विहीन पूरे वर्ष भर रहने से बच्चों की पढ़ाई बाधित रही, विशेष परिस्थितियों में किसी अध्यापक की अस्थायी सम्बद्धता की गयी तो एक ही पत्रांक से दर्जनों अध्यापकों को लाभ पहुंचाया गया । इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों के सभी अध्यापक या तो नगर क्षेत्र सीता के पास तैनात हो गये या मुख्यालय के किनारे विद्यालयों में समायोजित कर दिये गये । पूरे वर्ष विद्यालय भारी संख्या में बन्द रहने से हजारों बच्चों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है । अभिभावकों में तीव्र आक्रोश व्याप्त है तथा अध्यापक स्कूल गये बिना वार्षिक परीक्षा कार्य घर बैठे फर्जी कार्यवाही करके परीक्षायें होना दर्शित कर अंक पत्र तैयार कर रहे हैं ।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराके सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद हमीरपुर के राठ क्षेत्रान्तर्गत कस्बा बाजार में व्यक्ति विशेष का फर्जी कब्जा दिखाकर रुपये छत्तीस हजार में फ्री होल्ड करने की कार्यवाही की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रामाधार सिंह–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद–हमीरपुर के तहसील राठ के अन्तर्गत कस्बा बाजार में श्री सी० बी० सिंह नायब तहसीलदार तथा तहसीलदार राठ ने सत्येन्द्र प्रकाश गुप्ता को फर्जी कब्जा दिखाकर 36000 रुपये में फ्री होल्ड करने की कार्यवाही की है । जो कि उक्त जमीन की कीमत दो लाख से भी ज्यादा की है । इसमें हेरा-फेरी करके नियम विरुद्ध कार्य किया गया है और इसमें घोर अनियमितता की गई है ।

अतः इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद आजमगढ़ के सदर क्षेत्र के रघुनाथपुर नाले एवं कोठियार नाले पर पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[महोदय, उक्त लोक विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि आजमगढ़ जनपद के आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रघुनाथपुर नाले पर पुल नहीं है इसके न होने से रघुनाथपुर एवं नान्हूपुर आदि गांवों की जनता को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है । एवं दूसरे नाले कोठियार पर भी पुल निर्माण नहीं होने से हरैया गांव एवं खलिफतपुर, रथरिया, लखीमपुर आदि गांवों की जनता को परेशानी उठानी पड़ती है । इन दोनों पुलों के न होने से वर्षा ऋतु में गांव वालों को काफी घूमकर अपने गन्तव्य तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है । जिससे जनता को अपने कार्य करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है मवेशियों के लिये चारे वगैरह लाने में बरसात में पानी ज्यादा होने से तैर कर जाना पड़ता है जिससे बराबर जोखिम बना रहता है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से जनता की तरफ से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त दोनों नालों रघुनाथपुर एवं कोठियार पर पुल निर्माण की मांग करता हूं ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद गाजीपुर के जखनियां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम इन्द्रपुर झीरी में बिजली का तार टूट कर गिरने से हताहत परिवार को आर्थिक सहायता देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विजय कुमार–

[महोदय, मेरे क्षेत्र जखनियां जनपद गाजीपुर के ग्राम इन्द्रपुर झीरी में दिनांक 27-3-2000 को ट्यूबवेल की विद्युत लाइन जो जयनाथ चौरसिया पुत्र श्री परशुराम चौरसिया के खेत के ऊपर से गयी थी, जगन्नाथ अपने खेत में हल चला रहा था एकाएक विद्युत तार टूट कर उसके ऊपर गिर पड़ा तत्काल बैल दोनों वहीं मर गयें । तथा जगन्नाथ की भी मृत्यु हो गयी ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन एवं विद्युत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराते हुये तत्काल 5 लाख रुपया देने की मांग करता हूं ।]

जनपद जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत आग लगने से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय–

[महोदय, मेरे क्षेत्र बयालसी अन्तर्गत आग लगने से ग्राम मथुरापुर कोटवा थाना–जलालपुर, तहसील केरावत के धरमजीत पुत्र हरीनाथ चमार व ओम प्रकाश पुत्र हरिनाथ, संतोष पुत्र सजकं, छविनाथ पुत्र मंगल तथा उसी थाने के ग्राम रामपुर में सुभाष पुत्र पाचू, सीताराम पुत्र वीर लाल, लल्लन बल्ला थाना केराकत तहसील केराकत विकास खण्ड मुंशीगंज के बलई पुर पतिला ग्राम के तीन व्यक्ति बसंता पुत्र सुखराम, पंचम पुत्र भगेलू, परमेश्वरी पुत्र खरमना इनकी दो पशु भी मर गये है । रहायशी मकान सब पूरी तरह से जल गया है और उसके घर के सामान की भयंकर क्षति हुई है । इसी प्रकार मुफ्तीगंज के ग्राम कटहरी के दयाराम यादव का रहायशी मकान, सामान जल गया है । जिला प्रशासन ठीक ढंग से मदद नहीं कर रहा है जितना नुकसान हुआ इसके तहत दी जाने वाली राशि अपर्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मा० मुख्य मंत्री जी तथा राहत मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुये उन्हें कम से कम बीस-बीस हजार रुपये की सहायता की मांग करता हूं ।]

जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के विकास क्षेत्र सुरियावां के साधन सहकारी समिति के कर्मचारियों का वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री पूर्णमासी पंकज–

[मान्यवर, कृपया जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के विकास क्षेत्र सुरियावां के साधन सहकारी समितियों के कर्मचारियों यथा अकिक, विक्रेता एवं चौकीदार का वेतन लगभग 2 वर्षों से नहीं दिया जा रहा है । जिससे उनके परिवार के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो रही है । जबकि माननीय सहकारिता मंत्री के पत्र अर्ध० शा० स० प० सं० 113सीएम/49-1-99, दिनांक 01-11-99 द्वारा अवगत कराया गया कि जनवरी, 99 से नियमित वेतन का भुगतान किया जा रहा है जो सत्य से परे है ।]

अतः कृपया समिति के कर्मचारियों की परेशानियों को ध्यान में रखकर जनपद सन्त रविदास नगर के विकास क्षेत्र सुरियावां के साधन सहकारी समितियों के कर्मचारियों का शीघ्र वेतन भुगतान करने हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करें ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद सीतापुर, लहरपुर कसरैला मार्ग से लच्छन नगर सम्पर्क मार्ग को लेपन स्तर तक कार्य कराने हेतु धन आवंटित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

[जनपद सीतापुर लहरपुर कसरैला मार्ग से लच्छन (1) किलोमीटर लेपन स्तर तक सम्पर्क मार्ग पं० दीन दयाल उपाध्याय योजना अन्तर्गत स्वीकृत है परन्तु उ० प्र० लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाने हेतु धन आवंटन नहीं किया गया है । इसी के साथ अन्य स्वीकृत मार्ग भा० ज० पार्टी समर्थित विधायकों द्वारा प्रस्तावित मार्ग निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है । बार-बार लिखने के पश्चात् धन आवंटित नहीं किया गया इससे जनता के आवागमन में बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो गयी है साथ ही जनता उक्त सड़क न बनने से आन्दोलित हो रही है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर चर्चा कराई जावे और सरकार से तुरन्त कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर समय से न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 25-4-2000 को नियम 300 के अंन्तर्गत निम्नलिखित 7 सूचनायें प्राप्त हुयी है । पहली सूचना माननीय राम औतार शाक्य की है ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, नियम 301 के अन्तर्गत मैंने 3-1-2000 को एक सूचना दी थी और विषय था मेरठ काण्ड में कत्लेआम हुआ है और अल्पसंख्यकों की भारी लूट हुयी है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह जो सूचना थी, इसका शासन की ओर से उत्तर भेजा जा चुका है ।

श्री राम औतार शाक्य–

उत्तर मुझे नहीं मिला है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुरोध कर रहा हूं कि शासन ने जो सूचना पीठ को उपलब्ध करायी है उसके अनुसार 8 मार्च, 2000 को आपको इस सूचना का उत्तर भेजा जा चुका है ।

श्री राम औतार शाक्य–

इसका उत्तर आज तक हमें मिला नहीं ।

श्री अधिष्ठाता–

शासन इस बात को सुनिश्चित कर ले कि आपका उत्तर मिल जाय । आपका जो मकसद था वह पूरा हुआ ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, शासन ने जान-बूझ करके उत्तर नहीं दिया । हमें उत्तर नहीं मिला और आज तक इंश्योर नहीं हो पाया । कक्ष की बातों का जिक्र यहां नहीं करना चाहता हूं लेकिन हमारा कहना यह है कि 3-1-2000 को जो सूचना दी थी उसका विषय सिर्फ इतना था कि माइनरटीज का कत्ल होने के बाद

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जिन लोगों पर मुकदमा चल रहा था उस मुकदमें को सरकार ने वापस ले लिया निर्देश संख्या-14 में स्पष्ट उल्लेख है कि एक महीने के अन्दर उस सूचना का उत्तर आ जाना चाहिए था । जो आरोपी थे उन पर पुनः मुकदमा चलाया जाये । सरकार ने जो मुकदमा वापस ले लिया था उसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया और डिस्ट्रिक्ट जज को यह निर्देश दिया कि पुनः मुकदमा चलाया जाये । उस सूचना के माध्यम से मैंने सिर्फ इतना चाहा था कि उन आरोपियों पर मुकदमा चलाया जाये और इस सम्बन्ध में सरकार हमको जवाब दे । जब स्थिति स्पष्ट होती है तो सरकार जानबूझकर टालने के लिए स्थिति स्पष्ट नहीं करना चाहती है ।

श्री अधिष्ठाता–

औचित्य के प्रश्न के माध्यम से चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आप व्यवस्था देने की कृपा करें कि नियम 301 की सूचना, जिसका महत्वपूर्ण विषय था, उसका जवाब आज की तारीख तक नहीं दिया ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जो औचित्य का प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है वह उचित नहीं है । आपको सूचना प्राप्त हुई, उत्तर विधिवत दिया जा चुका है । प्रतिलिपि आपके पास में है और मेरे पास भी है । मान्यवर, यह सामान्य प्रक्रिया है कि जब एक पत्र डाक के द्वारा प्रेषित किया गया तो वह आपको उपलब्ध होना चाहिए, यह प्रिजम्शन है । आपने एक प्रकरण का जिक्र करने के लिए सूचना का सहारा ले लिया । यह सहारा लेना मात्र है हाईकोर्ट का जिक्र कर दिया सूचना में कहीं हाईकोर्ट का जिक्र नहीं था जहां तक शासन की बात है, ऐसी कोई जानकारी शासन की जानकारी में नहीं है कि कोई रिट हुई है । आप कह रहे हैं तो मैं इसका संज्ञान ले नहीं पाऊंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम औतार शाक्य एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं । माननीय सदस्य का प्रश्नगत नियम 301 की सूचना का उत्तर शासन द्वारा 8 मार्च, 2000 को दिया जा चुका है । अगर माननीय सदस्य को यह उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है तो उस उत्तर की एक प्रति माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दिया जाय । शासन से अपेक्षा की जाती है कि नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर यथासंभव निर्धारित समय के अन्दर दिया जाया करे ।

श्री अधिष्ठाता–

दूसरी सूचना डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी की है ।

ग्रामीण क्षेत्र के अनुरूप ही नगरीय क्षेत्र के विधायकों को 50 हैण्ड पम्पों की सुविधा न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

मान्यवर, इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से 20 नगरीय क्षेत्र के माननीय विधायकों के साथ हो रही विसंगति की ओर आपका ध्यान दिलाते हुये व्यवस्था चाहता हूं । सरकार ने इसी सदन में घोषणा की थी कि इस माननीय सदन के सदस्यों और सदस्य विधान परिषद् के प्रत्येक सदस्य को 50-50 हैण्डपम्प दिये जायेंगे । उसके बाद ग्राम्य विकास मंत्री ने सदन में घोषणा की कि ग्रामीण क्षेत्र के सभी विधायकों के लिए 50-50 हैण्ड पम्प लगाने के लिए 25 करोड़ रुपए अवमुक्त कर दिए गए हैं । इस सम्बन्ध में जब मैंने 31 मार्च को नगरीय क्षेत्र के विधायकों के साथ हुई विसंगति पर सरकार का ध्यान दिलाया और

नियम 51 में सूचना दी उसमें सरकार की तरफ से 11 अप्रैल 2000 को नियम 51 के इस प्रश्न के उत्तर में साफ-साफ कहा गया....

श्री अधिष्ठाता–

मेरा अनुरोध है कि यह किसी विधान सभा क्षेत्र विशेष की दिक्कत हो सकती है उसके लिए यहां पर सभी माननीय नेताओं से परामर्श करके यह विनिर्धारित किया जा चुका है कि किसी विधान सभा क्षेत्र विशेष से सम्बन्धित मामला हो उसके लिए नई मद बनाई गई है उसमें इसको सुन लिया जाएगा। इसका औचित्य के प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

यह एक विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है यह 20 ऐसे नगरीय क्षेत्र के विधायकों से संबंधित प्रश्न है। यह नगरीय क्षेत्र के विधायकों के साथ विसंगति है। यह ग्राम्य विकास मंत्री के ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों को 50-50 हैण्ड पम्प देने के वक्तव्य से सम्बन्धित प्रश्न है इससे जनता के बीच यह मेसेज चला गया है कि 50-50 हैण्ड पम्पों के लिए पैसा मिल गया है। यह नगरीय क्षेत्र के विधायकों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। यह औचित्य का प्रश्न नहीं हो सकता है लेकिन नगरीय क्षेत्र के विधायकों के साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है ? इस सम्बन्ध में पीठ की ओर से निर्देश दें। ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों के लिए 1999-2000 के लिए 50-50 हैण्ड पम्पों की धनराशि दी जा चुकी है।

श्री अम्बिका चौधरी–

वर्ष 1999-2000 के लिए 50-50 हैण्ड पम्प की धनराशि दिलाने की व्यवस्था करें।

श्री अधिष्ठाता–

अब ग्राह्यता पर आपकी बात आ गई। आपस में बात न करें यह उचित नहीं है।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

यह प्रश्न औचित्य का प्रश्न नहीं बनता। सदन की किसी नियमावली का उल्लंघन हो, कार्य संचालन की बात हो तो औचित्य का प्रश्न बने। कई बार यह प्रश्न उठ चुका है। अभी उधर से आवाज आई कि किसी को नहीं मिला। ग्राम्य विकास विभाग से एक शासनादेश 31 जनवरी, 2000 को जारी किया गया जिसमें 50-50 हैण्ड पम्प लगाने की बात थी। यह सही है कि शासन के संज्ञान में यह बात आई कि कुछ जनपदों में यह भ्रम रहा कि सामान्य हैण्ड पम्प लगाने की प्रक्रिया की बात है अतः इसको स्पष्ट करते हुए दूसरा शासनादेश 31 मार्च, 2000 को जारी किया गया जिसमें अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विधायकगण से प्रस्ताव प्राप्त करके 50-50 हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि यह सारे के सारे प्रस्ताव केवल विधायकगणों से लेने हैं इस योजना में केवल विधायकों के प्रस्ताव पर ही 50-50 हैण्ड पम्प लगाए जाने थे। इनकी पीड़ा दूसरी है। ग्राम विकास विभाग की योजना चल रही है। जहां यह योजना चल रही है वहां दिये जा रहे है। परन्तु नगरी और शहरी इलाकों में जो भेद-भाव हो रहा है इसके बारे में मैं संबंधित विभाग से बात करके ही सारी स्थिति स्पष्ट कर पाऊंगा।

श्री अधिष्ठाता–

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेई एवं संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को नियम 300 में अग्राह्य करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी से इतना तो पूछ लीजिये कि पैसा कब तक पहुंचेगा ? एक ओर कह रहे है पैसा नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अम्बिका जी, आप बैठ जायं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरे साथी जगदम्बिका पाल जी को सुन लें, मैं बाद में बोल लूंगा ।

विधायक निधि से कराये जाने वाले कार्यों को नोडल एजेन्सी के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने की अनुज्ञा प्रदान की इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं । इसी सम्मानित सदन के समक्ष पूर्व में विधायक निधि का गठन हुआ था । जिस विषय पर मैं बोलने जा रहा हूं उस पर सत्ता पक्ष, विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपनी सहमति दे चुके हैं । यह कोई दलगत मामला नहीं है । इसी सदन में एक बात उठी थी कि विधायक निधि के कार्य संचालन के लिए किसी नोडल एजेन्सी का गठन किया जा रहा है तो यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है इसे सदन के समक्ष लाया जाना चाहिए था । यह एजेंन्सियां 17 प्रतिशत सेलटेक्स चार्ज लेती हैं । मान्यवर, पचास लाख रुपये में आज के समय में पांच किलोमीटर पक्की सड़क बनकर तैयार होती है । हर विधायक के क्षेत्र में 400 गांव आते हैं वहां की जनता की एक विधायक से अपेक्षायें ज्यादा होती हैं । आज सांसद निधि एक करोड़ की जगह तीन करोड़ कर दी गयी है । लोक सभा में संसद के लोगों को अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिये तीन करोड़ की सांसद निधि का गठन किया गया है । इस सदन में दलगत भावना से ऊपर उठकर पुरजोर तरीके से अपने कार्यों के निर्वहन के लिये विधायक निधि को कम से कम एक करोड़ रुपये की धनराशि की जानी चाहिये । ताकि विधायक अपने क्षेत्र में जनता की सेवा कर सके । आप चाहें तो सबकी राय ले लें । ऐसा नहीं है कि जिसके हस्ताक्षर हैं उन्हीं की राय लें । नोडल एजेन्सी अगर खराब काम करेगी तो हम उसे बदल भी नहीं सकते । आप गांव के प्रधान को सीधी रकम देते हैं, जिला पंचायतों को सीधा पैसा देते हैं, क्षेत्रीय पंचायतों को सीधे पैसा देते है । क्षेत्र के लोगों को हम विधायकों से ज्यादा अपेक्षायें होती हैं, अगर काम में गिरावट आयेगी तो जनता के प्रति हमारी जवाबदेही होगी । विधायकों को यह फ्रीडम है कि कामों में गुणवत्ता की जवाबदेही मिली है । किसी अधिकारी को नहीं । क्या कोई अधिकारी विधायक की ईंटीग्रीटी डाउटफुल कर सकता है ?

श्री अधिष्ठाता–

भाषण देने की अनुमति नहीं है ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बड़े जोरं-शोर से अपनी बात कही । कोई बात कहने से पहले उस बात की पुष्टि हो जाय तो बहुत अच्छी बात है । माननीय सदस्य का बल इस बात पर था कि कोई नोडल एजेंसी बना दी गयी है । कोई नोडल एजेंसी नहीं बनायी गयी है और न ही व्यवस्था में कोई संशोधन और परिवर्तन किया गया है । अनावश्यक रूप से कोई विवाद पैदा किया जाय, तो उससे कोई लाभ नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपकी सूचना को पढ़ ले रहा हूं। विधायक निधि द्वारा कराये जाने वाले कार्य नोडल एजेंसी के माध्यम से कराये जाने के संबंध में है। यह बोन आप कन्टेशन का आधार आपका है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में स्पष्ट घोषणा कर दी कि प्रचलित व्यवस्था में कोई संशोधन नहीं किया गया है और न ही कोई अलग से नोडल एजेंसी तय की गयी है। इसमें लेश मात्र भी किसी चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं 300 के अन्तर्गत अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मुझे पृथक से बात करनी है।

श्री अधिष्ठाता–

किस बात की अनुमति। यह अनुचित है। आप की सूचना इस बात को लेकर नहीं है कि एक करोड़, दो करोड़ या तीन करोड़ किया जाय। सूचना तो इस बात की है कि शासन ने एक नोडल एजेंसी निर्धारित कर दी है। पेपर का संज्ञान हम नहीं लेते।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, नोडल एजेंसी नहीं बनायेंगे हमने मान लिया। क्या डी० आर० डी० ए० के अन्तर्गत जो कार्यदायी संस्थायें हैं .....

श्री अधिष्ठाता–

यह तो गलत परम्परा है। आपने कोई प्रश्न किया उसका शासन की तरफ से स्पष्ट उत्तर भी आ गया, तो अब आप मुझे बतायें कि ग्राह्यता की किन शर्तों के अधीन में सुनू ?

* श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप हमारी सूचना का संज्ञान लें और नियम 300 को पढ़ने की कृपा करें। हम उस सूचना के बारे में सारांश में अपनी बात कहें इसलिए पाल साहब ने भी वही किया। मैं आपके हित की बात करते हुए कहना चाहता हूं। प्रश्न आज यहां यह है कि एक नोडल एजेंसी की स्थापना यह सरकार करने जा रही है। सरकार रोज यहां वादा करती है कि नहीं करेंगे। आप निर्देश देते हैं कि यह करेंगे फिर भी आपकी नीति, निर्देशों का पालन नहीं होता है। हम अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आते हैं। वहां हमको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 50 लाख रुपये की यह जो निधि स्थापित की गई थी उस समय क्या प्राइज इनडेक्स था ? उस समय हमने आधार माना था कि सांसदों को एक करोड़ रुपये की निधि दी जा रही है।

श्री अधिष्ठाता–

श्री प्रमोद कुमार जी, आप अपनी सूचना पढ़ लें। उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है। इस निधि को बढ़ाने की बात का कहीं जिक्र नहीं है। सम्पूर्ण नोटिस में इस बात का जिक्र है, कि सरकार कोई नोडल एजेंसी स्थापित करने जा रही है। आप बतायें यह कहां से 300 में आ रही है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप कृपा पूर्वक सुन ले। हो सकता है जो शब्द मैं बोलने के लिये चुन रहा हूं वह उतने अच्छे नहीं हैं जितने आप यहां पर बैठकर बोलते। आप सुन तो लें। मैं कहना सिर्फ यह चाहता हूं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपसे अनुरोध पूर्वक । आप उस पीठ पर बैठकर संरक्षण देते हैं । आपका संरक्षण चाहते हुए कहना चाह रहा हूं कि हम लोगों की विधायक निधि की बात क्यों उठी है, हम कोई अपने भले के लिये नहीं, अपने प्रोविडेन्ट फण्ड के लिये नहीं, अपनी पेंशन की बात नहीं कर रहे हैं । क्षेत्र के विकास के सन्दर्भ में बात कह रहे हैं । इनके पास काम करने के लिये पैसा नहीं है । इनके विभागों के चैक ट्रेजरी में स्वीकार नहीं हो रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, संरक्षण उनको ही प्राप्त है । संरक्षण हमको भी मिलना चारिए । यह सदन नियमों से चलेगा न कि अन्तर्मन से ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री प्रमोद कुमार जी, मैं आपकी सूचना को एक किनारे से दूसरे किनारे तक फिर से पढ़ देता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

आप कष्ट न करें । मैं पढ़ देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरा एक अनुरोध है जिन बातों को आप उठाना चाह रहे है वह बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं लेकिन आप जब बजट कर सामान्य चर्चा करेंगे उसमें उसका जिक्र कर सकते हैं लेकिन नियम-300 की नोटिस में कहीं से भी इसका सम्बन्ध नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं दो बात कह कर समाप्त कर दूंगा । अभी संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे कि संरक्षण उधर नहीं इधर भी मिलना चाहिए । संरक्षण सचरित्र लोगों को मिलता है । × × × । लोगों को नहीं मिलता है । मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि हम विधायकों की स्थिति को देखते हैं हम लोगों की जो विकास की गति है वह रुक गई है । चाहे इस दल के लोग हों या उस दल के लोग हों अच्छी तरह से समझ सकते हैं आप भी यदि यहां पर बैठे होते तो आप भी यही कहते । आज जो 50 लाख रुपये की निधि है उसमें विकास के कार्य नहीं हो पा रहे हैं । सांसदों को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये हो गई और विधायकों को 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए । इससे बड़ा और कोई दूसरा औचित्य का सवाल नहीं हो सकता है । तब प्राइज इन्डैक्स क्या था और आज क्या है पहले सड़क 4 लाख में बन जाती थी आज 15 लाख में बन रही है । आज मंहगाई बहुत बढ़ गई है । आप बिहार की बड़ी आलोचना करते हैं वह हमसे भी गरीब प्रदेश है और वहां पर विधायकों को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर सकते हैं तो यहां पर भी 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ क्यों नहीं कर सकते है । विधायकों द्वारा सुझाई गई एजेन्सियों, विद्यालयों या संस्थाओं को जिनको वे दें । कोई नोडल एजेन्सी नहीं होनी चाहिए । विद्यालय के प्रधानाचार्य जो गवर्नमेंट इम्प्लाई होते हैं वो कर सकते हैं ।

श्री सुबोध चन्द्र श्रीवास्तव–

मेरी सूचना पर सबको सुन लिया और मुझे नहीं सुन रहे हैं ।

(व्यवधान)

नोट : । × × × । यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस औचित्य के प्रश्न को अग्राह्य करता हूं।

नरेन्द्र सिंह भाटी जी की सूचना नियम 51 में परिवर्तित की गई है। शेष सूचनायें श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह व श्री अम्बिका चौधरी जी की सूचनायें अस्वीकृत हुई।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

पंडित जी की सूचना को सुन लें। सदन का एक माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए नहीं आ पा रहा है इससे ज्यादा औचित्य का प्रश्न और क्या हो सकता है ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य से सम्बन्धित कोई प्रकरण है तो निश्चित रूप से यह सदन उसे गम्भीर मानता है।

इस सम्बन्ध में माननीय नेताओं से परामर्श के बाद यह तय किया गया कि इस तरह के प्रकरण पर विधायकों की समस्याओं के अन्तर्गत जो मद है, उसमें सुना जाएगा इसके लिए एक विशेष मद बनाई गई है। कार्यसूची में आप उस मद में इसको उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

यह एक विधायक की प्राणरक्षा का मामला है। आप कहते हैं कल उठा लीजिएगा, क्या इससे ज्यादा औचित्य का प्रश्न भी कोई हो सकता है ? इससे ज्यादा औचित्यपूर्ण प्रश्न नहीं हो सकता। एक माननीय सदस्य की मनःस्थिति ऐसी कर दी जाए कि वह सदन में आने की स्थिति में न रहे और आप उसको नियम 300 में नहीं ले रहे हैं। मान्यवर, आप नियम 300 देख लें, एक सदस्य को सारी रात टेलीफोन पर धमकियां दी जाएगी फर्जी मुकदमा लिख जाएगा, दरोगा कप्तान सब स्वीकार करेंगे कि फर्जी है। ऐसे औचित्य के प्रश्न को अब नहीं सुनेंगे तो कब सुनेंगे ? नियमों के मामले में मेरा ज्ञान कम हो सकता है लेकिन आप संरक्षण दें। एक सदस्य की समस्या इतनी गम्भीर है।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने स्वतः कहा कि माननीय सदस्य से संबंधित कोई प्रकरण है तो निश्चित रूप से उसे गम्भीरता से लिए जाने की जरूरत है लेकिन सदन की जो कार्यसूची है, सदन का कार्यक्रम तय है और जो कार्यक्रम है वह निश्चित रूप से इस सदन की कार्यमंत्रणा समिति तय करती है और सदन उसका अनुमोदन करता है उसी के अनुसार इस सदन की कार्यवाही का संचालन किया जाता है।

[*] श्री बाबूराम यादव–

निश्चित रूप से आपका कथन सही है। नियमों और परम्पराओं से यह सदन चलता है।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कहा कि सदस्यों से संबंधित प्रकरण निश्चित रूप से लिये जायेंगे।

श्री बाबूराम यादव–

जब किसी सदस्य का व्यक्तिगत मामला आता है तो माननीय अध्यक्ष या माननीय अधिष्ठाता उसे अपनी बात कहने का मौका देते हैं। इसलिए आप भी इनको सुन लें। इनकी जिन्दगी को खतरा है।

---

[*] वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

लेकिन मैं इसे अपवादस्वरूप ही सुनूंगा । वैसे विधायकों की समस्या की कार्यसूची में मद बना दी गई है, उसमें वह अपनी बात उठा सकते हैं । बहुत संक्षेप में अपनी बात कहें ।

जनपद गोण्डा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* विनोद कुमार सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमने गोण्डा पुलिस अधीक्षक के खिलाफ 20 तारीख को जिलाधिकारी को नोटिस दिया था कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है और फर्जी मुकदमें में फंसाया जा रहा है और बन्द किया जा रहा है । एक मई को हमने लिखकर दिया था कि पुलिस अधीक्षक का घेराव करेंगे । एस० पी० से बात हुई । पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यदि तुम हमारा घेराव करोगे तो हम तुम्हें फर्जी मुकदमें में फंसा देंगे और तुम्हारा शैडो तथा गनर वापस ले लेंगे । 22 तारीख को थाना नवाबगंज में हमारे खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 69/2000 दफा 307, 504 व 506 दर्ज हुआ जिसमें हमको तथा हमारे भाई को मुल्जिम बनाया गया । उसमें यह कहा गया कि हम लोगों ने गाली दी और राइफल से दो फायर किया जो कि गलत है । यह बात हमको दो दिन बाद पता चली । इतवार को दरोगा आया और मुकदमा कायम हुआ । हमने कहा कि जांच करा लीजिये । जांच हुई दरोगा ने कहा कि यह बात गलत है । मैं पुलिस अधीक्षक से मिला उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है । डी० आई० जी महोदय से मिला उन्हें पता नहीं था, सी० ओ० से मिला उनसे बात हुई । सब गलत है लेकिन स्पंज नहीं कर रहे हैं । यह हमारी हत्या कराना चाहते हैं । हमको टेलीफोन पर धमकी दी जा रही है कि संभल जाइये नहीं तो मारे जायेंगे । इसकी जांच आप डी० आई० जी० आफिसर से करा लीजिये या फिर किसी दूसरी जगह से करा लीजिये । अगर यह सही पाया गया तो विधान सभा की सदस्यता से मैं इस्तीफा दे दूंगा ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, यह सूचना अभी प्राप्त हुई है । यह उन सूचनाओं में नहीं थी जो ली जानी थी । मैं पहले जानकारी प्राप्त कर लूं फिर जो भी कार्यवाही होगी मैं करूंगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इसकी जांच किसी उच्चाधिकारी से करा लीजिये ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, डी० आई० जी० से करा लीजिये ।

श्री हुकुम सिंह–

पहले मैं वस्तुस्थिति की जानकारी तो प्राप्त कर लूं । मैं आश्वासन देता हूं कि माननीय विधायक का उत्पीड़न नहीं होगा । मैं दरोगा के ऊपर स्तर की जांच करा लूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

यह प्रकरण समाप्त हुआ । यह नियम 300 में नहीं आता है । अब मैं अगली मद ले रहा हूं ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के असनाव बाजार में स्थापित पशु चिकित्सालय का भवन निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका *

डा० पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद सन्त रविदास नगर के विकास खण्ड भदोही के असनाव बाजार में स्थापित पशु चिकित्सालय का भवन निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव तथा श्री कन्हैया लाल मिश्र, निवासीगण जनपद सन्त रविदास नगर, भदोही द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड से त्रिवेणी नगर III को जाने वाले मार्ग पर सीवर लाइन एवं पानी की मोटी पाइप लाइन डालकर निर्माणाधीन पानी की टंकी से जोड़े जाने विषयक श्रीमती कमला सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका *

डा० पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड से त्रिवेणीनगर III को जाने वाले मार्ग पर सीवर लाइन एवं पानी की मोटी पाइप लाइन डालकर निर्माणाधीन पानी की टंकी से जोड़े जाने विषयक श्रीमती कमला सिंह तथा श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद संत रविदास नगर, भदोही के विकास खण्ड सुरियावां के ग्राम पंचायत चकचन्दा (देवदासपुर) में कन्या जूनियर हाई स्कूल खोले जाने विषयक श्री गौरीशंकर मिश्र आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका *

डा० पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद संत रविदास नगर, भदोही के विकास खण्ड सुरियावां के ग्राम पंचायत चकचन्दा (देवदासपुर) में कन्या जूनियर हाई स्कूल खोले जाने विषयक श्री गौरी शंकर मिश्र तथा श्री प्रभाकर मिश्र, निवासीगण जनपद संत रविदास नगर, भदोही द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद संत रविदास नगर, भदोही में सुरियावां क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम एकौनी से मोड़ तक 10 कि०मी० नहर मार्ग को पिच कराये जाने विषयक श्री संजय कुमार श्रीवास्तव आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका *

डा० पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद संत रविदास नगर, भदोही में सुरियावां क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम एकौनी से मोड़ तक लगभग 10 किमी० नहर मार्ग को पिच कराये जाने विषयक श्री संजय कुमार श्रीवास्तव तथा श्री गौरी शंकर मिश्र निवासीगण जनपद संत रविदास नगर, भदोही द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद संत रविदास नगर विकास खण्ड–भदोही के ग्राम उचेठा से बढ़ौना तक लगभग 1.5 कि०मी० मार्ग को लेपन स्तर तक निर्मित कराये जाने विषयक श्री शोभनाथ शुक्ल आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ÷

डा० पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद संत रविदास नगर, विकास खण्ड भदोही में ग्राम उचेठा से बढ़ौना तक लगभग 1.5 कि०मी० मार्ग को लेपन स्तर तक निर्मित कराये जाने विषयक श्री शोभनाथ शुक्ल तथा श्री सत्य नारायण सिंह, निवासीगण–जनपद संत रविदास नगर, भदोही द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र किशुनपुर के ग्राम अटोलीपुर ब्योती के मध्य ससुरखदेरी नदी पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री शिवराम सिंह सेंगर आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ÷

* श्री मुरलीधर-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र किशुनपुर के ग्राम अटोलीपुर एवं ब्योती के मध्य ससुरखदेरी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री शिवराम सिंह सेंगर तथा श्री राम नरेश सिंह व अन्य निवासीगण–जनपद फतेहपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद महोबा के नगर महोबा में स्थित ऐतिहासिक महत्व के तालाबों की खुदाई कराये जाने विषयक श्री जफर उल्ला खां आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ÷

* श्री अरिमर्दन सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद महोबा के नगर महोबा में स्थित ऐतिहासिक महत्व के तालाबों की खुदाई कराये जाने विषयक श्री जफर उल्ला खां तथा श्री शिवराज सिंह, निवासीगण जनपद महोबा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद महोबा के नगर महोबा की स्वीकृत पेयजल योजना को प्रारम्भ कराये जाने विषयक श्री रमेश साहू आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ÷

श्री अरिमर्दन सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद महोबा के नगर महोबा की स्वीकृत पेयजल योजना को प्रारम्भ कराये जाने विषयक श्री रमेश साहू तथा श्री भुजबल सिंह, निवासीगण–जनपद महोबा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–7 में कोई सूचना नहीं है।

मद संख्या–8 में भी कोई सूचना नहीं है।

नोट: * छपी नहीं गयी।

जिला पंचायतों द्वारा जनपदों में पड़ाव-अड्डा शुल्क की वसूली के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जिला पंचायतों द्वारा जनपदों में पड़ाव-अड्डा शुल्क की वसूली के सम्बन्ध में वक्तव्य पढ़ रहा हूं–

विगत कई वर्षों से शासन स्तर पर इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि जिला पंचायतों द्वारा अपने जनपदों में वाहनों को नियंत्रित करने हेतु उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-239-च के अन्तर्गत उपविधि तैयार करके इस पर मण्डलायुक्त का अनुमोदन प्राप्त कर लागू करती है और पड़ाव-अड्डा शुल्क के नाम पर धनराशि की वसूली करती हैं । इस प्रकार की अत्यधिक शिकायतें हैं, जिनसे जनमानस में आक्रोश उत्पन्न होता रहा है ।

अतः इस प्रकार की शिकायतों के समाधान के लिए यह उचित समझा गया कि जिला पंचायतों को यह निर्देश दे दिये जायें कि पड़ाव अड्डा शुल्क की वसूली तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दिया जाय । जहां तक इस व्यवस्था को समाप्त किये जाने के उपरान्त आर्थिक भरपाई का प्रश्न है, पंचायती राज विभाग इस सम्बन्ध में इस प्रकार का विकल्प तैयार कर रहा है कि उतनी ही धनराशि प्रदेश की प्रत्येक जिला पंचायतों को दी जा सके । इस सम्बन्ध में पड़ाव-अड्डा की वसूली को प्रतिबन्धित किये जाने हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा शीघ्र ही शासनादेश निर्गत कर दिये जायेंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

यह निर्णय कब से लागू है ? अभी भी प्रत्येक जिले में वसूली जारी है ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, जिलों में वसूली जारी है ।

* पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय)–

मान्यवर, आज सदन की बैठक थी । इस नाते अलग से घोषित नहीं किया गया था । आज से घोषित करके लागू कर दिया गया है । कहीं से कोई शिकायत आयेगी तो कार्यवाही की जायेगी ।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा * (क्रमागत)

श्री अम्बरीष कुमार–

मा० अधिष्ठाता जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो विचार रखे गये हैं । उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हम उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिये आय-व्ययक को सरकार ने प्रस्तुत किया है उस पर चर्चा करने से पूर्व कुछ आंकड़े रखना चाहते हैं जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आज उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है । सबसे पहले गरीबी की बात लें । गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग निवास करते हैं उनका राष्ट्रीय औसत अगर 32.27 है तो आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हिमांचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब यह कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका यह औसत 30 प्रतिशत से भी कम है । मान्यवर, जिस प्रदेश में हम रहते हैं वहां यह 40 प्रतिशत से अधिक है । इस मामले में केवल उड़ीसा और बिहार हमसे पीछे हैं । मान्यवर, जिन राज्यों का ऊपर मैंने जिक्र किया वहां गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत ज्यादा था । 1973-74 से लेकर आज तक आन्ध्र प्रदेश में 48.41 प्रतिशत था । आज वहां पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–* दिनांक 10 अप्रैल, 2000 को आय-व्ययक पर साधारण चर्चा आरम्भ ।

15.92 लोग नीचे हैं कितनी प्रगति हुई है । उत्तर प्रदेश में भी 56.53 प्रतिशत था जो आज 42.28 प्रतिशत है । केरल में हमसे भी ज्यादा था 59.19 प्रतिशत आज वहां पर 25.76 प्रतिशत है । उत्तर प्रदेश की स्थिति कितनी दयनीय है इन्फ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है हम 65 प्रतिशत के हिसाब से पिछड़ेपन में सर्वोच्च हैं । पिछड़ेपन में इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में । राष्ट्रीय आमदनी में जहां 1991-92 में हमारा हिस्सा 11.9 था आज वह 10.2 रह गया है ।

मान्यवर, इससे भी जाहिर है कि उत्तर प्रदेश कितनी प्रगति कर रहा है । दूसरी बात मैं यह भी संज्ञान में लाना चाहता हूं कि प्रति व्यक्ति आय जो राष्ट्रीय स्तर पर सन् 80 में हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में 352 रुपये का अन्तर था जब कि हमारा प्रति व्यक्ति आय 12008 रुपये था और वह आज बढ़ते-बढ़ते 96-97 में हमारी प्रति व्यक्ति आय का अन्तर 4058 और 97-98 में प्रति व्यक्ति आय 7263 पहुंच गया यह अन्तर लगभग 13 गुना बढ़ गया तो इससे प्रदेश की स्थिति का सही अंदाजा लगाया जा सकता है । जहां तक रेट आफ ग्रोथ की बात है जो हमारी सकल आय और पर कैपिटा आय है उसमें भी यह राष्ट्रीय स्तर पर 5.4 और 3.3 है तो उत्तर प्रदेश का औसत 4 प्रतिशत 1.9 प्रतिशत है, इससे भी हम यह सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आज कहां खड़ा है । इण्डस्ट्री में भी पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट 3021 रुपये 1995-96 में है ।

इसी प्रकार से इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में सड़कों की हालत देखें तो हमारे एक लाख व्यक्तियों पर कुल 62 कि०मी० सड़क है 97-98 में उत्तर प्रदेश में । जबकि पंजाब में 1 लाख व्यक्तियों पर 91-92 में 177.4 किमी०, हरियाणा में 131.9 किमी०, राजस्थान में 111.3 किमी०, है तथा मध्यप्रदेश में 108.2 किमी० है इसको अगर दूसरी तरह से देखें तो प्रति 100 स्क्वायर किमी० क्षेत्र में कितनी सड़क है तो उसमें उत्तर प्रदेश में कुल 32.8, पंजाब में 76.6, हरियाणा में 50 और केरल में 47.5 यह 91-92 का है और हम जो 32.8 की बात कर रहे हैं यह 96-97 का है ।

मान्यवर, इसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक लाख व्यक्तियों पर एलोपैथिक चिकित्सा की जो सुविधा है यह 91-92 में 3.41 थी जो अब बढ़ने के बाजाय घट रही है और 97-98 में 3.19 पर आ गयी, जबकि गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और पंजाब में यह क्रमशः 20, 14, 14 और 9 की स्थिति में है । हम विद्युत सुधारों की बात करते हैं । उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रान्त है जहां पर आज हम 22.1 प्रतिशत गांव को विद्युतीकृत नहीं कर पाये हैं । लगभग 24 हजार गांव ऐसे हैं जिनको हम आजादी के बाद विद्युतीकृत नहीं कर पाये हैं । इसके विपरीत गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, आन्ध्र प्रदेश आदि 8 स्टेट ऐसे है जहां हम शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के लक्ष्य को पूरा कर सके है । इसके अलावा जो इस बजट पर चर्चा के दौरान, इसके पहले जो वित्त मंत्री से सवाल किया गया है उसका उत्तर आज मेरे पास है । वित्त मंत्री से पूछा गया था कि विश्वबैंक से यह उत्तर प्रदेश कर्ज लेने की बात कर रहा है । 5 हजार करोड़ कर्ज की बात कर रहा है तो सदन इस बात को जानना चाहता था कि उस कर्ज की शर्तें क्या हैं । मान्यवर, जब हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी तो उसका उद्देश्य आर्थिक आजादी भी हासिल करना था और सामाजिक परिवर्तन भी था । तो आज दोनों ही मोर्चों पर उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्णतः विफल है । मान्यवर, उस प्रश्न का जवाब माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया था कि वह शर्तें आज बताना संभव नहीं है । हम इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी की बात कर रहे हैं । हम सूचना के अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश को बता सकते हैं, अखबारों में बयान दे सकते हैं, व्यक्तिगत चर्चाओं में कह सकते हैं, लेकिन उन शर्तों को इस प्रदेश की 16 करोड़ जनता की प्रतिनिधि संस्था को यह वित्त मंत्री बताने को तैयार नहीं हैं । मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि विश्व बैंक के माध्यम से जो सरकार कर्ज लेना चाहती है, वह उसके माध्यम से आर्थिक सम्प्रभुता को गिरवीं रखना चाहती है । अगर विश्व बैंक से कर्जा लेकर आर्थिक सम्प्रभुता को गिरवीं रखने का सरकार काम करेगी तो वह गरीब जिसके पेट में रोटी नहीं है, वह नंगा भूखा, इनकी आकांक्षायें कभी पूरी नहीं हो सकती और यह शायद इस उत्तर प्रदेश के

इतिहास में सबसे काला दिन होगा कि शर्तों पर यह विश्व बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं, वह मैं बताना चाहता हूं। विश्व बैंक ने कहा है, वित्तीय घाटा कम करिये, 6 प्रतिशत तक कम करने की बात है, उसका परिणाम यह होगा कि भारी टैक्सेशन होगा, आन्तरिक संसाधन जुटाने होंगे और भारी टैक्स लगाना होगा, सब्सिडी कम करनी होगी साथ ही प्रशासकीय व्यय कम करना होगा, इसके अलावा प्रतिवर्ष कर्मचारियों की संख्या में 2 प्रतिशत की कमी करनी होगी, यह शर्तें विश्व बैंक की हैं।

इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि हमारे पास कोई आर्थिक सर्वेक्षण का कोई विशेषज्ञ नहीं है। हम अपनी आर्थिक स्थिति का अन्दाजा खुद नहीं लगा सकते, उसके लिये भी विदेशी विशेषज्ञ की जरूरत है, विश्व बैंक के विशेषज्ञों की जरूरत है और अपने इस उत्तर में वित्त मंत्री जी कहते हैं कि सेवानिवृत्ति और नई भर्ती के फलस्वरूप लगभग 2 प्रतिशत की कमी होने की सम्भावना है। मेरा आरोप है कि जो 2 प्रतिशत कमी वाली बात है, इस पर उत्तर प्रदेश के मंत्रि-मंडल ने जो अपनी मुहर लगाई है, यह उन शर्तों में से एक है। आप कर्मचारियों की भर्ती कम कर दें, प्रावीडेन्ट फण्ड भी रोक देंगे, भत्ता भी नहीं देंगे तो फिर आर्थिक हालात कैसे सुधारना चाहते हैं। जिन लोगों के जरिये आर्थिक हालात सुधारने का आप काम करते हैं, उन्हीं पर तलवार लटकाना चाहते हो तो मैं कहना चाहता हूं कि आप भ्रम जाल में हो।

वसूली की स्थिति आपके सामने है, जो ट्रेड टैक्स वसूली का लक्ष्य 4420 करोड़ रुपये थे, उसके विपरीत वसूली कुल 3800 करोड़ रुपये की हुई। इसी प्रकार इन्टरटेनमेंट टैक्स वसूली का लक्ष्य था 140 करोड़ रुपये और उसके विपरीत वसूली केवल 136 करोड़ रुपये हुई। रजिस्ट्रेशन से 1450 करोड़ रुपये आने थे और कुल 1250 करोड़ ही आये। आवास विभाग से 270 करोड़ आने थे और उसके विपरीत केवल 77 करोड़ ही आये। इस संबंध में पर कैपिटा टैक्स रियलाइजेशन की जो स्थिति है, वह आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कम है। केरल में 1240, तामिलनाडू में 1353, गुजरात में 1330, महाराष्ट्र में 1337 और हमारे यहां उत्तर प्रदेश में मात्र 411 है।

मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि यह सरकार दो-दो बार अनुपूरक बजट लाई। यहां पर स्वीकृतियां ली गई, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 31 मार्च समाप्त हो जाने के बाद भी लोक निर्माण विभाग में मात्र 85 प्रतिशत सी० सी० एल० लिमिट ही जारी हो सकी है, शत-प्रतिशत जारी क्यों नहीं हुई। मैं वित्त मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि इस सदन में बजट स्वीकृत कराने का अर्थ क्या है। बजट 31 मार्च तक के लिये स्वीकृत हुआ और उससे पहले ही खजाना खाली हो गया। आपने रोक लगा दी, चेक आयेगा तो वापस हो जायेगा। मंत्रियों तक के चेक बाउंस हुये, आखिर इस बजट की उपयोगिता क्या है।

दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विद्युत मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम विद्युत के क्षेत्र में सुधार करना चाहते हैं, निजी क्षेत्र को आमंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन जो इनके केन्द्र में बिजली मंत्री हैं, वह भी आज कह रहे हैं कि जब हमने एक आशा लगाई थी कि विद्युत के क्षेत्र में निजी भागीदारी होगी हमारी वह उम्मीद भी पूरी नहीं हुई है। आज उत्तर प्रदेश की जो हालत है और जिस क्षेत्र से आप आते हैं, वहां 24 घंटे बिजली मिलती थी। वहां भी 2 घंटे की कटौती शुरू की है। विद्युत की हालत आपके सामने है, जो आपने वायदा किया था प्रदेश की जनता से, वह आज जानना चाहता है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहता हूं जब हम आर्थिक नीतियों को तय करते हैं, अमर्त्यसेन जी को उद्धृत करते हुए मैं कह रहा हूं कि हम किस व्यक्ति पर उस अवधारणा के द्वारा केन्द्रित करते हैं, हम ने इन आर्थिक नीतियों का लक्ष्य क्या है, बिन्दु क्या है, इनसे किसको लाभ पहुंचाना चाहते हैं, अगर हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं तो इस बजट का कोई अर्थ नहीं है और ऐसा इस बजट में हुआ है । कोई स्पष्ट धारणा नहीं है । दिशाहीन और भ्रम पूर्ण यह बजट है जो इस प्रदेश की गरीब जनता का कोई भला नहीं कर सकता । मैं कहना चाहता हूं कि जब हम अपने घर का बजट बनाते हैं तो हम अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं, प्रायरटीज तय करते हैं । अगर प्रदेश के स्तर पर बात करते हैं तो उद्योग क्षेत्र की बात करते हैं, कृषि क्षेत्र की बात करते हैं । आज जो चीनी मिलें थीं, कपड़ा मिलें थीं उनका धुंवा खामोश है । गाजियाबाद जो नये कानपुर के रूप में विकसित हुआ था, वहां भी उद्योगों की हालत ऐसी है, सारे में तालाबन्दी हुई है । मान्यवर, 2-3 बातें और कहना चाहता हूं । आज केन्द्र सरकार ने जिस कृषि नीति के माध्यम से विदेशों से सारे कृषि उत्पादों का आयात खोला है, जिस प्रकार पिछले वर्ष चीनी उद्योग का सत्यानाश हुआ, इस बार चावल और आलू की फसल का सत्यानाश हुआ । आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में किसान की हालत क्या होगी ? आजादी से पहले हमारी जो स्थिति थी वहीं पहुंच जायेंगे अगर हमारी प्रायरिटीज तय नहीं होंगी, यह वित्त मंत्री जी को बताना होगा, कि वे उत्तर प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं । मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूं कि संविधान में समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिलाने की बात की थी और समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया था । मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी ने 25 जनवरी को अपने सन्देश में जो कुछ कहा था, यह सरकार उससे सबक ले । अगर हम भुखमरी के खिलाफ लड़ नहीं सकते, हम गरीबी के खिलाफ लड़ नहीं सकते तो मैं आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि हम वर्ग संघर्ष को रोक नहीं सकते, उसमें कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा, यह सब भविष्य के गर्भ में है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और नेता विरोधी दल ने जो विचार रखे हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं ।

आय-व्ययक पर साधारण चर्चा के समय मा० मंत्रियों/अधिकारियों का क्रमशः सदन/दीर्घाओं में उपस्थित रहने के लिए श्री अधिष्ठाता के निर्देश

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, एक निवेदन हमारा है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस सदन की गरिमा कहां तक गिरायेगी । बजट को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, उस पर विचार करने के लिए कोई तैयार नहीं है इतना हल्का इसे लिया जा रहा है ।

मान्यवर, इसको बड़े हल्के ढंग से लिया जा रहा है, पिछले ढंग से लिया जा रहा है और पूरी गरिमा को नष्ट किया जा रहा है । मान्यवर, आप निर्देश दें कि बजट पर चर्चा को गम्भीरता से लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

सदन के अन्दर दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है, विशेष रूप से जब आय-व्ययक पर चर्चा हो रही है, तो दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वह सदन में उपस्थित रहें । सरकार की निश्चित रूप से यह जिम्मेदारी है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, बजट पर चर्चा के लिये कम से कम मैंने 25-30 घंटे अध्ययन किया है। सचमुच मैं चाहता था कि मेरे द्वारा कही गयी बातों को वित्त मंत्री जी सुनें और उनके अधिकारी भी सुनें, तो हो सकता है कि कुछ चीजें निकल कर आयें जिससे इस प्रदेश का भला हो सकेगा। विकास का मामला न पक्ष की बात है न विपक्ष की बात है। सत्तापक्ष की यह जिम्मेदारी है कि हमारे सुझाओं को अंगीकार करे ताकि कुछ फायदा हो सके। अगर अंगीकार नहीं करते हैं तो मेरे बोलने का मतलब नहीं है। जैसा कि माननीय बाबूराम जी ने कहा अगर इस सदन में चर्चा का कोई मतलब ही सरकार नहीं समझती है तो मेरे जैसा व्यक्ति नहीं बोल पायेगा। मैंने पढ़ा है कि इस सदन में नेता प्रतिपक्ष माननीय चौधरी चरण सिंह जी थे, सरकार की तरफ से केवल सांख्यकीय डायरी नहीं दी गयी थी और चौधरी साहब ने चर्चा को रुकवा दिया था जब वह वितरित हुयी थी उसके बाद चर्चा शुरू हुयी थी। इसी तरह से वार्षिकी 2000 भी वितरित नहीं हुयी है। मैं लगातार 3 दिनों से तमाम विभागों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेने के लिये कि कितनी प्रदेश में खपत है, कितना उत्पादन है और क्या स्थिति है इसकी जानकारी करने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। आपने एक विभाग सूचना प्रोद्योगिकी का बनाया है। अक्टूबर, 1999 तक के आपके पास आंकड़े हैं। 31 मार्च, 2000 तक के आंकड़े आपके पास नहीं हैं, तो यह सरकार की स्थिति है। मैं अनुरोध करूंगा कि या तो हम लोगों द्वारा सदन में कही गयी बातों को गम्भीरता से लिया जाय। अगर सरकार चर्चा को गम्भीरता से नहीं लेती है तो मेरे जैसा व्यक्ति नहीं बोल पायेगा।

(श्री बी० आर० वर्मा अपने आसन पर बैठ गये।)

श्री अधिष्ठाता–

आप चर्चा में हिस्सा तो लें ही, आप इस पीठ को सुशोभित कर चुके हैं। सदन अपना कार्य रुचिपूर्ण तरीके से करता रहे और सदन की कार्यवाही में माननीय सदस्यों की रुचि बनी रहे और सरकार की रुचि बनी रहे और जो माननीय सदस्यों के बहुमूल्य सुझाव हैं, उनका सरकार परीक्षण करके, विचार करके जो उचित समझे निर्णय ले। मैं माननीय मंत्रिगण से अपेक्षा करूंगा कि वह निश्चित रूप से इस बात के लिये प्रयास करें कि बजट चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित रहें और माननीय सदस्यों के सुझावों को सुनकर उस पर कार्यवाही करें।

श्री बी० आर० वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने जो स्मरण दिलाया कि इस पीठ पर रह चुका हूं। इसलिए दुःख होता है, इस सदन की गरिमा गिरती है तो दुःख होता है और मेरे जैसे व्यक्ति को तो जरूर दुःख होता है। आपकी मजबूरी है। एक अधिष्ठाता की क्या सीमा होती है यह मुझे पता है, स्पीकर की क्या स्थिति है यह भी पता है? इसलिए मान्यवर, आपकी मजबूरी का मुझे पूरा-पूरा अहसास है।

(लॉबी में आवाज आने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मार्शल देखें, लॉबी से जोर की आवाज आ रही है। लोगों से कहें कि शांत रहें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, सदन को बहुत हल्के ढंग से लिया जा रहा है। मंत्रिगण सदन में मौजूद नहीं हैं। माननीय वित्त मंत्री जी भी नहीं हैं। प्रदेश की वित्तीय स्थिति और प्रदेश की हालात को वह सुधारना चाहते हैं। बजट पर माननीय सदस्यगण सुझाव देना चाहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

वर्मा जी, आप चर्चा आरम्भ करें।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी नहीं हैं, तो राज्यपाल दीर्घा में जो अधिकारी बैठते हैं उनको भी कोई चिन्ता नहीं है। वहां भी कोई नहीं है। जो परिपाटी रही है उसका कुछ तो अनुपालन हो। अगर आप व्यवस्था करा सकें, तो मैं बोलूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी, अगर आप स्थान ग्रहण करें तो मैं कुछ कहूं। मेरा यह आग्रह है कि निश्चित रूप से एनुअल बजट पर चर्चा है तो बहुत महत्वपूर्ण समय है। इस बात के लिए थोड़ा बहुत प्रयास किया जाना चाहिए कि यथासम्भव माननीय मंत्रीगण भी मौजूद रहें और माननीय मंत्रीगणों के साथ वैसे तो अन्यथा कोई व्यस्तता न हो तो अच्छा होता कि माननीय वित्त मंत्री जी भी मौजूद हों। माननीय सदस्यों के जो महत्वपूर्ण सुझाव आते हैं उसको भी नोटिस ले सकें उसको नोट कर सकें। उनके सुझावों पर क्या कार्यवाही हो सकती है, उसका कहां तक समावेश किया जाना सम्भव है इसलिए निश्चित रूप से जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनको भी दीर्घाओं में मौजूद रहना चाहिए। इस तरह से सदन की कार्यवाही के प्रति जो गिरती हुई रुचि है उसको हम पुनर्स्थापित कर सकते हैं। दोनों पक्ष के माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही में रुचि लें, हिस्सा लें और इस सदन का ग्रेस बना रहे उसका आकर्षण बना रहे।

श्री बाबूराम यादव–

ऐसी बात नहीं है कि मंत्री जी सुन लेंगे तो कोई वरदान दे देंगे। मंत्री जी का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन सदन की एक गरिमा होती है। आज आप उस पीठ पर बैठे हैं आपने कह दिया कि क्या जरूरत है मंत्री की?

श्री अधिष्ठाता–

मैंने दोनों पक्षों की भावनाओं की बात की। अब इसको चर्चा का विषय तो नहीं बनाया जा सकता। मैंने तो अपनी सीमाओं के अन्दर अनुरोध कर लिया। पीठ की भी एक सीमा होती है।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

श्री बी० आर० वर्मा–

मैंने जो बात कही उसका इतना महत्व नहीं है जितना इस सदन के सर्वोच्च आसन का है। उस कुर्सी पर बैठकर जो भी स्पीकर हो या अधिष्ठाता हो, उसकी इच्छा ही सरकार के लिए आदेश हुआ करती है। आपने अनुरोधात्मक शब्दों का प्रयोग करते हुए जो सरकार के लिए कहा है वह सरकार के लिए आदेश होता। अगर यह सरकार संवेदनशील होती, तो निश्चित तौर पर उसका ध्यान करते हुए आपके अनुरोध को आदेश के रूप में स्वीकार करती। आप चाहे जो बात कहें इस सरकार के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। यह मेरा दायित्व है सरकार की तरफ से सुना जाए या न सुना जाए उसकी नोटिस ली जाए या न ली जाए सदन में मंत्री रहें या न रहें हमारा जो कर्तव्य है उसको मैं पूरा कर रहा हूं। आपने मुझे बजट के ऊपर साधारण चर्चा में भाग लेने के लिए आदेश दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं अपनी बात को मुख्यतः तीन बिन्दुओं

पर केन्द्रित करने की कोशिश करूंगा । पहला प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या है, इस वित्तीय स्थिति के कारण क्या हैं और इसको निवारित करने के लिए क्या किया जा सकता है ? वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में प्रदेश के वित्त मंत्री ने 5-12-99 को गोरखपुर जनपद में कहा था कि प्रदेश का आर्थिक संकट खतरे की रेखा को पार कर गया है । यह वित्त मंत्री हरीश चन्द्र जी की स्वीकारोक्ति है । उन्होंने स्वीकार किया है, कि आर्थिक संकट है वह खतरे की रेखा को पार कर गया है । भारतीय जनता पार्टी के मुखपत्र पांचजन्य ने एक जनवरी, 2000 को लिखा है कि उत्तर प्रदेश में आर्थिक संकट, खाली खजाना और वेतन के अलावा हर भुगतान पर रोक । मैं उस पत्र का जिक्र कर रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य पत्र है । उसमें लिखा है "वेतन के अलावा हर भुगतान पर रोक" 9 मार्च, 2000 को हिन्दुस्तान अखबार ने लिखा है "प्रदेश सरकार ओवर ड्राफ्ट की स्थिति में, सभी भुगतान पर रोक" । इसी तरह राष्ट्रीय सहारा 3 मार्च, 2000 का "विकास के लिये केन्द्र से मिलने वाली धनराशि वेतन में खर्च" । इसी तरह से कुबेर टाइम्स 23-12-99 में "प्रदेश अब तक के सबसे विषम आर्थिक संकट के दौर में, प्रतिमाह आय-व्यय में 400 करोड़ रुपये का अंतर" । हिन्दुस्तान पेपर की 18-11-99 की हेडिंग है "कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण व बोनस सुविधा छिनेगी" । राष्ट्रीय सहारा, 12 फरवरी "मंत्रियों के निजी स्टाफ का सरकार पर 50 लाख बकाया" । दैनिक जागरण 4 फरवरी "ऋण ब्याज से चौपट सरकार का बजट" । इसी तरह से बजट के बारे में दैनिक जागरण 28 मार्च, में " न मूंग न उर्द एक बेजान बजट" । इन अखबारों की राय मैंने इस प्रदेश के बारे में, वित्तीय स्थिति के बारे में संक्षिप्त में रखने की कोशिश की है । इसके जो कारण है उनके बारे में हिन्दुस्तान ने 3 जनवरी, को एक आर्टिकिल लिखा है" आमदनी अठन्नी खर्चा रुपइया" । इसी तरह से दैनिक जागरण 14 अप्रैल में "अब कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज की सिफारिश का सहारा" "चौपट अर्थ व्यवस्था के कारण आय-व्ययक योजनायें लगभग बन्दी की स्थिति में" । इसी तरह से हिन्दुस्तान 16 नवम्बर, 99 को "कितना सारा उड़ा ले गये मंत्री लोग" । जनता के इन सेवकों के सरकारी खर्चे और दौरों पर कुल चौबीस करोड़ सत्तर लाख नौ हजार रुपये खर्च हो चुके हैं जबकि चालू वित्तीय वर्ष में इनकी सुख सुविधा और वेतन के लिये इक्कीस करोड़ बाइस लाख सैंतालिस हजार रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था पहले से ही कर दी गई है । इसी तरह से कुबेर टाइम्स 17 जुलाई "राज्य खर्च पर दौरा करने में जा रहा है कर्ज का पैसा" । 28 फरवरी, 2000 को राष्ट्रीय सहारा ने एक आर्टिकल छापा है "कल्याण के फैसले ने डाली वित्तीय संकट की बुनियाद" । इसमें उल्लेख किया है कि किस तरह से वर्ष 78-79 से जो पैसा नहीं खर्च हो पाता था, जो पी० एल० ए० खाते में पड़ा रहता था कल्याण सिंह की हठवादिता ने उत्तर प्रदेश को दोबारा विकास की गति, सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था देने के नाम पर 30 दिसम्बर, 98 तक सारा पैसा खर्च कर दिया जाय, आदेश जारी करके पी०एल०ए० का पैसा खर्च करने का काम किया । परिणाम यह हुआ कि प्रदेश में वेतन देने के लिए भी पैसा नहीं बचा । अनेक विभागों के वेतन को रोकना पड़ा ।

तमाम अखबारों ने राय व्यक्त की है कि यह एक गम्भीर प्रकरण है । वर्तमान वित्तीय स्थिति से न केवल सत्ता पक्ष, विपक्ष अपितु पूरे प्रदेश की सोलह करोड़ जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है । अच्छा बजट वह होता है जिसमें नियोजन अच्छा हो, नियोजन के अनुरूप उसका कार्यान्वयन हो सके और कार्यान्वयन के साथ ही उसका अनुश्रवण हो सके और जिसके लिए वह निर्धारित किया गया है उस पर खर्च हो सके । वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इस बात को स्वीकार किया है कि राज्य का राजस्व घाटा बढ़ रहा है और पूंजीगत परिव्यय को बढ़ाने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी हो रही है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव राज्य के आर्थिक विकास पर पड़ रहा है । कैसे राजस्व घाटे को कम करेंगे और प्रदेश के योजनागत व्यय में वृद्धि करेंगे इसके बारे में कहीं पर भी कोई सुझाव या संकेत इस पुस्तिका में देखने को नहीं मिला है । राजस्व व्यय में बढ़ोत्तरी हो रही है और पूंजीगत व्यय में कमी, प्लान साइज छोटा हो रहा है और नान प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं । खर्चा बढ़ते जा रहा है, कर्ज पर कर्ज लेने की हमारी आदत है इसी का परिणाम है खजाना खाली है । कर्मचारियों के वेतन भत्तों और भविष्य निधि पर रोक लगानी पड़ रही है । गरीब जनता का जीवन यापन दिन-प्रतिदिन दूभर होता जा रहा है, उसकी जो क्रय शक्ति थी उसका ह्रास हो रहा है । इसके साथ ही इसका असर उद्योग और व्यापार पर पड़ता है ।

जिसमें मंदी आयी है और बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी बढ़ने से कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती पैदा हो गयी है....

श्री अधिष्ठाता–

आप बीस-पच्चीस मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री बी० आर० वर्मा–

प्रदेश की वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस बजट का अध्ययन किया और अपनी राय जाहिर की है.....

मान्यवर, उसे भी मैं इस सदन में प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। एक विकास अध्ययन संस्थान के निदेशक लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ए० के० सेन गुप्ता जिन्होंने आर्थिक स्थिति पर तैयार अध्ययन रिपोर्ट जिसे 13 जनवरी, 2000 को ग्यारहवें वित्त आयोग की समिति के सामने प्रस्तुत किया था। इसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण प्रदेश में यह वित्तीय संकट पैदा हुआ है। इसमें लिखा है कि आर्थिक स्थिति के अध्ययन में भूत ढांचे का संकट, वित्तीय क्षेत्र का संकट और सामाजिक क्षेत्र का संकट तीन प्रमुख आयाम बतायें हैं। इस रिपोर्ट में प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन के लिए आबादी में वृद्धि को कारण नहीं माना गया है बल्कि इसके लिये विनिर्माण क्षेत्र के मंथर विकास, उद्योग विकास के दुर्भाग्यपूर्ण निष्पादन को जिम्मेदार माना गया है। इसके अलावा स्थिति में शिथिलता कृषि क्षेत्र से बाहर विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में वांछित दर से आय सृजित नहीं हो पाना भी एक कारण है। प्रो० सेन गुप्ता ने कुल बजट में पूंजीगत व्यय के गिरते हुए अनुपात को भी खराब आर्थिक स्थिति के लिये उत्तरदायी ठहराया है। इस रिपोर्ट में उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार के गैर विकास एवं गैर योजनागत खर्चों में बेतहाशा वृद्धि से राजस्व घाटे में भारी वृद्धि हुई। इस कारण इन सरकारों ने अपने खर्च चलाने के लिये भारी ऋण लेना शुरू कर दिया।

इस तरह प्रदेश के राजकोषीय संकट के लिये राजस्व व्यय में त्वरित वृद्धि राजस्व प्राप्तियों में तदनुरूप वृद्धि का न होना, पूंजी बजट में निरन्तर सुकड़ाव पूंजी निवेश पर निम्न उपार्जन दर राज्य की ऋण ग्रस्तता में निरन्तर एवं त्वरित वृद्धि को मूलतत्व बताया गया है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सही करने के लिये प्रदेश के सामाजिक ढांचे पर अधिक निवेश पर बल दिया है। उन्होंने महिलाओं को समर्थवान बनाने के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रयास करने को कहा है। प्रदेश सरकार द्वारा नयी घोषित ऊर्जा नीति, मार्ग विकास नीति, उद्योग नीति, पर्यटन नीति आदि में केवल फेरबदल करने से आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी। बल्कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इन नीतियों को लागू करने में प्रदेश सरकार कहां तक सशक्त राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देती है। यह कारण उन्होंने बताये हैं और इस रिपोर्ट को ग्यारहवें वित्त आयोग के सामने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इसी तरह से विश्व बैंक द्वारा प्रदेश के वर्तमान आर्थिक स्थिति के बारे में किये गये सर्वेक्षण की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि विश्व बैंक द्वारा प्रदेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के बारे में किये गये सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य के कुल राजस्व का 75 प्रतिशत भाग राज्यकर्मियों के वेतन एवं पेंशन पर व्यय हो रहा है वित्तीय वर्ष 1998-99 में राज्य के ऋणों पर देय ब्याज का भुगतान प्रदेश सरकार के राजस्व प्राप्ति का 37 प्रतिशत हो गयी है इस प्रकार यह व्यय सकल राजस्व से 12 प्रतिशत अधिक हो गया है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सरकार को निवेशों के लिए ही नहीं बल्कि आवर्ती संचालन व्यय हेतु तथा पिछले कर्जों को अदा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऊर्जा, सिंचाई, सड़क व स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता है। यदि मुद्रा स्फीति 7 प्रतिशत की मानी जाए तो आगामी चार वर्ष में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 10-15 अरब रुपये की जरूरत होगी। इसके अलावा भू-तल जल के समुचित उपयोग के लिए आगामी दो दशक में 200 अरब रुपये की आवश्यकता होगी। ग्रामीण सड़कों को छोड़कर उच्च प्राथमिकता के राजमार्गों तथा मुख्य मार्गों के लिए 300 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की आवश्यकता होगी। शिक्षा के लिए मान्यवर, प्रतिवर्ष 350 करोड़ और ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए 150 करोड़ की आवश्यकता होगी इसी तरह

से मान्यवर एक अर्थशास्त्री हैं डा० एम० के० अग्रवाल इन्होंने इस सरकार के प्रयास के बारे में लिखा है कि प्रदेश का बजट जो प्रस्तुत हुआ है 29 मार्च, 2000 को, उसकी समीक्षा करते हुए इन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा पेश बजट में प्रदेश में आर्थिक वातावरण तैयार करने की गम्भीरता कहीं से नहीं दिखती, उन्होंने कहा है कि कुछ समस्याओं को तो उन्होंने अपने बजट सम्बोधन में जिक्र तक नहीं किया है। मसलन प्रदेश में गरीबी का स्तर काफी अधिक है। सम्भावनाएं ऐसी हैं कि इधर के वर्षों में गरीबी की व्यापकता में बढ़ोत्तरी हुई है परन्तु कहीं पर भी वित्त मंत्री ने इस समस्या और इसके निराकरण का कोई जिक्र नहीं किया है। अग्रवाल जी ने बजट समीक्षा में आगे कहा है कि प्रदेश की वर्तमान सरकार लगता है कि रणनीतियों व प्राथमिकताओं के खोखलेपन का भी शिकार है। समझ में नहीं आता है कि सरकार इस बजट भाषण से क्या बताना चाहती है। सरकार अपनी सहूलियत से कहीं तो वर्ष 1999-2000 की उपलब्धियों मात्र का बखान करती है या फिर बेतुके तरीके से प्रस्तावित वर्ष 2000-2001 के लिए लक्ष्य का बयान है। मसलन कृषि के मामले में सरकार वर्ष 1999-2000 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन के सम्भावित रिकार्ड उत्पादन का बखान मात्र करती है। आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित लक्ष्य का जिक्र तक नहीं किया गया है। इसी तरह से हमारे पास कई अर्थशास्त्रियों की टिप्पणियां हैं एस० के० राय जी, प्रो० अशोक लाहिड़ी, प्रो० राज कुमार इन्होंने भी बजट को सरकारी औपचारिकता मात्र कहा है। मैं बजट भाषण को लम्बा नहीं करना चाहता हूं। समय की सीमा को देखते हुए आपकी मजबूरी को ध्यान में रखते हुए एक चीज कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में जो हालत है राजस्व प्राप्ति की जितनी राजस्व प्राप्त की है उससे ज्यादा हमारी सरकार कर्मचारियों की पेंशन वेतन और भत्तों पर खर्चा करती है परन्तु इसी देश में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, महाराष्ट्र ऐसे कई प्रदेश हैं जहां जितनी उनकी राजस्व प्राप्ति है उसका आधा उनके प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते की देनदारियों का होता है, तो इसके लिए हमारे वित्त मंत्री जी ने क्या कोई योजना बनाई है ? माननीय वित्त मंत्री जी जब अपना उत्तर देंगे तो उसमें बता देंगे। राजस्व खर्चे को कम करने के क्या उपाय कर रहे हैं इसमे बहस होनी चाहिए। इनको चाहिए था कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों के साथ बजट प्रस्तुत करने के पहले बैठते, सदस्यों को सुझाव देने के लिए आमंत्रित करते विचार लेने के बाद अगर अच्छे लगते तो उस तरह से यह अपनी राजस्व प्राप्तियों को बढ़ा सकते थे, तो मैं समझता हूं कि सरकार के लिए शायद यह एक अपादेयता होती। हम लोगों की उसमें सहभागिता हो सकती थी लेकिन यह नहीं किया गया इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं उससे कहीं ज्यादा हमारा खर्चा है। कैसे इसको कम किया जाय इसका अध्ययन हमें करना होगा। अगर हम लोग इसका अध्ययन समय रहते हुए नहीं करेंगे तो वित्तीय संकट पैदा हो जायेगा। और, आने वाले दिनों में सरकार को फाइनेन्शियल इमरजेंसी घोषित करनी पड़ेगी। मान्यवर, 1999-2000 में सरकार को कर्मचारियों के ऊपर प्रति माह 1350 करोड़ रुपया वेतन भत्ते और पेंशन में खर्च करना पड़ा। जो अब तक के ऋण है उसके ब्याज और ऋण की किस्तों पर 700 करोड़ रुपया प्रति माह खर्च किया। अगर दोनों को जोड़ दिया जाय तो कुल 2050 करोड़ रुपया वेतन भत्ते और ब्याज ऋण अदायगी सरकारी खजाने से की जाती रही है और प्रति माह कर और करेत्तर में 800 करोड़ और केन्द्रांश जो 800 करोड़ रुपया भी जोड़ दिया जाय तो कुल 1600 करोड़ रुपया प्रति माह हमारे खजाने में जा रहा है। इस तरह से अगर हम देखें तो हम 450 करोड़ रुपया प्रति माह लास में रहे। मान्यवर, यदि हम 87-88 से तुलना करें। तो 87-88 में हमारी राजस्व प्राप्तियां थी 5331 करोड़ और राजस्व व्यय था 5078 करोड़ रुपया यानि हम 2.52 करोड़ रुपया लाभ में थे। 99-2000 इन दस सालों में देखें। राजस्व प्राप्तियां हैं 17478 करोड़ रुपया और खर्चा है 25496 करोड़ रुपया। इस तरह से हम 8018 करोड़ रुपया माइनस में हैं। तो यह है वित्तीय स्थिति। पांच वर्षों में देखें। पांच वर्षों में वृद्धि हुई है 44 प्रतिशत और खर्चा हुआ है 89 प्रतिशत। तो इस तरह से यह संतुलन बिगड़ा है। जो यह हालत हुई वह क्यों हुई उसके बारे में कहना चाहूंगा। जो पंचम वेतन आयोग लागू हुआ निश्चित तौर पर प्रदेश के ऊपर जो वित्तीय व्यय भार पड़ा यह भी एक कारण है। दूसरा जो खाली पद थे जिनमें पहले रोक लगी थी इसमें नियुक्ति की गयी जिससे भी बड़ा वित्तीय व्यय भार पड़ा। नये पदों का सृजन भी किया गया। वर्क चार्ज अस्थायी को स्थायी करने में 250 करोड़ रुपये

का व्यय भार पड़ा । ऋण जो अधिक से अधिक ले रहे हैं उसका ब्याज और किश्तों की अदायगी में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण लगभग 7 हजार करोड़ रुपये का भार इस प्रदेश के खजाने पर पड़ा ।

मान्यवर, इसी तरह से बढ़े मंत्रिमण्डल और जो निगमों के अध्यक्ष नामित किये गये हैं उसके कारण भी एक बड़ा खर्च इस खजाने पर आया है । मान्यवर, मैं यहां यह बताना उचित समझता हूं कि एक दिन इस मंत्रि-परिषद् के वरिष्ठ मंत्री, श्री कलराज मिश्र मुझसे कह रहे थे कि हम लोगों में प्रदेश के मंत्रियों के जो पाकेट खर्चे हैं उनको देखें तो सबसे अधिक खर्च, पाकेट मनी के रूप में किसने किया है, तो मुझे जानकारी मिली कि एक ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने एक साल में 48 लाख रुपये इस प्रदेश के खजाने से पाकेट एलाउन्स के रूप में लिया है । उन्होंने उस मंत्री का नाम नहीं बताया था लेकिन इससे बहुत बड़ा व्यय भार इस प्रदेश पर पड़ा है ।

मान्यवर, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए मंत्री और मुख्य मंत्री ऐसा कर रहे हैं और एक ट्रेडीशन बन गया है जिसके कारण इस प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर खराब असर पड़ रहा है, इसमें चाहे नये मंत्रिमण्डल के सृजन की बात हो, ब्लाक अथवा तहसील के सृजन की बात हो । इधर कई वर्षों से प्रदेश में एक अच्छा प्रशासन देने के नाम पर जो स्थानान्तरण किये जाते हैं उससे भी बड़ा व्यय भार भत्तों के नाम पर वित्तीय व्यय भार खजाने पर पड़ा है । मान्यवर, इसी तरह से कर वसूली ठीक ढंग से न होने के कारण प्रदेश के ऊपर एक वित्तीय संकट आया है । मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 31 जनवरी, 1998 तक 3904.35 करोड़ रुपये का बकाया था जिसमें से 60 प्रतिशत वसूली अयोग्य घोषित की गयी, इस प्रकार 2346.9 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाले गये ।

मान्यवर, इसी तरह से अल्प बचत से उधार लिया जाता है । पिछले वर्ष और इस वर्ष जो उससे दिया है उसके सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 1997-98 में हमने 15 सौ करोड़ रुपया अल्प बचत से उधार लिया था लेकिन उसमें वापसी 1610 करोड़ रुपये दी गयी है ।

मान्यवर, इसी तरह से जो बाढ़ योजनायें हैं और जो विकास के कार्य किये जाते हैं उसमें केन्द्र सरकार से 30 प्रतिशत धन हमें मिला किन्तु उसमें खर्च 10 प्रतिशत किया है ।

इसका भी परिणाम जो है इस प्रदेश के विकास के ऊपर पड़ा है । इसी तरह से मान्यवर, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था वर्ष 1978-89 से वर्ष 1998-99 तक जो पैसा उपयोग नहीं हो पाया था वह पी० एल० ए०, में रखा हुआ था । वह 3 हजार करोड़ रुपये के करीब था । जिसको बिना सोचे-समझे खर्च करने का कार्य सरकार ने किया है और राज्य स्तर और जिला स्तर पर कर्मचारीगण होड़ लगाकर खर्च करने लगे वित्तीय संकट की स्थिति इससे बन गई । जितना पी०ए०एल० में पैसा होता है रिजर्व बैंक द्वारा लिये गये कर्ज पर ब्याज नहीं लगता और ओवर ड्राफ्ट की स्थिति में जाने से वह रोकता है । वर्ष 1998-99 में माननीय कल्याण सिंह जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि यह प्रदेश ऋणों के मकड़जाल में फंस गया है और जल्दी से जल्दी हमें निकलना होगा और अगर हम नहीं निकल पाये तो यह प्रदेश की वित्तीय स्थिति बहुत ही भयावह हो जायेगी । परन्तु वही कल्याण सिंह जी ने 1999-2000 में जो बजट पेश किया इसका जिक्र करना उचित नहीं समझा और इसी तरह से ऋणों के मकड़जाल, ऋणग्रस्तता को कैसे कम किया जा सकता है इसके बारे में कोई उपाय बताना इस बजट में उचित नहीं समझा गया है । शायद उनकी मजबूरी है ।

31 मार्च, 1994 को इस प्रदेश के ऊपर 26 हजार 920 करोड़ रुपये कर्ज था । 1998 में यह कर्ज बढ़कर 41 हजार करोड़ रुपये हो गया और मान्यवर, 1999 में यह बढ़ करके 57 हजार करोड़ रुपये हो गया । यह जो आंकड़े 31 मार्च 94, 1998, 1999, 2000 इस बजट पुस्तिका में प्रस्तुत किये गये हैं उसके अनुसार 67 हजार 308.90 करोड़ रुपये इस प्रदेश के ऊपर 31 मार्च 2000 को प्रदेश की ऋणग्रस्तता दर्शायी गई है । यानी कि जो कर्जा 43 सालों में 26 हजार करोड़ रुपये हो गया था । भाजपा सरकार ने 26 हजार करोड़ रुपये से 67 हजार करोड़ रुपये पहुंचाने का काम किया है । इसलिये माननीय वित्त मंत्री जी ऋणग्रस्तता कम कैसे करेंगे इसलिए इन्होंने इसमें कह देना समीचीन नहीं समझा । मान्यवर, जो प्रदेश की स्थिति बनी है, जो राजा-रजवाड़ों के साम्राज्य खड़े होते थे वे अपनी सम्पत्ति को बेचने का काम करते थे, उससे काम न चलने पर ऋण लेते थे और ऋण नहीं दे पाते थे तो अपनी हवेली बेच दिया करते थे ।

तो मान्यवर, प्रदेश की यही स्थिति है जो गरीब स्थिति वाले राजे-राजवाड़ों की होती थी । अगर आप ऋणों की कमी नहीं कर पाये तो निश्चित रूप से इसका भयावह प्रभाव इस प्रदेश पर पड़ेगा । हम इसके लिए सुझाव भी देंगे कि कैसे कम करें ।

मान्यवर, जो सार्वजनिक उद्यम हैं, 50 निगम हैं और उसमें राज्य सरकार का निवेश 13127 करोड़ का है और अनुदान 2438 करोड़ है इस प्रकार से कुल 15565 करोड़ का निवेश है । वर्ष 97-98 में 27 निगम लाभ में हैं और 13 निगम घाटे में हैं । अगर घाटा और मुनाफा जोड़ दिया जाय तो कुल घाटा 374.20 करोड़ का है जो इन निगमों से हो रहा है । इसी तरह से राजस्व वसूली का है । मान्यवर, विकास दर का अगर देखें तो यह सातवीं पंचवर्षीय योजना 85-90 में 5.7 प्रतिशत थी और आठवीं पंचवर्षीय योजना 92-97 में 2.9 प्रतिशत और नवीं पंचवर्षीय योजना में 97-2002 में लक्ष्य 7 प्रतिशत रखा है । मान्यवर, 97-98, 98-99, 99-2000 बीत चुका है और हम 2000-2001 के बजट पर चर्चा कर रहे हैं । नवीं पंचवर्षीय योजना के 4 वर्ष बीत चुके हैं और एक वर्ष शेष है जिसमें हमने 7 प्रतिशत का लक्ष्य रखा । मान्यवर, नवीं पंचवर्षीय योजना 46,340 करोड़ की और 97-98 की वार्षिक योजना 7,163.34 करोड़ की और उसके सापेक्ष हमने जो प्राप्त किया है वह है 652.35 करोड़ ।

मान्यवर, 98-99 में जो वार्षिक योजना थी वह 10 हजार 260 करोड़ की थी और उसके सापेक्ष जो प्राप्त हुआ है वह है 6,436 करोड़ । इसी प्रकार से 99-2000 में 11400 करोड़ की योजना थी और उसके सापेक्ष जो प्राप्त हुआ है वह है 3456.01 करोड़ । जिसको कल्याण सिंह जी ने वित्त मंत्री के रूप में बजट प्रस्तुत करते समय कहा था कि प्रदेश को त्वरित विकास की गति देने के लिए इसे भारत सरकार के योजना आयोग से संघर्ष करके इतनी बड़ी योजना तय किया है । वर्ष 99-2000 में जो हमारा योजना आकार तय हुआ था उसके सापेक्ष जो प्राप्त किया यह प्रदेश की जर्जर स्थिति की हालत को दर्शाती है । मान्यवर, उत्पादक मदों में 70 प्रतिशत की, जो योजना आकार तय हुआ था उसमें 70 प्रतिशत कटौती इसकी जर्जर स्थिति के कारण, वेतन भत्तों के कारण की गयी जो आज तक प्रदेश में कभी नहीं करनी पड़ी । इसका परिणाम यह हुआ है कि विकास का पैसा वेतन भत्तों और पेंशन आदि देने में खर्च हुआ और विकास के कार्यों में उसका उपयोग नहीं हुआ । जो नई मदें 99-2000 में तय की गयी थी उनमें एक पैसा भी नहीं दिया गया । इसी तरह से गरीबी की रेखा की बात है । केवल इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की प्रतिशत संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है । वर्ष 1996 में जहां यह 35.1 प्रतिशत थी, वहीं 1998 में यह 41.16 प्रतिशत हो गयी और 1999 में 48.6 प्रतिशत हो गयी । चूंकि 31 मार्च, 2000 का आंकड़ा प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिये मैं उसे बता नहीं सकता, लेकिन इस समय तक यह निश्चित तौर से आगे गई होगी ।

सामाजिक सेवाओं के लिये जो परिव्यय निर्धारित है, वह भी हम दिन प्रतिदिन कम करते जा रहे हैं । प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर 12.6 प्रतिशत बजट का रखा गया था, वहीं 97-98 में हम केवल 6.3 प्रतिशत खर्च कर पाये । इसी प्रकार चिकित्सा मद में 8.5 प्रतिशत रखा था, वह 97-98 में घटकर 2.4 प्रतिशत रह गया । अद्यतन जानकारी न तो साहित्य में मिल पाई, न विभाग से कोशिश करने पर मिल पाई । पूंजी निवेश की जो स्थिति है, उसे भी आपके सक्षम रखना चाहता हूं । वर्ष 98-99 के लिये 3092 करोड़ रुपये प्रस्तावित था, उसके सापेक्ष वास्तविक निवेश केवल 1009 करोड़ रुपये हुआ । इसी प्रकार 99-2000 में 4761.26 करोड़ प्रस्तावित था, जिसके सापेक्ष मात्र 400 करोड़ रुपये का निवेश हो पाया । इसका कारण क्या है, क्यों उद्यमी उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहते । मेरे पास इसके आंकड़े हैं । आज जो दक्षिण के राज्य हैं, महाराष्ट्र हैं, तामिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश है, माननीय वित्त मंत्री जी अपने अधिकारियों को भेजकर केवल एक प्रदेश आन्ध्र प्रदेश का अध्ययन करा लीजिये, वहां भी एक व्यक्ति मुख्य मंत्री है, चन्द्र बाबू नायडू, जो आपकी सरकार के सहयोगी हैं । किस तरह से उन्होंने अपने प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति दी है । आपको भी फुरसत लगे तो जरूर वहां देखकर

इस उत्तर प्रदेश के लिये कुछ करने की कोशिश कीजिये । दक्षिण के राज्यों में लोग निवेश करना चाहते हैं, कोई भी उत्तर प्रदेश में आज निवेश करने को तैयार नहीं है, इसका प्रमुख कारण है, बिगड़ी कानून व्यवस्था, आज कोई भी निवेशक नहीं चाहता ।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय वर्मा जी, अब समाप्त कीजिये ।

श्री बी०आर० वर्मा-

ठीक है, मैं समाप्त किये देता हूं ।

श्री बाबू राम यादव-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने बोलने की अनुज्ञा दी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । हालांकि माननीय वर्मा जी ने कहा है कि बजट से सम्बन्धित जो निश्चित जानकारियां मिलनी चाहिये, वह साहित्य उपलब्ध नहीं है । लेकिन जो जनरल चीजें हैं, उसके काफी सारे आंकड़े दिये गये हैं, लेकिन अद्यतन स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि साहित्य उपलब्ध नहीं है लेकिन फिर भी इस सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, यह इतना निराशाजनक है कि इससे कोई आशा ही नहीं की जा सकती । इसलिये नहीं की जा सकती क्योंकि इस बजट में ऐसा कोई बिन्दु नहीं है, कोई ऐसा पैरा नहीं है, ऐसा कोई वाक्य नहीं है, जिससे प्रदेश की जनता इस सरकार से कोई भी अपेक्षा कर सके । जो मुख्य-मुख्य समस्यायें इस देश में हैं, उसमें प्रमुख है पीने के पानी की उपलब्धता । आपको पता है, बड़ा भारी संकट है दो तीन प्रदेशों में और उत्तर प्रदेश में भी यह संकट विद्यमान है । मान्यवर, हमारे जनपद में मैनपुरी जिले में बरनाल और करहल ऐसे हैं जहां जल स्तर नीचे चला गया है, वहां एक भी कुएं में पानी नहीं है । लेकिन इस बजट में कोई दिशा-निर्देश नहीं है कि जनता को उसको जल उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या प्रयास होगा और सरकार इसके लिए क्या काम करेगी । माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत समझदारी से आरोप लगाया विपक्ष पर कि पिछली गलतियों के कारण यह प्रदेश की वित्तीय हालत हुई है । माननीय वित्त मंत्री बहुत वरिष्ठ हैं, होशियार भी बहुत हैं ।

(2 बजकर 31 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हरवंश कपूर पीठासीन हुए)

लेकिन वह भूल गये कि जो आंकड़े रखे पिछली सरकार के, आपके कार्य कलाप के जब लोग कहेंगे तो मखौल हो जायेगा, उसमें सत्यता नहीं आयेगी । जो घाटा हो रहा है, प्रदेश का दीवालियापन जो हुआ है, वह मौजूदा सरकार के समय में हुआ है, उसके पहले आर्थिक दीवालियापन नहीं था । मैं कहना चाहता हूं, पिछली जो योजना थी, 99-2000 की वह 11400 करोड़ रुपये की थी और मुश्किल से 5100 करोड़ का ही उसमें विनिवेश हो पाया और सारे का सारा घाटा ही चला गया । मेरे पास यदि अद्यतन स्थिति होती तो उसे भी बताते । तो आपकी जब से सरकार आयी है तब से राजकोषीय घाटे बढ़े हैं, गलत नियोजन के कारण ही नहीं प्रदेश को दीवालियापन के कगार पर पहुंचाने के लिए यही सरकार जिम्मेदार है और कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है । जहां तक विकास की बात है इस सरकार के रहते इस प्रदेश का विकास तो संभव ही नहीं है, असम्भव है और इसलिए असम्भव है कि जब सरकार के पास वित्तीय संसाधन नहीं है, औद्योगीकरण होगा नहीं, तो उत्पादन कैसे होगा और जब उत्पादन नहीं होगा, तो आय कैसे बढ़ेगी और जब आय नहीं बढ़ेगी तो विकास के लिए धन कहां से आयेगा ? मान्यवर, बड़ी शर्मनाक स्थिति है । सरकार सदन में आकर अपने चेहरे को साफ करने के लिए बातें तो बहुत करती है लेकिन इस दिशा में कोई कदम उठता दिखायी नहीं देता । आज की स्थिति हम देखें ऐसा लगता है कि जो इस सरकार के रहते आर्थिक गिरावट आयी है, आंकड़े सारे प्रस्तुत हो चुके हैं, दोबारा प्रस्तुत करें तो समय बर्बाद होगा । जो वित्तीय स्थिति में गिरावट आयी है, जो हमारी आय पिछड़ी है, जो हमारा

प्रशासनिक व्यवस्था गड़बड़ाई है उसका मुख्य कारण यह सरकार और सरकार में-एकरूपता न होना है। यही कारण है कि इस सरकार में बैठे हमारे सम्मानित साथी एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय हैं और सही नियोजन के लिये बैठकर चिंतन नहीं होता। अगर विपक्ष के लोग भी चिंतन में बैठ जायं तो बुरी बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आप विपक्ष को मत बैठाइये लेकिन जो लोग सरकार में है जिनको इस प्रदेश की 16 करोड़ जनता के भाग्य को बनाना है उनको तो कम से कम एक मत होना चाहिये।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा० अरविन्द कुमार जैन)-

आप भी शासन में रहे हैं हमें कब बुलाया है ?

श्री बाबूराम यादव-

यह बात मैंने उन लोगों से कही है जो मानसिक रुप से स्वस्थ हैं, क्षमा कीजियेगा मैंने मजाक में कहा है। माननीय अधिष्ठाता जी, जबसे सरकार बनी है प्रदेश का घाटा प्रतिवर्ष बढ़ता चला जा रहा है। वित्त मंत्री जी ने कहा कि यह पिछले गलत नियोजन का परिणाम है। एक सेंटेंस में यह कह दिया। उनकी यह बात भ्रामक और सदन को गुमराह करने वाली है। जो लोग यह बात सुनेंगे और जो लोग आपके बारे में जानते हैं आपके बारे में उनकी क्या धारणा बनेगी ? जो सरकार का काम करने का तरीका है उससे यह प्रदेश दिवालिया हो रहा है और हो गया है। आज प्रदेश में कोई भी उद्योग लगाने के लिए तैयार नहीं है। औद्योगिक विकास के बारे में राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के समय चर्चा में भी यह बात आयी थी और मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि औद्योगिक विकास होगा। यह प्रदेश तब तक तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक औद्योगिक विकास नहीं होगा। सरकार में बैठे हुए लोग ईमानदारी से औद्योगिक विकास के प्रति कृतसंकल्प नहीं हैं। जो बाहर के लोग उद्योग लगाने आते हैं उनसे इतनी बड़ी रिश्वत की मांग की जाती है, जो वह दे नहीं सकते और वह दूसरे प्रदेशों को चले जाते हैं। परसों मुझे एक किस्सा सुनाया गया, मुझे बताया गया कि 5 लाख रुपया रिश्वत उद्योग लगाने के लिए मांगी गयी तो उद्योग लगाने के इच्छुक ने कहा कि अगर इतनी बड़ी रिश्वत देनी है तो रिश्वत न देकर हम महाराष्ट्र में क्यों न उद्योग लगा लें ? प्रदेश में औद्योगिक विकास करना है तो आपको अपने विचारों में परिवर्तन लाना पड़ेगा और आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाना पड़ेगा। यह देश और प्रदेश कृषि प्रधान है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए बजट में कोई चीज नहीं रखी गयी है। कृषि के लिए सिंचाई सुविधायें नहीं होंगी, विद्युत की व्यवस्था नहीं होगी तो कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ सकता और जिस प्रकार से अन्य प्रदेशों में भुखमरी की स्थिति है उसी प्रकार से यह प्रदेश भुखमरी के कगार पर पहुंच जायगा। जो आंकड़े आपने बताये हैं उसमें कहा गया है गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जायगा लेकिन कैसे उठाया जायेगा इस पर भी कभी चर्चा नहीं होती है। इसके लिए क्या प्लेटफार्म बनेगा, क्या आधार बनेगा इसके लिए इस बजट में कहीं कोई चर्चा नहीं की गयी है। मान्यवर, जहां तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की बात है जब उसका अलग से बजट आयेगा उस समय बात की जायगी लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि सिंचाई विभाग की वजह से इस वर्ष प्रदेश के कृषि उत्पादन को बहुत झटका लगा है और हजारों बीघे जमीन पानी के लिए तरसती रह गयी। सिंचाई विभाग ने कोई व्यवस्था नहीं की। मान्यवर, 500 ट्यूबवेल आगरा मण्डल में बन्द पड़े हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। नहरों की सफाई नहीं हुई, आधे-आधे नहरों तक पानी पहुंचा, आधे तक पानी नहीं पहुंचा। जब इस तरह से काम होगा, इस तरह की कार्य पद्धति होगी तो औद्योगिक विकास तो हो ही नहीं रहा है, कृषि विकास भी अवरुद्ध हो रहा है। कृषि विकास अवरुद्ध हो गया तो प्रदेश में भुखमरी बढ़ेगी। हम इस बजट के माध्यम से कंगाली के कगार पर पहुंचे ही हैं, दिवालिया तो हो ही गये, अब पेट के लिए भी इस सरकार के रहते हुए तड़पेंगे। मान्यवर, जैसा कि अभी साथियों ने बताया कि जो

आपके लोग हैं जिन्होंने बजट की समीक्षा की है और जितना मैंने पढ़ा है, अभी वर्मा जी ने अपनी बात रखी, अम्बरीष जी ने भी कहा, किसी भी ऐसे विद्वान व्यक्ति का एक वाक्य भी इस बजट के पक्ष में नहीं आया है। जो वित्तीय मामलों की जानकारी रखते हैं। उन सबने एक ही बात कही है कि यह बजट बहुत ही निराशापूर्ण, अनियोजित और गैर जिम्मेदाराना है। इससे प्रदेश का भला तो हो ही नहीं सकता।

वित्तीय स्थिति और खराब होगी। हरीश जी ने तो कह दिया है कि "ऐसे जतन से ओढ़ी चदरिया कि जस की तस धर दीन्हीं।" यह सही है कि जस की तस धर दीन्हीं। लेकिन अगर आप जतन से ओढ़े होते तो, क्रान्तिकारी सुधार लाये होते तो स्थिति दूसरी होती। आप वह स्थितियां करके दिखाते, कभी-कभी समय मिलता है, जिन्दगी भर कोई एक पद पर नहीं रहता। अगर आप अच्छा काम करते तो जब तक सदन रहता तब तक लोग आपको याद रखते। लेकिन आपने कुछ नहीं किया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बजट में जहां भ्रष्टाचार को उत्तम बिन्दु रखा गया है, उसको नम्बर-1 पर दिखाया गया है। हम लोगों को लज्जा आती है, बजट में संकेत या एक वाक्य भी नहीं है। मेरे पास एक चिट्ठी है, मुझे कहने में हिचक लगती है। माननीय अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं मेरे पास एक चिट्ठी है, अगर आपकी राय हो तो उसे पढ़ दें, बजट से इसका कोई मतलब नहीं है। उ० प्र० लोक निर्माण विभाग अभियन्ता संघ, 6 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ। माननीय श्री कलराज मिश्र, मंत्री, लोक निर्माण एवं पर्यटन उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। विभाग में भ्रष्टाचार चरम की ओर अग्रसर। मान्यवर, वैसे तो सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की बात चौंकाने वाली नहीं रह गयी है परन्तु लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार की वर्तमान स्थिति तथा भ्रष्टाचार के प्रति संवेदनहीनता की स्थिति अब अभूतपूर्व हो गयी है। तथाकथित स्थानान्तरण उद्योग का मुद्दा लगभग सभी संघों द्वारा उठाया जाता रहा परन्तु सरकार ने इस मुद्दे के प्रति संवेदनहीनता का परिचय देते हुए चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी अधिकारियों के स्थानान्तरण का क्रम जारी रखा है।

आम चर्चा के अनुसार वर्तमान में एम० आर० रोड्स भवन तथा अन्य कार्यों हेतु बजट आवंटन से पांच से दस तथा कतिपय मामलों सम्भवतः फर्जी कार्यों में पन्द्रह प्रतिशत तक मुख्यालय पर ही वसूल कर लिया जाता है। इस प्रकार कार्यों के बजट में से करोड़ों रुपये मुख्यालय पर ही कुछ अधिकारियों द्वारा बांट लिया जाता है। इस सम्बन्ध में तत्कालीन प्रमुख अभियन्ताओं को बार-बार लिखे जाने के बाद भी स्थिति में सुधार होने की जगह स्थिति बद से बदतर हुई है। अब तो वास्तव में कुरीतियां विभाग के सामान्य कार्य प्रणाली का अंश बन गयी हैं। वर्ल्ड बैंक/डास्प कार्यों के टेण्डर के अनुमोदन के समय ही सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा एक प्रतिशत ले लिया जा रहा है। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार अभी हाल में करोड़ों रुपये वर्ल्ड बैंक कार्यों के टेण्डर हुए हैं विभाग में व्याप्त कुरीतियों का कार्यों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी है। कतिपय अपवादों को छोड़कर अधीक्षण अभियन्ताओं, मुख्य अभियन्ताओं द्वारा प्रतिमाह निर्माण खण्डों से कार्यों के बजट का निश्चित धनराशि वसूल किया जाना कार्य प्रणाली का सामान्य व्यवहारिक अंग बन चुका है। इस सम्बन्ध में जब पूर्व में तत्कालीन प्रमुख अभियन्ता से वार्ता की गयी तो उन्होंने इसे अधिशासी अभियन्ता संघ का मुद्दा न मानते हुए टाल दिया गया। विभाग के कई अधिकारियों के नाम का उल्लेख न करने की शर्त के साथ पुष्टि की है [xxx]। भ्रष्टाचार ऊपर से ही नीचे आता है। अधीनस्थों को उच्च अधिकारियों, पदस्थ लोगों से ही प्रेरणा

नोट :- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक 2-5-2000 की कार्यवाही में दिये गये आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मिलती है । इस कथन को चरितार्थ करते हुए वर्तमान में मुख्यालय कार्यालय सचिवालय में बिना पैसे दिये कोई काम समय से कराना सम्भव नहीं है ।

कर्मचारी कार्यों को रोककर फिरौती वसूलते हैं । भ्रष्ट अधिकारियों का या तो उन्हें संरक्षण प्राप्त होता है अथवा उनमें इतना नैतिक साहस ही नहीं है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से बिना पैसे लिए समय से कार्य न करने पर कोई कार्यवाही तकें । मान्यवर, भ्रष्टाचार की इस अभूतपूर्व स्थिति से ईमानदार सोच के अधिकारियों में हताशा बढ़ रही है । भ्रष्ट प्रवृत्ति के लोगों के लिए वर्तमान वातावरण निश्चित रूप से अत्यन्त अनुकूल है । इन तमाम विपरीत परिस्थितियों से यदि विभाग में कहीं पूर्ण सामग्री तथा गुणवत्ता के साथ कार्य हो रहा है तो यह निश्चित रूप से जांच का विषय बनता है । मान्यवर, जन चर्चाओं की उपेक्षा करना कदापि उचित नहीं है । संघ की ओर से पुनः निवेदन है कि भ्रष्टाचार की वर्तमान अभूतपूर्व स्थितिवार संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए इस पर अविलम्ब प्रभावी रोक जो जन सामान्य को दिखायी दे, लगाने की कृपा करें अन्यथा भ्रष्टाचार अब तो बेखौफ/बेशर्मी के साथ चरम की ओर अग्रसर हो रहा है । यह चिट्ठी दी गयी है माननीय मंत्री जी को । आज तक इस चिट्ठी के सम्बन्ध में एक अक्षर किसी से नही पूछा गया है । इसका मतलब यह है कि किसी को कोई चिन्ता नहीं । इस चिट्ठी पर ऊपर गोपनीय लिखे होने के बावजूद जब हमारे पास तक पहुंच गयी है तो औरों के हाथों में भी पहुंची होगी । क्या इस सरकार का चेहरा है ? मंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे हैं । इन सब चीजों के चलते प्रदेश का विकास कैसे सम्भव है ? शिक्षा के लिए कोई नया रास्ता नहीं, शिक्षा के परिव्यय में कटौती, सिंचाई के परिव्यय में कटौती । काश्तकारों पर पैसा बढ़ाया जा रहा है, सुविधायें नहीं बढ़ाई जा रही हैं, जब सुविधायें नहीं बढ़ेंगी तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा ? और जब उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो विकास सम्भव नहीं है । स्वास्थ्य सुविधायें हैं नहीं ।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया संक्षिप्त करें ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि यह बजट तो मात्र एक औपचारिकता भर है । उस पक्ष का कोई मतलब नहीं है । इतना घटिया बजट इस विधान सभा में इससे पहले कभी नहीं आया । सरकार में बैठे हुए लोग अपना पोषण कर रहे हैं । यह सरकार संवेदनहीन है । न प्रगति है, न उत्पादन है और न ही इनका कोई इरादा है । इनको जनता से कोई लेना-देना नहीं है । इस बजट को तो रद्दी की टोकरी में डालने वाला है । धन्यवाद ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहली बात तो यह है कि बजट का विरोध तो तब किया जाय जब इसका समर्थन आये । आज सत्तारूढ़ दल का कोई विधायक इस बजट के समर्थन में खड़ा नहीं है । इस बजट की सबसे पहली बात तो यह है कि यह बजट वर्ष भर के लिये बनता है और यह बजट समय से नहीं आया है । अप्रैल में आ रहा है मई में पास होगा । तीन महीने का लेखानुदान ले ही चुके हैं । यह 9 महीने का बजट है, 12 महीने का नहीं । इस बजट को तो जनवरी-फरवरी में ही आ जाना चाहिए था । मूलभूत कमी है, इसके बावजूद भी हठवादिता के साथ बोल रहा हूं । जिला स्तरीय समितियों की बैठक नहीं हुई है । नियोजन सीमतियों की बैठक नहीं हुई है । जब जिले से नियोजन के रूप में आकार आ जाता है तभी प्रदेश का बजट बनता है । प्रदेश का बजट अप्रैल, में आ रहा है जबकि जिला नियोजन समितियों की बैठकें नहीं हुई हैं इसलिए यह एक आधारहीन बजट है । प्लानिंग कमीशन से जो सहायता मिलनी है उसकी कोई रूपरेखा नहीं है । केवल बजट भाषण पढ़ना है वह आपने पढ़ दिया ।

मैंने पहले भी कहा था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वीकार भी किया कि हम इसे दिखवायेंगे और कमेटियों का गठन करेंगे । अगर आवश्यकता हुई तो बजट को आगे बढ़ायेंगे ।

मान्यवर, यह सहस्त्राब्दि का पहला बजट है । इसमें एक आशा होनी चाहिए थी परन्तु इसमें इस वर्ष के लिए भी कोई प्राविधान नहीं किया गया है । तीन बार यह बजट सत्र स्थगित हुआ । हम समझ रहे थे कि अनुभवशाली मंत्री जी तैयारी में लगे होंगे परन्तु इस बजट को देखकर लगता है कि यह किसी नौसिखिये द्वारा प्रस्तुत बजट है । हम आशा करते थे कि क्रय शक्ति बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, कर्जा कम होगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा परन्तु इन सब का उल्टा हुआ है क्रय शक्ति घटी है और वित्तीय स्थिति खराब हुई है । किसी भी सूरत में इस बजट से प्रदेश का भला होने वाला नहीं है । यदि दो शब्दों में कहा जाय तो यह ''लाला बजट'' है । लाला से मेरा मतलब किसी जाति बिरादरी से नहीं है इसका मतलब है चाहे इधर से ला चाहे उधर से ला, चाहे कर्जे से ला, चाहे वित्तीय अनुशासन तोड़ के ला । पूरी तरह से हमारी शंका सही साबित हुई है और यह एक निराशाजनक बजट है । कारण है- एजेन्डे मे इनका विकास कभी रहा ही नहीं । इस सरकार का निर्माण विकास के वायदे से नहीं हुआ है बल्कि धर्म, राजनीति और लाभ करने के आधार पर इनका गठन हुआ है इसीलिए विकास की रूपरेखा इन्होंने रखी नहीं जिसके कारण आज पूरा प्रदेश पिछड़ता चला गया, कंगाल हो गया । अब तो आप धर्म की राजनीति छोड़ कर कम से कम विकास की राजनीति तो करें । जहां आज मैं बैठा हुआ हूं वहां पर हरीश जी बैठा करते थे, तत्कालीन मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी जी ने जब बजट प्रस्तुत किया था तो 18 जुलाई को माननीय श्री हरीश जी ने बोलते हुए कहा था --'इसमें किसी नये रोजगार का अवसर नहीं मिल पायेगा, नयी योजनायें नहीं बन पायेंगी कोई तरक्की नहीं हो पायेगी, सत्ता पक्ष आंकड़ों का खेल खेल रहा है इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है ।'' मान्यवर, जब हरीश जी ने कहा था कि बजट की आलोचना की थी यहां पर बैठकर आज आप वित्त मंत्री के रूप में उसी तरह से बजट प्रस्तुत कर रहे हैं और उससे मुकाबला कर रहे हैं । अगर वह बजट आपकी नजर में खराब था तो इससे ज्यादा खराब बजट इस सहस्त्राब्दि में नहीं आया । जिस समय नारायण दत्त तिवारी जी ने बजट प्रस्तुत किया था उस समय 5 प्रतिशत से ज्यादा विकास दर थी । 32 करोड़ का सिर्फ टैक्स लगा था और 175 करोड़ का घाटा था । 5 प्रतिशत की विकास की दर पर 32 प्रतिशत नया टैक्स और 175 करोड़ का घाटा । इधर बैठकर आपने इसे घटिया और खराब कहा था । आपने जो बजट प्रस्तुत किया उसे देख लें । पिछले 10 सालों में इस प्रदेश को तबाही और बरबादी के अलावा कुछ नहीं मिला । अगर मैं आपसे कहूं कि आपने तो कहा था 85 में कि यह बजट खराब है तो यह बजट जो प्रस्तुत किया गया है आपके द्वारा इससे ज्यादा सत्यानाशी बजट और नहीं हो सकता है ।

वित्त मंत्री (श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव हरीश जी)-

मैं नारायण दत्त जी की बड़ी इज्जत करता हूं । कहीं मुझसे चूक हो गयी हो कि मैंने उनकी आलोचना की ।

श्री प्रमोद कुमार-

मेरे पास वह प्रतिलिपि है । मैं आपको दे देता हूं आप स्वयं पढ़ लें । जितनी इज्जत आप नारायण दत्त तिवारी जी की करते हैं उतनी ही इज्जत मैं आपकी करता हूं ।

श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''--

मेरे और तिवारी जी के सम्बन्ध बहुत अच्छे थे आप जानते हैं । मैं उनकी आलोचना कैसे कर सकता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं उनकी आलोचना की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी बात आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज जिस जगह आप बैठे हैं उस जगह हम बैठा करते थे और वहां से एन०डी० तिवारी जी ने बजट प्रस्तुत किया था और आज जहां हम बैठे हैं वहीं बैठा करते थे और आपने यहां से उस बजट को खराब बताया था उसकी आलोचना की थी।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

इसके लिये इतने पीछे जाने की क्या जरूरत थी ? मैं समझ गया। वो समय और था। बजट की आलोचना की होगी।

श्री प्रमोद कुमार–

जब आप मान रहे हैं कि वह अच्छा था यह खराब है तो आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने सिर्फ यह कहा था कि मैंने वह हिस्सा पढ़ा है जो आपने बजट की आलोचना के सम्बन्ध में कहा था। यह 18 जुलाई, 85 की कार्यवाही है उसका पृष्ठ-101 है। कार्यवाही में अंकित है आप चाहें तो मैं भेज दूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं कि यहां का साउन्ड सिस्टम ठीक करा दें।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

आपकी बात समझ में आ गई कि जहां से आप बोल रहे हैं वहां बैठकर मैं बोला करता था।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बार फिर कह दूं कदाचित् हरीश जी के मन में भ्रम न रहे। हरीश जी आज जहां बैठकर बोल रहे हैं वहां हम बैठा करते थे। जहां मैं हूं वहां पर आप बैठा करते थे। एक चीज समान है जितनी इज्जत आप तिवारी जी की करते थे उतनी ही इज्जत मैं आपकी करता हूं। मान्यवर, वित्त मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसमें कुल प्राप्तियां 46,215.02 करोड़ है कुल खर्चे यह करेंगे 49,933.04 करोड़, इस तरह से आमदनी और खर्चे में सिर्फ 3,720.20 करोड़ का घाटा है। अब मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उसको पूरा करने के लिये 3,210.41 करोड़ रुपये का कर्ज लोक लेखा से लिया है। मुझे आपत्ति है इस पर लोक लेखा से जो कर्जा लिया है वह अगर आपने लिया है तो वह कहां से आयेगा ? आप किसी संस्था से ले लेते, केन्द्र से अनुरोध कर लेते। लेकिन किससे लिया है कर्मचारियों के प्रोविडेन्ट फण्ड से जो उसकी पेंशन के लिये जमा है, उसकी ग्रेच्युटी के लिये जमा है उस पैसे को जो कर्मचारी ने रखा था अपनी बेटी की शादी के लिये। बीमारी से मुक्ति देने के लिए आर्थिक साधन के लिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए होता था, लेकिन सरकार ने उससे कर्जा ले लिया इसलिए प्राविडेन्ट फण्ड से पैसा निकालने में कठिनाई हो रही है यह आप बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परम्परा डाल रहे हैं। 3210 करोड़ उससे मिला फिर भी 500 करोड़ का घाटा रहा है 1806 करोड़ मिला दें तो भी 1128 करोड़ का घाटा रहेगा। आपने अपनी सुविधा के लिए बजट प्रस्तुत किया है इतने घाटे का बजट आज तक किसी ने प्रस्तुत नहीं किया (आप घाटे का बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री के नाम से इतिहास में जाने जायेंगे। यह बजट निसन्देह उत्तर प्रदेश को कंगाली, बरबादी और तबाही की ओर ले जा रहा है। इस बजट की जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। इससे कैन्सर उत्तर प्रदेश को लगने जा रहा है। आप कर्मचारियों की भविष्य निधि पर रहम खाईए। अगर कोई फैक्ट्री का मालिक प्राविडेन्ट फण्ड से पैसा निकालता है। तो उसे आप जेल भेजते हैं। आप भी तो वही काम कर रहे हैं लेकिन आप सरकार है इसलिए सुरक्षित हैं वरना आप भी जेल जाते इतना घाटे का बजट प्रस्तुत करने पर आप इतिहास में जाने जायेंगे। आपने जनता से सहायता ली है यह बहुत गल्ती की है, यह नौसिखिया बजट है। माननीय

वित्त मंत्री जी 3210 करोड़ लिया है इस पर मैं आपसे पुनर्विचार का अनुरोध करते हुए कहूंगा कि इसे आप न लें । अब खजाने का घाटा देखते हैं । 12,256.29 करोड़ रुपये का घाटा, यानि 33.57 करोड़ रुपये का प्रतिदिन का घाटा है । यह बजट का पहले का घाटा था । अब नये सिरे से देखें तो कल बजट पास हो जाएगा तो खजाने का घाटा और बढ़ेगा यह हो जाएगा । 13 लाख 662 करोड़ तो प्रतिदिन करीब 40 करोड़ का घाटा होगा । मैं चाहूंगा कि इस पर पुनर्विचार कर लें । आप गैर कांग्रेसवाद की बात कर रहे थे, मैं कहना चाहता हूं कि 1987-88 में कांग्रेस की सरकार थी और कुल घाटा कुछ नहीं था 250 करोड़ रुपये की राजस्व की बचत थी और 2000-2001 में आपने क्या स्थिति बदल दी है । 5885.16 करोड़ का घाटा है । 87 से जो सफर चला था वह 2000-2001 में आकर उसका घाटा 5885 करोड़ हो गया । मैं कहना चाहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश को कर्जा वाला प्रदेश बना रही है, जो कि उचित नहीं है । आपको यह शोभा नहीं देता है कि आप कांग्रेस की आर्थिक नीतियों की आलोचना करें । आप जब जवाब देने के लिए उठेंगे, तो आप यह कहियेगा कि कांग्रेस का उस समय कुशल प्रबन्धन था ।

डा० अरविन्द कुमार जैन–

मान्यवर, जब 47 में देश आजाद हुआ था उस समय हमारे खजाने में, 54 करोड़ हमने पाकिस्तान को दिया था, बहुत पैसा था और उस समय हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं था । तो फिर दिवालिया इन्होंने किया या हमने किया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जब कभी वित्त विभाग की चर्चा चलेगी तो मैं वित्त मंत्री जी से बात करना चाहूंगा । लेकिन जब दिमाग के दिवालियेपन की बात चलेगी तो मैं इनसे बात करूंगा ।

(व्यवधान)

मान्यवर, डाक्टर्स की एक टीम बना दें, और इनको रैफर कर दें । इनके बारे में पता चल जायेगा ।

डा० अरविन्द कुमार जैन–

मान्यवर, यह भी हमारे साथ चलें और देख लें, कि कौन क्या है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अगर आप भी इनको नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो इन्हें पी०जी०आई० रैफर कर दें । मान्यवर, दो आलोचना की थी । एक तो आपने घाटे की बात कही थी और नये रोजगार की बात कही थी । कर्जे पर 86-87 में आलोचना करते हुए यह कहा था कि कर्जा लेने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है, इसे देखें । इस बजट से तो कर्जा बढ़ जायेगा । आप प्रति व्यक्ति कर्जा बढ़ा रहे हैं । यह कर्जा हो जायेगा 67146.90 करोड़ का । 16 करोड़ की आबादी है इस हिसाब से 4200.18 का कर्जा प्रति व्यक्ति हो जायेगा और जो बजट आपने दिया है उससे अब हो जायेगा 77820.93 करोड़ रुपया यानि इस वर्ष 10474 करोड़ रुपये की वृद्धि होगा और इस वृद्धि के हिसाब से 4863.80 रुपया कर्जा प्रति व्यक्ति हो जायेगा । यानि कि जो आज नया बच्चा पैदा होगा उसके ऊपर इतना कर्जा होगा । यह सरकार देने क्या जा रही है ? आप कोई उपाय करते । "पर उपदेश कुशल बहुतेरे" । आप यहां बैठकर नारायण दत्त जी की आलोचना करते रहे और जब अपनी बारी आयी तो यह । मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि चाणक्य ने भी कहा था कि यदि कर्जे से घी मिले तो नहीं पीना चाहिए उससे तो अच्छी सूखी रोटी होती है । इससे तो आदतें खराब हो जायेंगी । मान्यवर, अब मैं वार्षिक योजना की बात करूंगा । 99-2000 में 11 हजार 402 करोड़ का परिव्यय हुआ और 2000-2001 में 10 हजार 81.34 करोड़ का है । तो क्या मंहगाई कम

हो गयी, लागत कम हो गयी, बिल्डिंग की कीमत कम हो गयी, पुल का निर्माण लागत कम हो गयी ? आपने जब पहले से कम कर दिया तो क्या योजना का आकार घटाया है ?

मान्यवर, आपने इस वार्षिक योजना का आकार घटाया है । नवीं पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति परिव्यय 1575 रुपये रखा गया था, जबकि उत्तर प्रदेश का परिव्यय 900 रुपये था । इस प्रकार राष्ट्रीय परिव्यय और उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति परिव्यय को देखें तो लगभग आधा है । देश की आबादी का 16.7 प्रतिशत है, तो मैं जानना चाहता हूं कि 5-7 प्रतिशत क्यों है । यह 16 प्रतिशत क्यों नहीं हो रहा है ? मान्यवर, केन्द्र में और प्रदेश में आपकी सरकार है तो आपको हिम्मत दिखानी चाहिए और प्रधानमंत्री से पूछें कि इस प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है ? क्योंकि राष्ट्रीय परिव्यय प्रति व्यक्ति 1575 रुपये है जबकि इस प्रदेश का प्रति व्यक्ति परिव्यय 900 रुपये है, तो यह सरकार की कमजोरी है । मान्यवर, यह शर्म की बात ही नहीं बल्कि चिन्ता की बात है । शर्म तो उनके लिए है और चिन्ता की बात हमारे लिए है । इस प्रकार इन्होंने प्रदेश को कुछ नहीं दिलाया है । मान्यवर, 30 सांसद यहां से केन्द्र में आपने भिजवाया है लेकिन कोई पैकेज इस प्रदेश को नहीं मिला है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और कश्मीर को आर्थिक पैकेज मिला है लेकिन उत्तर प्रदेश को यह सरकार कोई पैकेज नहीं दिला सकी है ।

मान्यवर, बजट भाषण के पृष्ठ–2 में आपने कहा है कि प्रदेश के पिछड़ेपन का मुख्य कारण प्रति व्यक्ति केन्द्र से अन्तरण योजना परिव्यय एवं केन्द्रीय पूंजी निवेश का प्रदेश में कम होना है । इस प्रकार आपने कहा है कि खराब आर्थिक स्थिति के लिए अनियोजित नियोजन जिम्मेदार है । लेकिन बात उसके आप उल्टा कर रहे हैं । आप कहते हैं खराब नियोजन जिम्मेदार है जबकि बजट भाषण के पृष्ठ–2 में कहा है कि प्रदेश में पूंजी निवेश नहीं हो रहा है ।

मान्यवर, वर्ष 1996-97 में वार्षिक योजना 6774.3 करोड़ रुपये की स्वीकृत थी । इसमें 3563 करोड़ रुपये आपने स्वीकृत किया था और 2811 करोड़ रुपये खर्च किया था । किसी प्रकार आठवीं पंचवर्षीय योजना में 25542.70 करोड़ रुपये परिव्यय स्वीकृत था जिसमें 21532 करोड़ रुपये प्राप्त हुये थे और इसमें वास्तविक खर्च 1600 करोड़ रुपये का हुआ था । इस तरह आप 75 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर पाये थे । इसका क्या कारण है, जबकि उत्तर प्रदेश और केन्द्र में आपकी सरकार रहते हुए लक्ष्य आप पूरा नहीं कर पाये थे ? 97-98 में आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र 95 से 97 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं । कम से कम जो लक्ष्य आपने रखा है उसको पूरा तो कर लीजिए । वे राज्य पूरा कर लेते हैं तो मैं उनको योग्य सरकार कहूंगा और आप नहीं पूरा कर पाते हैं तो आपकी सरकार को अयोग्य सरकार कहूंगा । जोड़-तोड़ करके आप बने तो रह सकते हैं लेकिन प्रदेश को बरबाद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं । मान्यवर, बिना केन्द्रीय सहायता से प्रदेश का भला नहीं हो सकता । पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक 7.4 पांचवीं योजना में मिला और वह बाद में घटकर 6 प्रतिशत, 5 प्रतिशत तक पहुंच गया । लक्ष्य 7 प्रतिशत का रखा गया ? आप कितना ले पायेंगे ? आपकी सरकार प्रदेश में और केन्द्र में है । पहली पंचवर्षीय योजना में 10 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता मिली दूसरी योजना में 12 प्रतिशत, तीसरी में 15.9 प्रतिशत और चौथी में 16.9 प्रतिशत मिली थी । पांचवीं में 19.4 प्रतिशत और छठी में 18.2 प्रतिशत मिली थी । मान्यवर, अब आप 10 प्रतिशत पर पहुंच गये हैं । मान्यवर, जब तक प्रदेश में पूंजीनिवेश नहीं होगा स्थिति नहीं सुधरेगी । हम लोग सम्पूर्ण विपक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्तमंत्री जी के पास चलने को तैयार हैं कि इस प्रदेश को जो 19 प्रतिशत केन्द्र की सहायता मिलती थी उसके समकक्ष लायें ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, हम आपके आभारी हैं कि आपने सहयोग की बात कहकर उत्साहित किया है । मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र से जो केन्द्रीय सहायता मिलती है उन्होंने 30 प्रतिशत इस वर्ष कर दिया है ।

(सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री प्रमोद कुमार–

जब आप शुरू में वित्त मंत्री बने थे तो आपने कहा था कि जो हम पर कर्जा है उसको 70 प्रतिशत अनुदान और 30 प्रतिशत ऋण के रूप में करायेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

यह मांग किया था ।

श्री प्रमोद कुमार–

आपकी सुनी नहीं गई । ये जो सहायता आपको मिलेगी यह वेतन और ऋणों की अदायगी में चली जायेगी । प्रदेश के विकास के लिए क्या मिलेगा ? जो सच्चाई है उसे स्वीकार करिए । हमें आपने उस मोहाने पर खड़ा कर दिया है जहां बरबादी के अलावा कुछ नहीं बन पा रहा है । इस बजट का स्वरूप क्या होगा ? इस बजट के बाद मंहगाई बढ़ेगी, व्यापार-कर बढ़ेगा या तो यह कहिये कि भगवान जाने क्या होगा ? 1070 करोड़ का नया टैक्स लगेगा और व्यापार-कर बढ़ेगा । मान्यवर, एक चिन्ता का विषय है राष्ट्रीय आमदनी 92-97 में 3.2 प्रतिशत 88-89 के वर्ष 5.4 प्रतिशत से बढ़कर राष्ट्रीय आमदनी 6.8 प्रतिशत हो गयी तो राष्ट्रीय आमदनी और प्रदेश की आमदनी के बीच में यह फासला बढ़ता चला जा रहा है । राष्ट्रीय आमदनी बढ़ती जा रही है और प्रदेश की आमदनी घटती जा रही है यह फासला प्रदेश को कहां ले जायेगा ? इसको रोकने के लिए कोई मजबूत कदम उठाइये । अगर राष्ट्र की प्रगति के साथ-साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चले तब आप किसी रास्ते पर नहीं जा पायेंगे ।

मान्यवर, इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है । ये प्रदेश को बरबादी की तरफ जरूर ले जा रहे हैं । ये 4-5 साल प्रदेश को बरबाद करेंगे । इनके एजेन्डे में विकास नहीं है यह सरकार विकास में नहीं इंसान की लाशों में बैठी हुई है । मैं इतना जरूर कहूंगा कि यह वार्षिक विकास दर बढ़ाने का कोई काम करें । पढ़े लिखे नौजवान आज कहां जायेंगे ? तकनीकी शिक्षा के लिए कौन सी घोषणा की है ? चिकित्सा शिक्षा मंहगी होने जा रही है, बच्चों की पढ़ाई मंहगी हो गई स्टाम्प रजिस्ट्री के दाम बढ़ेंगे, बिजली के बढ़ेंगे, पानी में राजनीति कर रहे हैं । यह पहली सरकार है जो मूलभूत आवश्यकता के पानी पर टैक्स लगा रही है और इससे पता नहीं कौन से रामराज की परिकल्पना कर रहे हैं । मान्यवर, मैं उतनी इज्जत आपकी करता हूं जितनी इज्जत आप नारायण दत्त तिवारी जी करते थे ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मैं अब भी करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं आपकी इज्जत करता था, करता हूं और करता रहूंगा । लेकिन दुर्भाग्य है कि आप इस प्रदेश के सबसे अक्षम वित्त मंत्री के रूप में याद किये जायेंगे । आपने प्रतिव्यक्ति कर्ज का औसत बढ़ा दिया है राष्ट्रीय औसत आमदनी के मुकाबले प्रदेश की आमदनी कम हुई है प्रदेश की विकास की गति रुकी है । मैं आपकी और ज्योत्सना जी दोनों की इज्जत करता हूं । यह सरकार धर्म के नाम पर अधर्म का काम करने वाली है इसलिये इसकी आलोचना करता हूं । जो सुझाव मैंने दिये हैं आप प्रधानमंत्री जी से कहिये वह यहीं के हैं, के०सी० पन्त जी यहीं के हैं आप वित्त मंत्री जी उन्हीं की कृपा से बने हुए हैं तो क्या

कारण है कि 16 करोड़ की आबादी के साथ यह अन्याय हो रहा है । यह सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश सरकार के साथ कर रही है । अच्छा होता कि इस प्रदेश की सलामती के लिए आप इस्तीफा देकर चले जाइये कोई दूसरी सरकार आये जो इस प्रदेश के लिए हितकारी हो ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा सन् 2000-2001 के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की पुस्तिका का आद्योपान्त बहुत गम्भीरता के साथ मैंने पढ़ने का प्रयास किया और यह तलाशने का प्रयास किया कि प्रदेश सरकार के इस वर्ष के बजट में उत्तर प्रदेश की आर्थिक क्षेत्र में नई उपलब्धि मिलने वाली है । क्या होगी ? इसकी व्यवस्था बजट पुस्तिका में है कि नहीं, इसको गम्भीरता से मैंने भी तलाशने का प्रयास किया, लेकिन मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने इस सम्मानित सदन में जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें मुझे कहीं कोई जान नजर नहीं आई, बिल्कुल निर्जीव यह बजट है, कहीं कोई गतिशीलता इसमें नहीं है और इसका दुखद परिणाम भविष्य में इस प्रदेश की जनता को भोगना पड़ेगा ।

विगत वर्षों में इस प्रदेश की ऋण-ग्रस्तता में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है और यह ऋण ग्रस्तता किस मुकाम तक पहुंची है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता । मैं आपकी अनुज्ञा से इस बजट के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूं । श्रीमन् माननीय वित्त मंत्री जी ने यह दर्शाया है कि सन् 2000-2001 के वित्त वर्ष के बजट में कुल प्राप्तियां 46215.02 करोड़ रुपये अनुमानित है और कुल व्यय 49335.04 करोड़ रुपये अनुमानित है । श्रीमन् राजस्व लेखे का व्यय गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना में 7.71 प्रतिशत अधिक है और समेकित निधि का घाटा 3720.02 करोड़ रुपये है, जबकि 99-2000 में यह घाटा 3421.60 करोड़ रुपये था ।

माननीय वित्त मंत्री जी ने समेकित निधि के इस बड़े घाटे को कम करने का प्रयास लोक लेखा से पैसा लेकर करने का काम किया है और लोक लेखा से समायोजन समेकित निधि के घाटे को पूरा करने के लिये किया गया है । 3210.41 करोड़ रुपये लोक लेखा से समायोजित किया गया है . मेरे मन में आदरणीय वित्त मंत्री जी के प्रति बहुत सम्मान है । मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि लोक लेखा कोई अतिरिक्त वित्तीय संसाधन नहीं है । लोक लेखा में प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है । जो प्रतिभूतियां हैं, भविष्य निधि का पैसा है और अदालतों में जमा मुआवजे की धनराशि आदि, में सारे पैसे इकट्ठा होकर ही लोक निधि लेखा कहलाता है । इसे अतिरिक्त वित्तीय संसाधन मानते हुये वित्त मंत्री जी ने राज्य की समेकित निधि के घाटे को कम दर्शाने के लिये लोक लेखा से बड़ी धनराशि लिया है, जिसकी सराहना नहीं की जा सकती । लोक लेखा से लिया गया यह ऋण वापस करना पड़ेगा, इसका परिणाम यह होगा कि जो घाटा कम दर्शाने का प्रयास किया गया है वह वास्तविक घाटा नहीं है, घाटा इससे कहीं ज्यादा है । वित्त मंत्री जी ने शुद्ध घाटा 1128.48 करोड़ रुपये दिखाया है और घाटे को कम करने के लिये वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है और कहा है कि वह आय के स्रोतों में बढ़ोत्तरी करेंगे और अनुत्पादक व्यय में कमी करेंगे, लेकिन बजट भाषण की इस पुस्तिका को पढ़ने के बाद इसमें इनको त्रुटियों को कार्यरूप में परिणित करने के लिए कोई कठोर संकल्प मुझे कहीं नहीं दिखा बजट भाषण में कहीं नहीं दिखा कि कहीं अनुत्पादक व्यय में कमी करने का कोई निर्णय लिया गया हो या आने वाले दिनों में कौन सा आय का नया स्रोत आप सृजित करेंगे, ऐसा कोई संकल्प इस बजट भाषण में नहीं है, इस प्रकार यह घाटा कैसे कम होगा ? माननीय वित्त मंत्री जी ने जापान के उद्घोष को अपनाने की अपील की है, आपकी अनुज्ञा से मैं उसे पढ़कर दोहराना चाहता हूं प्रदेश की जनताऔर उद्योग के क्षेत्र में लगे हुए कर्मचारियों से श्रमिकों से

इन्होंने अपील किया है कि यह जापान के इस उद्घोष को अंगीकार करें कि हम उपयोग करते हैं तो, कर देंगे क्यों नहीं ? हम वेतन लेते हैं तो काम करेंगे क्यों नहीं ? माननीय मंत्री जी ने इस बजट में किसी नए कर को, लगाने से संकोच तो किया है किन्तु जापान के जिस उद्घोष को अंगीकार करने को प्रदेश की जनता से अपील की है वह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इस बजट के पास होने के बाद अनैतिक तरीके से प्रदेश की गरीब जनता पर भारी करों का बोझ लादेगी यह सरकार । मैं आपकी अनुज्ञा से कहना चाहूंगा । माननीय वित्त मंत्री ने प्रदेश की विकास दर 2004-2005 तक 5 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया है । मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी इस बात से अवगत हैं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के समापन पर प्रदेश का विकास दर 2.9 प्रतिशत पर आ गया है जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य 6 प्रतिशत निर्धारित किया गया था । और वह प्राप्त नहीं किया जा सका । वह नीचे उतरते-उतरते 2.9 प्रतिशत पर आ गई ।

माननीय वित्त मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि 5 प्रतिशत के विकास दर को प्राप्त करने के लिए कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि आवश्यक है, उन आवश्यक क्षेत्रों में प्रगति के लिए उन्होंने कौन सी कारगर और निर्णायक पहल किया है, इसका उनके बजट भाषण में कहीं जिक्र तक नहीं आया है । मैं आपकी अनुज्ञा से कहना चाहता हूं । विकास दर का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर पाना तभी सम्भव होगा जब कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में प्रगति होगी ? प्रदेश सरकार के बजट में ऐसा कुछ नहीं है । माननीय वित्त मंत्री ने इतनी कृपणता की है, कृषि क्षेत्र में, कृषि उत्पादन का कोई लक्ष्य अपने बजट भाषण में निर्धारित ही नहीं किया है । माननीय वित्त मंत्री जी ने 15 करोड़ रुपये की मामूली धनराशि से कृषि विकास निधि की स्थापना की है । कृषि का विकास तभी सम्भव है जब प्रदेश में सिंचन क्षमता में बढ़ोत्तरी की जाये लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बात के लिए संवेदनशीलता नहीं दिखायी है । कृषि उत्पादन की बढ़ोत्तरी में सिंचन क्षमता में इजाफा करना परम आवश्यक है । प्रदेश के उन इलाकों में जहां नहरों का जाल है, प्रदेश सरकार की घोषणा के बाद भी सरकार नहरों के टेल तक पानी नहीं पहुंचा पायी । बजट के अभाव में नहरों की स्थिति जर्जर हो चुकी है, उनकी सफाई तक नहीं हो पाती । प्रदेश में 28 हजार राजकीय नलकूप थे, उन्हें त्रिस्तरीय पंचायतों के हवाले कर दिया गया और वे सभी खराब पड़े हैं । सिंचाई के ये जो साधन है वे चौपट हो चुके हैं और प्रदेश सरकार के मा० वित्त मंत्री यह सपना देख रहे हैं कि इस बजट के जरिए वह प्रदेश को 5 प्रतिशत विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त करा लेंगे । मैं आपकी अनुज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि 5 प्रतिशत के विकास दर के लिए कृषि का उत्पादन बढ़ना आवश्यक है और औद्योगिक क्षेत्र में विकास आवश्यक है । मैं मा० वित्त मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं आपने बजट में औद्योगिक विकास दर 12 प्रतिशत निर्धारित किया है, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं । आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं ।

आप इतने पुराने हैं, अनुभवी तथा प्रदेश की बड़ी राजनीतिक के शख्शियत व्यक्ति हैं, कभी आपने इस पर चिन्तन-मनन किया कि आप वह 12 प्रतिशत का लक्ष्य कैसे प्राप्त कर पायेंगे ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने जवाब में इसका स्पष्टीकरण देने की कृपा करेंगे, कि 12 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र में जो विकास का लक्ष्य निर्धारित किया है, वह कैसे प्राप्त करेंगे ? मैं आपके संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूं ; कि अगस्त, 91 से सितम्बर, 99 तक प्रदेश में निवेश के कुल प्रस्ताव आए 3974 और इन प्रस्तावों में औद्योगिक पूंजी निवेश होना था । सात लाख तीन हजार इकतीस करोड़ रुपये का पूंजी निवेश होना था । माननीय वित्त मंत्री जी ने इतना संकोच किया कि विगत वर्ष 91 से लेकर 99 तक निवेश के जितने प्रस्ताव आए इन प्रस्तावों को प्रदेश सरकार किस सीमा तक चरितार्थ कर पायी है, इसका कोई जिक्र बजट भाषण में नहीं किया गया है । माननीय वित्त मंत्री जी से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है उसमें ग्रामीण एवं लघु उद्योग के क्षेत्र में पूंजीगत परिव्यय 1999-2000 के पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना में 57 प्रतिशत की कमी की गयी है । उत्तर प्रदेश की

बहुसंख्यक जनता का कल्याण ग्रामीण एवं लघु उद्योगों से होने वाला है और उसका पूंजीगत परिव्यय पिछले साल के मुकाबले 57 प्रतिशत कम है । इसके अलावा औद्योगिक विकास में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी जिम्मेदारी होगी यह भी आप तय नहीं कर पाये हैं तो फिर आपने औद्योगिक विकास का जो 12 प्रतिशत का लक्ष्य रखा है उसको कैसे प्राप्त कर पायेंगे ? मा० वित्त मंत्री जी ने व्यापक वित्तीय सुधारों की बात कही है लेकिन वित्त मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि व्यापक वित्तीय सुधारों में आपको सफलता कैसे मिलेगी । आपका जो यह जम्बो जेट मंत्रिमण्डल है वह एक वर्ष में 500 करोड़ रुपये उदरस्थ करता है ।

मा० मंत्रियों के गाड़ियों, टेलीफोन, हवाई यात्राओं, सुरक्षा तथा वेतन भत्ता पर विगत वर्ष 500 करोड़ रुपयों का खर्च आता है । आप क्या इसमें कटौती करने का साहस कर पायेंगे । अगर आप सचमुच उत्पादक व्ययों में कमी करना चाहते हैं । तो इस बजट में इससे संबंधित व्यवस्था किये कहां होते लेकिन इसके बारे में बजट में कुछ नहीं कहा गया है इसलिये आपके व्यापक वित्तीय सुधारों का दावा निराधार मालूम होता है । विगत वर्ष 1998-99 में सरकार ने एक श्वेत-पत्र जारी किया था जिसमें कहा गया था कि कर राजस्व की आय 7 (सात) हजार करोड़ रुपये है जब कि 11 (ग्यारह) हजार करोड़ रुपयों का खर्च प्रतिवर्ष केवल अधिकारियों के पेंशन और वेतन पर आता है तो आपको कैसे व्यापक वित्तीय सुधारों के मामले में सफलता मिलेगी कृपया इस पर आप पुनः चिंतन और मनन करें । आपका यह दावा खोखला है । माननीय मंत्री जी ने एक और घोषणा की है जिसमें उन्होंने कहा है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 22 लाख, परिवारों को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना के अन्दर आगामी 5 वर्ष में रोजगार प्रदान किया जायगा । मैं कहना चाहता हूं कि आपकी अफसरशाही आपसे असत्य बुलवा रही है । अगर इस पर आपने चिन्तन मनन किया होता तो असलियत आपके सामने आ गयी होती । सरकार कबूल करती है कि प्रदेश की 16 करोड़ की जनसंख्या में 47 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है । 5 सदस्यों के परिवार के आधार पर 1 करोड़ 50 लाख परिवार आज गरीबी की रेखा के नीचे हैं अगर आप 5 वर्ष में 22 लाख परिवारों के हिसाब से रोजगार देंगे तो माननीय मंत्री जी यदि आने वाले 34 वर्षों तक आप वित्त मंत्री रहें तो वर्तमान 1 करोड़ 50 लाख परिवारों को आप इस योजना में रोजगार दे सकेंगे मगर शर्त यह है कि प्रदेश की जनसंख्या उस समय तक के लिये अपनी नसबंदी करवा ले और जन संख्या न बढ़े तब कहीं आगामी 34 वर्षों में आप अपनी घोषणा को पूरा कर पायेंगे । आप खुद विचार कर लें कि यह योजना कैसे पूरी होगी । इसी तरह से 1999 में तत्कालीन मुख्य मंत्री मा० कल्याण सिंह जी ने एक रोजगार छतरी योजना की घोषणा की थी, फिर वह छतरी गायब हो गयी । मा० श्री हरीश जी आये तो एक छतरी उनकी आयी है माननीय कल्याण सिंह जी की छतरी और माननीय हरीश जी की छतरी में बड़ा फर्क है । माननीय कल्याण सिंह जी ने कहा था कि इस प्रदेश में रोजगार में वृद्धि होगी तो पूंजीनिवेश में वृद्धि होगी । माननीय वित्त मंत्री जी की छतरी योजना यह कहती है कि पूंजीनिवेश में वृद्धि होगी तो रोजगार में वृद्धि होगी । श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि स्वयं परीक्षण कर लें, आपके नाम से जो भाषण छपवाया गया है । छतरी योजना में आप 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने जा रहे हैं । 16 करोड़ प्रदेश की आबादी है, यदि हम 5 सदस्यों का एक परिवार मानें तो आज उत्तर प्रदेश में 3 करोड़, 20 लाख परिवार हुये । यदि एक परिवार के पीछे एक व्यक्ति को बेरोजगार माने तो 3 करोड़ 20 लाख शिक्षित बेरोजगार हुए ।

अगर माननीय श्री हरीश जी के भाषण पर विश्वास करें तो छतरी योजना में रोजगार प्राप्त करने के लिए उनको 32 वर्ष तक बैठना पड़ेगा । आपकी अनुज्ञा से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि योजना परिव्यय के कमी के सम्बन्ध में आपने चिन्ता नहीं की । आज माननीय मुख्य मंत्री और नेता सदन के आसन पर जो आदरणीय व्यक्ति विराजमान हैं, सौभाग्य से वह राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं । सन् 2000-2001 का जो योजना परिव्यय उनकी कयादत में निर्धारित किया गया है वह है

10,081.34 करोड़ रुपये का, जबकि 1999-2000 का योजना परिव्यय 11,400 करोड़ निर्धारित किया गया था । यह कमी सरकार के प्रयास और उनकी प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है कि प्रदेश की सरकार इस प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहती है । एक तरफ जहां योजना परिव्यय में भारी कटौती हो गई और आप सपना देख रहे हैं इस प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनायेंगे, कहां से बनायेंगे ? कृषि क्षेत्र की दुगर्ति का जिक्र किया जा चुका है । मामूली धनराशि से एक निधि स्थापित की गयी है । डेयरी विकास जिस पर किसान आश्रित है, आप गौवंश की चिन्ता ज्यादा करते हैं उसका परिव्यय 8.13 करोड़ रुपये से घटाकर 4.33 करोड़ रुपया कर दिया गया है , यह अपयश माननीय वित्त मंत्री जी को जाता है । सपना यह है कि औद्योगिक प्रदेश बनेगा । श्रीमन्, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं कि जिस अंचल से हम आते हैं वह पूर्वांचल भयंकर क्षेत्रीय असन्तुलन रीजनल इम्बैलेंस का शिकार है । मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि रीजनल इम्बैलेंस वर्तमान बजट से बढ़ेगा या घटेगा ? आप स्वयं सोच लें । मान्यवर, उत्तरांचल की आबादी प्रदेश की आबादी का 4.3 प्रतिशत है, वहीं पर पूर्वांचल की आबादी 38 प्रतिशत है । उत्तरांचल में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 5000 रुपये से अधिक है जबकि पूर्वांचल में प्रति व्यक्ति आय 3000 रुपये से भी कम है । लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने और प्रदेश की सरकार ने पूर्वांचल के विकास की खातिर "पूर्वांचल विकास निधि" में 150 करोड़ रुपया दिया है । बुन्देलखण्ड जो उत्तर प्रदेश का पिछड़ा अंचल है, उसे 50 करोड़ रुपया दिया है । बुन्देलखण्ड जो उत्तर प्रदेश का पिछड़ा अंचल है, उसे 50 करोड़ रुपया दिया है । माननीय वित्त मंत्री जी का कथन है कि वह क्षेत्रीय असन्तुलन न (रीजनल इम्बैलेन्स) को दूर करना चाहते हैं किन्तु वित्तीय प्राविधान करने में उन्होंने इतनी कृपणता दिखायी है कि पूर्वांचल के विकास और बुन्देलखण्ड के विकास के लिए विगत वर्ष के बराबर ही क्रमशः 150 व 50 करोड़ रुपये दिये और यथास्थिति बनाये रखा । जबकि उत्तरांचल में 1999-2000 में 1140 करोड़ रुपया दिया गया था । तथा 2000-2001 में 1315 करोड़ रुपया दिया गया है जहां प्रदेश की माना 4.3 प्रतिशत आबादी रहती है । 38 प्रतिशत आबादी की इतनी बड़ी उपेक्षा । आप बजट में यह मिथ्या और निराधार घोषणा कर रहे हैं, कि आप क्षेत्रीय असन्तुलन कम करने वाले हैं । माननीय वित्त मंत्री जी बहुत अनुभवी हैं, कोई भी राजनीतिक मनीषी यह सोचता नहीं था कि एक दिन दुनिया के नक्शे से सोवियत गणराज्य अदृश्य हो जायेगा । क्षेत्रीय विषमता तथा असन्तुलन के कारण ही बगैर एक कतरा खून बहाए इस्पाती सोवियत संघ विघटित हो गया । कहीं ऐसी विस्फोटक स्थिति यहां पैदा न हो जाए । इसके लिए प्रदेश में न्याय क्षेत्रीय असंतुलन कम करने की आवश्यकता है । प्रदेश में इस्टर्न यू०पी० का पापुलेशन 38 प्रतिशत है इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य के वार्षिक योजना परिव्यय का प्लान आउट ले का 38 प्रतिशत धन पूर्वांचल पर खर्च होना चाहिए तभी आप पूर्वांचल के लिए न्याय कर सकेंगे । दूसरी बात कहना चाहता हूं कि पिछले वित्तीय वर्ष के बजट भाषण में इसी सदन में प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि आज सबसे ज्यादा लूट उत्तर प्रदेश की जो हो रही है वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जरिए हो रही है । इस प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने इस बात की घोषणा की थी कि यदि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऋण जमा अनुपात रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित 60 प्रतिशत के मानक तक नहीं करते तो राज्य सरकार अपना निजी बैंक खोलेगी । मैं मा० वित्त मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 1990 में प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जमा धनराशि थी 18,000 करोड़ रुपए और बैंकों ने ऋण दिया था 8 हजार करोड़ रुपए यानी ऋण जमा अनुपात 47 प्रतिशत था । वही वर्ष 1998-99 में इन बैंकों में धन जमा किया गया 60 हजार करोड़ रुपये और इन बैंकों ने ऋण दिया केवल 17,000 करोड़ रुपए यानी ऋण जमा अनुपात घटकर 29 प्रतिशत पर आ गया । मा० वित्त मंत्री जी ने जो बजट भाषण किया है इसमें इन्होंने ऋण जमा अनुपात का जिक्र तक नहीं किया है । मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा उन्होंने जान बूझकर किया है । वर्ष 1999-2000 में 74,000 करोड़ रुपए इस प्रदेश में जमा हुए हैं और इन बैंकों ने ऋण दिया है मात्र 21,000 करोड़ रुपए यानी ऋण जमा अनुपात 29 प्रतिशत से घटकर 27 प्रतिशत पर आ गया है । इतनी

बड़ी धनराशि हमारे प्रदेश की, दूसरे प्रदेशों में ले जाया जा रहा है और प्रदेश सरकार इसको रोकने में अक्षम साबित हो रही है । वित्त मंत्री जी इस बात से अवगत हैं कि वर्ष 1993 में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के अधिशासी निदेशक ए० डी० वाज की अध्यक्षता में ऋण जमा अनुपात में हो रही निरन्तर गिरावट को रोकने के लिए एक समिति गठित की गई थी । उस समिति ने सिफारिश की थी कि वर्ष 2000 तक ऋण जमा अनुपात 60 प्रतिशत तक पहुंचाया जाए । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने एक कोर ग्रुप का गठन किया था लेकिन वित्त मंत्री जी ने इस बात के लिए भी प्रयास नहीं किया कि नाना समिति की सिफारिशों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही हो । आप अधिष्ठाता महोदय, मा० वित्त मंत्री जी उस समय भी प्रदेश मंत्रिमण्डल के सदस्य रहे जब वर्ष 1998 में प्रदेश में भीषण बाढ़ आई थी जिसकी विनाश लीला ने पांच हजार करोड़ रुपए का नुकसान पूरे प्रदेश में किया था । तीन चौथाई बाढ़ का प्रकोप पूर्वांचल ने झेला है । आपके बजट में प्रदेश में आने वाली बाढ़ की रोकथाम के लिए कोई संकल्प नहीं है । आपने मात्र 20 करोड़ रुपये बाढ़ को रोकने के खातिर आने वाले दिनों के लिये प्राविधान किया है । इससे क्या होगा ? इससे पूर्व के बजट में मैंने उत्तर प्रदेश की सरकार से निवेदन किया था कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की बाढ़ समस्या है उसके समाधान के लिए पूर्व में एक विशेष अध्ययन किया गया था वर्ष 1953-54 में गंगा आयोग, ब्रह्मपुत्र आयोग और स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय में वर्ष 1976 राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया था इन आयोगों ने नदियों में आने वाली बाढ़ का अध्ययन किया था और सुझाव दिया था कि इन नदियों का उद्गम स्थल नैपाल में है । इस साल में उद्गम स्थलों पर करनाली, भाल बांध पंचेश्वर तथा जल कुण्डी परियोजनाओं को पूरा किये बगैर बाढ़ की रोक थाम कम नहीं हो सकती है । इन परियोजनाओं पर करीब 33 करोड़ रुपये की लागत खर्च आती । मान्यवर, यह खर्च 1954 में अनुमोदित था । उस समय इस प्रदेश की सरकार ने 33 करोड़ का इन्तजाम न करके उत्तर प्रदेश की जनता को बाढ़ के हवाले कर दिया । प्रदेश के लिए बाढ़ एक सालाना त्रासदी बन गई है । यदि यह सरकार बाढ़ प्रभावित जनता के प्रति जरा भी विचलित होती तो इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समुचित प्रबन्ध करती और केन्द्र सरकार से सबल सिफारिश करती कि नेपाल सरकार से बात करके इन परियोजनाओं को कार्यरूप में परिणत किया जाय । मान्यवर, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत आदर, सम्मान करता हूं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाने की बात करती है, शिक्षा के विकास की बात करती है । यह कितनी चिन्ताजनक तथा दुखःदायी बात है । कि प्रदेश में विगत दस वर्षों से माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क थी । माननीय वित्त मंत्री जी ने निःशुल्क शिक्षा को खत्म कर दिया, परीक्षा शुल्क बढ़ा दिया, शिक्षा शुल्क बढ़ा दिया । हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व इस बात की गारन्टी देते हैं कि 14 वर्ष तक की आयु के बालक-बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा, और आप यहां पर उल्टी गंगा बहा रहे हैं । मान्यवर, आपने वर्ष 2000-2001 के वित्तीय वर्ष के लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे इस बजट पर पुनर्विचार कर लें अन्यथा समूचे उत्तर प्रदेश की आर्थिक दुर्गति का अपयश आपके ही माथे पर लगेगा । मा० वित्तमंत्री जी ने सन्त कबीर दास के इस दोहे "ऐसे जतन से ओढ़े चदरिया, कि जसी तस धर दीन्ही" से प्रेरणा लेने की बात कही है तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ऐसा प्रयत्न करे कि कोई कलंक उस पर न लगे । अपयश हो । कृपया आप इस बजट पर पुनर्विचार करें और आप साहस करके कल्याणकारी निर्णय लें ।

श्री यशपाल सिंह चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने सन् 2000-2001 के इस बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । देश पर भीषण कठिनाई के रहते जो बजट पेश किया गया है यह एक सारहनीय कदम है । जैसे विद्युत अधिनियम बनाकर विद्युत परिषद् को तीन भागों में बदलकर

सराहनीय कार्य किया गया है । साथ ही सड़क के पुनर्निर्माण के लिए जो व्यवस्था तथा बाढ़ के लिए 20 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है उससे जनता को बड़ी राहत मिलेगी । तकनीकी शिक्षा के लिए जो लोगों को बाहर जाना पड़ता था उसमें 500 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करके तकनीकी कालेज खोलने का जो प्राविधान किया गया है वह एक सराहनीय कदम है । कृषि के क्षेत्र में जो रिकार्ड उत्पादन हुआ है वह सरकार के उचित प्रबन्धन के कारण ही हुआ है । विधायक निधि, और बुन्देलखण्ड निधि की स्थापना की है ताकि समाजसेवी अपने क्षेत्र में जाकर काम कर सकें । जंगल राज को समाप्त करने के लिए पुलिस के लिए संसाधन जुटाने का काम सरकार ने किया है यह एक सराहनीय कदम है । माननीय वित्त मंत्री जी अगर मेरे क्षेत्र में नहरों की सफाई के लिए अधिक धन देते तो रिकार्ड उत्पादन होता मेरे यहां सिकन्दराराव में दो कस्बे हैं पुरदिल नगर और हसामनापुरदिल नगर में मूंगा और मोतियों का काम होता है जिससे करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और इसी प्रकार हसामना में विश्व की सबसे अच्छी गुलाब की खेती होती है अगर इस ओर सरकार ध्यान देती तो अरबों रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री आलमबदी-

मान्यवर, बजट पर सामान्य चर्चा चल रही है और आर्थिक स्थिति के बारे में काफी गम्भीर बातें कही गयी । यह बजट उत्तर प्रदेश की सोलह करोड़ इन्सानों से जुड़ी समस्याओं से सम्बन्धित है, उनकी शिक्षा से सम्बन्धित है, स्वास्थ्य से सम्बन्धित है और गांव के विकास से सम्बन्धित है । मैं महसूस करता हूं कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता । एक दूसरे की सहायता से समस्या का समाधान निकाला जा सकता है । श्री प्रमोद कुमार जी कह रहे थे माननीय मुख्य मंत्री जी ने केन्द्र सरकार से सहायता की बात की थी कि उन्हें केन्द्र से सहायता नहीं मिली उस प्रकार ताना देने से काम नहीं बनेगा क्योंकि जो हालत केन्द्र की है वही अन्त में मैं कुछ कहना चाहूंगा । जब से मैंने सम्भाला है जिस सरकार का भी बजट आया है उसमें कन्ट्रावर्सियल ओपिनियन आई है और अक्सर उसे जनता विरोधी बजट ही कहा गया है । आज जो आर्थिक स्थिति की बात आ रही है, आज जो सरकार के खजाने की कमजोरी की बात आ रही है वह एक बहुत चिन्ता का सबब है । वह हमारे लिये दुःख की भी बात है और चिन्ता की भी । मैं महसूस करता हूं माननीय अध्यक्ष जी, और आपके मारफत मैं बड़ी सफाई से यह कहना चाहूंगा कि सरकार की आर्थिक स्थिति के खराब होने के पीछे दो बड़े कारण हैं । एक तो यह है कि करेप्शन और दूसरा यह है कि फिजूलखर्ची । एक मामूली घर का भी बजट बनता है तो आमदनी और खर्च का एक दूसरे से ज्यादा अन्तर नहीं होता है । आमदनी खर्च के मद में बहुत थोड़ा सा अन्तर होता है लेकिन बदनसीबी यह है कि सरकार और यह प्रजातंत्र के नाम पर सरकार आई०ए०एस० और आई० पी० एस० के चंगुल में फंसी है, उनकी कलाकारियों को एक तरह से समझ लीजिये यह उनके इशारों पर चलते हैं । मैं महसूस करता हूं कि यह अधिकारी, उनको उतना जनता के तई प्यार नहीं हो सकता है जितना जनता के प्रति जनता द्वारा चुने हुये प्रतिनिधियों को हो सकता है । जितनी अच्छी तरह से यह जनता की समस्याओं को समझ सकते हैं उतना यह कुर्सी पर बैठे हुए अधिकारी नहीं । कुर्सी पर बैठे अधिकारी सिर्फ फाइल से आंकड़े लाते हैं लेकिन यह जन प्रतिनिधि जनता के बीच में अपनी निगाहों से देखी चीज के आंकड़े लाते हैं । मैं एक बात बताना चाहता हूं हमारे यहां पर पुल पर एक रोड क्रास करती थी मैंने इन्जीनियर से उसके लिये इस्टीमेट बनाने के लिये कहा उन्होंने 9 लाख का इस्टीमेट बनाकर मेरे यहां भेज दिया । मैंने फोन पर उनसे बात की और कहा कि आपका इस्टीमेट तो जरूरत से ज्यादा है । आप फाइल लेकर आ जायं इसको डिस्कस करेंगे । मैंने उनके इस्टीमेट को काटकर साढ़े पांच लाख कर दिया और उनको कन्विंस किया और पूछा कि काम आप करेंगे या किसी और एजेन्सी से करवा लें । उन्होंने कहा कि हम करेंगे । मैं सत्ता में बैठे अपने भाइयों से, खासतौर से मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि अब जमाना बीत गया जब अंग्रेजों की दी हुई रीत कि

आई०ए०एस० और आई०पी०एस० अधिकारियों पर भरोसा करके जनता के हितों को पूरा कर लेंगे। अब यह नहीं हो पायेगा। दूसरी बात यह है कि आज करेप्शन हमारे लिये एक बहुत बड़ा कैन्सर बन चुका है समाज का करप्शन ही हमारे आर्थिक बिगाड़ का सबब बना है। सबको सोचना पड़ेगा। दूसरे माननीय अध्यक्ष जी, एक बड़ी चीज एज्युकेशन का मसला है। इस सम्बन्ध में संविधान मे जो सरकार की जिम्मेदारी मुकर्रर की गई थी। आज आजादी के पचास साल बाद भी वह संविधान की जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाई है। आज मुसलमान इस प्रान्त में, इस सूबे में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये अपनी जकात व खैरात द्वारा दिये गये चन्दे से जो मदरसे चल रहे हैं उसमें भेजती है। आज सरकार ने इन मदरसों को आई०एस०आई० का एजेन्ट समझकर इस पर प्रतिबन्ध लगाने का जतन कर रही है। आखिर क्या यह सरकार उनकी तालीम के लिए अलग से बजट बनाएगी। सरकार को कुछ करना नहीं था मुस्लिम भाई स्वयं चला रहे थे। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मदरसों को आप आई०एस०आई० के ऐनक से देखने का काम बन्द करें। मैं अपनी बात खत्म करते हुए यह दुआ करूंगा कि इस सरकार की आर्थिक पोजीशन संभले ताकि जनता को कुछ राहत मिले, इस हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी सेवा जहां 16 करोड़ इंसान बसते हैं इसकी आर्थिक पोजीशन संभलेगी तो सबका विकास होगा।

* श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, जबसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जनता का बुरी तरह से शोषण हो रहा है, गरीबों का शोषण, नौजवानों का शोषण, छात्रों का शोषण इस प्रदेश की सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी जब इस सदन के अन्दर अपना बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश की जनता की निगाहें माननीय वित्त मंत्री जी के बजट पर लगी हुई थीं, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए यह सरकार कोई अच्छी योजना देगी, लेकिन मान्यवर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह सरकार किसानों के नाम पर आई, मजदूरों के नाम आई और गरीबों के नाम पर आई, अब इनकी सरकार आने वाली नहीं है, जब इनकी सरकार नहीं थी तो यह कहते थे कि सबको देखा बार बार हमको देखो अबकी बार, अब जनता कह रही है सबको देखा बार, बार इनको देखा अन्तिम बार, इन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है किसानों, मजदूरों, और गरीबों की आह लेने का काम किया है। इन्होंने किसानों के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। पूरा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। 80 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं। किसान इस प्रदेश के विकास की रीढ़ हैं लेकिन जबसे यह सरकार आई है इस सरकार ने किसानों पर बोझ बनकर मंहगाई बनकर, किसानों पर कहर ढाया है। 1998 में 400 रुपया प्रति टन इन्होंने खाद के दाम बढ़ाये, किसानों की दैनिक चीजों के दाम बढ़ाये डीजल के दाम बढ़ाये, किसानों की तो कमर ही टूट गई। तेल खाद डीजल के दाम बढ़ाकर किसानों को तोड़ दिया और यह कहते हैं कि हमारा कृषि उत्पादन प्रदेश में बढ़ा है। देश में बढ़ा है। लेकिन आपने किसानों के लिए क्या किया। गन्ने की बात ले लीजिये। पूरे प्रदेश में जिस तरीके से गन्ना मिलों के द्वारा गन्ना किसानों का शोषण किया जा रहा है वह आज तक किसी सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। हमारे गोण्डा जनपद में आज देख लें वहां पर सारे गन्ने खड़े हैं। गन्ना समितियों के सारे अधिकार आपने छीन लिये हैं और जो भी काम थे वह मिल मालिकों को दे दिया है। ऊर्जा को ले लीजिये। पूरे प्रदेश में विद्युत की दर्दनाक स्थिति है। सब जगह अंधकार ही अंधकार है। ग्रामीण अंचलों में मढ़ाई का काम कटाई का काम प्रारम्भ है, छात्रों के इम्तिहान चल रहे हैं, यह सरकार कहती है कि हम गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए और किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन उनको बिजली नहीं मिल पा रही है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे गोण्डा जनपद में विद्युत की दयनीय स्थिति है। किसान परेशान है वह त्राहि-त्राहि कर रहा है और सुबह उठकर सरकार को कोसता है कि कब यह सरकार जायेगी। मान्यवर, यह सरकार धर्म के नाम पर आयी थी और अधर्म विधेयक ले आयी है। सब जगह मस्जिद को बनने से रोक दिया है। सब जगह जंगलराज फैला हुआ है कानून व्यवस्था के नाम पर। सब थानों पर पार्टी के कार्यकर्ता बुराई करते हैं। इन्होंने कहा था कि हम कानून व्यवस्था में सुधार, वन माफियाओं से, गुन्डाराज से मुक्ति दिलायेंगे जिससे प्रदेश में शांति आयेगी लेकिन इन्होंने क्या किया। यह देखते है कि यह समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है या किस पार्टी का कार्यकर्ता है। यह हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फर्जी एफ०आई०आर० कराकर फंसा रहे हैं। मान्यवर, हमारे जनपद वजीरगंज, छपिया में देख लें फर्जी एफ०आई०आर० करके साजिश रच रहे हैं जो कि निन्दनीय है। किसी भी सरकार ने पार्टी के नाम पर सताने का काम नहीं किया है। कानून व्यवस्था जिस तरह से गड़बड़ है, जिस तरह से लुंज-पुंज है उससे हर आदमी त्राहि-त्राहि कर रहा है। इन्दिरा आवास योजना के बारे में कहना चाहूंगा। यह कहा गया कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनको इन्दिरा आवास दिये जायेंगे। लेकिन जिस तरह से इन्दिरा आवास योजना में अपात्र व्यक्तियों का चयन किया जाता है, जिनका वास्तव में पक्का मकान है, तीन तीन हजार रूपये घूस लेकर उनको मकान दे रहे हैं। जो वास्तव में गरीब हैं, जो झोपड़ी में रहता है उनको यह लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह लोग अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मकान दे रहे हैं। मान्यवर, आज इसकी जांच करा लें। हमारे जनपद गोण्डा में वजीरगंज, छपिया में या और भी जगह इसकी जांच करा लें तो आपको स्थिति स्वतः ही स्पष्ट हो जायेगी। शिक्षा की बात ले लें। शिक्षा का स्तर जिस तरह से इस सरकार के समय में गिरा है वैसा कभी नहीं हुआ। आपने ट्यूशन फीस बढ़ा दी। डिग्री कालेज के छात्रों को आपने डुबोने का काम किया है। आप कहते है कि हम फ्री शिक्षा देंगे। जब आप फीस बढ़ायेंगे तो जो गरीब छात्र हैं जो पढ़ नहीं सकता है वह कैसे फीस देगा ? आपने गरीबों के लिए कौन सी योजना चलायी ? मान्यवर, सरकार ने कहा कि हम डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर प्राइमरी स्कूल खोलेंगे लेकिन आज स्थिति यह है कि डेढ़ किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल नहीं खोले गये। शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हम प्राइमरी स्कूल खोलेंगे और गरीबों को शिक्षा देंगे लेकिन प्राइमरी स्कूल खोलने की बात केवल आंकड़ों में किया है। मान्यवर, आज छात्र गरीब होते जा रहे हैं जिससे उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है और शासन की नीति के कारण आज पढ़े लिखे नवजवान बेरोजगार हो रहे हैं। सरकार ने पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई योजना नहीं चलाई है। जो योजनायें चलाई जा रही हैं उनमें घोटाला किया जा रहा है। तमाम योजनायें ऐसी हैं जिनमें जानबूझकर लोगों का चयन नहीं किया जाता है।

मान्यवर, अब मैं सिचाई के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जबसे यह सरकार आयी है तबसे मेरी जानकारी में गोण्डा में देवीपाटन मंडल में एक भी राजकीय नलकूप नहीं खोला गया है।

मान्यवर, इसी तरह आप देखें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा गरीबों को दवायें नहीं दी जा रही हैं। सरकारी अस्पतालों में गरीबों का शोषण किया जाता है और दवायें वे लोग ले जाते हैं जिनकी राजनीतिक पहुंच होती है और गरीब आदमी को दवा नहीं मिलती है। गरीब आदमी को आज अपने पैसे से नर्सिंग होम में मजबूरन अपना इलाज कराना पड़ता है। यह उत्तर प्रदेश की सरकार गरीबों का आज औरंगजेब की तरह शोषण कर रही है और इनकी औरंगजेब के शासन की तरह नीतियां है।

मान्यवर, जनसंख्या की बात इन्होंने किया। स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि सारी समस्या की जड़ जनसंख्या है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए आपने क्या कोई योजना चलाई है ? मान्यवर, आज तक इस सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है। मान्यवर, कुछ ऐसे कर्मचारी अधिकारी हैं जिन्होंने सरकार की नीतियों का पालन किया इसलिए उन्हें ग्रीनकार्ड दिये गये, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उनकी पदोन्नति की गयी तथा अन्य उपहार दिये जाते हैं जिससे अन्य लोग देखकर जनसंख्या नियंत्रण में अपना योगदान दे सकें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जितना बजट है उसका 25 प्रतिशत धन लाल बत्तियों पर, मंत्रियों पर और मंत्रियों के दौरों में खर्च किया जा रहा है, अन्य कोई विकास के कार्य नहीं

किये जा रहे हैं, जनता भूखों मर रही है । लेकिन यदि सरकार अपने बजट का सही उपयोग करें तो प्रदेश का विकास हो सकता है, इसलिए लाल बत्तियों पर धन खर्च करना सरकार बन्द करें ।

मान्यवर, अब मैं भ्रष्टाचार जो चारों तरफ फैला है, उसके सम्बन्ध मे कहना चाहता हूं । मान्यवर, इस सरकार ने आज तक भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश नहीं लगाया है चूंकि प्रदेश की सरकार स्वयं भ्रष्ट है । यदि किसी की शिकायत आती है तो चूंकि अधिकारी भ्रष्ट है, इसलिए लाखों रुपये लेकर उसे तबाह किया जाता है । मान्यवर, यह अधिकारी बहुत ठीक है तो भ्रष्टाचार कैसे सुधरेगा ? मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो भी अधिकारी चाहे जिस पार्टी से संबंधित हो वे अपने सीने पर हाथ रखकर सोंचे अपने नैतिक स्तर को न गिरावें, नैतिक स्तर को मजबूत रखकर उसकी जांच करावें तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है लेकिन मान्यवर, यह स्वयं भ्रष्ट हैं, गरीबों को दोहन कर रहे हैं, गरीबों के पैसे को नाजायज तरीके से खर्च कर रहे हैं आज तक यह सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए कोई योजना नहीं बनाई है । मान्यवर, जिस प्रकार अपराध में बढ़ोत्तरी हुई आज तक 50 साल देश को आजाद हुए हो गये, हत्या, बलात्कार, लूट जितनी भी घटनायें उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हुई वह 98 में जो बढ़ोत्तरी हुई थी उससे दूनी हो गयी । अगर आज देखा जाय तो गरीब किसान के ऊपर अगर एक रुपया भी बिजली का बिल या कोई देय बकाया है तो राजस्व अधिकारी उसको लाकर लाकअप में बन्द कर देते हैं उसकी आर० सी० काटी जाती है, उसकी सम्पत्ति की कुर्की हो जाती है लेकिन जो बड़े-बड़े सरमायेदार लोग हैं जिनके ऊपर लाखों लाख बिजली बिल का बकाया है या अन्य बकाये हैं उनको यह सरकार छूने की हिम्मत नहीं करती है । जो बिजली का बकाया है वह कुछ इस प्रकार है–राजभवन पर 6.21 लाख, मुख्य मंत्री आवास पर 87 हजार, मुख्य मंत्री सभाकक्ष पर 54 हजार, योजना भवन पर 1.2 लाख रुपये, बापू भवन पर 4.81 लाख रुपये, जवाहर भवन पर 3.60 लाख इसी तरह से और तमाम जगहों पर बकाया है ।

श्रीमती कृष्णाराज–

यह भी बता दें कि यह कब से बकाया है ?

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, जब से इनकी सरकार आई है तभी से बकाया है इसके पहले कोई बकाया नहीं था । वैसे इस तरह से बकाया हुआ तो विद्युत विभाग घाटे में तो जायेगा ही । मान्यवर, यह कहते हैं कि तहसील दिवस पर गरीबों की समस्या को सुनकर उसका निदान होगा । मंगलवार का दिन जिस दिन तहसील दिवस होता है तो उस दिन इनके अधिकारी जाते हैं और गरीब किसानों की जो समस्या होती है चाहे पैमाईश की समस्या हो या चकरोड की समस्या हो तो उसमें वह दरख्वास्त ले लेते हैं जबकि उस पर शासनादेश है कि एक सप्ताह में उसका निराकरण करें लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में पता लगवा लीजिए कि कितनी अप्लीकेशन आई और कितने का निराकरण किया गया तो आप पायेंगे कि नहीं किया गया है । आकड़े तो आ सकते हैं लेकिन भौतिक सत्यापन अगर कराया जाय तो इससे स्थिति स्पष्ट हो जायेगी । मान्यवर, एस०डी०एम० तहसीलदार को और तहसीलदार दरोगा को लिखता है इस प्रकार से उसका प्रार्थना-पत्र चला करता है और गरीब जनता का शोषण होता है केवल जो राजनीतिक और प्रभावशाली लोग हैं उन्हीं का काम होता है ।

आज जो चल रहा है जिलाधिकारी 10 बजे से कार्यालय में बैठकर जनता की समस्याओं को सुनेंगे, मान्यवर, आज आप जानते हैं कि कहां सुनवाई है, पूरे प्रदेश में जनता की समस्याओं को सुनने वाला कौन है ? अगर सही से जनता की समस्यायें सही ढंग से सुनी जायें तो वे परेशान न हों । मान्यवर, जिस तरीके से योजना बनी कि थाना दिवस, तहसील दिवस इसके माध्यम से सारे जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनता की समस्या को सुना जाये वह अच्छी बात थी लेकिन जनता को उसमें क्या राहत मिलती है ? आप चाहे तहसील मनकापुर या तहसील गोण्डा ले लें हमारे यहां तमाम गरीब लोगों को पट्टा मिला हुआ है आज तक कब्जा नहीं मिल पाया है । डी०एम० के सामने इन आयोजन में एप्लीकेशन आती है, वह एस०डी०एम० को देते हैं, एस०डी०एम० तहसीलदार को और वे लेखपाल या कानूनगो को देते हैं जो जनता की ज्वलन्त समस्यायें हैं वे रद्दी की टोकरी में समाहित हो जाती है । मान्यवर, यह प्रदेश की जनता इस सरकार को कभी माफ नहीं करेगी । आज धर्म के नाम पर जिस तरह

से लोगों का दोहन किया जा रहा है । मान्यवर, गिद्ध पर्यावरण को दुरुस्त करते हैं यह शास्त्रों में है लेकिन यहां गिद्ध है नहीं यह शासन ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता है । इनके शासन में कहीं कोई गिद्ध नहीं है जो पर्यावरण को दुरुस्त करते हैं मान्यवर, इस सरकार का पतन निश्चित है । इनकी सरकार को किसान, मजदूर कभी माफ नहीं करेगा आने वाले कल में इनका पतन हो जायेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि बजट की साधारण चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया । हमारी लोकतांत्रिक पद्धति की सरकार लोकतंत्र का अंश है, वह है कि जो लोगों द्वारा चुनी गयी हो लोगों के लिये हो और लोगों के काम हों । जो वर्तमान सरकार है इसकी प्रथम वरीयता क्या है ? मान्यवर, प्रदेश का प्रशासन मंत्रिमंडल के द्वारा संचालित होता है मशीनेरी जो प्रशासन की चलती है वह मंत्रिमण्डल द्वारा आदेशित होती है अगर प्रशासन तंत्र को प्रशासन करने के लिए अवसर नहीं दिया जायेगा तो प्रशासन कहां चलेगा ?

हम यहां पर बैठे हुए हैं यह प्रदेश की राजधानी है 22 लाख की इसकी जनसंख्या है इस राजधानी के अन्दर कोई दिन ऐसा नहीं है जब लूट, हत्या, बलात्कार की घटना नहीं होती हो । कुछ दिन पूर्व बनारस में विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गयी मुहर्रम के जुलूस को लेकर । इसके पहले आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मिर्जापुर गये थे । आज से डेढ़ वर्ष पूर्व इस शासन को लिखा था कि मिर्जापुर में जो खनिज उद्योग है, वह अब उद्योग नहीं रही गया है, उसका विभाजन हो गया है । वहां जो खनिज पत्थर का खदान हो रहा है, वह हाथ के द्वारा है, इसमें कोई मशीनरी नहीं लगती और 5 लाख से अधिक श्रमिक उसमें काम करते हैं । इस सरकार में जहां वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनसे भी कहा था, वह गये थे और जाकर घोषणा कर आये थे कि फलां तारीख से खनन का काम शुरू हो जायेगा, लेकिन शुरू नहीं हुआ । अब वहां नक्सली आन्दोलन शुरू हो गया है, क्योंकि यह बिहार से सटा हिस्सा है, मध्य प्रदेश से सटा हिस्सा है, अब सरकार उसको सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है । वित्त मंत्री जी आपने अभी कहा कि उत्तर प्रदेश की दुर्गति केन्द्र की नीतियों के कारण हुई है, आपको धन की कमी पड़ी । मैं नहीं जानता, आपकी पत्रावलियां क्या बताती हैं ? वर्ष 1974 में मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से प्लानिंग कमीशन में गया था और वह पहला साल था, जब उत्तर प्रदेश के लिये साढ़े 500 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ था, जिससे उत्तर प्रदेश का विकास कार्य शुरु हुआ । यह भी बताना चाहूंगा कि 1969 में उत्तर प्रदेश में मात्र 19 हजार ऐसे कुयें थे जो बिजली की पम्पों द्वारा चलते थे, आज इस उत्तर प्रदेश साढ़े 8 लाख पम्पिंग सेट बिजली के द्वारा चलते हैं, यह आप बताइये कि विगत 10 वर्षों में आपने बिजली के कनेक्शन तो दिये परन्तु विद्युत उत्पादन कितना बढ़ाया ? क्या इधर आपका ध्यान गया ?

अधिष्ठाता महोदय, यह सरकार इस प्रदेश की आवश्यकता की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, ध्यान देती है, मंदिर निर्माण को । मैं ब्राह्मण हूं, हमारी जानकारी में यह है कि भारतवर्ष में आदिकाल से आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व सबसे पहले आदि शंकराचार्य इस धरती पर आये थे, आपके धार्मिक प्रार्दुभाव की शुरूवात हुई 1991 से, और अब 1999-2000 शुरू हो गया है, इन 10 वर्षों में आपने कितने शंकराचार्य पैदा कर दिये ? जिस प्रकार आप हर महीने प्रशासनिक अफसरों का ट्रांसफर करते हो, उसी प्रकार शंकराचार्य पैदा करो । मान्यवर, इस लोकतंत्र में इस सरकार का प्रशासन पर कोई कन्ट्रोल नहीं रह गया है, वैसे ही आज धार्मिक सहिष्णुता नहीं रह गई है । आपने इस बात का बीड़ा उठा लिया है कि यहां की जो परम्परायें हैं, जो इस देश की संस्कृति है, उसको वोट की राजनीति में बदलकर इस प्रदेश का बेड़ा गर्क कर देंगे । संस्कृत यहां की भाषा है और अंग्रेजी जमाने में, आप तो काशी से आये हो, वहां का प्रतिनिधित्व करते हो, वहां सरस्वती भवन था, अंग्रेजों ने बनवाया था, संस्कृत की शिक्षा देने के लिये । देश की आजादी के बाद वहां पर संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई । मैंने उच्च शिक्षा मंत्री से और उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष से भी टेलीफोन पर अनुरोध किया था कि संस्कृत में आचार्य की डिग्री एम०ए० के समकक्ष मानी जाती है और अध्यापकों की नियुक्ति का विज्ञापन हुआ, परन्तु उसमें

संस्कृत विश्वविद्यालय से निकले आचार्यों को नहीं बुलाया गया उनको मान्यता नहीं मिली, जो मान्यता अंग्रेजों ने दी थी, जो मान्यता भारत की आजादी के बाद 50 वर्षों में थी, वह मान्यता आपने वापस कर ली । कोई शासन प्रदेश की सुरक्षा के लिए ही है । देश में बिजली घर हैं, प्रदेश में न बिजली उपलब्ध है, कितने घण्टे कटौती है और आपने जो रुपया दिया है, 10 हजार करोड़ रुपये आप दे रहे हो, उसमें क्या सुधार आप कर रहे हो । उत्तर प्रदेश में 40 हजार राष्ट्रीय नलकूप हैं, 21 हजार नलकूप बन्द हैं क्योंकि उनके मेन्टीनेन्स का पैसा नहीं मिलता है । 83 हजार किलोमीटर आप की लम्बी नहरें हैं । आप भी चलते हैं, हम लोग भी चलते हैं, किसी नहर की सफाई का इन्तजाम नहीं, टेल तक पानी नहीं, किस कार्य के लिए आप बजट प्रस्तुत करते हैं । आपने अभी श्रीमन् उद्योग की बात कही । आज उत्तर प्रदेश में कौन सा उद्योग है, जो लगे हैं, आपने बन्द कर दिया । लखनऊ की इन्स्ट्रूमेन्ट फैक्ट्री बन्द कर दी, लखनऊ में जर्मनी के सहयोग से टूलरूम बना था, उसे बन्द कर दिया । सारे देश में सीमेन्ट इन्डस्ट्रीज में लाभ होता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सीमेन्ट इन्डस्ट्रीज बन्द कर दी । आपका रोडवेज है, वह घाटे में चल रहा है, आपका अपट्रान था, वह बन्द हो रहा है । क्या बात है ?

अधिष्ठाता महोदय, ये सोचने की बात है, 21 हजार करोड़ का बजट किसके लिए है । अभी मैं आ रहा था आपके पुलिस फोर्स ने जो पुलिस के सिपाही हैं, ड्यूटी पर चलते हैं, पिछले साल भर से उनका टी०ए० बिल रुका हुआ है । बजट तो बढ़ाया आपने, आपने व्यय बढ़ाया लेकिन टी०ए० बिल नहीं मिल पा रहा है । अधिष्ठाता महोदय, हम लोगों को सूचना दी गई कि हर विधायक को 50 हैण्डपाइप दिया जायेगा । हमारे सदस्य बाजपेयी जी, सदस्य मेरठ की मांग है कि नगरों में भी विधायकों को यह सुविधा दी जाये । हमारे मित्र कुंवर साहब इलाहाबाद के हैं, वह कहते हैं कि विधान सभा में घोषणा तो हो गयी लेकिन हैण्डपाइप लगाने के लिए धन का आवंटन ही नहीं हुआ । सरकार की क्या मान्यता रहेगी ? सरकार की स्थिति क्या रहेगी, उसका सम्मान क्या रहेगा ? अगर बोली हुई सरकार, अगर सरकार कह कर काम नहीं करेगी तो उसकी क्या मान्यता होगी ? किस प्रकार की हुकूमत आप चला रहे हैं ? पीने को पानी नहीं, रोशनी नहीं, सड़क पर सुरक्षा नहीं, घरों में सुरक्षा नहीं, नहरों में जल नहीं, रोगियों को दवा नहीं, बच्चों को पढ़ाई नहीं, क्या कर रहे हो, किस प्रकार की सरकार आप चला रहे हैं । आप मजाक कर रहे हैं, देश के साथ उत्तर प्रदेश की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो । माननीय वित्त मंत्री जी इस पर विचार करें । आप जब तक प्रशासन की नीतियों में संशोधन नहीं करेंगे, विगत 50 वर्षों से प्रशासन की जो परम्परा चल आयी है, उसकी तरफ पलट कर नहीं देखेंगे । क्या कारण था कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं नहीं घटती थीं, माफिया नहीं डेवलप करते थे, क्या वजह थी । कारण एक है, अफसर, प्रशासक, अधिकारी एक स्थान पर नहीं रहता ।

अधिकारियों का जल्दी-जल्दी ट्रांसफर होता है जिससे वह जिम्मेदारी से अपना काम नहीं कर पाते हैं । अधिष्ठाता महोदय, अन्न की स्थिति के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आज गेहूं की सरकारी खरीद नहीं हो रही है क्योंकि वित्त विभाग के पास धन नहीं है । भारतवर्ष के बहुत से इलाकों में अकाल पड़ा हुआ है । उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा नहीं हुयी है । इस बार गेहूं का रिकार्ड उत्पादन हुआ है । अगर आप वफर स्टाक नहीं रखेंगे तो लीन समय में अन्न का संकट उत्पन्न होगा और उससे आप निपट नहीं पायेंगे । हर चीज को आप हल्के तौर से ले रहे हैं प्रशासन को प्रशासन के तौर पर लेना चाहिये । प्रशासन को जो धर्म से जोड़ने का काम करते हैं उनको सफलता नहीं मिलती है । दुनियां का इतिहास देख लें जहां राजनीति को धर्म से मिला दिया गया वहीं सत्यानाश हो गया । सौभाग्य से मैं 1970 में इस विधान सभा में आया । आज लगातार 30 वर्षों में जो हमारे प्रदेश का विकास हो रहा है उसमें पिछले 8 वर्षों में विकास की गति टूटती चली गयी है । डी०आर०डी०ए० को ले लीजिये उसके पास कोई फंड्स नहीं है अधिकार नहीं है । जिले का विकास आप पंचायतों को दे रहे हैं ब्लाकों को दे रहे हैं तो फिर डी०आर०डी०ए० की क्या जरूरत है । आप एक सुनियोजित कार्यक्रम चलाइये जो धन आपको विधान

सभा द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा उससे प्रदेश के किसानों, छात्रों, मजदूरों, बुद्धिजीवियों की मदद कीजिये । प्रदेश की माताओं, बहनों की मदद कीजिये उनका जीवन स्तर सुधारिये और उनका जीवन सुखमय बनाइये, धन्यवाद ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया । मैं अपने विपक्ष के नेताओं का भाषण सुन रहा था, विशेषकर प्रमोद तिवारी जी माननीय हरीश जी के ऊपर और भाजपा की सरकार के ऊपर आरोप पर आरोप लगाये चले जा रहे थे । इसके मूल में कौन लोग हैं जिनके कारण देश में गरीबी, बेरोजगारी बढ़ी, उसके लिये कौन जिम्मेदार है । मैंने एक जगह पढ़ा था कि जब देश आजाद होने वाला था उस समय पूज्य बापू जी ने पंडित जवाहर लाल नेहरू से पत्र लिखकर पूछा था कि देश आजाद होने वाला है, अंग्रेज जाने वाले हैं, आजादी के बाद देश को कैसा बनायेंगे तो पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि आप हमारे पूज्य हैं, आप हमारे रहनुमा हैं आप जैसा चाहेंगे देश वैसा बनेगा । नेहरू जी ने सीधा जवाब नहीं दिया था तो गांधी जी ने कहा कि जब एक मकान बनाया जाता है तो उसका ब्यूप्रिंट बनता है, देश का नक्शा क्या है लेकिन नेहरू जी ने नहीं बताया तो गांधी जी ने कहा कि जैसे तुलसी दास जी की रामायण में लिखा हुआ है ।

दैहिक, दैविक, भौतिक तापा,
राम राज्य काहू नहि व्यापा ।।

रामराज्य की परिकल्पना के आधार पर देश को आगे ले जाने का सपना पूज्य बापू का था । लेकिन पं० जवाहर लाल नेहरू ने इसका प्रतिवाद किया और कहा कि यह पोंगापंथी बात है । अगर पश्चिमी औद्योगीकरण की नीति पर देश चलेगा तो आगे बढ़ेगा । यह देश का दुर्भाग्य था कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आयी जिसके दिमाग में पश्चिमी सभ्यता की छाप थी और देश गरीब होता चला गया और गरीबी बढ़ती चली गयी । आज प्रमोद कुमार जी भाषण देते हैं तो मुझे याद आता है कि "सूप बोले तो बोले, लेकिन चलनी क्या बोले, जिसमें बहत्तर छेद ।" इस देश को गर्त में ले जाने के लिए जिम्मेदार तो आप हैं । मैं तो बधाई देना चाहता हूं वित्त मंत्री श्री हरीश जी को जिन्होंने एक संतुलित बजट पेश किया है, उसकी तारीफ करनी चाहिए । केवल विपक्ष में बैठकर आलोचना के नाम पर आलोचना करना ठीक नहीं है । माननीय हरीश जी ने जो बजट पेश किया है उसे स्वीकार करना चाहिए । माननीय हरीश जी ने अपने बजट भाषण में स्वीकार किया है कि इस समय प्रदेश की हालत अत्यन्त गंभीर है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है । इन विषम परिस्थितियों के अन्दर बजट में कोई कर न लगाते हुये, इन्ट्री टैक्स, व्यापार कर, वाहन टैक्स जो आमदनी के श्रोत थे उन्हीं पर दबाव बनाकर आमदनी का श्रोत बढ़ाया है अन्यथा कोई टैक्स नहीं लगाया है । मैं बधाई देना चाहता हूं इस प्रदेश की सरकार को कि बिजली के अन्दर जो भ्रष्टाचार व्याप्त था उसको दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को विघटित कर 3 निगमों का गठन किया गया जिससे जो भ्रष्टाचार हो रहा था वह रुक सके और एक लाइबिलटी फिक्स हो सके । शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महाविद्यालय बने । मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता, मैं लखनऊ और विशेष रूप से लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं । 90 दिन के अन्दर पं० दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हुई । वर्ष 1999 में एक करोड़, अट्ठारह लाख रुपया दिया गया, बी०एस०सी० और बी०काम० की कक्षाओं को बनाने के लिए तथा वहां पर कक्षायें बन रही हैं ।

चिकित्सा के क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई के नाम से एक संयुक्त चिकित्सालय की स्थापना हुई, पहले यह 30 शैय्या का था लेकिन अब वह 60-70 शैय्या का हो गया है । स्टेडियम की स्थापना हुई । पिछले एक महीने के अन्दर पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए 8 ट्यूबवेल लगाये गये, ओवर हेड टैंक बनाये

गये । राजाजीपुरम् के सेक्टर–11, 12 एवं 13 में जो 3 इंच के पानी के पाइप थे उसे परिवर्तित कर 5 इंच का किया जा रहा है । इस सरकार ने प्राइवेट इन्जीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज और डेन्टल कालेज खोलकर एक सराहनीय कार्य किया है ।

जो लोग दक्षिण भारत जाकर लाखों रुपये कैपिटेशन फीस देकर बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे, प्रदेश सरकार ने यहीं पूंजीनिवेश कराकर पढ़ाने का काम किया अब उनको दर-दर भटकने की आवश्यकता नहीं रही । मैं कुछ सुझाव सरकार को देना चाहता हूं । यह सरकार निश्चित रूप से आर्थिक संकट से गुजर रही है वित्त मंत्री जी आर्थिक संकट से प्रदेश को उबारने का काम कर रहे हैं । किन्तु मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं । कुछ माह पहले विद्युत विभाग की ओर से लखनऊ में 220 के०वी० उपकेन्द्र हरदोई रोड एवं 10 विद्युत उपकेन्द्र 33/11 का शिलान्यास लखनऊ में प्रधानमंत्री जी के हाथों कराया गया यह ठीक है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है किन्तु मेरा आग्रह है कि जो शिलान्यास कराए गए उन कार्यों को शीघ्रता से पूरा किया जाए । दूसरी बात मैं लखनऊ की सीवर व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं ।

लखनऊ के केवल एक/तीन भाग में सीवर है उस सीवर का डिस्पोजल नहीं है हमने पिछली बार विधान सभा में यह विषय उठाया था कि लखनऊ में एक सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनना चाहिए । प्रधानमंत्री जी द्वारा लखनऊ हरदोई रोड पर एक सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का शिलान्यास किया गया था किन्तु वह कार्य रुक गया है । उस रुके हुए कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने की कोशिश की जाए । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री दद्दू प्रसाद–

अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस सरकार के बजट के खिलाफ बोलने का अवसर दिया । जैसी यह सरकार है वैसा इसका बजट है जिस तरह से यह सरकार विचारहीन आकार में बड़ी पर विचार हीन उथली सरकार है यही इनके बजट में परिलक्षित होता है । वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैंने अध्ययन किया उसमें कोई दिशा समझ में नहीं आती है । न ही उसका कोई उद्देश्य है । हमारी प्राथमिक शिक्षा की जो बहुत आवश्यकता है उस पर इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया । अगर हम प्रदेश को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं तो बेसिक शिक्षा पर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा । जिस तरह से बेसिक शिक्षा की दुर्दशा है गांव में जो स्कूल हैं और शहरों में भी जो सरकारी नियंत्रित स्कूल चल रहे हैं उनमें जो अफरा-तफरी और अनुशासनहीनता और अकर्मण्यता का वातावरण है इस पर भी हमें निगरानी और ध्यान देने की आवश्यकता है । आज 21 वीं सदी में हम पहुंच गए हैं पर गांव मुजरा में हम शिक्षा नहीं पहुंचा सके हैं । इसी तरह से पेयजल संकट की ओर इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैं चित्रकूट जनपद के जिस पठारी क्षेत्र से चुनकर आता हूं यह सरकार सुन सकती है तो सुन ले कि यहां पेयजल का इतना बड़ा संकट है अगर वहां 10 दिन के अन्दर पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो लगभग डेढ़ लाख आबादी पलायन पर मजबूर हो जायेगी । प्यास के कारण कई मौतें हो चुकी हैं । आगे भी मौतें होने की संभावना है । हैण्ड पम्प सूख गए हैं । कुएं सूख गये हैं । लोग मजबूरी में नालों चोहड़ों का पानी पीते हैं चोहड़े भी 10 दिन से ज्यादा साथ देने वाले नहीं है । पेयजल के लिए सरकार ने कोई प्रबन्ध नहीं किया है और मुझे ऐसा लगता है कि यह गूंगी बहरी सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी । इस सरकार के ऊपर जब नकेल डाली जाय या कोई आन्दोलन किया जाय तभी सुनती है । अम्बेडकर ग्राम विकास योजना हमारे प्रदेश के लिए उत्कृष्ट विकास के लिए सामने आई थी, उससे भी इस सरकार ने हाथ खींच लिये । उसके लिए कोई बजट एलाट नहीं किया गया है । जिन बहन मायावती के राज्य में जिन गांवों को विद्युतीकृत किया गया था वहां से इस सरकार ने ट्रांसफार्मर उठवा लिये, लाइन कटवा दी । यही पूरे प्रदेश के अम्बेडकर ग्रामों का

हाल है । न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का कोई प्राविधान नहीं किया गया । मंहगाई दो गुनी हो गई है और मजदूरी वही न्यूनतम 47 रुपये प्रतिदिन चल रही है । यदि गरीबी दूर करनी है तो उत्पादन में वृद्धि करनी होगी और उत्पादन में वृद्धि के लिए औद्योगीकरण को बढ़ावा देना होगा । डिसेन्ट्रलाइजेशन आफ मनी पर ध्यान दिया जायगा तभी गरीबी दूर हो सकती है । हमारे प्रदेश में श्रम है पर नियोजन के लिए नौजवान दिल्ली, बम्बई जा रहा है, उद्योगपति कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई में ही जा रहे हैं । क्योंकि यहां कानून व्यवस्था नहीं है । लेबर भी माइग्रेट कर रहे हैं यदि हम कानून व्यवस्था का सही वातावरण दें, नियोजन का सही वातावरण दें तभी ये प्रदेश तरक्की करेगा । जन आधारित कार्यक्रम पर पहल करें तभी सही विकास होगा । मैं अपने क्षेत्र के पाठा की पेयजल समस्या की ओर इस सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यदि 10 दिन में पेयजल व्यवस्था ठीक न हुई तो लगभग डेढ़ लाख जनता मौत की कगार पर पहुंच जायेगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री अरविन्द कुमार जैन)–.

मान्यवर, आपने मुझे उस बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया जिसे महामहिम राज्यपाल, मुख्य मंत्री व वित्तमंत्री जी ने इस सदन में पेश किया है । अभी मैंने त्रिपाठी जी को सुना तो पुरानी याद आ गई । 52 में जब उनके पिता श्री खड़े हुए तो हमने उनका समर्थन किया । उस समय हमने श्री कमलापति त्रिपाठी जी का प्रचार किया । उस समय जो हालात थे समता अखबार से ज्ञात हो जायेगा । संस्मारर्ग अखबार के सम्पादक रहे हैं । उस समय हम किसी दल से नहीं थे । उस समय जहां गांव नहीं था, रोड नहीं थी, और पेमेन्ट हो गया । यह तो भ्रष्टाचार की परम्परा सन् 52 से ही वही है । आपके पास अखबार होंगे, देख लें । उनके पास सिंचाई विभाग भी रहा । अपने देश में कृषि, सिंचाई, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं । आजादी के समय सबसे पहले शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, रोड और अस्पताल होने चाहिए थे ।

जब जनता ही नहीं रहेगी तो स्वास्थ्य कहां से रहेगा ? किसान जब तगड़ा होगा तो बीमारी कहां से होगी ? तीन साल पहले तक बेसिक शिक्षा का कोई इन्तजाम नहीं था, जिसकी वजह से हमें ललितपुर में 175 प्राइमरी स्कूल खुलवाने पड़े । इसी अनुपात में पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूल खोले गये । आज आपको दूध कड़ुवा लग रहा है, जिन्हें मलेरिया हो जाता है उन्हें कड़ुवा ही लगता है । 1974 में कांग्रेस ने हमारे यहां राजघाट बांध का एक प्लान बनाया परन्तु इतने साल बीत जाने के बाद भी उस पर कोई काम नहीं हुआ, अरबों रुपये खा लिया गया । हमने पुरानी नहरों को बनवाया परन्तु आपने 25 साल तक कुछ नहीं किया । जाखलोन लिफ्ट कैनाल हमने बनवायी ताकि किसान को पानी मिल सके और वह पंजाब के किसान से आगे पहुंच सके ।

दूसरा देखिये हमने यह काम किया है और आप उसे नकार रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप पीठ को सम्बोधित करें ।

डा० अरविन्द कुमार जैन–

ठीक है मान्यवर, यह तो हुई सिंचाई की बात हमने ललितपुर जिले में 3 महाविद्यालय खुलवाये । इनके टाइम में कुछ भी नहीं था । आज देखिये वहां 12 हाई स्कूल और 25 जूनियर हाई स्कूल खुलवाये हैं । यह कहते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है । आखिर आप लोग कहां सोते रहते हैं । गन्ने के लिये हमने 5 रुपये रेट बढ़ाया है । पुराना इनके टाइम का कर्जा चुका रहे हैं । गेहूं, चना, मटर हमारे यहां पैदा होता है । इतना काम हमारे यहां इस सरकार ने ढाई साल में किया, यह कहां आंख मींच कर बैठे थे ? बिजली विभाग को साढ़े चार अरब का घाटा इनके टाइम में हुआ । हमने बोर्ड बन्द कर दिया क्योंकि यह

एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है घाटा होगा तो होता चला जायेगा । बिजली बोर्ड को भंग करके तीन विभाग उसके बना दिये हैं । अब आपको 24 घण्टे बिजली मिला करेगी एक वर्ष के अन्दर ।

श्री श्रीराम पाल–

बिजली बोर्ड घाटे में था इसलिये आपने उसे बन्द कर दिया । यह सरकार भी घाटे में हैं क्या इसे भी बन्द करने जा रहे हैं ?

डा० अरविन्द कुमार जैन–

सरकार कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं है । बिजली बोर्ड तो व्यापारिक प्रतिष्ठान है । आप समझें अक्ल से काम लें । हम लोग घाटे का सौदा नहीं करते हैं । मैं मंत्री हूं मैंने करोड़ों रुपये की सरकार की जमीन बचाई । हम आपको आंकड़े देंगे । सरकार कोई घाटे में नहीं है और बहुत से काम यह सरकार कर रही है ।

मान्यवर, इनको हम बहुत सुनते हैं आज हमको सुनना पड़ेगा चाहे सात-आठ बज जायें हम बैठेंगे नहीं ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है मंत्री जी ने कहा करोड़ों की जमीन हमने दे दी, लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है कि मंत्री बननें के पहले इनके पास एक टूटी साइकिल और फटी बनियाइन थी । करोड़ों कहकर सदन में अपनी सम्पत्ति को नियमित कराना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

डा० अरविन्द कुमार जैन–

भाई साहब की बात बहुत अच्छी लगी, हमें डर नहीं है हम ईश्वरवादी हैं अगर हमने दो रुपये चोरी किए हों तो मुझे गोली मार दो, मैं डा० हूं इनको ज्ञान नहीं है । मैं चैलेंज करता हूं, वैसे आप जो कहें मुझे चिन्ता नहीं है। कुछ दिन पहले मेरे पास एक मुस्लिम भाई आए, बोले सपा पार्टी अन्याय करती है ..

(व्यवधान)

सुन लें, मुस्लिम भाई आए उनके ऊपर पचास हजार का कर्जा हो गया था । मैंने मुख्य मंत्री जी से कहकर उनका कर्जा माफ कराया, अरे हमको वोट नहीं चाहिए । भाजपा पार्टी इंसानियत रखती है । पूरा देश हमारा है । कोई जाति-पांति धर्म नहीं है, जो दोष लगाते हैं वह गलत है ।

एक माननीय सदस्य–

आप मंत्री हैं ?

डा० अरविन्द कुमार जैन–

हम मंत्री नहीं हैं, हम तो आपके सेवक हैं । स्वास्थ्य विभाग हमारा रह गया । यह कहते हैं कि पट्टी नहीं है, रुई नहीं है आप देखें हम डाक्टर हैं चालीस साल की प्रैक्टिस है ।

(श्री लालजी वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मा० वर्मा जी आप बैठें ।

श्री लालजी वर्मा–

इनका भाषण अच्छा है । इनका भाषण जारी रखकर दूसरी मदें ले लें ।

डा० अरविन्द कुमार जैन–

आप कहते हैं कि पट्टी नहीं है, रुई नहीं है । मैं यू०पी० के अस्पतालों में गया । ढाई साल पहले हालत दूसरी थी अब दूसरी है । प्रत्येक स्थान पर सफाई मिलेगी, कहीं गन्दगी नहीं मिलेगी । कहीं गन्दगी होगी क्योंकि पान खाकर थूकने की आपको आदत है, हरदोई में किसी के फ्रैक्चर हुआ उसका आपरेशन हो गया ।

(व्यवधान)

छोटी-छोटी जगहों पर आपरेशन हो रहे हैं । बहुत सुविधायें हैं । सैकड़ों नये अस्पताल खुल गये हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मेडिकल कालेज में जाएं तो पलंगो पर मरीज की जगह कुत्ते लेटे मिलेंगे ।

(हंसी)

डा० अरविन्द कुमार जैन–

भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहूंगा । मान्यवर, बी०जे०पी० के जमाने में भ्रष्टाचार में कमी आयी हैं । पहले क्या था झांसी जिले में, चले जाइये लोग दिन में लूटते थे ।

सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु गन्ने के रस के शीतल पेय की भांति विक्रय हेतु नीति निर्धारित किये जाने विषयक नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा †

श्री अधिष्ठाता–

आपकी चर्चा जारी रहेगी ।

अब हम मद संख्या–11 ले रहे हैं । माननीय गजेन्द्र कुमार मुन्ना जी चर्चा जारी करें । मुन्ना जी नहीं है तो कोई और माननीय सदस्य इसमें बोलने की इच्छा रखते हैं तो बोलें । कोई नहीं

(किसी के न बोलने पर)

अब मैं प्रश्न रख रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि इस सदन का निश्चित मत है कि सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु गन्ने के रस के शीतल पेय की भांति विक्रय हेतु नीति निर्धारित की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

''पेटेन्ट सम्बन्धी विधि में इस आशय का संशोधन करें कि भारतीय जड़ी-बूटियों के उत्पादन उपयोग तथा विपणन आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ें'' विषयक 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा ††

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस सदन में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में बोलने का पिछले दिनों अवसर दिया था । मान्यवर, मेरा प्रस्ताव यह था कि ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश

नोट :– † दि० 3 जनवरी, 2000 को प्रस्तुत ।

†† दि० 31 मार्च, 1999 को प्रस्तुत ।

करता है कि वह पेटेन्ट संबंधी विधि में इस आशय का संशोधन करे कि भारतीय जड़ी-बूटियों के उत्पादन, उपयोग तथा विपणन आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।" मान्यवर, जब से इस देश पर डब्ल्यू० टी०ओ०, विश्व बैंक और आई०एम०एफ० इन तीन विदेशी बहनों की छाया पड़ी है तबसे इस देश के सामने अपनी बौद्धिक सम्पदा को बचाये रखने का संकट उपस्थित हो गया है। यह संकट एक दो दिन का संकट नहीं है। इसकी शुरूआत 1992 में हुई थी। उस वक्त विकासशील देशों के सम्मेलन में, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में, उस समय यू०एन०ओ० चाहता था कि स्थायित्व आये और वह संरक्षण देना चाहता था। जब विविधता एवं बौद्धिक संरक्षण सम्पदा विषयक बैठक हुई थी। लेकिन उस समय अमेरिका सहित विकसित देशों ने हस्ताक्षर नहीं किया और विलम्ब से 93 में हस्ताक्षर करने के कारण वह कानून नहीं बन पाया था। उस समय हमारे पास आप्शन था कि हम यू०एन०ओ० को स्वीकार करें या फिर डब्ल्यू० टी० ओ० विश्व बैंक और आई०एम०एफ० इन तीनों को स्वीकार करें। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उसने यू०एन०ओ० को न स्वीकार करके इन तीन विदेशी बहनों को स्वीकार किया था और उसे प्राथमिकता दी थी और उसका परिणाम यह हुआ कि यह जैव और बौधिक सम्पदा अमेरिकी कानून के तहत पेटेन्ट होने जा रही है और इसका परिणाम 2006 में आयेगा। अब हमें क्रियाशील तत्वों और लक्षणों पर प्रयोग करने के लिए उनसे अनुमति प्राप्त करनी होगी।

मान्यवर, श्री दिनेश सिंह जो उस समय भारत सरकार में विदेश मंत्री थे। उस समय भारत 55 देशों का नेतृत्व करता था। उस समय श्री दिनेश सिंह जिनेवा गये थे और वहां मीटिंग में इस विषय को विषय सूची में शामिल करने के लिये स्वीकृत कराया। मैं समझता हूं कि भारत की प्रथम भूल से 55 देशों का नेतृत्व छीन लिया गया। भारत के विदेश मंत्री ने हमारा नेतृत्व करते हुए हमारे विपरीत पता नहीं कैसे हामी भर दिया। वर्ष 1989 से पहले गेट डब्लू०टी०ओ० के दायरे में आता था। टेक्नालोजी यू०एन०ओ० का विषय था, उस टेक्नालोजी का स्थान डब्लू०टी०ओ०, विश्व बैंक, आई०एम०एफ० ने ले लिया जिसकी काली छाया भारत में दिखायी पड़ रही है। इन तीनों के दबाव में आकर भारत ने अपने हिसाब से कानून नहीं बनाया जबकि हमें अधिकार था कि परम्परागत ज्ञान के आधार पर जो जड़ी-बूटियां हैं और उनके जो प्रोडेक्ट बनते हैं उन पर भारत का अधिकार होना था। इस संबंध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान्यवर, अर्जुन नाम की एक जड़ी-बूटी है जिसे अमेरिका ने पेटेन्ट करा लिया और उसका अधिकार अब हमें अमेरिकन कम्पनी से लेना पड़ेगा। अर्जुन की अमेरिका पेटेन्ट संख्या–5411733 है। मान्यवर, 2005-6 से जब यह प्रोडेक्ट पेटेन्ट हो जायेगा तो हमारे हाथ से सारी चीजें निकल जायेंगी। मान्यवर, कोई भी व्यक्ति प्रोडेक्ट पेटेन्ट करने के लिए आवेदन-पत्र दे सकता है। इस समय 3000 आवेदन-पत्र भारत सरकार के पास जो जड़ी-बूटियां हैं उनके पेटेन्ट हेतु अपने देश में आवेदन-पत्र पड़े हुये हैं और इन पर 2006 में भारत के अन्दर निर्णय देना पड़ेगा। मान्यवर; जिस तरह 1999 में एक अधिनियम स्वीकार किया गया है तो उस समय के बाद हमें पेटेन्ट संबंधी अधिकार देने से कोई रोक नहीं सकेगा। मान्यवर, पेटेन्ट का अर्थ होता है कि जब कोई खोज करता है और उसकी कोई व्यापारी नकल करके लाभ न उठा ले इसलिये उस वस्तु का पेटेन्ट कराया जाता है जिससे मानवता उस लाभ से वंचित न हो सके। मान्यवर, मैंने जैसा पहले कहा था कि पेटेन्ट की एक निश्चित अवधि के बाद उपयोग होता है। इसलिये यदि मान लें कि भारत की बौद्धिक सम्पदा 5 जून, 1992 से भारत सरकार अपना आप्शन चुन लिया होता तो भारत के सामने यह मजबूरी की स्थिति न आती। मान्यवर, एक और वर्कशाप 25 अप्रैल, 1998 को हुई थी जिसमें हिन्दुस्तान के बुद्धिजीवियों में चिन्ता है कि भारत की बौद्धिक सम्पदा विदेशियों के हाथों में क्यों जा रही है।

मान्यवर, मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहूंगा। अर्जुन इसकी अमेरिका पेटेन्ट संख्या है। 5411733 इसको जापान की कम्पनी ने पेटेन्ट कराया। रीठा इसकी अमेरिका पेटेन्ट संख्या–5425885 है इसको गुआनशैंग झाओ कं० ने पेटेन्ट कराया है। बेर इसको दो जापानी कं० ने पेटेन्ट कराया पेटेन्ट नं०

5589182 और 5411733 है । करेला इसका पेटेन्ट नं० 5484899 और 5466455 है । इसी प्रकार विलायती शीशम पर, गुलमेंहदी, कुमारी, काली मकोम, दूधी, छोटा गोखरू हरड़, काली मिर्च, जंगली एरण्ड, धातकी, शल्लकी, भुई आंवला यह सब पेटेन्ट हुई हैं । भुई आंवला से तो कं० करोड़पति हो गयी है इससे तो दवा बन रही है चार कं० ने इसे पेटेन्ट करा लिया है । इसी तरह से अश्वगंधा, रंगून की बेलपेटेंट हो चुकी हैं । एरण्ड पेटेन्ट हो चुकी है । आंवला 5529778 नं० से पेटेन्ट हो चुका है। अनार 5411733 नं० पर पेटेन्ट हो चुका है । गुडुची 5529778 पर पेटेन्ट हो चुकी है । मुनक्का (द्राक्षा 9) कं० ने पेटेन्ट करवाया है । देशी सरसों को 14 कं० ने पेटेन्ट करवाया है, अमूलतास–3 कं० ने पेटेन्ट करवाया है । हल्दी को 8 कं० ने पेटेन्ट करवाया है ।

मान्यवर, यह जो कुछ तथ्य रख रहा हूं वह रिसर्च फाउन्डेशन फार साइंस, टेक्नालाजी एण्ड इकालाजी द्वारा प्रकाशित रिसर्च पेपर हैं उसमें यह तथ्य हैं कि जो कांग्रेस सरकार द्वारा एग्रीमेन्ट कर लिये गये थे, वर्तमान सरकार की इसमें मजबूरी है । अगर हम पेटेन्ट को देख लें तो ई०एम०आर० के नाम से राष्ट्र के साथ धोखा हो रहा है । पीपुल्स कमीशन नामक संस्थान ने इसका सर्वेक्षण किया अगर इस तरह से पेटेन्ट को सम्पूर्ण मानवता पर लादना चाहते हैं तो इसके दुष्परिणाम आने वाले हैं, जिसको कोई रोक नहीं सकेगा । गेट से लेकर डब्लू० टी० ओ०, अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार संधि के नाम पर इंटरनेशनल मानिटरी फण्ड, विश्व बैंक इनके दबाव के कारण । भारत सरकार इस पर अध्यादेश लाने पर मजबूर हुई । 1995 से 3 हजार से अधिक आवेदन हो चुके हैं ।

सन् 2006 के बाद भारत सरकार को इन आवेदनों पर अंतिम निर्णय लेने को बाध्य होना पड़ेगा और यह अंतिम निर्णय उनके पक्ष में जायेगा । मैं तो इस मत का हूं कि बहस धर्मान्तरण पर न होकर आज पेटेन्ट पर हो तो शायद भारत माता की सच्ची सेवा करने में हम सफल हो सकेंगे अन्यथा मैं तो यह कहूंगा कि एक समय के बाद हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं । वह रिसर्च कर रहे हैं और उसको पेटेन्ट करा लिया लेकिन उस चीज का हाईलेविल प्रोसेस भी पेटेन्ट करा लें तो उसके बाद भारत के वैज्ञानिक कुछ करना चाहेंगे तो उन्हें उनकी अनुमति लेनी होगी और उसको रायल्टी देनी होगी तो इससे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति और दूसरी नहीं हो सकती ।

भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके एक ई०एम०आर० विपणन का अधिकार दे दिया तो जिस कम्पनी को ई०एम०आर० मिल जायेगा उसको बाजार में उत्पादन वस्तु को बिक्री करने का अधिकार मिल जायेगा दवा, कृषि और रसायन में । 5 जून, 1992 को एक सम्मेलन रियोडिनेरियों में हुआ था उस समय अमेरिका हस्ताक्षर कर देता और कानून बन जाता तो शायद भारत के सामने यह मजबूरी न आती और हम यू०एन०ओ० के प्रासेस को स्वीकार कर लेते तो शायद हम देश की दवा, कृषि और रसायन के अधिकार को पेटेन्ट में जाने से बचा सकते ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं अगर इस देश में यह पेटेन्ट कानून यथावत् लागू होगा तो इस देश का दवा उद्योग चाहे वह आयुर्वेदिक दवा का हो, चाहे यूनानी का हो या एलोपैथिक का हो वह सारा दवा का उद्योग तबाह हो जायेगा । आज उदारीकरण के नाम पर आप देख लें जहां-जहां विदेशी कम्पनियों ने दवा प्लोट की है वह दवा की मिनिमम कीमत वसूल कर रहे हैं लेकिन हिन्दुस्तान की दवा जो बनी उससे विदेशी दवा की कीमत ज्यादा है ।

मान्यवर, विश्व व्यापार संगठन के साथ भारत के समझौते के अनुरूप हमें एक जनवरी, 1995 के बाद प्रक्रिया पेटेन्ट (प्रोसेस पेटेन्ट) की बजाय उत्पादन पेटेन्ट के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित करने हैं हालांकि अंतिम रूप से उन आवेदनों पर निर्णय हम सन् 2005 तक लम्बित कर सकते हैं । लेकिन इस स्थिति में हमें उन आवेदनकर्ताओं को विपणन का एकाधिकार देना होगा इस बीच उनके आवेदन की

गुणवत्ता की जांच के बाद किसी भी हालत में उत्पाद पेटेन्ट को मान्यता देनी ही है। यह उपनिदेशक सी आई आई श्री निवासन का कहना है।

मान्यवर, भारत से तो दोस्ती रखेंगे और बेटी से बैर रखेंगे। एक तरफ यह देश संसार के विकसित देश से मित्रता रखना चाहता है लेकिन भारत विकासशील देश, कृषि प्रधान देश, अपने संस्कार को मानने वाले देश की भौतिक सम्पदा को अपने यहां गिरवी रखना चाहता है और यह परोक्ष रूप से भारत को अपने यहां गुलाम बनाने का षडयंत्र है। डब्लू०टी०ओ० और गेट के अन्तर्गत हमारे देश को छलने का प्रयास प्रारम्भ हो गया है। यह पेटेन्ट अधिनियम, 1999 गुलामी का दस्तावेज है, यह पेटेन्ट अधिनियम, 1999 इस देश के 40 करोड़ किसानों के साथ वन सम्पदा का उत्पाद करने वाले लोगों के साथ उनके अधिकारों के साथ धोखा है। यह पेटेन्ट अधिनियम आपकी गुलामी का दस्तावेज बनायेगा।

आप लोगों ने समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा, जिस बासमती चावल की सुगन्ध के लिये, इस देश का गरीब बच्चा जिसको दोनों समय रोटी भी ठीक से मुहैया नहीं है, लेकिन यदि पास-पड़ोस में बनते देखता होगा, तड़फता होगा, वह बासमती चावल इस देश के मध्यम वर्ग, अपर मध्यम वर्ग के चौके से निकालने का षडयंत्र हो चुका है और बासमती चावल पेटेंट का शिकार होकर जा रहा है, विदेशियों के चंगुल में। मान्यवर, एक डंकल समझौता हुआ था, जिसकी बहुत बड़ी चर्चा हुई थी। इस डंकल प्रस्ताव का डंक भारत की मूलतः सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक व्यवस्था पर लग चुका है और इस डंक के मारे हुये भारत के लिये सन् 2005-2006 एक अन्तिम समय होगा, जिस समय हम अपनी गलती का अहसास करेंगे, लेकिन तब तक इतना आगे बढ़ चुके होंगे कि शायद भूल सुधार का मौका भी नहीं मिल पायेगा। एक बहुत बड़ी स्वदेशी की विचारक हुई हैं, वन्दना शिवा, शायद इस सदन में हम सभी व्यक्ति उनके नाम से परिचित होंगे उन्होंने कहा है "दे बिल विच कास्ट ए फ्युचर इन पार्लियामेंट इज ए प्रेसक्रिप्शन फार अनकन्ट्रोल्ड मोनोपोलीज ए थ्रेट टू पीपुल्स हैल्थ एण्ड लाइवलीहुड एण्ड एसाल्ट आन आवर कल्चर एण्ड अवर इकोलाजी"

श्री अधिष्ठाता–

हिन्दी अनुवाद बता दें।

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

इन सारी चीजों को रखने के बाद मैं पूरे सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें हम भारत सरकार से विनम्रतापूर्वक यह मांग कर रहे हैं कि हिन्दुस्तान की जो मूल देशी जड़ी-बूटियां हैं, या जो ऐसे कृषि उत्पाद हैं, जो हिन्दुस्तान की धरती पर पैदा होते हैं, जिसका उपयोग हिन्दुस्तान की धरती पर रहने वाला गरीब आदमी स्वतः इस्तेमाल में कर लेता है, अपने इलाज के लिये, उसका वह अधिकार न छीनें, इसके लिये भारत सरकार इस अधिनियम पर पुनर्विचार कर ले और इसमें आवश्यक संशोधन कर ले। अन्तिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आदिवासियों द्वारा जंगलों में विभिन्न रोगों के लिये इस्तेमाल कर ली जाती हैं, वह सभी पेटेन्ट अधिनियम का शिकार होकर जा रही है। कल को जंगल में यदि कोई आदिवासी द्वारा उसका उपयोग किया गया, जिसका पेटेन्ट होगा तो पेटेन्ट कराने वाला उसको उसे उपयोग करने से रोक सकेगा। आर्थराइटिस, डिसऐन्ट्री, फाइलेरिया, हरपिस, एवार्शन, जानडिस, हाइपर टेंशन, कालाजार, पाइल्स, ट्यूमर, ब्लड कैंसर, स्टमक कैंसर, इन सभी बीमारियों में यह जड़ी-बूटियां उपयोग में लाई जाती हैं, यह सभी पेटेन्ट होने जा रही हैं, यह निष्कर्ष केन्द्रीय औषधि संस्थान की कार्यशाला में निकले हैं, इस विषय को यहां रखते हुये मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि अब यह विषय राजनीति नहीं है। यह विषय हमारी जैविक सम्पदा, बौद्धिक सम्पदा, देशी जड़ी-बूटियों, कृषि उत्पादनों को विदेशियों के चंगुल में जाने से बचाने का है। यह सदन उत्तर प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, हम अपने प्रदेश की जनता की भावनाओं से भारत सरकार को अवगत

कराने का काम करें, निर्णय भारत सरकार को करना है। मैं चाहूंगा कि आज सदन सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार करे और भारत सरकार से अनुरोध करे ताकि समय रहते इसका कुछ अनुकूल निर्णय हो सके, तभी शायद हम भारतमाता की सच्ची सेवा कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, जिस विषय को आज डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने उठाया है, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। भारत की आयुर्वेद की परम्परा बहुत समृद्ध परम्परा है। ऋषि च्यवन से ऋषि चरक और उसके बाद लम्बी परम्परा है और उस परम्परा के माध्यम से कितने वर्षों की खोज के बाद हम अपने आस-पास की वनस्पति से रोगों के निदान का साधन बना पाये उसको ढूंढ पाये, कितनी पीढ़ियों के परिश्रम का परिणाम आज हमारे सामने है और मैं तो यह कहना चाहता हूं, आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति न होकर, हमारे जीवन की एक शैली है, जीवन पद्धति है और आयुर्वेद में मुख्य रूप से इस बात पर जोर नहीं दिया जाता कि हम रोग का निदान कैसे करें, इलाज कैसे करें। इसके माध्यम से इस बात को बताया जाता है कि हम स्वस्थ और सुखी जीवन कैसे बितायें ? हमारी यह कितनी बड़ी धरोहर है। आज यह बात सही है कि पेटेन्ट के माध्यम से उस पर एक बहुत बड़ा हमला है। अगर हम इतिहास की तरफ जाते हैं, जिस समय अंग्रेज हिन्दुस्तान में आए थे तो जितनी हमारी कलाएं थीं उन सब का विनाश इन्होंने किया और अपना साम्राज्य पूरे देश पर चलाया, इस देश को लूटने का काम किया। आज वह दिन तो चले गये जब हम किसी देश की धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित करके उस देश को गुलाम बनाने का काम करें। आज जो दूसरे तरीके जिनका अविष्कार किया गया है जैसे विश्व व्यापार के माध्यम से, गेट के माध्यम से, डंकल के माध्यम से जो तमाम योजनाएं विकसित देशों ने विकासशील देशों को लूटने के लिए तैयार की हैं उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत आज हम उनके मर्मस्थल पर प्रहार करते हैं।

आज आयुर्वेद हमारी धरोहर है, यूनानी चिकित्सा पद्धति हमारी धरोहर है तो हम कैसे इसका विनाश करें। यदि इसका पेटेन्ट अमरीका या उसकी दूसरी कम्पनियां करा लेंगी तो जो चिकित्सा पद्धति है, जो कम खर्चीली है, यह चिकित्सा पद्धति उपलब्ध नहीं रह पायेगी और इसका परिणाम यह होगा कि जो एलोपैथिक दवाइयां हैं जिसे मल्टी नेशनल कम्पनियां बना रही हैं, उन पर निर्भर रहना होगा और इसके परिणाम स्वरूप जो हमारी धरोहर है, नष्ट होगी और हमें उन दवाइयों पर निर्भर रहना होगा जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां बनाती हैं और इसके द्वारा हम लोगों का शोषण होगा। कृषि की बात भी इन्होंने कही। हमारा किसान गरीब होता है, उसका शोषण होता है तो यह बात है कि भारत स्वावलम्बी बने यह एक आदर्श रहा है, उसका एक उद्देश्य रहा है, उस रास्ते पर नहीं चल सकते और भारत को अन्ततः फिर गुलाम होना पड़ेगा और यह सही बात है कि जो पेटेन्ट और दूसरे आ रहे हैं यह गुलामी के दस्तावेज हैं, इनसे इन्कार नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं। जैसा बाजपेई जी ने प्रश्न उठाया कि 1992 में कांग्रेस के मंत्रियों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। कांग्रेस ने जो काम किया वह देश भक्ति का काम नहीं था, देशहित का काम नहीं था लेकिन मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, एक देश चीन भी है जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भी नहीं है और उसके बावजूद में ऐसी क्या खास बात है कि आज अमेरिका जिसके राष्ट्रपति हमारे देश तो आते हैं व्यापार करने के लिए, कैसे अपनी कम्पनियों के माध्यम से इस देश को लूट सकें, व्यापार में कन्सेशन प्राप्त कर सकें।

लेकिन इसके पहले चाइना जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भी नहीं है अमेरिका उसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देता है और भारत के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाकर भारत के शोषण का मार्ग प्रसंस्करण

करता है । हम सबको इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि जो काम कांग्रेस ने किया और जिसके लिये हम आज उसकी आलोचना कर रहे हैं तो जब नरसिंहराव के नेतृत्व में डा० मनमोहन सिंह नयी आर्थिक नीतियों को लागू कर रहे थे तो वह कौन लोग थे जो अमेरिका में जाकर इन नीतियों की प्रशंसा कर रहे थे और सत्ता में आने के बाद उन्हीं नीतियों पर चल रहे हैं । माननीय बाजपेयी जी ने कहा कि केन्द्र सरकार से हम अनुरोध कर सकते हैं यह निर्णय केन्द्र सरकार को लेना है कि पेटेन्ट कानून पास हो या न हो । मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 16 करोड़ लोगों की आवाज बहुत बड़ी आवाज है । अगर उत्तर प्रदेश के 16 करोड़ लोगों की असेंबली फैसला कर ले और हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर फैसला कर लें तो यह कानून लागू नहीं हो सकता है । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब यह देश गुलाम था तो आजादी की ओर जाने वाला रास्ता उत्तर प्रदेश से गुज़रा था आज फिर देश गुलामी की ओर जा रहा है ।

इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुज़रेगा । अगर हम 16 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था के लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निर्णय करें और केन्द्र सरकार पर दबाव बनायें कि हम प्रदेश की पुरानी आयुर्वेदिक परम्परा को नष्ट नहीं होने देंगे और अपनी धरोहर को लुटने नहीं देंगे तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की हैसियत या औकात नहीं है कि इस पेटेंट कानून को पास कर दे और उत्तर प्रदेश के साथ इतना बड़ा धोखा कर दे । भाई लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी ने जिन भावनाओं को व्यक्त किया मैं कहना चाहता हूं कि अभी जब प्रश्न उपस्थिति किया जायगा तो यह कहेंगे कि मैं वापस ले रहा हूं । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक गवाह कोर्ट में पेश हुआ और उसने जो सारी बातें थीं वह सच सच कह दीं और पुनः अगले दिन न्यायालय में प्रस्तुत हुआ जब तो उसने कहा कि मेरी आंख खुल गयी है । इस पर जज ने पूछा कि क्या अभी तक तुम सो रहे थे तो उस गवाह ने कहा कि अभी तक जो कुछ मैंने कहा वह मैं ख्वाब में कह रहा था तो इस चर्चा का हश्र भी वही होगा । लेकिन कम से कम वक्त के वक्ष स्थल पर एक निशान बना रहेगा । रिकार्ड में यह बात रहेगी कि यह बात सही थी और वक्त रहते इस बात को हमने उठाया था और आगे आने वाली पीढ़ी यह नहीं कहेगी कि समय रहते जब इस पर विचार हुआ यहां पर विचार हुआ था तुम कहां थे ? इसलिये भाई लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी ने जो चर्चा शुरू की है उसका मैं सपोर्ट करता हूं, समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से सरकार से आग्रह से करता हूं कि इसको सर्व सम्मति से पास करे और केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे कि इस पेटेंट कानून को पास न किया जाय इससे उत्तर प्रदेश का बहुत अहित होने वाला है । धन्यवाद ।

डा० ज्ञानवती सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारे भाई लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने जो सब बातें बतायीं उसके बारे में मैं भी बहुत दिनों से चिंतित थी । मैं वंदना शिवाजी जो पर्यावरण विषय की विशेषज्ञ हैं, से कई बार व्यक्तिगत रूप से पर्सनली मिली हूं और चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर भी किसानों के बारे में जो गोष्ठी हुयी उसमें वह आती रहीं हैं । जहां और भी कृषि विशेषज्ञ देश के किसानों से और पर्यावरण से सम्बन्धित आज की स्थित के बारे में अपने विचार रखते हैं – इन्हीं गोष्ठियों के माध्यम से विदित अपने देश की आज की इस गम्भीर समस्या का किस तरह समाधान हो, इसके लिए मैं और मेरे देश के अनेकों बुद्धिजीवी लोग चिन्तित हैं और उसका कैसे सर्वेक्षण होगा ? क्या विदेशियों के इन बुरे इरादों और कूट नीतियों से हमारा देश बच जायेगा ? हमारे देश की जो संपदा रही है, हमारी जो पुरातन समय से आयुर्वेदिक परम्परा चली आ रही है वह पूरे विश्व में विख्यात थी । चरक हमारे माने हुए आयुर्वेद के विधाता थे । उन्होंने अनेकों औषधियां बनाई थी और इन्हीं जड़ी-बूटियों से बनायी थी । और पूरी दुनिया में हमारी इस आयुर्वेद पद्धति की साख थी । एलौपैथिक विधि तो बहुत बाद में विकसित हुई है । होम्योपैथिक औषधियां भी इन्हीं जड़ी-बूटियों से बनती हैं । आज जो साइन्स का बोलबाला है, मार्डन

साइन्स है एलौपैथिक दवायें हैं । उनकी और जनता की सोच कम होती जा रही है । पूरा विश्व आज इस बात को मानता है कि आयुर्वेद और होम्योपैथिक की जो दवायें बनी हुई हैं वह हमारे भारत देश की जड़ी-बूटियों के द्वारा ही बनी हुई हैं । वह ही एक ऐसी औषधियां हैं जो मानव शरीर के लिए उपयुक्त हैं जिससे शरीर में कोई विकार पैदा नहीं होते है और अनेकों असाध्य हुये भी रोगों का उपचार होता आया है । यकृत आंतों और गुर्दे का इलाज तो इन्हीं आयुर्वेदिक औषधि से ही बहुत समय से हमारे देश में होता आया है । परिवार नियोजन की दवायें मार्डन साइन्स में बाद में आयी हैं, पुराने समय में परिवार नियोजन की परम्परा भी इन जड़ी-बूटियों से होती आ रही हैं । आज हमारी जो हर तरह की पुरानी संस्कृति समाप्त हो रही है । वह विदेशी लोगों के आने से हुई है । हमारी जैविक सम्पदा, बौद्धिक सम्पदा पर इस तरह से आक्रमण हो रहा है वह बहुत ही खतरनाक है । इसमें कोई दो राय नहीं है । अण्डमान और निकोबार द्वीपों में जहां काली मिर्च, लौंग एवं बड़ी इलायची की पैदावार से उनका जीवन निर्भर है उन्हें भी विदेशियों ने पेटेंट करा लिया है । इससे सभी तरह की दवायें बनती हैं । और भी अनेकों बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण महंगी और लाभदायक जड़ी बूटियों पर सभी विदेशियों की नजरें हैं । हमारे देश के जो कर्ता-धर्ता हैं, जो कानून बनाने वाले हैं उनकी बुद्धि में यह बात क्यों नहीं आ रही है, वह भविष्य के बारे में क्यों नहीं देख पा रहे हैं । ठीक कानून क्यों नहीं बना रहे हैं क्या चायना और जापान से हम पीछे हैं । पूरी दुनिया हमारे देश के नौजवानों की बुद्धि को आज लोहा मानती है । हमारे भारत के जो नवयुवक हैं उनका जो बौद्धिक स्तर है वह सभी लोगों से ऊंचा है । जो साफ्टवेयर की टेक्नालाजी आज पूरे विश्व में फैल रही है उसने साबित कर दिया है कि हमारे देश का बुद्धिजीवी को अगर अवसर मिले तो वह अनेकों अविष्कार आज भी कर सकता है । लेकिन हमारे देश के जो बुद्धिजीवी पार्लियामेंट में बैठे हुये हैं वह दूसरे देशों से क्यों हार मान रहे हैं ? हमारे देश की सम्पदा को क्यों लुटने दे रहे हैं और हमारे देश को गुलामी की तरफ बढ़ा रहे हैं । यह पार्लियामेंट तो नहीं है लेकिन हमारे यहां विधान सभा देश की सबसे बड़े प्रान्त है और आज करीब 17 करोड़ जनसंख्या की आवाज है इसे हमारे जो मुख्यमंत्री है हमारी आवाज को पूरी जोरशोर से संसद में पहुंचायें । संसद में यह कहा जाये कि हमारे देश को लूटने न दिया जाय । हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार कोई ऐसा नियम बनाये कि हमारे प्रदेश के किसानों की कोई जमीन उन विदेशियों को पेटेंट की स्थापना करने के लिए न दी जाय । हम ऐसा कानून बना सकते हैं । अगर हमारे ये मंत्रीगण दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दे, और परिचय दें और ठीक कानून बनायें तो यह असम्भव नहीं कि क्षेत्र में जनता समझाये ठीक से प्रचार करें । तो जनता में जागरूकता आ सकती है और हमारे कृषक स्वयं ही विदेशियों की कुटिल नीति को असफल कर सकते हैं । जिस तरह कसैब दो वर्ष पहले इसके विरुद्ध आवाज उठाई गई और उसे सरकार ने प्रतिबद्ध कर दिया । इसी प्रकार जनता की जागरूकता से हम इसमें भी सफल हो सकते हैं । मैं लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं ।

तो हम इस देश को बचा सकते हैं । यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इसे पूरी गंभीरता से लेना चाहिए । यहां पर राजनीति न खेलकर सब कुछ भूलकर अपने देश को बचाने के लिए कड़े से कड़ा कानून बनाना चाहिए जिससे हमारा देश बच सके और हमारा भविष्य हमारे हाथों में सुरक्षित रह सके । धन्यवाद ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मा० अधिष्ठाता महोदय, बाजपेयी जी ने एक अति गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है । यह सत्ता पक्ष और विपक्ष का प्रश्न नहीं है प्रश्न है हमारे देश की जैव विधिवता और हमारे देश की जड़ी-बूटियों की अपार सम्पदा है और वर्तमान ग्लोबलाइजेशन के युग में हम उनकी रक्षा कैसे करें । अगर इस पर गंभीरता से प्रयास नहीं किया गया और हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो सदा के लिए गुलाम हो सकते हैं । इस पूरे सदन को गंभीरता से विचार करना चाहिए । जब गैट

समझौता हुआ इण्टेलेक्चुअल प्रापर्टी के नाम पर पेटेन्ट को हमारे रहनुमाओं ने स्वीकार किया तब यह नहीं सोचा कि आगे आने वाले दिनों में इससे क्या होने वाला है । उत्तर प्रदेश जैव विविधता में सबसे बड़ा प्रदेश है और दुनियां में भारत सबसे बड़ा जैव विविधता का मुल्क है और जो आज दादागीरी करने वाले मुल्क हैं वह हिन्दुस्तान की इस सारी की सारी सम्पदा पर कब्जा करना चाहते हैं । विश्व बैंक और इन्टर नेशनल मानीटरी फण्ड यह मुल्क पर ऋणग्रस्तता बढ़ाते जा रहे हैं कि उनका उद्देश्य यह है कि एक दिन ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि यह देश अपनी सम्पूर्ण जैविक विविधता उनके हाथ गिरवी रख दे और वह कर्ज माफ करने का प्रलोभन दें । इस गंभीर प्रश्न पर हम सबको चिन्ता करनी है । मैं बासमती चावल के बारे में अनुरोध करना चाहता हूं । बासमती चावल के नाम पर एक कम्पनी ने टैक्समती चावल बना दिया और उसका नाम बदल दिया । इससे आने वाले दिनों में हमारा जो बासमती चावल है इसका बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा । हम उस चावल को अपना चावल नहीं कह सकते हैं । अश्वगंधा अनेक प्रकार की बीमारियों को रोकने के काम आती है आज दुनियां में जो परिस्थितियां पैदा हो गई हैं खाद्यान्न में रासायनिक खाद प्रयोग करके जो हम खा रहे हैं इससे सबके पेट में जहर जा रहा है इन बीमारियों के इलाज में एलोपैथिक काम नहीं आ रही है इसमें आयुर्वेदिक काम आ रही है । इसलिए विदेशी लोगों की इन जड़ी बूटियों पर निगाह है । जापान अमेरिका सबकी निगाह है । जिस सम्पदा का हिन्दुस्तान के लोग उपयोग समझ नहीं पा रहे हैं । अभी हमारा जो टैक्सास पैदा होता ।

हमारे यहां जो टेक्सांस पैदा होता है उससे हृदय रोग का इंजेक्शन बना दिया गया और उसे पेटेन्ट कर दिया गया । यह टैक्सांस हमारे देश में पहाड़ पर ही पैदा होती है । आज हमारे देश के लिए खतरा पैदा हो रहा है । पूरी दुनियां में पेटेन्ट का एक कानून नहीं है । हर मुल्क के अलग-अलग कानून हैं । हमारे यहां से जो आयुर्वेद के खजाने की लूट हो रही है उससे हम सबके लिए खतरा पैदा हो गया है, यह हानिकारक है । हमारे यहां परम्परा रही है । कोई चीज बनाकर दें तो वह अपने नाम के प्रचार के लिए होती है । डब्लू०पी०ओ० के अन्तर्गत उसे पेटेन्ट करके दूसरों के लिए यह हानिकारक है । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पासकर भारत सरकार को भेजा जाए । विश्व बैंक के दबाव में आकर उनकी शर्तों के दबाव में आकर हम अपनी आयुर्वेद सम्पदा को खो रहे हैं । हम सभी सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहे हैं । मेरा निवेदन है कि बाजपेयी जी के इस प्रस्ताव को सीधे-सीधे पास करके भारत सरकार को भेजा जाय ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो प्रस्ताव बाजपेयी जी द्वारा लाया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं । आज हमारी मजबूरी है, इस सरकार की मजबूरी है, भारत सरकार की मजबूरी है, अगर हमें जीवित रहना है तो दूसरे देशों की वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना है तो उनकी शर्तों को मानना ही पड़ेगा । अभी वित्त मंत्री जी ने कहा "कर पहिया आपने छोड़ पराई आस" । हमें इसी राह पर चलना है । आने वाली हमारी पीढ़ियां जब विधान सभा की कार्यवाही पढ़ें तो कहें कि कुछ लोग ऐसे थे जो इस बात का विरोध किये थे । आज से बीस साल पहले एलोपैथी दवाइयां एण्टीबायोटिक थी पर आज आयुर्वेद का जमाना है । आज हर्बल का जमाना है । इससे हिन्दुस्तान बहुत बड़ी प्रापर्टी पूरे विश्व से कमा सकता था । हमारे जो वैद्य हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं, चाहे कर्क हो, चरक हो, शिशुक हो उन्होंने जड़ी-बूटियों पर शोध किया है उनको पहचानना है ।

उस समय जिस रोग के लिये जो वनस्पति उपयोग में आती थी, उसका आज भी उतना ही असर है । हिन्दुस्तान के जनमानस में जाने और अनजाने में एक ऐसी विधा थी, चाहे वह निरक्षर ही क्यों न हो, यदि पेट में दर्द है या कान में दर्द है तो वह वनस्पति का उपयोग कर लेता था कि इससे उसे फायदा होगा । उसके रक्त में यह विधा थी, यदि पेटेन्ट बिल पास हो गया तो आने वाले दिनों में चाहे वह गरीब

हो या अमीर हो, इसका उपयोग नहीं कर पायेगा । उन्हीं से बीज लेकर बोयेगा और उन्हीं की अनुमति से ही उपयोग में ला सकेगा । जो वनस्पतियां अपने आप जमती थी, उनका भी उपयोग नहीं करने पायेगा । यदि इसके विपणन और कानून बनाने में हम सफल हो गये तो निश्चित रूप से हिन्दुस्तान बहुत विदेशी पूंजी आकृष्ट करने में कामयाब होगा । माननीय बाजपेयी जी बहुत अच्छा प्रस्ताव लाये हैं, वह अपने प्रस्ताव पर अड़े रहें, भले ही यह प्रस्ताव गिर जाय । यदि आप वापस ले लेंगे तो इसे लाने का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा । यह कोई दलगत व राजनैतिक बात नहीं है । बिना रोक-टोक के आज जो जनमानस इसका उपयोग कर रहा है, उस पर एक प्रश्नचिन्ह लगने जा रहा है, इसलिये इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करके केन्द्र सरकार के पास भेजा जाय ।

वन मंत्री (श्री राजधारी)–

माननीय अधिष्ठाता जी, श्री बाजपेयी जी बधाई के पात्र है और समय-समय पर वह ज्वलन्त समस्याओं की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते रहते हैं । माननीय सदस्यों ने जड़ी-बूटियों के बारे में बहुत ही सकारात्मक तरीके से अपनी भावनायें रखी । यह सही है कि भारत वर्ष जड़ी-बूटियों का देश है प्रकृति ने जहां समस्यायें दी हैं, वहीं पर उनका निदान भी दिया है और जड़ी-बूटियां उसकी प्रतीक हैं । भारत वर्ष में जो रोग थे, उनका नेचुरल इलाज इन्हीं जड़ी-बूटियों के माध्यम से करते थे, यह हमारी एक धरोहर है । चाहे हकीम हों, चाहे वैद्य हों, चाहे गांव में रहते हों या पहाड़ में रहते हों, लम्बे आविष्कार के बाद उनके उपयोग को देश के सामने रखा और उसी को आधार मानकर रोगों से मुक्ति पाते रहे हैं ।

बीच में परिस्थितियां बदली और एलोपैथी की तरफ जल्दी सुलभ स्वास्थ्य के लिये लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ । लेकिन कम ही समय में जो यह एलोपैथी की तरफ लोगों का भ्रम था वह भी टूट गया और पुनः विशेष कर पढ़े-लिखे लोग आज पुनः जड़ी-बूटियों की तरफ लौट रहे हैं और इसके महत्व को स्वीकार कर रहे हैं । पेटेन्ट के बारे में लोगों में जो आज भ्रान्तियां हैं, जो एक सामान्य चर्चा है कि जड़ी-बूटियों का पेटेन्ट होता है, पेड़-पौधों का होता है । इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पेटेन्ट हमेशा उत्पादित वस्तु का या प्रक्रिया का होता है । पेटेन्ट पेड़-पौधों का नहीं होता । भारत सरकार भी इसके प्रति बहुत गंभीर है, चिन्तित है और इसके लिये जयविविधा कानून बनाने की कार्यवाही चल रही है । जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात है । जड़ी-बूटियों और वनस्पतियों के संरक्षण में जो भारत सरकार कानून बनाने जा रही है उस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से अभिमत मांगा गया था और उसी के संदर्भ में 27 जनवरी, 1999 को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी की तरफ से आख्या उत्तर प्रदेश सरकार की भारत सरकार को भेज दी गई है और हमको काफी उम्मीद है, विश्वास है कि जयविविधा कानून बनने जा रहा है जिसके माध्यम से जड़ी-बूटियों को एक देश से दूसरे देश में ले जाना प्रतिबन्ध है । कोई भी हमारे पेड़ पौधों को बाहर नहीं ले जा सकता है । यह एक व्यापक कानून होगा भारत सरकार इसके बारे में विचार कर रही है । इसके पूर्व ही उत्तर प्रदेश सरकार ने सुझाव भेजा था हमको उम्मीद है कि निकट भविष्य में हमारी, आपकी सबकी भावनाओं को देखते हुए जड़ी-बूटियों के सम्वर्धन, संरक्षण प्राप्त होगा ।

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (डा० शीमा रिज़वी)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस समय में सरकार में चिकित्सा शिक्षा का कार्य भार देख रही हूं । इस कारण सरकार को वक्तव्य देने के लिये खड़ी हुई हैं और सबसे पहले मैं माननीय बाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने लोक महत्व के प्रश्न को सदन में उठाया और सदन का ध्यान आकृष्ट किया । सरकार की ओर से मैं माननीय सदस्यों को इस बात से अवगत कराना चाहती हूं कि सैद्धान्तिक रूप से जो कुछ भी चर्चा इस विषय पर हो गयी है सरकार उससे पूरी तौर से सहमत है । यह बात स्वीकार करने योग्य है कि जो औषधियां हमारी अपनी धरोहर हैं, उनकी हिफाजत करना हमारा दायित्व है । इनकी वजह से आज हमारी पहचान विश्व में बनी हुई है । मैं अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से

माननीय सदस्यों को इस बात के लिये आश्वस्त करना चाहती हूं कि सरकार पूरी तौर से इस विषय पर जागरूक है और एक जानकारी मैं माननीय सदन को देना चाहती हूं कि अब से कुछ ही समय पूर्व कुछ कैसेट्स बनाकर 150 देशों में वितरित कर दिये गये हैं। 156 ऐसी औषधियां, ऐसे पौधे जिनको सरकार ने यह स्वीकार किया कि यह हमारी अपनी सम्पदा है और इसे पेटेन्ट न बनाया जाय। कोई दूसरा देश इसके जरिये पहचान न पाये इसके लिये निकट भविष्य में एक दूसरा कैसेट भी तैयार किया जा रहा है जिसमें इन औषधियों की संख्या 300 है। माननीय वाजपेयी जी ने जो कुछ भी बताया उसके लिये भी उनका धन्यवाद करती हूं और यह कहना चाहती हूं।

आज इस सदन में विपक्ष की नगण्य संख्या इस बात की द्योतक है कि केवल सत्तापक्ष को ही देश, प्रदेश और यहां की जनता के बारे में जो कुछ चिन्ता होती है, उसके भविष्य की चिन्ता करती है वह केवल सत्तापक्ष ही है। 1992 में जब यह निर्णय लिया गया तब केन्द्र में तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, आज सदन में उपस्थित होकर वह सदस्य कानून का समर्थन कर देते तो शायद यह कहा जा सकता था कि उन्होंने कुछ प्रायश्चित जरूर कर लिया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से अधिष्ठाता महोदय, वह भी कहना चाहती हूं कि यह मसला पूर्ण रूप से केन्द्र का है राज्य सरकार इसका समर्थन करती है और राज्य सरकार के माध्यम से ऐसी प्रक्रिया भी चल रही है कि केन्द्र में जो सरकार है उसके बारे में मैं उन तमाम सदस्यों को आश्वस्त भी करना चाहता हूं जिन्होंने इस विषय पर तमाम विचार रखे, वह सरकार भी अपनी सम्पदा के लिए अपनी शिनाख्त के लिये जागरूक है। इस अधिनियम में संशोधन किया जाए जो डब्लू०टी०ओ० के माध्यम से ऐसा कहा गया है।

श्री अधिष्ठाता–

इस चर्चा के लिए एक घण्टे का समय निश्चित हुआ है।

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

दो घण्टे की चर्चा है।

डा० शीमा रिजवी–

संक्षेप में मैं केवल इतना कह देना चाहती हूं कि राज्य सरकार माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करती है उस सब प्रक्रिया के लिए, जिसके लिए यह आवाज उठाई गई है, केन्द्र सरकार को, उनकी इन भावनाओं से अवगत करा देगी कि राज्य सरकार पूरी तरह से सजग होते हुए इसको सैद्धान्तिक रूप से मानते हुए इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि केन्द्र सरकार की ओर से भी कोई ऐसा कदम न उठाया जाए जो हमारे लिए खतरा साबित हो,

(मेजें थपथपाई गईं)

साथ ही मैं अपने सहयोगी से यह निवेदन करती हूं कि केन्द्र सरकार की मंशा जानते हुए और राज्य सरकार की भी मंशा जानते हुए अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें। यह मेरा निवेदन है।

श्री अधिष्ठाता–

वाजपेयी जी क्या प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

जो मंत्री जी ने कहा उसमें बोल तो लेने दीजिए।

श्री अधिष्ठाता–

मा० संसदीय कार्य मंत्री से कहूंगा कि इस चर्चा के लिए एक घण्टा समय निर्धारित था वह पूरा हो गया है तो समय बढ़ाने का प्रस्ताव करेंगे ?

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जिनका प्रस्ताव है वह कुछ कहना चाहते हैं तो कुछ कह दें चर्चा पूरी हो चुकी है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

जब समर्थन कर रही है तो स्वीकार करना चाहिए ।

श्री दी० आर० वर्मा–

यह कह रही हैं विपक्ष जागरूक नहीं है । यह जो जड़ी बूटी ...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

दो मिनट बोलने दें ।

श्री रामजग–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केन्द्र सरकार में है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें । बाजपेयी जी प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

(व्यवधान)

(श्री रामतेज यादव एडवोकेट के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, [× × ×]

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, जिस गंभीर विषय पर आज सारे सदन ने चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के सदस्य हों चर्चा की है और इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है, इस पेटेन्ट अधिनियम के वर्तमान स्वरूप बनने के बाद कदाचित वह जड़ी बूटियां, जैसा कि माननीय वन मंत्री जी ने कहा है या और लोगों ने कहा उससे क्रियाशील तत्व और उसके बनने का प्रोसेस को पेटेन्ट कर लिया तो कच्चे माल की मंडी यहां पर खुल जायेगी और विदेशी लोग यहां पर आयेंगे और ले जायेंगे । जो जड़ी बूटी आदिवासी को मिलती थी वह नहीं मिल पायेगी । मैं इस बात को कहते हुए जो सरकार की मंशा है और उसने सहमति भी व्यक्त की है, इस विषय वस्तु पर सहमति व्यक्त की है और इसके तत्व को स्वीकारते हुए भारत सरकार को

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

अवगत कराने की बात कही है यह आश्वासन दिया है तो मैं इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं। मेरा भी यही मकसद था कि भारत सरकार को इससे अवगत कराया जाय। चूंकि उन्होंने आश्वासन दे दिया है इसलिए मैं इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वह पेटेन्ट संबंधी विधि में इस आशय का संशोधन करे कि भारतीय जड़ी-बूटियों के उत्पादन, उपयोग तथा विपणन आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इस प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 25-4-2000 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनाएं प्राप्त हुई। इसमें पहली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की बी०एल०एस० इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट गाज़ियाबाद में देशभर से चयनित एम०बी०ए० पाठ्यक्रम के तीन सेमेस्टर पढ़ चुके छात्रों का परीक्षा फल घोषित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को वक्तव्य हेतु स्वीकृत करता हूं। दूसरी सूचना श्री राम औतार शाक्य जी की प्रदेश में सी०पी०एम०टी० की परीक्षा में प्रश्न पत्रों की प्रणाली बदलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को वक्तव्य हेतु स्वीकृत करता हूं।

तीसरी सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की–जनपद फिरोजाबाद के यमुना नदी बीहड़ क्षेत्र में आये भीषण आंधी–तूफान के साथ ओला वृष्टि से आठ व्यक्तियों की मौत और सैकड़ों किसानों की फसलों को हुई क्षति के संबंध में है। इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत करता हूं।

चौथी सूचना डा० पूर्णमासी पंकज की–जनपद सन्त रविदास नगर में स्थापित भूमि अध्याप्ति इकाई को स्थानान्तरित/समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत करता हूं।

पांचवीं सूचना श्री नेतराम सिंह की–जनपद एटा के कासगंज विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अनूपशहर शाखा तथा उसके माइनरों में पानी न आने से किसानों को हो रही असुविधाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

छठी सूचना श्री गोरखनाथ पाण्डेय की–जनपद भदोही ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बन्द पड़े नलकूपों की रि-बोरिंग कराकर उन्हें चालू कराये जाने के संबंध में है। इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत करता हूं।

सातवीं सूचना श्री उदयराज यादव की–यू०पी०एस०आई०डी०सी० कानपुर के प्रबन्ध निदेशक द्वारा अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में कई करोड़ रुपये का घोटाला किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

इसे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत करता हूं।

आठवीं सूचना डा० धर्मज्ञ मिश्र की–जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत जलवाछेड़ा ड्रेन की खुदाई-सफाई किए जाने तथा कतिपय स्थानों पर पुलियों की मरम्मत तथा निर्माण कराये जाने के संबंध में है।

इस सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

नवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की–प्रदेश की राजधानी लखनऊ की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने हेतु प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य शीघ्र कराये जाने के संबंध में है।

इसे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत करता हूं।

दसवीं सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की–सम्पूर्ण प्रदेश में विशेषतः जनपद अम्बेडकरनगर के जहांगीरगंज क्षेत्रान्तर्गत सड़कों की जर्जर स्थिति के कारण नागरिकों को हो रही असुविधाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

इसे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत करता हूं।

ग्यारहवीं सूचना श्री अजय कुमार पोइया की–जनपद मथुरा में पंजीकृत धार्मिक एवं सांस्कृतिक चैरीटेबिल ट्रस्टों की पत्रावलियां गायब होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

इसे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत करता हूं।

बारहवीं सूचना श्री शिशुपाल सिंह यादव की–महानिरीक्षक निबन्धन के अधीन वर्ष 1991 में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को यथावत् सेवा में बनाये रखने के संबंध में है।

इसे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत करता हूं।

तेरहवीं सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की–जनपद सीतापुर में शहर कोतवाली पुलिस द्वारा माननीय सदस्य एवं कई अन्य सम्भ्रान्त जनों के विरुद्ध फर्जी मुकदमें पंजीकृत किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

इसे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत करता हूं।

चौदहवीं सूचना श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद की–जनपद बांदा में श्री राम लीला प्रागी तालाब समिति, बांदा के नाम आवंटित रामलीला मैदान की भूमि पर अवैध कब्जेदारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

इसे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत करता हूं।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं :–

1–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, 2–श्री रामवीर सिंह, 3–श्री राम चन्द्र यादव, 4–श्री समरपाल सिंह, 5–श्री विजय पाल सिंह, 6–श्री जगदीश नारायण राय, 7–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि एवं श्री हरपाल सिंह, 8–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी।

मद संख्या–14, मद संख्या–15, मद संख्या–16, मद संख्या–17 पर अंकित वक्तव्य पढ़े हुए माने गए।

बेरोजगार आयुर्वेदिक यूनानी फार्मासिस्टों के कतिपय मांगों को लेकर चल रहे धरने तथा क्रमिक अनशन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (डा० शीमा रिजवी)–

। बेरोजगार आयुर्वेदिक/यूनानी फार्मासिस्टों के कतिपय मांगों को लेकर चल रहे धरना तथा क्रमिक अनशन के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 में दी गयी सूचना दिनांक 3-4-2000 में मा० सदस्य द्वारा 10 वर्ष से प्रशिक्षित बेरोजगार आयुर्वेदिक/यूनानी फार्मासिस्टों को आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालय में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए विज्ञापन देने आदि की कार्यवाही कर नियुक्ति की कार्यवाही की भी मांग करते हुए इन फार्मासिस्टों की, दिनांक 2-7-98 को स्वीकृत की गयी मांगों को शासन द्वारा तत्काल लागू करने की मांग की गयी है।

इस संदर्भ में स्थिति यह है कि आयुर्वेदिक/यूनानी फार्मासिस्टों द्वारा सेवायोजन संबंधी मुख्य मांग के संबंध में कार्यवाही पूर्व से ही सम्पादित की जा रही है। पूर्व में इस संदर्भ में प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार

नोट । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आयुर्वेदिक/यूनानी विभाग में फार्मासिस्टों की उपलब्ध सेवा नियमावली, 1991 में फार्मासिस्टों के चयन का अधिकार अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से हटाकर विभागीय चयन समिति गठित कर अधिकार प्रदान किये जाने के तत्कालीन निदेशक के प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी, जिसके अनुसार एलोपैथिक फार्मासिस्टों के चयन की प्रक्रिया के अनुरूप आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों को भी डिप्लोमा परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट के क्रम में उन्हें नियुक्ति करने संबंधी प्रस्ताव प्रेषित कर अनुरोध किया गया था कि फार्मासिस्ट की सेवा नियमावली तदनुसार संशोधित कर दिया जाय। इस बिन्दु पर मा० चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी का सैद्धान्तिक अनुमोदन भी जनवरी, 08 में प्राप्त कर लिया गया था। प्रकरण को सेवा नियमावली में संशोधन हेतु कार्मिक विभाग में संदर्भित किया गया परन्तु कतिपय प्रक्रियाओं के कारण प्रस्तावानुसार संशोधित सेवा नियमावली प्रख्यापित नहीं की जा सकी। इस मध्य अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के भंग हो जाने के कारण कार्मिक विभाग द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 1998 प्रख्यापित हो जाने के कारण कार्मिक विभाग द्वारा प्रस्तावित संशोधन को न मानते हुए उक्त नियमावली 08 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही कर चयन की कार्यवाही करने का परामर्श दिया गया।

श्री राम नक्षत्र, मा० सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-137 के उत्तर में दिनांक 22-7-08 को तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मासिस्टों की सेवा नियमावली में संशोधन के संदर्भ में कार्मिक विभाग का परामर्श लेकर प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। उक्त कथन आश्वासन संख्या-60 वि०स०/08 के रूप में विद्यमान था। अतएव प्रस्ताव पुनः विचार हेतु सितम्बर, 1008 में कार्मिक विभाग को सन्दर्भित किया गया। परन्तु कार्मिक विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव पर पुनः यह कहा गया कि एलोपैथिक फार्मासिस्ट के चयन की प्रक्रिया भी नियमावली, 1008 के प्रभारी होने के कारण उसी के अनुरूप की जायेगी तथा उस नियमावली से एक वर्ष के लिये अपवर्जन की अनुमति दी गई है। इस प्रकार यह स्थिति स्पष्ट हुई कि यदि आयुर्वेदिक/यूनानी फार्मासिस्टों के वर्तमान में सेवा नियमावली, 1991 में प्रस्तावानुसार संशोधन कराये भी जायें तो वह केवल एक वर्ष के लिये प्रभावी होगा तथा यह समय साध्य होने के साथ-साथ मा० उच्च न्यायालय द्वारा अनियमित रूप से नियुक्त किये गये तथा सेवा से पृथक किये गये फार्मासिस्टों को चयन का एक अवसर देने के आदेशों की पूर्ति भी उससे न हो सकी।

चूंकि तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी द्वारा सदन में जो आश्वासन दिया गया था वह उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक/यूनानी भेषजिक सेवा नियमावली, 1991 के प्राविधानों के विपरीत था तथा संवैधानिक स्थिति के विरुद्ध सदन में दिये गये उक्त आश्वासन की पूर्ति नहीं की जा सकती है। अतएव विकल्प था कि मा० मंत्री जी के कथन की पूर्ति हेतु प्रथमतः उक्त संवैधानिक स्थिति (नियमावली) में संशोधन कर स्थिति को पुनः परिवर्तित किया जाय तथा यदि नियमावली में आश्वासन के अनुसार संशोधन की कार्यवाही की जाती है जो मात्र एक वर्ष के लिये प्रभावी होगी एवं मा० उच्च न्यायालय के निर्देशों की पूर्ति नहीं हो सकती थी।

उपर्युक्त स्थिति में यह श्रेयस्कर समझा गया कि मा० अध्यक्ष, विधान सभा से चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी द्वारा डिप्लोमा फार्मासिस्टों के वर्षवार प्राप्तांकों के आधार पर बनायी गयी मेरिट के अनुरूप कार्यवाही की स्थिति के वर्तमान में संवैधानिक स्थिति के विरुद्ध होने तथा उससे मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न हो सकने की स्थिति से अवगत करा दिया जाय तथा तदुपरान्त प्रकरण कार्मिक विभाग की समूह "ग" के पदों पर चयन संबंधी नियमावली, 1008 में इंगित प्रक्रिया के अनुरूप फार्मासिस्ट के चयन की कार्यवाही की जाय।

तदनुसार कार्यवाही की जा रही है तथा आयुर्वेदिक/यूनानी फार्मासिस्टों के चयन संबंधी कार्यवाही शीघ्र ही निष्पादित करा दी जायेगी।

राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के स्थानीय राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गोमती नगर, लखनऊ में विलय की आड़ में अतिथि प्रवक्ताओं की सेवा से पृथक करने की योजना के संबंध में श्री गोपाल कृष्ण द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (डा० शीमा रिजवी)–

। मा० सदस्य श्री गोपाल कृष्ण द्वारा दिनांक 3-4-2000 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के स्थानीय राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गोमतीनगर, लखनऊ में विलय की आड़ में अतिथि प्रवक्ताओं को सेवा से पृथक किये जाने की योजना के संदर्भ में अवगत कराना है कि राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ को राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गोमतीनगर, लखनऊ के नवनिर्मित भवन में विलय की सम्प्रति कोई कार्यवाही शासन अथवा होम्योपैथिक निदेशालय स्तर पर विचाराधीन नहीं है । प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में अतिथि प्रवक्ताओं के आमंत्रण की व्यवस्था काम चलाऊ एवं नितान्त वैकल्पिक है तथा उक्त महाविद्यालयों में अतिथि प्रवक्ता के पदनाम से कोई पद स्वीकृत नहीं है । अतिथि प्रवक्ताओं के हित और अधिकार उन्हें प्रति व्याख्यान की दर से रुपये 150/–की धनराशि प्राप्त होने व एक माह में अधिकतम 20 व्याख्यान दिये जाने तक सीमित है । अतिथि प्रवक्ताओं को राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों के सापेक्ष आमंत्रित किया जाता है । राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवक्ता का पद लोक सेवा आयोग की परिधित है तथा प्रवक्ता के रिक्त पदों को भरने के लिए लोक सेवा आयोग उ० प्र०, इलाहाबाद को अधियाचन दिनांक 20-11-98 को भेजा जा चुका है । अतएव उक्त पद के समस्त अधिकार एवं हित लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षित है । इस प्रकार मा० सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में उल्लिखित तथ्य संगत नहीं है । ।

संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय षष्ठ मण्डल लखनऊ की उदासीनता तथा मनमानी कार्य प्रणाली के कारण प्रौढ़ शिक्षा के छटनीशुदा पर्यवेक्षकों जिन्हें शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (एल०टी०) पदों पर समायोजित किया गया था, के वेतन निर्धारण प्रकरणों को निस्तारित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० बकार अहमद शाह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

माध्यमिक शिक्षा भाषा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

। मान्यवर, संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय, षष्ठ मण्डल–लखनऊ की उदासीनता तथा मनमानी कार्य-प्रणाली के फलस्वरूप प्रौढ़ शिक्षा के छटनीशुदा पर्यवेक्षकों जिन्हें शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (एल०टी०) पदों पर समायोजित किया गया था, के वेतन निर्धारण प्रकरणों को समय से निस्तारित न किये जाने के उन्हें भारी आर्थिक क्षति के साथ ही मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ रही

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

है। ये प्रकरण उनके कार्यालय में अप्रैल, 1992 से मार्च, 1994 के बीच उचित माध्यम द्वारा प्रेषित किये गये थे, किन्तु कार्यालय के संबंधित सहायक की खाऊ-कमाऊ नीति के चलते सभी प्रकरणों का समय से निस्तारण नहीं किया गया है। कुछ प्रकरणों का निस्तारण किया गया है और कुछ प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लम्बित रखा गया है जिससे उन शिक्षकों में भारी असन्तोष आक्रोश एवं रोष व्याप्त है, स्थिति विस्फोटक है। अतः लोक महत्व के इस सुनिश्चित प्रकरण के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए लम्बित समस्त प्रकरणों के अविलम्ब निस्तारण एवं अनावश्यक रूप से लम्बित रखने के लिए उत्तरदायी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग करता हूं।

वक्तव्य

मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा पूर्व में अनुमोदित ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना एवं राज्य प्रौढ़ कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा परियोजना व्यवस्था को समाप्त किये जाने के फलस्वरूप प्रदेश सरकार द्वारा आदेश दिनांक 27-3-92 द्वारा उक्त परियोजना के लिए विभिन्न शासनादेशों द्वारा सृजित परियोजना अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षकों के पदों को समाप्त करते हुए यह निर्देश दिये गये थे कि इन पदों पर कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो अन्य विभागों से प्रतिनियुक्त पर हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से उनके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित किया जाता है तथा शेष कर्मचारियों की सेवाएं पद समाप्त होने के कारण दिनांक 31-3-92 से स्वतः ही समाप्त हो जायेंगी।

2-प्रौढ़ शिक्षा परियोजना समाप्त होने के फलस्वरूप शासन ने ऐसे कर्मचारियों जिनका धारणाधिकार किसी अन्य विभाग से नहीं था उनको मानवीय दृष्टि से शिक्षा विभाग में समायोजित करने हेतु शासन के एक अन्य आदेश दिनांक 27-3-1992 द्वारा यह निर्देश दिये गये कि प्रौढ़ शिक्षा परियोजना-व्यवस्था तथा पदों को समाप्त किये जाने के फलस्वरूप परियोजनाधिकारी, सहायक परियोजनाधिकारी तथा पर्यवेक्षकों के पदों पर कार्यरत व्यक्तियों को मानवीय दृष्टिकोण से सेवा का अवसर प्रदान करते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि से स्नातक वेतनक्रम (एल०टी० ग्रेड 1400-2600) के पदों में सम्प्रति नियुक्त किये जाने के निर्णय के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी नियमावली, 1983 में निम्नवत् शिथिलता प्रदान की जानी है :-

1. निर्धारित अधिकतम आयु।

2-सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया।

3. शैक्षिक अर्हतायें।

उक्त शिथिलतायें मात्र प्रौढ़ शिक्षा विभाग में पूर्व से कार्यरत ऐसे परियोजना अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी तथा पर्यवेक्षकों पर लागू होंगी जो सीधी भर्ती के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा विभाग में नियुक्त किये गये थे और इस सेवा में आने से पूर्व उनका किसी भी विभाग में धारणाधिकार न हो। शासन के उक्त निर्देशानुसार प्रौढ़ शिक्षा के छटनीशुदा कर्मचारियों को एल०टी० वेतनक्रम में तदर्थ रूप से नियुक्ति प्रदान की गयी। तत्पश्चात् प्रौढ़ शिक्षा के छटनीशुदा कर्मचारी जो तदर्थ रूप से सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त थे उन्होंने राजाज्ञा संख्या-जी-2-777/10-142-65 दिनांक 10-12-73 के अनुसार अपना वेतन निर्धारण करने के संबंध में मांग की। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय के पत्र दिनांक 18-10-96 द्वारा उक्त कर्मचारियों को छटनीशुदा कर्मचारी मानते हुए राजाज्ञा दिनांक 10-12-73 द्वारा वेतन निर्धारण करने हेतु समस्त मण्डलीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया।

3 वेतन निर्धारण के संबंध में राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र दिनांक 5-2-1997 द्वारा विरोध किया गया जिस पर विचारोपरान्त तत्कालीन शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा वेतन निर्धारण का पूर्व आदेश स्थगित करते हुए प्रकरण शासन से जिज्ञासा कर आदेश प्राप्त करने हेतु संदर्भित किया गया। जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि इन्हें छटनीशुदा कर्मचारी मानकर वेतन निर्धारण किया जाए अथवा नवीन नियुक्ति पर प्रारम्भिक वेतन दिया जाय। शिक्षा निदेशालय के उक्त से संदर्भित पत्र दिनांक 28-2-97 के संदर्भ में शासन के प्रा0 एवं उच्च शिक्षा अनुभाग के पत्र दिनांक 27-9-99 द्वारा यह निर्देश दिये गये कि शासनादेश दिनांक 27-3-97 के द्वारा प्रौढ़ शिक्षा परियोजना व्यवस्था तथा पदों के समाप्त किये जाने के फलस्वरूप परियोजना अधिकारी सहायक परियोजना अधिकारी तथा पर्यवेक्षकों के पद पर कार्यरत व्यक्तियों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि से स्थायक वेतनक्रम (एल0टी0ग्रेड 1400-2300) से निकाले जाने विषयक शासनादेश में उक्त कर्मचारियों को छटनीशुदा कर्मचारी की संज्ञा दी जा चुकी है। उक्त श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के संदर्भ में वित्त सामान्य अनुभाग-2 के शासनादेश जी-[illegible] दिनांक 10-12-1973 के प्रस्तर 4 में की गयी व्यवस्था के अनुसार छटनीशुदा कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के संदर्भ में विभागाध्यक्षों के स्तर से वेतन निर्धारण करने का अधिकार प्रतिनिधानित है। अतः शिक्षा निदेशालय के पत्र दिनांक 27-10-99 के द्वारा सभी मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को शासनादेश दिनांक 10-12-73 के अनुसार वेतन निर्धारण के निर्देश दिये गये।

4 वेतन निर्धारण के उक्त आदेश के प्रति राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 30-11-99 द्वारा उक्त शासनादेश को फर्जी एवं संदिग्ध बताते हुए वेतन निर्धारण हेतु निर्गत आदेश नियम के विरुद्ध बताया गया। संघ द्वारा पुनः आपत्ति किये जाने पर शिक्षा निदेशालय के पत्र दिनांक 23-12-99 के द्वारा शासनादेश दिनांक 27-9-99 की पुष्टि हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया और वेतन निर्धारण के पूर्व निर्गत आदेश का स्थगन कर दिया गया। शासन के पत्र दिनांक 8-2-2000 द्वारा शिक्षा निदेशक माध्यमिक के पत्र दिनांक 23-12-99 के संदर्भ में यह अवगत कराया गया है कि शासन का पत्र दिनांक 27-9-99 में छटनीशुदा कर्मचारियों के संदर्भ में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 10-12-73 में निर्धारित वेतन निर्धारण की प्रक्रिया के आधार पर संबंधित विभागाध्यक्ष के स्तर पर गुणावगुण के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करनी थी। अतः अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करें।

5 उक्त शासनादेश की पुष्टि शिक्षा निदेशालय द्वारा व्यक्तिगत रूप से की गई। शासनादेश दिनांक 27-9-99 से शासन द्वारा प्रौढ़ शिक्षा के उक्त कर्मचारियों को छटनीशुदा कर्मचारियों की संज्ञा मान्य किये जाने से उक्त कर्मचारियों को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 10-12-73 में दिये गये आदेशों के अन्तर्गत वेतन निर्धारण का लाभ दिया जाना है। शासनादेश दिनांक 27-9-99 में दिये गये आदेश के अनुसार इन्हें छटनीशुदा कर्मचारी मानते हुए नियमानुसार समस्त लाभ देय होंगे।]

जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के विकास खण्ड सुरियावां के ग्राम हरदुआ के ग्रामीणों के लिए बैंक 18 कि0 मी0 दूर होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[जनपद सन्त रविदासनगर भदोही के विकास खण्ड सुरियावां के ग्राम हरदुआ के ग्रामीणों का बैंक 18 कि0मी0 दूर ग्रामीण बैंक अभियां नियुक्त है। दूरी अधिक होने के कारण गरीब किसानों एवं वृद्ध

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पेंशनरों के आवागमन की कठिनाइयों के कारण केवल 7 कि० मी० की दूरी पर स्थित काशी ग्रामीण बैंक दुर्गागंज शाखा नियुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है । इससे विकास खण्ड सुरियांवा के ग्राम हरदुआ के किसानों तथा स्थानीय जनता को आवागमन तथा बैंकिंग कार्य करने में सुगमता होगी ।

जनहित में इस मामले में अग्रणी बैंक (यूनियन बैंक आफ इण्डिया) तथा भारतीय रिजर्व बैंक से राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किये जाने का निर्णय लिया है । ।

खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा कार्य योजना बनाना, रसायनिक खादों के असंतुलित प्रयोग एवं बुआई के समय रसायनिक खादों की कमी को दूर करने विषयक दि० 15 जुलाई, 1999 के तारांकित प्रश्न–4 नत्थी (ग) के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की सूचना पर नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, 15 जुलाई, 1999 को तारांकित प्रश्न संख्या–4 नत्थी (ग) का उत्तर संतोषजनक न पाने के कारण यह जो जानकारी सदन को आवश्यक थी उस समय उसमें हमने चर्चा की मांग किया था लेकिन उस समय बुवाई का समय था, रसायनिक खादों की कमी और उसके असंतुलित प्रयोग के कारण खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा कार्य योजना बनाने के संबंध में चर्चा रखी थी जिसे उस समय रोक दिया गया था इसलिए चर्चा का वह भाग जिसमें रसायनिक खादों के असंतुलित प्रयोग और खादों की कमी के विषय में चर्चा आज प्रसंगिक हो गयी है ।

लेकिन मान्यवर, खाद्यान्न उत्पादन की जो हमारी आवश्यकता है, जो लक्ष्य है वह प्राप्त हो इसके लिए जरूरी है कि रसायनिक खादों का संतुलित प्रयोग हो । भविष्य में बुआई के समय रसायनिक खादों की आपूर्ति समय पर सुनिश्चित हो इसमें सरकार सचेष्ट रहे ।

मान्यवर, आज जो रसायनिक खादों का असंतुलित प्रयोग हो रहा है उस असंतुलित प्रयोग के कारण जो जमीन की पैदावार की शक्ति का ह्रास हो रहा है दोहन हो रहा है इस संबंध में कोई कार्य योजना बनाकर उसमें विशेषज्ञों की राय लेकर इस प्रदेश के किसानों के समक्ष कोई विषय है जो सरकार प्रस्तुत करे इस आशय की बात को रखते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं ।

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए और उसके अन्तर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समुचित समय पर समुचित उर्वरकों की उपलब्धता होना नितान्त आवश्यक है । मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो यह प्रश्न उठाया कि जुलाई, 1999 में रसायनिक खादों की उपलब्धता नहीं थी ऐसी बात नहीं है । रसायनिक खादों की उपलब्धता इस वर्ष प्रदेश को जितनी आवश्यकता थी उससे हमेशा अधिक रही है और कभी किसी भी क्षेत्र म किसानों की कमी इसकी महसूस नहीं होने दी । थोड़ी समस्या जरूर आ जाती है । कहीं-कहीं जहां हमारी सहकारी समितियां कमजोर हो गयी हैं वहां हम किसानों को ऋण पर रसायनिक खाद उपलब्ध कराने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पाते हैं । उन्हें दूसरी किसी समिति के माध्यम से खाद उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है । जहां तक अन्य बात है जहां पर हमने यह महसूस किया कि निजी दुकानदारों द्वारा कुछ शोषण की बात की जायेगी वहां पर हमने एग्रो के आउटलेट्स खुलवाये हैं लेकिन ऋण के रूप में खाद उपलब्ध कराने में कहीं-कहीं दिक्कत आती है उस पर भी विचार-विमर्श चल रहा है कि इस कमी को कैसे दूर किया जाय ।

मान्यवर, एक बात माननीय सदस्य ने यह कही कि असंतुलित खाद का प्रयोग हो रहा है और उससे उर्वरा शक्ति क्षीण हो रही है । यह सही है कि वर्ष 1996 के बाद से लगातार संतुलन में कुछ विभिन्नताएं आई हैं । 96 तक जो रेशियो था वह काफी हद तक सही था । मैं एक फीगर रखना चाहता हूं । वर्ष 1996-97 मे उर्वरक जो रबी के मौसम मे उपलब्ध हुई थी । रबी मौसम में उर्वरक का खपत अनुपात था ।

नाईट्रोजन–39 लाख, फासफोरस 9.66 और पोटाश एक था 97-98 में नाईट्रोजन 24.94 हो गया और फासफोरस 9.66 से घटकर 5.48 हो गया और पोटाश एक रहा । वर्ष 98-99 में पुनः यह घटा है और 99-2000 में जो आवश्यकता है रबी की यह 31 दिसम्बर तक की फीगर है, पूरी फीगर उपलब्ध है, मैं आपको दे दूंगा । यह है 18.65, 5.74 और 1 हुई है आवश्यकता हमारी रहती है 4, 2, 1 की और यह पूर्णरूप से अभी हम मेनटेन नहीं कर पा रहे हैं । नाईट्रोजन का अधिक है उपयोग फास्फोरस और पोटास का जितना होना चाहिए वह कम हो रहा है । कुछ ऐसी धारणा किसानों के अन्दर रहती है कि नाइट्रोजन का अधिक से अधिक उपयोग करके अधिक से अधिक पैदावार दे सकते हैं । यह सही है जो फीगर हमारी इस साल की उपलब्ध है उसमें इस साल फास्फोरस की खपत बढ़ी है नाइट्रोजन काफी घटा है यह आवश्यकता है और इस पर पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और ज्यादा बल दे रहे हैं मृदा परीक्षण का ताकि मृदा परीक्षण के आधार पर किसानों को सही खाद उपयोग करने के लिए राय दे सके और साथ ही साथ प्रयास यह भी किया जा रहा है कि जो जैविक खाद है उसका भी उपयोग बढ़ाने में किसान में रुचि लाई जाय कि वह जैविक खाद का उपयोग करें ताकि जो ह्यूमस कमी हो रही है मिट्टी में उसको पूरा किया जा सके । मैं सभी माननीय सदस्यों को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो आशंका माननीय सदस्यों ने यहां व्यक्त की है हम स्वयं उसके लिए चिन्तित हैं, प्रयासरत हैं कि जो भी हमारी ह्यूमस की कमी हो रही है, जैविक खाद की कमी हो रही है उसको किस तरह से अधिक से अधिक बढ़ावा दें और उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की एक संतुलित मात्रा किसान प्रयोग करें उसका परीक्षण भी कराया जा रहा है और जो रिजल्ट आ रहे हैं उससे किसान इसको पूरा-पूरा महसूस करने लग गये हैं । मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं । सरकार इस बारे में स्वयं प्रयत्नरत है और कार्य कर रहे हैं । भविष्य में अधिक सफलता प्राप्त करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं ।

दि० 31 अक्टूबर, 1997 को प्रदेश सरकार के ऊपर ऋण ग्रस्तता की स्थिति तथा 31अक्टूबर, 97 से 1999-2000 तक प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया ऋण तथा ऋण ग्रस्तता को कम करने हेतु सरकार द्वारा विशेष कार्य योजना बनाये जाने विषयक दि० 3 अप्रैल, 2000 को तारांकित प्रश्न-संख्या 12 नत्थी "ग" के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार आदि द्वारा दी गयी सूचना पर नियम– 49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–19 माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित की जाती है ।

अब आज की कार्यवाही समाप्त होती है, कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 6 बजकर 45 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 25 अप्रैल, 2000

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित ता०प्र०सं०–1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1-3 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 2000 में डा० सरजीत सिंह डंग, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछा गया अल्प सूचित तारांकित प्रश्न का संलग्नक ।

उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० प्रधान कार्यालय, लखनऊ ।

प्रदेश के डार्क/ग्रे विकास खण्डों की सूची (स्थिति 1-4-98) (नाबार्ड) के पत्रांक-रा०वै०लख०आई०सी०डी०/हि०–4689/विविध/98-99, दिनांक 24-8-98 के अनुसार ।

क्र०सं०	जनपद	डार्क विकास खण्ड	ग्रे विकास खण्ड
1	2	3	4
1	आगरा	1–अकोला	1–अछनेरा
		2–बाह	2–बिचपुरी
		3–बरौली अतीर	3–जगनेर
		4–एत्मादपुर	4–जैतपुर कलां
		5–फतेहाबाद	5–खैरागढ़
		6–फतेहपुर सीकरी	6–पिनहट
		7–खन्दौली	
		8–सैंधवा	
		9–शमसाबाद	
2	अलीगढ़	1–अतरौली	1–बिजौली
		2–चन्दौस	2–गोण्डा
		3–लोधी	3–इग्लास
		4–मुरसान	4–खैर
		5–सासनी	5–सिकन्दरा राव
		6–गंगेरी	6–टप्पल
3	इलाहाबाद	1–चायल	1–बहादुरपुर
		2–चाका	2–बहेरिया
		3–हण्डिया	3–दानपुर
		4–करछना	4–कौरीहार
		5–मंझनपुर	5–मऊआईमा
		6–सूरतगंज	6–प्रतापपुर
		7–उरवा	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
4	आजमगढ़	1-पल्हानी	1-अहिरौला
			2-जहानगंज
			3-कोईलासा
			4-सठियांव
5	बहराइच	निल	1-विशेवरगंज
			2-चितौरा
			3-गिलौला
			4-हुजूरपुर
			5-इकौला
			6-जरवल
			7-पयागपुर
			8-तेजवापुर
6	बलिया	1-रेवती	1-देरिया
			2-बेरुआवेरी
			3-रसड़ा
7	बरेली	1-आलमपुर जाफराबाद	1-फरीदपुर
			2-फतेहगंज
		2-मीरगंज	3-पसावां
8	बस्ती	1-परसरामपुर	1-बस्ती सदर
			2-गौर
			3-हरैया
			4-खलीलाबाद
			5-रुदौली
			6-रामनगर
			7-सोनघाट
			8-विक्रमजीत
9	भदोही	निल	1-औराई

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
10	बदायूं	1-अम्बियापुर	1-दातागंज
		2-आसफपुर	2-गुन्नौर
		3-बिनावल (सलारपुर)	3-जगत
		4-बिसौली	4-कादरचौक
		5-इस्लामनगर	5-राजपुरा
		6-फियांव	
		7-वजीरगंज	
11	बिजनौर	1-आकू (नेह टौर)	1-आल्हेपुर
		2-कीरतपुर	2-ढूढनपुर
		3-खाड़ीकालू (हल्दौर)	3-जलीलपुर
			4-नूरपुर
12	बुलन्दशहर	1-बीबीनगर	1-गुलावटी
		2-दानपुर	2-सिकन्दराबाद
		3-जहंगीराबाद	3-शिकारपुर
		4-खुर्जा	4-स्याना
		5-लखवटी	5-ऊंचागांव
13	देवरिया	निल	1-बनकटा
			2-बरहज
			3-भुवानी
			4-रुद्रपुर
			5-सलेमपुर
14	एटा	1-मरहरा	1-जलेसर
		2-निधौलीकलां	2-कासगंज
		3-लकोट	3-पटियानी
		4-सोरों	4-सहावर
			5-शीतलपुर
15	इटावा	निल	1-बिधुना
			2-सहर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
16	फैजाबाद	निल	1-बीकापुर
			2-हरिगटनगंज
			3-मिल्कीपुर (मिहीपुरवा)
			4-सोहावल
			5-तारुन
17	फैजाबाद (अम्बेडकर नगर)	निल	1-बसखरा
			2-भियांव
			3-भीटी
			4-जहांगीरगंज
			5-जलालपुर
			6-कठेहारी
18	फर्रुखाबाद	1-बढपुर	1-सौरिख
		2-छिबरामऊ	2-उमरदा
		3-जलालाबाद	
		4-कायमगंज	
		5-कमालगंज	
		6-कन्नौज	
		7-मोहम्मदाबाद	
		8-नवाबगंज	
		9-राजेपुर	
		10-समसाबाद	
		11-तालेग्राम	
19	फतेहपुर	निल	1-बहुना
			2-देवमई
20	फिरोजाबाद	1-फिरोजाबाद	1-अरांव
		2-नारखी	2-एक्का
		3-शिकोहाबाद	3-खैरागढ़
		4-टुण्डला	4-मदनपुर
21	गाजियाबाद	1-हापुड़	1-भोजपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
22	गाजीपुर	निल	1–बिरनो
			2–गाजीपुर
			3–जखनियां
			4–करण्डा
			5–मोहम्मदाबाद
			6–सैदपुर
23	गोण्डा	1–छिपया	1–बभनजोत
			2–इटियाथोक
			3–मनकापुर
			4–मुझेना
			5–नवाबगंज
			6–रेहराबाजार
			7–रुपईडीह
			8–तरबगंज
			9–वजीरगंज
24	गोरखपुर	निल	1–बासगांव
			2–ब्रह्मपुर
			3–गगहा
			4–कौड़ीराम
			5–खजनी
			6–सरदारनगर
			7–उरवा
25	हरदोई	निल	1–बावन
			2–भरखनी
			3–बिलग्राम
			4–हरपालपुर
			5–माधौगंज
			6–मल्लावां
			7–सण्डीला
			8–शाहाबाद
26	हरिद्वार	निल	1–भगवानपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
27	जौनपुर	1–करजाकलां	1–बदलापुर
			2–बरसठी
			3–बक्सा
			4–धर्मापुर
			5–डोभी
			6–जलालपुर
			7–छोटान
			8–महराजगंज
			9–रामनगर
			10–रामपुर
			11–सिकरारा
28	कानपुर (नगर)	1–सरसौल	निल
29	कानपुर (देहात)	1–अकबरपुर	1–भीतरगांव
		2–बिल्हौर	2–चौबेपुर
		3 झींझक	3–पतारा
		4–मैथा	4–रसूलाबाद
		5–मलासा	5–सदनपुर
		6–सरवनखेड़ा	
		7–शिवनगर	
30	लखीमपुर खीरी	1–बेहजम	1–ईशानगर
		2–धौरहरा	2–पलिया
		3–मोहम्मदी	3–पसगवां
31	ललितपुर	निल	1–तालबेहड़
32	लखनऊ	निल	1–माल
33	मैनपुरी	1–करहल	1–बेवर
		2–जागीर	2–कुरावली
		3–मैनपुरी	3–सुल्तानगंज
34	मथुरा	1–माठ	1–बल्देव
		2–नौरील	2–[illegible]
		3–सैदाबाद	3–[illegible]धन
			4–राया
			5–शाहपुर
35	मेरठ	1–बिनौली	1–बड़ौत
		2–खरखौदा	2–बागपत
		3 खेकरा	3 मछेरा
		4 रजपुरा	4–मवाना
			5–पिलाना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
36	मिर्जापुर	निल	1–महावां
37	मुरादाबाद	1–अमरोहा	1–गजरौला
		2–असमौली	
		3–बहजोई	
		4–बनियाखेरा	
		5–बिलारी	
		6–छिजलेट	
		7–कुदरकी (डीगरपुर)	
		8–हसनपुर	
		9–जोया	
		10–सम्भल	
		11–पवासा	
38	मुजफ्फरनगर	1–बुढ़ाना	1–चरथावल
		2–कैराना	2–कांदला
		3–शाहपुर	
		4–ऊन	
39	प्रतापगढ़	निल	1–एस०चन्द्रिका
40	रायबरेली	1–डीह	1–बहादुरपुर
		2–सतांव	2–छतोह
			3–हरचन्दपुर
41	रामपुर	1–शाहाबाद	1–मिलक
42	सहारनपुर	निल	1–गंगोह
			2–नकुड़
			3–नागल
43	शाहजहांपुर	निल	1–भावलखेड़ा
			2–जलालाबाद
			3–कलान
			4–निगोहा
			5–खुटार
			6–पुवायां
			7–तिलहर
44	सिद्धार्थनगर	निल	1–डुमरियागंज
			2–मिथावल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
45	सीतापुर	निल	1-बेहटा
			2-गोदलामऊ
			3-मछरेहटा
			4-पिसावां
			5-रामपुर मथुरा
			6-सिधौली
46	सोनभद्र	1-चतारा	1-राबर्टगंज
47	सुल्तानपुर	1-संग्रामपुर	1-अखण्डनगर
48	उन्नाव	निल	1-असोहा
			2-बांगरमऊ
			3-फतेहपुर बारासी
			4-हसनगंज
			5-हिलौली
			6-नवाबगंज
			7-सिकन्दरपुर करन
49	वाराणसी	1-आराजीलाईन	1-चन्दौली
		2-बड़ागांव	2-दानापुर
		3-चिरईगांव	3-सेवापुरी
		4-चोलापुर	
		5-हरउवा	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता०प्र०सं०–30 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43 पर)

जनपद मैनपुरी में वर्ष 1999-2000 में जिला योजना सामान्य (5054) के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों का निर्माण

क्र०सं०	मार्ग का नाम	लम्बाई कि०मी०	लागत (लाख)	वर्ष 1999-2000 में धन आवंटन (लाख)
1	2	3	4	5
1	कुसमरा राम नगर मार्ग से सम्पर्क मार्ग जयापुर से हुसैनपुर (नव निर्माण)	1.200	10.05	2.50
2	दिहुली बरनाहल मार्ग से खुशहालपुर प्रहलादपुर मार्ग का शेष भाग (मिट्टी से लेपन)	0.700	5.30	1.00
3	करौली चुरहैला मार्ग से बनगवां (नवनिर्माण)	0.500	4.19	1.00
4	मैनपुरी भावंत किशनी मार्ग से मैदेपुर वाया पर्वतपुर (मिट्टी से लेपन)	1.25	9.47	2.00
5	मैनपुरी जीराई मार्ग से डांडी होते हुये कांकन (नव निर्माण)	1.25	10.47	3.00
6	करहल धिरौर मार्ग से चापरो (कोसमा मुसलमीन) (मिट्टी से लेपन)	1.300	9.85	2.00
7	सिरसागंज किशनी से मनीना सम्पर्क मार्ग से जौधरी । (मिट्टी से लेपन)	1.000		
	(नव निर्माण)	0.300	10.09	2.50
8	इटावा मैनपुरी मार्ग से सहस (नव निर्माण)	1.100	9.22	2.50
9	ग्राम सहन से बम्बा की पटरी होते हुये भवानीपुर (नव निर्माण)	1.530	12.82	3.50
10	पिछवा हननू खेड़ा मार्ग से नगला मितकर (मिट्टी से लेपन)	1.300	9.85	2.50
छूटी कड़ियों का निर्माण				
11	धिरौर कुरावली मार्ग से सोनई गोधालपुर मार्ग का शेष भाग और उसी मार्ग से दूल्हापुर होते हुये मैनपुरी की सीमा तक	1.500	11.37	3.00
12	मैनपुरी अंगोधा मार्ग से ओड़न पड़रिया मार्ग का शेष भाग (नव निर्माण)	0.200	11.68	1.50

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
13	शिकोहाबाद भोगांव मार्ग के कि०मी०-51 से सिकन्दरपुर का छूटा भाग (मिट्टी से लेपन)	1.000	7.58	3.00
	योग :-	14.13	111.94	30.00

जनपद मैनपुरी में वर्ष 1999-2000 में जिला योजना ए०सी०पी० (4225) के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों का निर्माण

क्र०सं०	मार्ग का नाम	लम्बाई कि०मी०	लागत (लाख)	वर्ष 1999-2000 में आवंटन (लाख रु०)
1	2	3	4	5
1	जी० टी० मार्ग से मेरापुर छठानी का अवशेष भाग (मिट्टी से लेपन)	0.350	2.64	1.50
2	लिलंक भिण्ड मार्ग से बरा (नव निर्माण)	1.170	9.80	5.50
3	सरनीहुल चन्दीकरा मार्ग से अजमपुर देहा (नव निर्माण)	0.700	5.85	3.00
	योग :-	2.22	18.29	10.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता०प्र०सं०-59 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के 3सरे मंगलवार के लिए निर्धारित एवं माननीय राम औतार शाक्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-59 के अन्तर्गत सरकार द्वारा मनोनीत गैर सरकारी अध्यक्ष/प्रशासक वाले निगमों/उपक्रमों की सूची

1-यू०पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन

2-उत्तर प्रदेश निर्यात निगम

3-गढ़वाल मण्डल विकास निगम

4-उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम

5-उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम

6 उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम

7-उत्तर प्रदेश वन निगम

8-उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम

9-उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास निगम

10-दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी

11-यू० पी० प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल्स कारपोरेशन

12-उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम

13-उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम

14-उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम

15-उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

16-उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता०प्र०सं० 70 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर)

वर्ष 1998-99

क्र०सं०	अनुबंध संख्या एवं दिनांक	ठेकेदार का नाम	कार्य का नाम	कार्य पूर्ण/अपूर्ण
1	2	3	4	5
1	1/एई III दि० 7-4-98	श्री वी० एन० पाण्डे	पिपरी चन्दौली मार्ग का नि० किमी० 40-63 एम० एम० बैला० का एकत्रीकरण ।	अपूर्ण धनाभाव के कारण
2	2/एई III 1-5-99	मे० आर० के० ट्रेडिंग कम्पनी	लुम्बनी दुग्धी मार्ग का निर्माण किमी० 142.143 से ग्रिट की आपूर्ति ।	पूर्ण
3	3/एई II 15-6-98	श्री अजय कुमार गुप्ता	लुम्बनी दुग्धी मार्ग का निर्माण किमी० 142.143 में ग्रिट की आपूर्ति ।	पूर्ण
4	4/एई II. 7-9-98	श्री वी० एन० पाण्डे	फतेहपुर मोहीउद्दीनपुर मार्ग का निर्माण (40-63एम०एम०)एस/वी की आपूर्ति ।	पूर्ण
5	5/एई II. 17-9-98	श्री विनोद कुमार सिंह	केदार नगर सद्दरपुर मार्ग का निर्माण किमी० 7.8 तथा 9 कुटाई, पेन्टिंग आदि कार्य ।	अपूर्ण धनाभाव के कारण ।
6	6/एई II. 11-2-99	श्री अशोक गोयल	मे० लुम्बनी दुग्धी मार्ग किमी०148.ग्रिट की आपूर्ति ।	पूर्ण
7	7/एई II. 12-2-99	मे० आर० के० ट्रेडिंग	फतेहपुर मोहीउद्दीनपुर सम्पर्क मार्ग (25-50)एम०एम० शंकरगढ़ की आपूर्ति ।	पूर्ण
8	8/एई II. 12-2-99	श्री महेन्द्र वर्मा	मे० एल०डी० रोड 25-50 एम०एम०एस०वी० की आपूर्ति एवं कुटाई पेन्टिंग आदि किमी० 140 ।	पूर्ण
9	9/एई II. 15-2-99	श्री विनोद कुमार	केदार नगर सद्दरपुर मार्ग का निर्माण प्रथम सतह पेंटिंग किमी० 6 एवं 2	पूर्ण

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
10	10/एई II, 17-2-99	श्री विनोद कुमार	खूखूतारा से घूरनपुर मार्ग का निर्माण प्रथम/ द्वितीय सतह लेपन का कार्य ।	मार्ग पूर्ण
11	11/एई II, 10-3-99	श्री राधेश्याम	घूरनपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण 40-63, किमी० 5	पूर्ण
12	12/एई II, 12-3-99	श्री देवानन्द शर्मा	इब्राहिमपुर कुसुमपुर सम्पर्क मार्ग 40-63 एम०एम०,25-50 एस०बी० किमी० 1	पूर्ण
13	13/एई II, 12-3-99	श्री देवानन्द शर्मा	इब्राहिमपुर कुसुमपुर सम्पर्क मार्ग चैनेज 40-63, 25-50 एम०एम०एस० बी० किमी० ।	अपूर्ण
14	14/एई II, 12-3-99	तदैव	तदैव किमी० 2 चैनेज 0.500	अपूर्ण
15	15/एई II, 12-3-99	तदैव	तदैव किमी० 2 चैनेज 0 से 0.500	अपूर्ण
16	16/एई II, 18-3-99	श्री अशोक गोयल	ए०आर० टू माया टाण्डा मार्ग	पूर्ण
17	17/एई II, 19-3-99	मे० आर० के० ट्रेडिंग	एल०डी०रोड (10-16 एम०एम० ग्रिट किमी० 148, 149)	पूर्ण
18	18/एई II ,20-3-99	श्री महेन्द्र वर्मा	बी०जे०टी० रोड किमी०	पूर्ण
19	19/एई II, 24-3-99	मे० आर०के०ट्रेडिंग कं०	माया टाण्डा रोड	पूर्ण
20	1/एई II, 15-5-99	श्री अशोक गोयल	एल०डी० रोड किमी० 148	पूर्ण
21	2/एई II 30-6-99	श्री अशोक गोयल	पैकोलिया एवं मोहीउद्दीनपुर मार्ग	पूर्ण
22	3/एई II, 30-6-99	तदैव	खरापुर अनु०सू०जाति बस्ती जहांगीरगंज का निर्माण ईंटों की आपूर्ति	पूर्ण

1	2	3	4	5
23	4/एई II. 2-7-99	श्री अशोक गोयल	नगरपालिका टाण्डा सकरावल से रफीक मियां की गली का निर्माण ईंटा की आपूर्ति ।	पूर्ण
24	5/एई II. 14-7-99	नदैव	साकपुर अनुसूचित जाति बस्ती जहांगीरगंज मार्ग का निर्माण ईंटों की आपूर्ति	पूर्ण
25	6/एई II. 24-7-99	श्री अशोक गोयल	नगरपालिका टांडा से अशरफपुर अहमद अंसारी के घर से जकी उस्ताद के घर तक गली का निर्माण ईंटों की आपूर्ति ।	पूर्ण
26	7/ एई II. 30-7-99	श्री महेन्द्र वर्मा	बेलहरी से इब्राहिमपुर चुरावा मार्ग का निर्माण (ईंटों की आपूर्ति) चैनेज 0-500 ।	पूर्ण
27	8/एई II. 30-7-99	श्री विनोद कुमार सिंह	बेलहरी से इब्राहिमपुर चुरावा मार्ग का निर्माण किमी० 1 चैनेज 500-1000.	पूर्ण
28	1/एई II. 6-4-99	श्री अशोक गोयल	मीठेपुर अमसिन नगर की पटरी फाल (16-22.4 एवं 10-16 एम०एम० ग्रिट) किमी० 4	पूर्ण
29	2/एई II. 24-4-99	मे० विन्ध्य स्टोन सप्लायर्स	बेलापरसा देवहट रामपुर मार्ग एवं बीबीपुर से मसड़ा मोहनपुर सम्पर्क मार्ग (16-22.4 एवं 10 से 16 एम०एम० ग्रिट)	पूर्ण
30	3/एई, III. 24-4-99	श्री राम प्रकाश सिंह	मगनपुर माईनर मार्ग 16 से 22.4 एवं 10से 16 एम०एम०ग्रिट किमी० 6.	पूर्ण
31	4/एई III. 27-5-99	श्री महेन्द्र कुमार वर्मा	गिरधर मऊ उतरेथू मार्ग ईट की सप्लाई किमी० 1. (00.500)	पूर्ण
32	5/एई III. 27-5-99	नदैव	तदेव किमी० 1 (500 से 1.00)	पूर्ण
33	6/एई III. 9-6-99	श्री मस्तराम वर्मा	मीठेपुर अमसिन नगर की फाल पर किमी० 1.2 में हयूम पाइप पुलिया का निर्माण ।	पूर्ण
34	7/एई III. 9-6-99	श्री मदन लाल	बसखारी हंसवर मार्ग 16 से 22.4 एवं 10 से 16एम०एम० ग्रिट ।	पूर्ण

1	2	3	4	5
35	8/एई III, 15-6-99	श्री मो० शाहिद	कटया सम्पर्क मार्ग (ईंट की सोलिंग किमी० 0.00 से 500)	पूर्ण
36	9/एई III, 15-6-99	मे० आर० के ट्रेडिंग कं०	टांडा हंसुवर मार्ग (10से 16 एम०एम० ग्रिट किमी० 5)	पूर्ण
37	10/एई III, 24-6-99	श्री रामानुज सिंह	मीठेपुर अमसिन नहर की फाल 40-63 एम०एम०पत्थर की आपूर्ति किमी० 1,	पूर्ण
38	11/एई III, 24-6-99	श्री हिफजुर्रहमान	हरसम्भार नरायनपुर मार्ग प्रथम सतह लेपन किमी० 1 से 4,	प्रगति पर
39	12/एई III, 25-6-99	श्री विनोद कुमार सिंह	उतरेथू डीगरपुर मार्ग ईंट की आपूर्ति किमी० 1 (00 से 500)	पूर्ण
40	13/एई III, 25-6-99	तदैव	गिरधरामऊ उतरेथू मार्ग (ईंट की सोलिंग) किमी० 2, (1.00 से 1.500)	पूर्ण
41	14/एई III, 25-6-99	श्री राजबहादुर सिंह	तेंदुआ नरायनपुर मार्ग ईंट की आपूर्ति किमी० 1(00 से 0.500)	पूर्ण
42	15/एई III, 26-6-99	श्री विनोद कुमार सिंह	तदैव किमी० 1 (0.500 से 1.00)	पूर्ण
43	15/एई III, 13-6-99	श्री विन्ध्याचल सिंह	कटया सम्पर्क मार्ग (ईंट का खड़ञ्जा) कि०मी० 1, (00 से 0.500 से 1.00)	पूर्ण
44	17/एई III, 6-8-99	श्री विजय नरायन पाण्डे	रामपुर बेनीपुर मार्ग (25 से 50 एम०एम० पत्थर) किमी० 1,	पूर्ण
45	1/एई, I 14-4-99	श्री सनमान सिंह	40-63 एवं 25-50एस०बी० किमी० 1 व 2, तिलक टांण्डा मार्ग	पूर्ण
46	2/एई, I 22-4-99	श्री धर्मवीर मिश्रा	कठमारवा लिंक रोड	पूर्ण
47	3/एई I, 3-6-99	श्री मदन गोपाल	तिलक टांडा रोड किमी० 3,(500-1000)(40-63 एवं 25-50)	पूर्ण
48	4/एई I 16-6-99	श्री सनमान सिंह	शिवतारालिंक रोड किमी० 3, 40-63 एवं 25-50	अपूर्ण

1	2	3	4	5
49	5/एई I, 16-6-99	श्री राम प्रकाश सिंह	ए०आर०टू०बी०एफ०ए० मार्ग कि०मी० 200, 10-16 एम०एम० ग्रिट	पूर्ण
50	6/एई I, 16-6-99	श्री विन्ध्याचल सिंह	प्रडारिया फौलादपुर मार्ग, 25-50 एस०वी० कि०मी० 1,	पूर्ण
51	7/एई I, 16-6-99	मे० विकास इं० प्राइजेज	तिलक टाण्डा रोड 16-22-4 एम०एम० ग्रिट	पूर्ण
52	8/एई I, 16-6-99	श्री राकेश कुमार सिंह	रामनगर अरावल मार्ग 40–63 एवं 25–50 एस०वी० कि०मी० 1, (0–500)	पूर्ण
53	9/एई I, 16-6-99	श्री विजय प्रताप सिंह	ए०आर०टू० जहांगीरगंज राजे सुल्तानपुर मार्ग कि०मी० 13 एवं 14 (10-16 ग्रिट)	पूर्ण
54	10/एई 16-6-99	श्री राम	ए०आर०टू दसखारी जहांगीरगंज मार्ग कि०मी० 20-21, 10–16 एम०एम० ग्रिट	पूर्ण

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं०–146 का उत्तर पीछे पृष्ठ 82 पर ।)

जनपद जालौन के प्राथमिक/सीनियर बेसिक विद्यालयों की भवन मरम्मत हेतु सूची

1–प्रा० विद्यालय, चिल्ली
2–प्रा० विद्यालय बढ़ेरी
3– ,, ,, करसान
4–,, ,, पड़आ
5–,, ,, कन्याजेसारी कलां
6–,, ,, टिपरो
7–,, ,, ऐरी
8–,, ,, वरदर
9–,, ,, धगुवां कलां
10–,, ,, कन्याधगुवां
11–,, ,, गढ़र
12–,, ,, सेसा कलां
13–पूर्व मा० वि० कोहाना
14–पूर्व मा०वि० टिमरों
15–प्रा०वि० कन्या हीरापुर
16–प्रा०वि० कन्या जालौन
17-पूर्व मा०वि० कन्या जालौन
18–प्रा०वि० रजपुरा
19-प्रा०वि० इकहरा
20–प्रा०वि० बोहरा
21-प्रा०वि० मिहोनी
22–प्रा०वि० भाऊपुरा
23- ,, ,, गुढ़ाजागीर
24–,, ,, नरोल
25-पूर्व मा०वि० कन्या जाय
26–पूर्व मा० वि० सिद्धपुरा
27-प्रा०वि० कन्या चतेला
28–प्रा०वि० मरगायां
29-,, ,, वरही
30–,, ,, परासन
31-,, ,, लुहरगांव
32–,, ,, चमारी
33- ,, ,, अकबरपुर इटोरा
34–,, ,, वारा
35- ,, ,, वरदोली
36–,, ,, ऊमरी
37-,, ,, पियऊपुर
38–,, ,, कन्यापचोपुरा
39-जू०हा० स्कूल शेखपुरअहीर
40–पूर्व मा० वि० अभेदपुर
41-प्रा०वि० जालोनखुर्द
42–प्रा० वि० धन्जा
43-प्रा०वि०कन्या ऊसरगांव
44–पूर्व मा० वि० ऊसरगांव
45-प्रा०वि० सरसई
46–प्रा० वि० खड़गुई दिवा०

47-प्रा०वि० कीरतपुर
48-पूर्व मा० वि० कुरहना
49-,, ,, वसोव
50-प्रा० वि० बोहरा
51-,, ,, कुदारी
52-,, ,, भड़ारी
53-,, ,, पचीपुरी
54-,, ,, गोरा
55-,, ,, धुसिया
56-,, ,, चदुर्रा
57-,, ,, चमड़ाठाकुरपुर
58-,, ,, चांदनी
59-,, ,, मगरा
60-,, ,, जमरोहीकलां
61-,, ,, सिमिरिया
62-पूर्व मा० वि० अठा
63- पूर्व मा०वि० भेड़
64-प्रा० वि० कन्यादेवगाव
65-प्रा०वि०गिदवासा
66-प्रा० वि० गोवरधनपुरा
67-प्रा०वि० पचीपुराखुर्द
68-,, ,, परासनी
69-,, ,,रूपापुर
70-,, ,, अर्जुनपुरा
71- ,, ,, केलिया
72-,, ,, कन्यापीपरी
73-प्रा० वि० कन्याधनौरा
74-प्रा० वि० भदारी नोरेजपुर
75-,, ,, शेखपुर अहीर
76-,, ,, वावली
77-,, ,, कुरोली
78-,, ,, दोनापुर
79-,, ,, लहरकनार
80-,, ,, बरियापुरा
81-,, ,, पण्डिसपुर
82-,, ,, पीपरीनोरेजपुर
83-,, ,, विचोली
84-,, ,, डमरु का पुरवा
85-,, ,, कन्या वावली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०-एल 265 विधान सभा (577)-2000-817 (डी०टी०पी०) ।